लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पन्द्रहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 78-10
Dated 26 July 2010

(खंड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्ढा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 37, पन्द्रहवां सत्र, 2009/1930 (शक)

अंक 10, गुरुवार, 26 फरवरी, 2009/7 फाल्गुन, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
इंडोनेशिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 141 और 143 से 145	4-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 142 और 146 से 160	30-89
अतारांकित प्रश्न संख्या 805 से 907	89-197
सभा पटल पर रखे गए पत्र	197-216
राष्ट्रपति का संदेश	217
राज्य सभा से संदेश	217-218
लोक लेखा समिति	
84वां प्रतिवेदन	218
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
37वां प्रतिवेदन	219
रेल संबंधी स्थायी समिति	
42वां प्रतिवेदन	219
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
140वां से 142वां प्रतिवेदन	219-220
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल आपूर्ति विभाग से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री चंद्रशेखर साहू	220
विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2008	
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन	221-222
विचार करने के लिए प्रस्ताव	221-222
संशोधनों पर सहमति	221-222

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में 16.11.1995 से लागू कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन स्कीम की पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन सिंह 222

श्री ऑस्कर फर्नांडीस 222-225, 210, 213-232

श्री बसुदेव आचार्य 226

प्रो. रासा सिंह रावत 226-227, 232

डा. के. एस. मनोज 222

श्री गुरुदास दासगुप्त 227-228, 231

प्रो. एम. रामदास 228-229

श्री पी.सी. थामस 228-229

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 229

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 230

श्री जी. वेंकटस्वामी 230

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) ग्रामीण डाक सेवा समिति के प्रतिवेदन का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में 242-244

(दो) भारत सरकार द्वारा कोचीन शिपयार्ड का निजीकरण किए जाने के कथित प्रयास के बारे में 251-255

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एम्स के समतुल्य सुविधाएं प्रदान कर इसका उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 267

(दो) सर्वशिक्षा अभियान में कार्यरत 'प्रेरक', 'नोडल प्रेरक' और 'सहायक नोडल प्रेरक' के मानदेय बढ़ाए जाने और मानदेय की बकाया राशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री मुन्शी राम 268

विदाई संबंधी उल्लेख 270-284

श्री प्रणब मुखर्जी 270-271

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 272-273

अध्यक्ष महोदय 273-284

राष्ट्रगीत 284

अनुबंध-I 285-288

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 285

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 286-288

अनुबंध-II 289-290

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 289-290

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 289-290

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 26 फरवरी, 2009/7 फाल्गुन, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

इंडोनेशिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि इंडोनेशिया की संसद की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर महामहिम श्री आगुंग लक्सोनो एवं उनके शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं।

शिष्टमंडल बुधवार, 25 फरवरी, 2009 को भारत पहुंचा। अभी वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हुए हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो और उनके माध्यम से हम इंडोनेशिया के महामहिम राष्ट्रपति, संसद, सरकार और वहां की मित्रवत् जनता को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे इतनी देर तक सुना इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने तीन पूर्व सहयोगियों, प्रो. (श्रीमती) चन्द्रभानु देवी, श्री अजीत सिंह दाभी तथा श्री देवेन्द्र बहादुर रॉय के दुखद निधन की सूचना देनी है।

प्रो. (श्रीमती) चन्द्रभानु देवी आठवीं लोक सभा में 1984 से 1989 तक बिहार के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रहीं।

प्रो. (श्रीमती) चन्द्रभानु देवी आठवीं लोक सभा के दौरान सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की सदस्य रहीं।

व्यवसाय से शिक्षाविद् होने के नाते, प्रो. (श्रीमती) चन्द्रभानु देवी ने आरबीएस कॉलेज, बेगूसराय की प्राचार्य और कोऑपरेटिव कॉलेज, बेगूसराय में लेक्चरर के रूप में काम किया। बेगूसराय जिले में अनेक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

एक प्रतिबद्ध सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता के रूप में प्रो. (श्रीमती) चन्द्रभानु देवी ने 1974 से 1977 तक बेगूसराय के जिला परिषद् की उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। उन्होंने समाज के कमजोर तबकों, विशेषतः महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया।

प्रो. (श्रीमती) चन्द्रभानु देवी का निधन 61 वर्ष की आयु में 6 सितम्बर, 2008 को पटना में हुआ।

श्री अजीत सिंह दाभी वर्ष 1977 से 1989 तक छठी, सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और छठी लोक सभा के दौरान उन्होंने गुजरात के आणंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और सातवीं और आठवीं लोक के दौरान गुजरात के कैरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व श्री दाभी 1972 से 1974 तक गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे। श्री दाभी सातवीं लोक सभा के दौरान प्राक्कलन समिति; गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति और लाभ के पदों से संबंधित संयुक्त समिति के सदस्य रहे। आठवीं लोक सभा के दौरान वह लाभ के पदों से संबंधित संयुक्त समिति के भी सदस्य रहे।

पेशे से वकील श्री दाभी ने जमीनी स्तर से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वह 1947 में अहमदाबाद के एलडी आर्ट्स कालेज छात्रसंघ के सचिव रहे। 1968 से 1970 तक वह गुजरात राज्य परिवहन प्राधिकरण के सदस्य रहे। श्री दाभी 1976 से 1977 तक कैरा जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।

श्री दाभी ने सहकारिता आंदोलन में विशेष रुचि ली और नाडियाड के कैरा जिला सहकारी विक्रय एवं क्रय संघ तथा नाडियाड के सहकारिता भंडार परिषद् के निदेशक रहे।

श्री अजीत सिंह दाभी का निधन 82 वर्ष की आयु में 8 दिसम्बर, 2008 को खेड़ा, गुजरात में हुआ।

श्री देवेन्द्र बहादुर राय ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा में 1996 से 1999 तक उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रहे।

श्री राय ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान विदेश मामलों संबंधी समिति के सदस्य रहे। बारहवीं लोक सभा के दौरान वह विदेश मामलों संबंधी समिति तथा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे।

एक सिविल सेवक और कृषक के रूप में श्री राय ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास संबंधी क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए और जनता की सेवा के लिए अथक कार्य किया।

श्री देवेन्द्र बहादुर राय का निधन 63 वर्ष की आयु में 24 जनवरी, 2009 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ।

हम अपने मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी और सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

अब सदस्यगण इन दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद आपकी बात सुनेंगे, तब आप लोग बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीचन्द कृपलानी : महोदय, गुर्जरों के आरक्षण के संबंध में पूरी विधान सभा ने प्रस्ताव पारित करके ...*(व्यवधान)* सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी है। ...*(व्यवधान)* और कोई कार्रवाई नहीं हुई। ...*(व्यवधान)* राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सदन के पटल पर गृह राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया था। उसके बाद ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अभी नहीं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि प्रश्न काल समाप्त नहीं हो जाता। अब हमारे पास समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा की कार्यवाही का संचालन करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कृपलानी, जैसे ही प्रश्न काल समाप्त होगा। मैं सबसे पहले आपको ही बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री कृपलानी को पहले बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.07 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 141, श्री अजय चक्रवर्ती

रेलवे भूमि पर अतिक्रमण

***141. श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे सहित देश के विभिन्न भागों में रेलवे भूमि के बड़े हिस्सों पर अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अतिक्रमणों से गंभीर संचालनात्मक तथा अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) रेलवे की लगभग 1042 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमणाधीन है, जिस पर कुल 1.42 लाख अतिक्रमण हैं। 31.12.2008 को रेल भूमि पर अतिक्रमणों का रेलवे जोनवार विवरण नीचे दिया गया है:–

रेलवे जोन	अतिक्रमणों की संख्या	अतिक्रमणाधीन रेल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
मध्य	27352	74
पूर्व	9409	22

1	2	3
पूर्व मध्य	9222	19
पूर्व तट	3279	30
उत्तर	31728	221
उत्तर मध्य	2529	50
पूर्वोत्तर	2632	28
पूर्वोत्तर सीमा	11710	170
उत्तर पश्चिम	1032	19
दक्षिण	9709	65
दक्षिण मध्य	2728	26
दक्षिण पूर्व	7436	166
दक्षिण पूर्व मध्य	10914	52
दक्षिण पश्चिम	542	16
पश्चिम	10798	42
पश्चिम मध्य	860	42
जोड़	141880	1042

(ग) से (ङ) अतिक्रमण न केवल गाड़ियों और यात्रियों की संरक्षा को खतरा है, बल्कि अतिक्रमण करने वालों के लिए भी खतरा है। रेल पटरियों के नजदीक अतिक्रमण के कारण अनेक बार गाड़ियों की गति को धीमा करना पड़ता है। रेलवे को अपने परिचालनिक उपयोगों के संबंध में विकासात्मक/विस्तार परियोजनाओं के लिए ऐसी अतिक्रमणाधीन भूमि का उपयोग करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 और रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे एक सतत् कार्रवाई में लगी है।

श्री अजय चक्रवर्ती : यह जानी–मानी बात है कि रेल भूमि के काफी बड़े हिस्से पर अनाधिकृत अतिक्रमणकारियों ने रेलवे लाइनों के दोनों ओर कब्जा कर रखा है। यह बात अपने उत्तर में माननीय रेल मंत्री द्वारा स्वीकार की गई है।

पूर्व रेलवे का कुछ भाग और दक्षिण पूर्व रेलवे का अधिकांश भाग मेरे राज्य, पश्चिम बंगाल का है। आजकल पश्चिम बंगाल में एक नई प्रवृत्ति विकसित हुई है जिसमें कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग हर प्रकार के विकासात्मक कार्य, चाहे वह रेलवे संबंधी विकास कार्य हो, राज्य सरकार का विकास कार्य हो और भारत सरकार के विकास कार्यों का भी कड़ा विरोध करते हैं। यदि रेलवे सचमुच में, और गंभीर रूप से इन अनाधिकृत अतिक्रमणकारियों को रेलवे की भूमि से हटाना चाहती है, तो जबरदस्त बवाल पैदा हो जाएगा, जिससे पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी, जिसके फलस्वरूप पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे प्रभावित होगी।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री अजय चक्रवर्ती : उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या रेल प्राधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इन अनाधिकृत कब्जाधारियों को उपयुक्त मुआवजा दिया जाए ताकि अनाधिकृत कब्जाधारियों को रेल लाइनों के पास से हटाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : अनाधिकृत कब्जाधारियों के लिए मुआवजा ! तब तो वहां और भी लोग कब्जा करके बैठ जाएंगे।

श्री आर. वेलु : उनके प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में रेलवे के पास कुल उपलब्ध भूमि लगभग 4.32 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से अतिक्रमण केवल लगभग 1043 हेक्टेयर पर है, जो 0.3 प्रतिशत से भी कम है। इसलिए, जो बात माननीय सदस्य ने कही कि भूमि के अधिकांश भाग पर अतिक्रमण है, सही नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे तो आप उन्हें दूसरे क्षेत्रों में अतिक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

श्री आर. वेलु : दूसरे, आप यह जानकर खुश होंगे कि पूर्व रेलवे में जिसकी वह बात कर रहे हैं, इन दो वर्ष और नौ महीनों में 17,801 अतिक्रमणों में से हमने लगभग 8392 अतिक्रमणों को हटाया है, जो लगभग पचास प्रतिशत है। और हमने लगभग 33 प्रतिशत भूमि रेलवे के कब्जे में कराई है। आपका प्रश्न यह है कि क्या जिन लोगों ने पहले ही गैर–कानूनी तरीके से इन पर कब्जा कर रखा है, उन्हें मुआवजा दिया जाए या नहीं। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि आवास अथवा घर उपलब्ध कराना रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है और आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

दूसरा, यदि मैं मुआवजा देने के प्रश्न की बात करूं भी तो रेलवे के पास पैसा है कहां? सबसे पहले तो यह बात ही ठीक नहीं है क्योंकि आपने इन पर गैर–कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। इसलिए उन्हें मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका एक मात्र उत्तर होना चाहिए कि आप मुआवजा नहीं देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, पश्चिम बंगाल के संबंध में आपका क्या कहना है? माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल का उल्लेख किया है।

श्री आर. वेलु : महोदय, मैंने केवल पश्चिम बंगाल का जिक्र किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में उन्हें निकाल बाहर करने का साहस उनमें नहीं होगा।

श्री आर. वेलु : महोदय, मैं आप की ही बात पर आता हूं। पश्चिम बंगाल में वे उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय ने उन्हें मना कर दिया। वे उच्चतम न्यायालय गए और उच्चतम न्यायलय ने मना कर दिया। आपको इन लोगों के पुनर्वास के लिए अपने ही संसाधनों का पता लगाना होगा। यह केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती : हॉकरों के संबंध में वही बात है। हॉकर रेलवे प्लेटफार्मों और पैदल पुल पर कब्जा कर अपना कारोबार चला रहे हैं। ये बहुत गरीब लोग होते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप हॉकर का उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अंतिम दिन है और मैं एक साथ सभी मामलों को उठाने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, हॉकरों ने रेलवे प्लेटफार्मों पर कब्जा कर रखा है। वे प्लेटफार्म परिसरों के भीतर ही अपना कारोबार कर रहे हैं जबकि उन्हें रेलवे अधिकारियों द्वारा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या रेलवे इन लोगों को कानूनी रूप से अपना कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी करने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है।

श्री आर. वेलु : जिस प्रश्न के लिए सूचना दी गई वह अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। जहां तक हॉकरों का संबंध है, हमें इस पर अलग से चर्चा करनी होगी।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : आप वहां जाकर बोलकर आए हैं कि करेंगे।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : यह आपके और हमारे बीच की बात है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने देखा है कि आप लोगों ने ही सब कुछ कर लिया है।

[अनुवाद]

आप एक दूसरे की सहायता कर समाधान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं इनक्रोचमेंट के बारे में कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार की नीति है कि वह गरीबों की पक्षधर है। जो गरीब गांवों से पलायन करके रेलवे लैंड पर आ जाते हैं, उन्हें हम समय-समय पर पुलिस बल द्वारा हटाते रहे हैं। हमारी सरकार की नीति है कि जहां रेलवे के डैवलपमेंट का सवाल होगा, इनक्रोच्ड लैंड को लेने का सवाल होगा, उसे हम लाठी चलाकर नहीं, गोली चलाकर नहीं बल्कि परस्यु करके, राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करके, यदि वे भूमिहीन हैं, उनके विस्थापन के बारे में सहायता करेंगे। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी यह नीति नहीं है कि लाठी मारकर, पीटकर, उन्हें हटाकर अपनी जगह खाली करवाएं। हां, खाली करवाते रहे हैं, लेकिन परस्यु करके करवाते रहे हैं। इसलिए हमारी नीति साफ है। ...*(व्यवधान)* मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हमारे डैवलपमैंट की बहुत इमरजैंसी होती है, तब हम परस्यु करके जगह खाली करवाते हैं, लाठी मारकर नहीं। हमारी सरकार की यह नीति नहीं रही है। सब गरीब लोग हमारे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नीति बनायी है। आप और क्या चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न सुनें और उत्तर दें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि पश्चिम रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के तहत अतिक्रमित भूमि 42 हेक्टेयर है। मैं माननीय मंत्री जी को सूचित करना चाहूंगा कि मेरे शहर भुज में 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि ऐसी है जिसकी कोई देख-रेख नहीं हो रही है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए यहां अतिक्रमण होता है। कई बार मैंने रेलवे अधिकारियों को लिखा है। इसी प्रकार गांधी धाम की भूमि भी 100 हेक्टेयर से अधिक है। माननीय मंत्री ने कहा है कि यह 0.3 प्रतिशत तक है। किंतु इस भूमि की कीमत 300 करोड़ रुपए से अधिक है। मैंने कई बार रेलवे अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। मैंने इस मुद्दे को लोक सभा में उठाया है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या रेलवे अधिकारी भुज और गांधी धाम में भूमि को सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई करने जा रहे हैं अथवा नहीं। अथवा, इस भूमि पर अतिक्रमण होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं।

श्री आर. वेलु : मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। वास्तव में, जहां भी अतिक्रमण हटाए गए हैं, हम बागवानी उद्देश्य के लिए इसे देकर इसकी रक्षा कर रहे हैं अथवा इसमें बाग इत्यादि लगाकर हमारे अपने अधिकारियों द्वारा भी इसका निरीक्षण किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने भुज और गांधी धाम का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। रेलवे के महाप्रबंधक को अनुदेश दिए गए हैं कि वे इसका ध्यान रखें और यह देखें कि उस पर आगे अतिक्रमण न हो। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह बहुत ही सीमित हो।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत जमीनें खाली करवाई हैं। हमारे यहां कुछ अनआइडेंटीफाइड इलाके हैं, जहां रेलवे की कुछ जमीनें पड़ी हुई हैं। वहां खेती भी जोती जा रही है, काम भी चल रहा है। उन लोगों को भी पता नहीं है कि हमने जमीनें इनक्रोच की हुई हैं। आपने उन जमीनों का कम्पेनसेशन भी दिया है। हमारे यहां लखनपुर बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। वहां जमीनें इनक्रोच की हुई हैं लेकिन इनक्रोचर्स को भी पता नहीं है कि वे जमीनें रेलवे की हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लखनपुर एरिया में फेंसिंग करवाकर अपनी जमीनों को आईडेंटिफाई करवायेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कम से कम वे जानते हैं कि वह उनकी जमीन नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ एक दल से केवल एक प्रश्न उठाने की अनुमति दूंगा। श्री राजेन्द्रन, आपके दल में दस नाम हैं। मैं तय करूंगा।

श्री आर. वेलु : रेल भूमि की सीमा निर्धारित कर दी गई है। भूमि का निरीक्षण किया जा रहा है। पत्थर, डाल दिए गए हैं। सर्वे का पत्थर डाल दिया गया है। यदि किसी कृषक अथवा बागान मालिक ने किसी भूमि का अतिक्रमण किया है तो उन्हें निश्चित तौर पर निकाल बाहर किया जायेगा।

दूसरी एक और चीज है। जहां कहीं भी भूमि का उपयोग कृषि इत्यादि के लिए किया जा रहा है, हमने एक नीति बनायी है। जहां कहीं भी खाली जगह उपलब्ध है जो सरकारी उद्देश्य अथवा रेलवे ट्रैक, इत्यादि के लिए उपयोगी नहीं होती, उसे सरकारी–गैर–सरकारी साझा मॉडल के तहत दीर्घावधि तक के लिए पट्टे पर दिए जाने हेतु निर्धारित किया जा सकता है। अथवा, लंबी समयावधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है, इत्यादि। इससे हमें कुछ राशि प्राप्त होती है। हम ऐसा ही करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सी.एस. सुजाता। मेरे पास महिला आरक्षण विधेयक नहीं आया है। कम से कम हमें यह संतोष है कि महिला सदस्य इसमें भाग ले रही हैं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहूंगी। चेंगानूर रेलवे स्टेशन के निकट चेरीयानाड में 36 एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है जो मुख्य जगह है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के उत्पादन कार्य के लिए किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार इस भूमि पर रेल नीर फैक्ट्री अथवा कोई आईआरसीटीसी होटल बनाने पर विचार करेगी।

श्री आर. वेलु : हमने पहले ही अधिनियम बनाएं हैं और एक रेल भूमि विकास प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण के तहत हमने अब उस भूमि की पहचान की है जिसे वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है जिसे संयुक्त उपक्रम अथवा पट्टे इत्यादि पर दिया जा सकता है। तदनुसार ही, हमने लगभग 1200 एकड़ भूमि की पहचान की है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वेलु को हमारे स्वास्थ्य मंत्री की तरह रेलवे की प्रत्येक चीज का पता है।

श्री आर. वेलु : लगभग 1200 एकड़ भूमि को पहले ही चिह्नित किया जा चुका है। हमने इसे पहले ही तीन परियोजनाओं के लिए पट्टे पर दे दिया है। जिनमें से पहली दिल्ली में, दूसरी विशाखापट्टनम में और तीसरी ग्वालियर में है। आप 36 एकड़ भूमि की बात कर रहे हैं। यदि कोई आगे आकर यह कहना चाहता है कि इसे किसी प्रयोजन विशेष के लिए दे दिया जाए तो वह इस संबंध में भूमि विकास प्राधिकरण को आवेदन दे सकता है। प्राधिकरण यह जांच करेगा कि इसे उक्त प्रयोजन हेतु दिया जा सकता है अथवा नहीं। यदि यह परियोजना उपयुक्त और व्यवहार्य होगी तो हो सकता है हम इस पर विचार कर लें।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, यदि आप हाथ एक बार और हाथ उठाएंगे तो मैं सूची में से आपका नाम निकाल दूंगा।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्थीरन : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में महिला सदस्यों को प्राथमिकता देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी इच्छा है कि यहां पर और महिला सदस्य हों।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि क्या मंत्रालय द्वारा रेलवे लाइन के पास खाली जमीन पर जट्रोफा जो कि एक बायो–डीजल पौधा है, को उगाने की अनुमति देने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई नीति अपनाई गई है क्योंकि इससे न केवल रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को रोका जा सकेगा अपितु, इससे देश में बायो–डीजल के उत्पादन में भी सहायता मिलेगी।

श्री आर. वेलु : महोदय, माननीया सदस्य द्वारा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। वास्तव में रेलवे की नीति जट्रोफा की पैदावार को बढ़ाना है। इस प्रक्रिया में हमें अपने डीजल आयात के प्रतिस्थापक के रूप में बायो डीजल का उत्पादन करना है। यही नहीं हमारा डीजल का बिल काफी ज्यादा है और यह लगभग 5000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। हमारी दक्षिण क्षेत्र में दो बायो डीजल इकाइयां हैं। जहां तक माननीया सदस्य के प्रश्न का संबंध है जो कोई भी उस भूमि, जो कि रेलवे विकास कार्य के प्रयोजन हेतु नहीं है, का उपयोग करना चाहेगा, हम निश्चित तौर पर जट्रोफा की खेती के लिए उसको निह्नित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मैं लालू जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने रेलवे पटरी की बगल में बनी हुई झोपड़पट्टियों के बारे में बोला है कि उन पर लाठी नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे और झोपड़पट्टी वालों को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे। यह बहुत अच्छा आश्वासन आपने दिया है। मैं इतना ही अपील करता हूं कि जिन लोगों ने वर्ष 2004 में हम सभी को लोक सभा में भेजा है, झोपडपट्टियों के जिन लोगों ने हूटिंग की थी, वे अधिकृत थे। इसलिए वर्ष 2004 की सभी झोपड़पट्टियों को आप अधिकृत एनाउंस कर दीजिए क्योंकि बाद में क्या होगा यह मालूम नहीं है। आज आखिरी दिन है। अगर सभी को अधिकृत होने की मान्यता आप देते हैं तो जरूर अगली बार आप रेल मंत्री बनेंगे और मैं भी कुछ बनने वाला हूं। इसलिए आप इसे आज एनाउंस कर दीजिए। आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उत्तर कौन देगा?

श्री आर. वेलु : महोदय, माननीय सदस्य मुंबई से हैं। मुंबई के लिए हमारे पास विशेष पैकेज है और मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता से एक पुनःस्थापन और पुनर्वास कार्यक्रम का भी प्रावधान है जिसमें रेलवे भी भाग ले रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह चाहते हैं कि उनकी विजय की आम घोषणा कर दी जाए।

श्री आर. वेलु : हमने पहले ही मुंबई के लिए कुछ कार्य किया है और इस पर 400 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। जिसमें से रेलवे ने 200 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। हमने वहां पर लगभग 15000 लोगों का पुनर्वास किया है। लेकिन हम इस संबंध में सामान्य तौर पर घोषणा नहीं कर सकते अन्यथा हर कोई रेलवे भूमि पर आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए भी कुछ है?

प्रश्न स. 142 – श्री चंद्रकांत खैरे – उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 143 – श्री सुरेश अंगड़ि

तेल शोधनशालाओं का उन्नयन

***143. श्री सुरेश अंगडि :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का विचार अपनी तेल शोधनशालाओं का उन्नयन करने तथा अपने आयात बिल को कम करने के लिए अधिक सल्फर युक्त कच्चे तेल का प्रसंस्करण करने में स्वयं को सक्षम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उपायों से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) विशेषकर जनता को इसका कितना लाभ दिया जायेगा?

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) आयातित क्रूड पर लगभग 80% निर्भरता को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां अधिक सल्फर वाले कच्चे तेल जो निम्न सल्फर क्रूड की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न मूल्य पर उपलब्ध है, का प्रसंस्करण उत्तरोतर बढ़ा रही हैं। घरेलू निम्न सल्फर वाले कच्चे तेल का प्रसंस्करण करने के लिए अभिप्रेत रिफाइनरियों नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की उत्तर पूर्वी रिफाइनरीज (डिग्बोई, गुवाहाटी, बोंगाईगांव और नुमालीगढ़), बरौनी (अंशतः) और गुजरात (अंशतः) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरियां और चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की नागपट्टीनम के अलावा अधिकांश अन्य रिफाइनरिया अधिक सल्फर वाले कच्चे तेल का प्रसंस्करण करने के लिए सुसज्जित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अर्थतंत्र और उत्पाद

मांग के आधार पर अधिक सल्फर वाले कच्चे तेल के प्रसंस्करण का इष्टतमीकरण करने के लिए उच्च सीवीरिटी फ्लूडाइज्ड कटेलिटिक कन्वेर्टर, डीलेड कोकर यूनिट, कोकर हाइड्रोट्रीटर यूनिट आदि की स्थापना के रूप में नियमित रूप से रिफाइनरी उन्नयन परियोजनाओं को अपने हाथ में ले रहीं हैं। इसके अतिरिक्त कड़े पर्यावरणीय मानक पूरे करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की रिफाइनरियों में फ्यूशल गुणवत्ता उन्नयन परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के चालू होने के बाद अधिक सल्फर वाले क्रूड की प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होने की आशा है।

(ग) और (घ) कड़े फ्यूअल गुणवत्ता विनिर्देश/पर्यावरणीय मानकों को पूरे करने के लिए विभिन्न प्रसंस्करण प्रक्रियों के जरिए उत्पाद स्ट्रीम्स से फालतू के सल्फर का निष्कर्षण करने की जरूरत होती है। यद्यपि इसे निम्न सल्फर वाले कच्चे तेल की तुलना में अधिक सल्फर वाले कच्चे तेल का प्रसंस्करण करने की लागत में बढ़ोतरी होती है, इसके परिणामस्वरूप बेहतर गुणवत्ता वाला फ्यूअल उपलब्ध होता है जिससे जनता के बीच प्रदूषण भी निम्नतर होता है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश अंगड़ि : अध्यक्ष महोदय, तेल परिशोधनशालाओं को गुणवत्तापूर्ण ईंधन की आपूर्ति करने और मांगपूर्ति के लिए कच्चे तेल को प्रसंस्कृत करना होता है। वे देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए तेल परिशोधनशालाओं का समय-समय पर उन्नयन और संवर्धन किया जाना चाहिए। तेल परिशोधनशालाओं की क्षमता पिछले कुछ वर्षों से स्थिर है और माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार तेल परिशोधनशालाओं का उन्नयन नहीं किया गया है। इस संबंध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तेल परिशोधनशालाओं के विस्तारण एवं उन्नयन के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है और विशेष रूप से कर्नाटक स्थित मंगलौर रिफाइनरी, के लिए कोई उन्नयन योजना बनाई गई? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें और यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण बताएं।

महोदय, मेरा अगला प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय : ठहरिए। आपको एक और अवसर मिलेगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : महोदय, तेल परिशोधन एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम पूर्णतया आत्मनिर्भर हैं। हम 20 परिशोधनशालाओं में 175 मिलियन टन से अधिक तेल का परिशोधन कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने विद्यमान कच्चे तेल का उन्नयन करने के बारे में पूछा है। कई परिशोधनशालाओं ने नए उपकरण लगाए हैं और कच्चा तेल नए संस्थापित उपकरणों के अनुसार परिष्कृत किया जा रहा है। मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि न केवल कच्चे तेल को परिष्कृत किया जाता है अपितु 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक की सामग्री का भी निर्यात किया जाता है।

यदि आप सल्फर की अधिक मात्रा वाला कच्चा तेल खरीदते हैं तो आप सात से आठ डालर की बचत करते हैं। हमारी परिशोधनशालाएं भी अब यही करने लगी हैं, वे कच्चे तेल का परिशोधन तो करती ही हैं, धन की बचत के लिए सल्फर की अधिक मात्रा वाले कच्चे तेल का आयात भी करती हैं।

श्री सुरेश अंगड़ि : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की घटती हुई कीमतों को देखते हुए सरकार तेल की कीमतों को और कम करना चाहती है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश अंगड़ि : मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में कौन-कौन सी तेल परिशोधनशालाएं परियोजनाओं से ईंधन की गुणवत्ता का उन्नयन किया जा रहा है और ये परियोजनाएं कब तक आरंभ हो जायेंगी। इन चार वर्षों में कोई उन्नयन नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह 'प्रश्न काल' है। 'बहस का घंटा' नहीं। हां तो बताएं किन-किन तेल परिशोधनशालाओं का उन्नयन किया जा रहा है?

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना में रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने के बारे में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया इंडिया ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, पानीपत,

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि सूची लंबी है तो उन्हें दे दीजिए।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : महोदय, काफी लम्बी सूची है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 91.99 मिलियन टन की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन : धन्यवाद महोदय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेल परिशोधनशालाओं में प्रसंस्कृत किये जा रहे उच्च सल्फर की

मात्रा वाले कच्चे तेल से अच्छी मात्रा में सल्फर प्राप्त किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय परिशोधनशालाएं सल्फर प्राप्त कर रही हैं और यदि हां तो क्या इस प्रकार से प्राप्त सल्फर आयातित सल्फर की गुणवत्ता के समान गुणवत्ता वाला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इस संबंध में कोई लेखा–जोखा तैयार किया है?

[हिन्दी]

सल्फर की क्वालिटी क्या है?

[अनुवाद]

आप इस संबंध में क्या कर रहे हैं?

श्री मुरली देवरा : महोदय, तीन बड़ी परिशोधनशालाएं अब बन कर तैयार हो रही हैं, मैं उनके नाम बताता हूं। वे हैं भटिंडा, पारादीप और बीना रिफाइनरी जिसमें प्रत्येक की क्षमता 956 मिलियन टन है। इन्हें इस प्रकार से स्थापित किया गया है कि यहां पर सल्फर की मात्रा को देखने के लिए सभी उपकरण और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हों।

अध्यक्ष महोदय : और सल्फर की गुणवत्ता के संबंध में क्या किया गया है?

श्री मुरली देवरा : मैंने यही बताया है कि जब हम कच्चे तेल का आयात करते हैं तो हम अपरिष्कृत तेल का आयात करते हैं। इसे 'मीठा तेल' कहा जाता है। यह सात–आठ डॉलर सस्ता पड़ता है। प्रत्येक परिशोधनशाला यह उपकरण लगा रही है ताकि वे अपरिष्कृत कच्चा तेल जिसमें सल्फर की 0.5 प्रतिशत से अधिक मात्रा हो का आयात कर सकते हैं और आयात में सात से आठ डॉलर की बचत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से बताया गया है कि पिछले दो वर्षों में किसी भी तेल शोधन की क्षमता और उत्पादन बढ़ाने का जहां तक सवाल है तो वह सैचुरेटेड पाइंट पर है। हमारे देश को काफी मात्रा में क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ता है। राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर बेसिन में अच्छे क्रूड ऑयल की खोज हुई है और तेल निकाला भी जा रहा है, लेकिन उसे गुजरात भेजा जा रहा है। देश में तेल शोधन क्षमता बढ़ाने और विदेशी मुद्रा कमाने के लिए केन्द्र सरकार की क्या राजस्थान में एक नई रिफाइनरी की स्थापना करने की योजना है और यह है तो कब तक स्थापित हो जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : वह भी इनके चुनाव क्षेत्र में!

श्री मुरली देवरा : अध्यक्ष महोदय, थोड़े दिन पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मुंदरा, जयपुर, दिल्ली की तेल की पाइप लाइन का उद्घाटन हुआ है। उससे क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन राजस्थान में रिफायनरी होना या न होना, इसके लिए सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत ने एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में भी डिमांड की थी और आप लोगों ने भी डिमांड की है। उसका टेक्नोफिजीकल सर्वे भी किया जा रहा है और इसमें थोड़ा समय लगेगा।

विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

+

***144. श्री नन्द कुमार साय :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रणाली को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) हवाईअड्डों पर संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) की स्थापना लाइसेंसिंग प्रक्रिया की एक आवश्यकता है और तदनुसार, विभिन्न हवाईअड्डों पर एसएमएस को लागू करने की कार्रवाई शुरू की गई है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2006 को जारी नागर विमानन अपेक्षा खंड–4, श्रृंखला–बी, भाग–। में यह व्यवस्था है कि प्रबंधन कार्यक्रम के भाग के रूप में एक लाइसेंसशुदा एयरोड्रम का प्रचालक वैसी एसएमएस लागू करेगा, जो डीजीसीए को स्वीकार्य हो। इसके लिए इन न्यूनतम आवश्यकताओं में संरक्षा संबंधी खतरों की पहचान, निरंतर मॉनिटरिंग उपलब्ध कराने के लिए संरक्षा के एक स्वीकार्य स्तर को बनाए रखने और प्राप्त किए गए संरक्षा स्तर के नियमित आंकलन के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना, तथा संरक्षा के समग्र स्तर में निरंतर सुधार किए जाने का लक्ष्य शामिल हैं।

(ख) एसएमएस का क्रियान्वयन कार्य नई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद तथा कोचीन हवाई अड्डों पर आरंभ किया गया है।

(ग) किसी हवाई अड्डे पर एसएमएस का क्रियान्वयन केवल चरणबद्ध तरीके से ही किया जा सकता है। सामान्यतः किसी एयरोड्रम

पर एसएमएस को पूर्णतः क्रियान्वित करने में लगभग दो वर्ष का समय लगता है चूंकि क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न समस्याओं को दूर किया जाना आवश्यक होता है।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय : अध्यक्ष महोदय, इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमानपत्तन संस्थानों की सुरक्षा के लिए बहुत से नियम बनाए हैं। मैं मानता हूं कि उन नियमों का सही ढंग से अनुपालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण विमानपत्तनों की असुरक्षा बढ़ रही है। मुझे जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन सुरक्षा संस्थान के बावजूद यहां यातायात सुरक्षा बोर्ड बनाने का भी प्रस्ताव है और शायद मंत्रालय ने मंत्री जी के पास अनुमोदन किया है। इन तमाम स्थितियों के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है और नए यातायात बोर्ड बनाने की बात भी कही जा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार विमानपत्तनों को असुरक्षा से उबारने के लिए क्या कर रही है?

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, माननीय सदस्य हवाई अड्डों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन, आईक्यूए की जो गाइड लाइंस है, उसके नाप दंड के हिसाब से ही आज सभी हवाई अड्डों की सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर रहे हैं। मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जितने भी हवाई अड्डे हैं, यहां हम पूरी तरह से लागू कर चुके हैं और बाकी हवाई अड्डों में प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन की गाइड लाइंस के तहत काम कर रहे हैं और जहां भी हमें कोई कमी महसूस होगी, हम उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री नन्द कुमार साय : अध्यक्ष महोदय, इस समय निजी क्षेत्र के संस्थानों ने एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवेश किया है। इससे वहां बहुत भीड़ बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में हवाई अड्डों पर काम करने वाला ग्राउंड स्टाफ बहुत कम है या काम के हिसाब से उनकी संख्या बहुत कम है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से क्या ग्राउंड स्टाफ की जो वर्किंग टीम है, उसे बढ़ा कर प्रशिक्षित करने की दिशा में कोई काम हो रहा है, ताकि वहां 100 प्रतिशत सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके?

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा स्टाफ के लिए पूछ रहे हैं।

श्री प्रफुल पटेल : माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी हवाई अड्डे में जितने भी लोगों की आवश्यकता होगी, उसी हिसाब से स्टाफ रखा जाएगा। जहां तक उनके आने-जाने का सवाल या काम करने वाले कर्मियों की सिक्योरिटी की बात है, कोई भी व्यक्ति एयरपोर्ट के परिसर में जब तक होम मिनिस्टरी से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं लेता है, तब तक वह एयरपोर्ट परिसर में आ जा नहीं सकता है। नई गाइड लाइंस के बारे में जैसा मैंने पहले कहा, पहले लाइसेंसिंग हमारे हवाई अड्डों पर नहीं हुआ करता था और अब हर हवाई अड्डे का लाइसेंसिंग करना डीजीसीए ने करना शुरू किया है। जब लाइसेंसिंग होती है, तब जैसे हर चीज की एक गाइड लाइन होती है, उसमें हर आईटम के आगे अगर पूर्ति नहीं होती, तब तक लाइसेंस उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। उसमें सुरक्षा का भी एक हिस्सा है और सुरक्षा के मामले में विशेष कर आज की परिस्थिति में हम ज्यादा चौकन्ने होने की कोशिश कर रहें हैं।

[अनुवाद]

श्री सुग्रीव सिंह : महोदय, यह साबित हो गया है कि भारत विश्व में आतंक के लिए एक आसान लक्ष्य बन गया है। हाल में इंडिगो की दिल्ली जाने वाली उड़ान के दौरान विमान-अपहरण के प्रयास की घटना ने ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए जिम्मेदार सुरक्षा और संरक्षा एजेंसियों की तैयारी की कमी की पोल खोल दी है। उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नियंत्रण कक्ष में फोन काम नहीं कर रहे थे; संबंधित अधिकारी इस प्रकार की आपात स्थिति के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से भी अवगत नहीं थे, और सबसे अधिक स्तब्ध कर देने वाला विवरण यह है कि कुछ कर्मचारी नियंत्रण कक्ष की अवस्थिति से भी अवगत नहीं थे।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने तैयारी की जांच और इसे बनाये रखने तथा आपात स्थिति से निपटने तथा स्थिति को संभालने के लिए पायलटों, केबिन क्रू तथा ग्राउंड स्टाफ के लिए विशेष प्रशिक्षण दिए जाने, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं की स्थापना द्वारा विभिन्न संबंधित एजेंसियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रिया के लिए कोई कार्य योजना बनाई है।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, अधिकांश अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं हैं तथापि मैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी तरह आप भी इस लोक सभा के आखिरी दिन उदारता दिखाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल : बिल्कुल नहीं, महोदय ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : यह उदारता नहीं है। आपको फिर यहां आना है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे लिए नहीं है, यह माननीय मंत्री जी के लिए है।

...*(व्यवधान)*

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : आज वर्तमान 14वीं लोकसभा का आखिरी दिन है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल : माननीय सदस्य ने जिस घटना के बारे में बताया उसकी विस्तार से जांच की गई है और पूछ-ताछ की गई है। तथापि कोई इस प्रकार की बड़ी घटना नहीं हुई है। निःसन्देह इसकी रिपोर्ट की गई थी और अतिरिक्त सावधानी के तौर पर सभी चीजों को तैयार रखा गया था। परंतु निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटना के बाद हमेशा सरकार द्वारा पहल किए जाने की आवश्यकता होती है। उच्चतम स्तर पर – गृह मंत्री के स्तर पर और केबिनेट सचिव के स्तर पर कई बैठकें शुरू की गई हैं और समीक्षा भी की गई है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक सुरक्षा का संबंध है, कम से कम इस विमान विशेष का संबंध है, कोई सुरक्षा चूक नहीं थी। आपने यह पूछा है कि इस प्रकार की अत्यावश्यकता में क्या उपचारी उपाय किए जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दिन बहुत सारी चीजें की गई परंतु सुरक्षा कारणों से मैं इस सभा में ये सारी बातें नहीं कह सकता हूं। परंतु सच यह है कि इस प्रकार की घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम सभी प्रक्रियाओं को तैयार कर रहे हैं। सभा की सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस उड़ान विशेष के दौरान कोई सुरक्षा चूक नहीं हुई थी।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या नागर विमानन मंत्रालय भारतीय अंतरिक्ष प्राधिकरण के साथ निर्बाद विमान संचालन और यातायात प्रबंधन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'गगन' नाम से एक परियोजना शुरू करने के लिए बातचीत कर रहा है। गगन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

दूसरे, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अधिकार का उपयोग करें ताकि ब्रिटिश एयरवेज को कोलकाता से उड़ान की अनुमति नहीं दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में मैंने इसकी अनुमति दे दी है।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, इस अनुपूरक प्रश्न का पहला भाग बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः, मैं प्रसन्न हूं कि कम से कम इस सत्र के आखिरी दिन, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। महोदय, यह कुछ ऐसा है जिसका खाका कई वर्षों से बनाया जा रहा है। यह सच है कि इसरो तथा अंतरिक्ष विभाग के साथ मिलकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक उपग्रह छोड़ने जा रहा है और इस परियोजना का नाम 'गगन' है।

यह उपग्रह संचालन प्रणाली भारत को संयुक्त राज्य और यूरोप की विमान संचालन प्रणाली के समकक्ष ले आएगा और संभवतः हम विश्व के चौथे राष्ट्र होंगे जिसने इस पर कार्य शुरू किया है। जैसा कि उन्होंने सही कहा है कि इससे निर्बाध यातायात सुनिश्चित होगा क्योंकि हमारी काफी अधिक परिचालन संबंधी जो निगरानी की जा रही है वह भौतिक निगरानी है। उपग्रह आधारित निगरानी भारतीय आकाश में अधिक यातायात को संभव बनाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले से ही काफी अधिक वायु यातायात है परंतु अगले 10 से 20 वर्षों के दौरान इसमें और बढ़ोत्तरी होगी। सुरक्षित यातायात भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस परियोजना को पूरा किए जाने की संभावना है। यह उपग्रह है और इसे बाह्य अंतरिक्ष में छोड़ा जाना है। हम आशा कर रहे हैं कि 2010 के उत्तरार्द्ध में यह उपग्रह छोड़ा जाएगा। इस बीच इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि इसे एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किए जाने के लिए कुछ ट्रांसपोंडरों को लीज पर लिया जाए।

परंतु 'गगन' भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो हमारे वायुमंडल में अधिक यातायात और सुरक्षित आकाश सुनिश्चित करेगा। इससे हम भारत को विश्व के प्रमुख विमानन शक्तियों में से एक बना पायेंगे।

श्री अधीर चौधरी : कोलकाता से संबंधित मेरे प्रश्न के बारे में बताएं।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय जहां तक कोलकाता का संबंध है, यह एयरलाइनों का अपना वाणिज्यिक निर्णय है कि किस शहर से प्रचालन करना है। तथापि, विशेषकर अध्यक्ष महोदय की भावना को ध्यान में रखते हुए मैं यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि यह कनेक्टिविटी बनी रहे।

अध्यक्ष महोदय : परंतु आपको मेरे लिए एक निःशुल्क टिकट का प्रबंध करना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, यह हमेशा मेरे लिए प्रसन्नता की बात होगी।

डा. के. एस. मनोज : महोदय, अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं नई दिल्ली-कोचीन-त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के लिए एक नए विमान की सेवा शुरू करने के लिए माननीय मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। यद्यपि ऐसा उन्होंने हमारे आंदोलन के बाद किया है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन किस तिथि से? मुझे वहां जल्द ही जाना है। यह काफी कष्टप्रद है।

कृपया अब अपना प्रश्न पूछिए।

डा. के. एस. मनोज : कई हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली खतरे में है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के साथ चलने वाला एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल–बाल बचा। प्रेस रिपोर्टों से यह पता चलता है कि कभी–कभी ऐसी दुर्घटनाएं कई हवाई अड्डों पर एटीसी स्टॉफ के ज्यादा देर तक कार्य करने से हुई मानवीय भूलों के कारण होती हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान में एटीसीओ इत्यादि के सभी पद भरे गए हैं या नहीं, यदि नहीं, तो इन पदों को भरने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, उड़ान और नए हवाई जहाज के संबंध में प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में जैसा कि आपको याद होगा, इस सदन में हमारे सहयोगी वरकलाजी काफी उत्तेजित हो गए थे। अपनी उम्र के विपरीत वे चाहते थे कि भारतीय आकाश में कम उम्र के हवाई जहाज उड़ने चाहिए ...*(व्यवधान)* अतः हमें उनके और हवाई जहाज के उम्र को ध्यान में रखना था। अतः हमने इसे उचित रूप से संतुलित किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : वह ज्यादा खतरनाक होगा।

श्री प्रफुल पटेल : नहीं महोदय। कोई भी हवाई जहाज उनकी उम्र का नहीं होगा, अन्यथा समस्याएं हो सकती हैं। ...*(व्यवधान)*

लेकिन उस दिन यह बड़ा ही मनोरंजक सत्र रहा और आपके मार्गदर्शन से, हमने उसे नोट भी किया था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ताउम्र आन्दोलन ही किया है!

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : और मैं भी उनका एक निशाना और शिकार रहा हूं। ठीक है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल : लेकिन कुछ भी हो, महोदय उनके आन्दोलन से अन्य लोगों को खुशी मिली है। क्यों नहीं?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से केरल अब कुछ उद्देश्यों के साथ विशेष लक्ष्य होगा।

...*(व्यवधान)*

श्रीप्रफुल पटेल : महोदय, प्रश्न का अन्य भाग जो एटीसी और माननीया राष्ट्रपति जी के हेलीकॉप्टर कारवां से संबंधित कुछ घटनाओं से संबंधित है, इसकी जांच की जा रही है। बिना किसी उचित जांच के किसी प्रकार की जानकारी देना अभी मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन हां, निश्चय ही हमने इसे काफी गम्भीरता से लिया है। एक दुर्घटना होने से बच गई। निश्चय ही किसी स्तर पर इसे सुनिश्चित किया जाना है। मानवीय भूल हुई है। अब कौन जिम्मेदार है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। अतः मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा करना, उससे उद्‌धृत करना और यह कहना कि "यह पक्ष गलत हो सकता है या वह पक्ष गलत हो सकता है" जल्दबाजी होगी। मुंबई में एटीसी सिविल लोगों के पास था। असम में भी एक घटना हुई थी जिसे मेरे विचार से मीडिया में काफी बढ़ा–चढ़ा कर बताया गया था। लेकिन फिर भी यह कोई घटना थी तो यह एटीसी में था और प्रतिरक्षा पक्ष भी इसमें शामिल था।

वह प्रतिरक्षा एटीसी था। हां, हम लोग काफी ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे हैं।

वास्तव में कुछ कार्यों में से एक जो हमारे मंत्रालय ने किया है, वह है लचीला एयरस्पेस प्रबन्धन, एयरफोर्स एटीसी और सिविल एटीसी में बेहतर तालमेल। निश्चय ही हम सभी उपचारी उपाय करेंगे।

जहां तक एटीसीओ का संबंध है, दुर्भाग्य से, उनकी भर्ती 1999 से कुछ कारणों से रोक दी गई थी।

वर्ष 2004 में हमने पुनः भर्ती करना आरम्भ किया। हमने गत कुछ वर्षों में पर्याप्त संख्या में एटीसी की भर्ती की है। यह प्रक्रिया जारी है। कुछ लोग नियुक्त होते हैं और फिर कहीं और बेहतर नौकरी के लिए छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब आप एटीसीओ की भर्ती करते हैं, यह भी एक अनिवार्य प्रक्रिया है। सर्वप्रथमम उसे हमारे इलाहाबाद के महाविद्यालय में प्रशिक्षित किया जाता है, उसे छोटे एयरफील्ड में तैनात किया जाता है और तत्पश्चात् उसे उत्तरोत्तर कठिन कार्य सौंपा जाता है। लेकिन फिर भी इस मुद्दे को गम्भीरता पूर्वक लिया गया है। सरकार मामले को देख रही है। विमानपत्तन प्राधिकरण एटीसीओ की भर्ती और प्रशिक्षण अभियान की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया में संलग्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जानते हैं कि एक दिन हम जेट एयरवेज में यात्रा कर रहे थे? हम लोग एयर चाइना के हवाई जहाज पर लैंड करने वाले थे। लेकिन समय पर हम लोग बचा लिए गए।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि पिछले कुछ दिनों से कई घटनाएं हुई हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी का हैलीकॉप्टर एक रनवे पर था और उसी रनवे पर टेक ऑफ के लिए दूसरा जाने वाला था। इस तरह से एक ही रनवे पर दोनों थे, एक लैंडिंग कर रहा था और दूसरा टेक ऑफ की पोजीशन में था। एक बार ऐसा भी हुआ कि दो एयरक्राफ्ट एक साथ लैंड करने वाले थे। आपने सुरक्षा प्रबंधन के लिए दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद व कोचीन राज्यों के नाम दिए हैं कि इनमें एसएमएस लग चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि जो घटनाएं हुई हैं, ये एसएमएस लगने से पहले हुई हैं या बाद में हुई हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : एसएमएस केवल एक मुद्दे के बारे में नहीं है। यह समग्र रूप में है। जब हम किसी हवाई अड्डे के लाइसेंस की और सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली लगाने की बात करते हैं, तब यह केवल विशेष रूप से किसी एक पहलू तक सीमित नहीं होता है। पुनः हमें इसे समझना पड़ेगा। एक या दो घटनाएं जिनका मैंने उल्लेख किया, वे निश्चय ही काफी गम्भीर हैं और हमें सावधान, सतर्क रहने और उपचारी उपाय करने की जरूरत है। वह कोई मुद्दा नहीं है। हम उससे सहमत हैं।

लेकिन, दूसरे भाग के बारे में – पुनः यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानना काफी महत्वपूर्ण है – भारत का प्रत्येक हवाई अड्डा, विशेषकर बड़े शहरों में, अब एक व्यस्त हवाई अड्डा है। एक हवाई जहाज एक रनवे पर लैंड कर रहा होगा वहीं अन्य हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से एक मिनट पहले टेक ऑफ करेगा। यह एक निरन्तर चलने वाली चक्रीय प्रक्रिया है। अब कभी–कभी जैसे कोई हवाई जहाज लैंड करता है तब यह थोड़ा आगे चला जाता है और यह सही जगह पर प्रस्थान नहीं करता है। यह आगे चला जाता है। अतः यह रनवे का ज्यादा समय लेता है। कुछ हवाई जहाजों के मामलों में, उनके टेक ऑफ के पूर्व अन्तिम समय पर पायलट को किसी गड़बड़ी की जानकारी मिलती है। वह अपेक्षित समय से टेक ऑफ में थोड़ा ज्यादा समय ले सकता है। ऐसे मामलों में आने वाले हवाई जहाज को अपनी लैंडिंग रद्द करने के लिए कहा जाता है और यह टेक ऑफ करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक बार दुर्घटना की आशंका हो, जैसी कि कभी–कभी रिपोर्ट दी जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में एटीसीओ, पायलट – प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह अवगत है। प्रत्येक घटना का भी यह अर्थ नहीं होता है कि यह बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेगा।

दूसरी बात भी है। महोदय, मैं इसका उल्लेख करूंगा क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं। भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ने वाले प्रत्येक हवाई जहाज में टीसीएएस, ट्रैफिक कोलिजन एवाइडेन्स सिस्टम होता है। प्रत्येक पायलट जो उड़ान पर होता है, अपने रडार के माध्यम से जानता है कि कौन से हवाई जहाज किस ऊंचाई पर और किस दिशा में उसके आस पास उड़ रहा है। यदि, भगवान न करे, यदि किसी गलती के कारण कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि दो हवाई जहाज टकराने के रास्ते पर हों, तब दोनों ही अपने कॉकपिट से चेतावनी सिगनल प्राप्त करेंगे और दोनों हवाई जहाजों के पायलटों को निर्देश दिया जाएगा कि उन्हें क्या करना है। ये कम्प्यूटरीकृत लॉक–इन सुरक्षा प्रणाली है जो प्रत्येक हवाईजहाज में होती है। इसलिए पायलट सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। अतः कृपया हम बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत किए गए रिपोर्टों पर ध्यान न दें जो यह दर्शाते हैं मानो प्रत्येक दिन कोई दुर्घटना घटित होने वाली है।

[हिन्दी]

नई उर्वरक इकाइयों की स्थापना

***145. श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन हेतु नई इकाइयों/संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता से किसी संयंत्र की स्थापना करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) देश में उर्वरक इकाइयों की स्थापना पूरी तरह से निवेशकों के वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित है। इसके अलावा, उर्वरक क्षेत्र की मौजूदा नीतियों के अंतर्गत विदेशी निवेशक नई उर्वरक इकाइयों की स्थापना के लिए भारत में निवेश करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। देश में बढ़ते मांग–उत्पादन के अंतर में वृद्धि को देखते हुए देश में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेषकर यूरिया क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना

को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 2 सितम्बर, 2008 को यूरिया क्षेत्र में नई निवेश नीति की घोषणा की थी। यह नीति आयात सममूल्य के अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्क पर आधारित है और इससे यूरिया क्षेत्र में निवेश के आकर्षित होने की संभावना है बशर्ते कि गैस उपलब्ध हो। इस नीति का उद्देश्य देश में मौजूदा यूरिया इकाइयों के पुनरुद्धार, विस्तार और पुनर्स्थापना के जरिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता सृजन करना तथा इस क्षेत्र में नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना करना है।

सरकार ने 30 अक्तूबर, 2008 को ब्राउनफील्ड परियोजना के जरिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड (एचएफसीएल) का पुनरुद्धार करने का निर्णय भी लिया है, जिसे उर्वरक विदेश लिमिटेड के माध्यम से स्थापित किया जाना है तथा इसे मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) और मैसर्स कृभको द्वारा एक विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) के जरिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, सचिवों की उच्चाधिकार-प्राप्त समिति का एचएफसीएल तथा फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की प्रत्येक बंद इकाई के पुनरुद्धार के विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के लिए गठन किया गया है। सरकार ने इन कंपनियों के बकाया ऋणों और ब्याज को माफ करने पर विचार करने का सैद्धांतिक निर्णय भी लिया है बशर्ते कि प्रत्येक बंद इकाई के पुनरुद्धार के लिए पूर्ण अनुबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया जाए।

फॉस्फेट क्षेत्र में राजसहायता व्यवस्था डीएपी के आयात सम-मूल्य पर आधारित है और इससे फॉस्फेट उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। इसके अलावा, चूंकि फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन काफी हद तक आयातित कच्ची सामग्री और मध्यवर्तियों पर निर्भर है इसलिए सरकार उर्वरक उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है ताकि वे भविष्य में उर्वरक आदानों और तैयार उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में सक्रिय रूप से संयुक्त उद्यम लगा सकें।

श्री हंसराज गं. अहीर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से किसानों को उर्वरकों की समय पर आपूर्ति नहीं हो रही है। आप भी जानते हैं और आपने स्वीकार भी किया है कि इस कारण किसानों को कालाबाजारी में ऊंचे दामों पर उर्वरक खरीदना पड़ता है। इस वर्ष यानी वर्ष 2008 में खरीफ के मामले में किसानों को उर्वरक नहीं मिलने से आर्थिक नुकसान हुआ है। आपने किसानों को सही समय और उचित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस खुलासा नहीं किया जिसकी हमने मांग की थी। क्या आप नए संयंत्र लगाने जा रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के इतने संयंत्र बंद पड़े हुए हैं, इसके क्या कारण हैं? इन संयंत्रों के बंद होने की वजह से उत्पादन पर कितना असर हुआ है? इसके लिए कुछ करने जा रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो क्वैश्चंस के पार्ट पूछे हैं। एक तो इन्होंने उपलब्धता के संबंध में जानना चाहा है। जहां तक उपलब्धता का मामला है, मैंने इसी सदन में बतलाया था कि राज्य सरकारें जितनी डिमांड करती हैं, उसके अनुपात में हम उसे सप्लाई करते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी के साथ-साथ हम सेल को भी देखते हैं। पहले क्या होता था कि हम यहां से भेजते थे और राज्य सरकार से सर्टिफिकेट लेते थे कि इन्होंने कितनी बिक्री की तो उसमें काफी विलम्ब हो जाता था और कहीं-कहीं मालप्रैक्टिस भी हो जाती थी। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम स्वयं यहां से उसे कंप्यूटर के द्वारा देखेंगे और उसके आधार पर देंगे। अब हम उसके आधार पर देते हैं और जनरली अधिकांश 90 परसैन्ट राज्य सरकार की एजेन्सीज लेती हैं और अपने माध्यम से, जैसे कोऑपरेटिव वगैरह हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। हम राज्य सरकार को देते हैं, राज्य सरकार वहां से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करती है, यह राज्य सरकार का काम होता है, हमारा काम होता है कि जितनी उनकी डिमांड है, हम उन्हें भेज देते हैं। कभी-कभी यह कोऑपरेटिव्ज के पास रह जाता है और कभी-कभी डीलर्स के पास रह जाता है। वे इसे दाब कर रखते हैं और होर्डिंग करते हैं और जब किसान को इसकी जरूरत होती है तो उन्हें वह मिल नहीं पाता है। कभी-कभी जो उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके हैं, वहां से स्मगलिंग होकर नेपाल में चला जाता है। चूंकि जो हमारा दाम है, उसके अनुसार हम किसान को यूरिया 4,830 की दर पर देते हैं और वही नेपाल में 22 हजार प्रति टन मिलता है। हम डी.ए.पी. 52 हजार रुपये प्रति टन खरीदते हैं और किसान को 9300 रुपये में देते हैं। यदि वे नेपाल में जाकर बेचते हैं तो उसे 52 हजार रुपये मिलते हैं। इसलिए हमने संबंधित राज्य सरकारों को भी लिखने का काम किया है।

इनके प्रश्न का दूसरा पार्ट यह है कि कौन-कौन से फर्टिलाइजर प्लान्ट्स बंद हैं। वर्ष 2002-03 में जब एनडीए की सरकार थी तो उस समय नेफ्था के कारण उन्होंने एच.एफ.सी.एल. के तीन और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पांच प्लान्ट्स बंद कर दिये थे। जैसे एच. एफ. सी. में बरौनी, दुर्गापुर

और हल्दिया हैं और एफ. सी. आई. में रामागुंडम, गोरखपुर, सिन्दरी, तालचेर और कोरबा है। 30 अक्तूबर को सरकार ने सभी प्लान्ट्स को खोलने का निर्णय लिया और एक-एक मिलियन टन यानी दस-दस लाख टन का उत्पादन हर प्लान्ट में होगा, जिससे कि हमारी फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज की प्रॉब्लम कम हो सके।

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदय, मैं मंत्री से जानना चाहती हूं कि 19 फरवरी को अतारांकित प्रश्न संख्या 386 का आपने जवाब दिया था, जिसमें आपने बताया था कि भारतीय उर्वरक महासंघ द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि आप किसानों को जो सब्सिडी देते हैं, उस सब्सिडी का किसानों को कोई डायरेक्ट लाभ नहीं मिलता है और किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी प्राप्त होने के लिए स्मार्ट कार्ड के द्वारा सब्सिडी देने की मांग की सिफारिश की थी। क्या आप इस बारे में कोई विचार करने जा रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान : डायरेक्ट सब्सिडी के संबंध में किसानों को सीधे सब्सिडी का लाभ मिले, इसके संबंध में काफी दिनों से चर्चा थी। हम लोग भी सोशलिस्ट पार्टी से आये हैं। मैं 1969 में एम.एल.ए. बना था तो हम लोग दो मांग करते थे। पहली मांग करते थे किसानों को कारखानों का हक दिया जाए, दूसरे उन्हें डॉयरेक्ट सब्सिडी मिले। सी.पी.आई., लैफ्ट और जितने लोग हैं, उन सभी की यही मांग है। लेकिन हमने उस पर गंभीरता से विचार किया है और एक बार हमने श्री बसुदेव आचार्य जी और गुप्ताजी को बुलाया भी था कि अभी जो हम देते हैं? वह कम्पनी को देते हैं और कम्पनी जब वहां जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, भेजती है, तब हम उन्हें सब्सिडी देते हैं। किसान को यदि हम डायरेक्ट देंगे तो पहले किसान को खरीदना पड़ेगा और जैसे अभी हमने कहा कि यूरिया यदि 22 हजार रुपये प्रति टन कम्पनी से और डी.ए.पी. 52 हजार रुपये की दर पर खरीदना पड़ेगा। तब जाकर यह रीइम्बर्समैन्ट के लिए बी.डी. ओ. के यहां जायेगा कि हमने इतना खरीदा है, इसलिए हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा लगा है, आप हमें लौटाइये।

दूसरी बात आपने स्मार्ट कार्ड के बारे में कही। अभी तक सभी को इलैक्शन आई. काड्र्स अवेलेबल नहीं हुए हैं तो स्मार्ट कार्ड गरीब आदमी कहां से रखेगा, जिसे दो किलो, चार किलो यूरिया की जरूरत पड़ती है। अभी जो लैंडलैस लेबरर्स हैं, वे भी जाकर दो किलो खरीद लेते हैं। लेकिन उस समय उसे जमीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसमें काफी ब्यूरोक्रेटिक झमेला है। इसलिए कुल मिलाकर हमने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। हम माननीय सदस्य को इनवाइट करते हैं, यदि वह कभी हमें कंविन्स कर दें कि कोई पॉलिसी ऐसी है, जिसमें डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देने से फायदा हो। हम निश्चित तौर पर इस पर विचार करने के लिये तैयार हैं लेकिन हमने जो अभी मनन किया है, उसके अनुसार जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं, बनिस्बत डायरेक्ट सब्सिडी के में वे किसानों के हक में बैटर हैं।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पहले ही यह स्वीकार कर लिया है कि बंद उर्वरक इकाइयों को खोला जाएगा। इससे पूर्व केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया था कि बरौनी को खोला जाएगा लेकिन इसी बीच गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रिलायंस कंपनी ने गोदावरी और कावेरी बेसिन से गैस पाइपलाइन शुरू करने के लिए साझेदारी कर ली। क्या मंत्री जी को विश्वास है कि गैस पाइपलाइन पूर्वी क्षेत्र में भी उपलब्ध होगी ताकि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एच एफ सी आई), दुर्गापुर को खोला जा सके?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम मिनिस्टर यहां बैठे हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं। हमारे पास जितने गैस के प्लांट्स थे और जितने आज हमारे पास एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं, उनके लिये हमें 41 एमएमएस सीएमडी गैस की आवश्यकता है लेकिन अभी हमारे पास केवल 29 है। जितने हमारे प्लांटस बंद हैं, उन सब को मिलाकर हमें 95 एमएमएस सीएमडी की आवश्यकता होगी। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि एक ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनायी गयी है। उस में गैस का मामला उठा और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने उन सारे गैस से चलने वाले फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को टॉप प्रायरिटी पर रखा है। उसमें यह घोषणा की गई कि जितनी गैस की आवश्यकता होगी, वह पूरी की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आज 12.30 बजे दिन में गैल के साथ एक एमओयू साईन होने वाला है। इससे गैस की जो प्रॉब्लम है, वह खत्म हो जायेगी। जितने हमारे बंद यूनिट्स हैं, वे वर्ष 2011-12 तक चालू हो जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : हाल ही में, कई उर्वरक उत्पादन इकाइयां जैसे चेन्नै में एम एफ एल और तूतीकोरिन में एस पी आई सीं पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं कर रही है। क्या सरकार का विद्यमान इकाइयों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ताकि देश में मांग-उत्पादन अंतर को कम किया जा सके?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. का संबंध है, यह नाफ्था पर आधारित प्लांट है। यह हमारा सब से पुराना प्लांट है। नामरूप प्लांट के बारे में कैबिनेट में बातचीत हुई है। जिसे हम चला रहे हैं। हालांकि एमएफएल और नामरूप प्लांट में घाटा रहा है लेकिन सरकार घाटा सहने के बावजूद भी उसे चला रही है। अभी नाफ्था की कीमत कुछ कम हुई है। चूंकि यह प्लांट नाफ्था पर आधारित है, इसलिये हमारा कहना है कि जो न्यू प्राइसिंग पौलिसी आयी है, हम इस पॉलिसी के अंतर्गत उसे लाने का काम कर रहे हैं। जो भी घाटा होगा, सरकार उस घाटे को सहकर भी एमएसएल को चलाने का काम करेगी और उसे बंद नहीं होने दिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, रामागुंडम स्थित उर्वरक फैक्ट्री काफी समय पहले बंद हो गई थी। यह तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्र में थी और हम कई वर्षों से इस फैक्ट्री को पुनः खोलने के लिए लड़ रहे हैं। क्या सरकार इस फैक्ट्री को यथाशीघ्र खोलेगी? हम माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, 30 अक्तूबर, 2008 तक जितने प्लांट्स बंद थे, उनमें रामागुंडम प्लांट को खोलने का निर्णय ले लिया गया है। इसी प्रकार हलदिया प्लांट है बशर्ते यह जाइंट वैंचर में आ जाये। इसी तरह गोरखपुर, सिन्दरी, तालचेर, कोरबा, दुर्गापुर और बैरौनी हैं। जहां तक रामागुंडम प्लांट का सवाल है, उसके संबंध में मुख्यमंत्री जी का एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वह रामागुंडम प्लांट चलाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वेल्यू असैसमेंट कर रहे हैं और यह 15 मार्च तक हो जायेगा। पहले यह मामला एम्पावर्ड कमेटी के पास जायेगा। सारी फौरमैल्टीज़ पूरी करने के बाद यह कैबिनेट में जायेगा। उसके लिये प्रोसीजर में जाने के लिये सचिव स्तरीय एक कमेटी बनाई गई है जिसमें सचिव को कंसल्टेंट नियुक्त करने का फैसला किया गया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

कंसल्टेंट विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाकर उनको प्रस्तुत करेगा कि इसे जे. वी. में दिया जाए या अन्य किसी में दिया जाए। इसके बाद कंसल्ट द्वारा सम्पति के आकलन की कार्यवाही जर्मनी में चल रही है और यह कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा। एच एफ सी और एफ सी आई दोनों तय करेंगे, कैसे यूआई एक्सप्रेशन, इंटरेस्ट हम निकालेंगे और उसमें जो चयन किए जाएंगे, उसे बीट करेंगे। फाइनल बिल के बाद यह बीआईएफआर में जाएगा और उसके बाद कैबिनेट में पास हो जाएगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। प्रश्न काल समाप्त हो गया है। मैं भी चाहता था कि यह जारी रहे।

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अब मैं चौदहवीं लोक सभा में अंतिम अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति हो गया हूं।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि आप अगली लोक सभा में पहला अनुपूरक प्रश्न भी प्रस्तुत करें। अब तो आप मुझसे रुष्ट नहीं हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए और दुबारा अध्यक्ष बनना चाहिए। तभी मुझे अवसर मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्वयं को बदलना होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निगरानी/जांच

***142. श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने हाल ही में पूरे देश के विमानपत्तनों पर कराई गई औचक निगरानी जांच के दौरान विभिन्न खामियों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो नागर विमानन महानिदेशालय के ध्यान में लायी गयी खामियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन खामियों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंधित आदेशों/दिशा–निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरोड्रमों का यह निरीक्षण केवल अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के लिए प्रयुक्त एयरोड्रमों के प्रमाणीकरण से पूर्व, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओं) के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, देश में अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के लिए प्रयुक्त एयरोड्रम लाइसेंसिंग की प्रक्रिया के भाग के रूप में ही किया है।

इन निरीक्षणों के दौरान की गई समुक्तियां सामान्यतः प्रचालनिक सुविधाओं से संबंधित हैं। चूंकि ये निरीक्षण लाइसेंसिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में किए गए थे, अतः निरीक्षण के दौरान की गई समुक्तियां, एयरोड्रम लाइसेंस जारी किए जाने से पहले, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एयरोड्रम प्रचालक को भेज दी गईं।

एयरोड्रम लाइसेंस जारी हो जाने पर, एयरोड्रम प्रचालक से यह अपेक्षा होती है कि वह एयरोड्रम की प्रचालनिक सुविधाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव लाने के लिए डीजीसीए का पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त करें, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि एयरोड्रम प्रचालकों द्वारा डीजीसीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से पालन किया जाता है।

यात्री सुरक्षा

***146. श्री पी.सी. थामस :**

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्रियों के साथ चोरी, लूटपाट तथा अन्य अपराधों के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान दक्षिण जोन सहित जोन-वार ऐसे कितने मामलों की जानकारी मिली है; और

(ग) इन मामलों को रोकने तथा रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए भयमुक्त यात्रा सुनिश्चित करने हेतु रेलवे द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी हां। वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2008 के दौरान भारतीय रेल पर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों सहित रेलगाड़ियों में यात्रियों के साथ हुए अपराधों की रिपोर्ट की गई एवं दर्ज की गई घटनाओं में मामूली बढ़ोतरी हुई है।

(ख) वर्ष 2008 के दौरान, भारतीय रेल पर लूटमार सहित अपराध की कुल 7,946 घटनाएं रिपोर्ट की गई थीं जबकि वर्ष 2007 में 7860 मामले रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष 2008 के दौरान इनमें से 396 मामले दक्षिण जोन, अर्थात केरल और तमिलनाडु राज्यों, में रिपोर्ट किए गए हैं जबकि वर्ष 2007 में ऐसे मालमों की संख्या 287 थी। वर्ष 2007 और 2008 के दौरान भारतीय रेल पर (राज्यवार) गाड़ियों में रिपोर्ट किए गए विभिन्न अपराधों के मामलों को दिखाने वाला तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यात्री वारदातों के मामले राजकीय रेल पुलिस को, जो संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करती हैं, रिपोर्ट किए गए जाते हैं जो उनको दर्ज करती है और छानबीन करती है।

(ग) हालांकि रेलवे पर पुलिस व्यवस्था राजकीय रेल पुलिस के माध्यम से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, बहरहाल गाड़ियों और यात्री क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 और रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन किया गया था ताकि रेल सुरक्षा बल के माध्यम से रेलवे को रेलों पर अपराध नियंत्रित करने में राज्य सरकारों के प्रयासों का प्रभावी तरीके से संपूरण किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य पुलिस (राजकीय रेल पुलिस) को भारतीय दंड संहिता, रेल अधिनियम और देश के अन्य कानूनों के उपबंधों के अंतर्गत तोड़फोड़ एवं गाड़ी अभिध्वंस सहित हत्या, डकैती, लूटपाट, बलात्कार आदि जैसे जघन्य अपराधों से निपटने के लिए अधिक समय मिले।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं –

1. राजकीय रेलवे पुलिस के समन्वय के साथ रेल सुरक्षा बल द्वारा महत्वपूर्ण अपराध संभाव्यताग्रस्त मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

2. रेल संरक्षण बल अधिनियम और रेल अधिनियम में संशोधन के बाद रेल सुरक्षा बल द्वारा प्रतिदिन औसतन 3904 रेल सुरक्षा बल कार्मिकों की तैनाती द्वारा 1257 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है। इसके अलावा, राजकीय रेल पुलिस द्वारा प्रतिदिन 4560 कार्मिक तैनात करके लगभग 2329 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है। 710 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण ड्यूटियों के लिए 3898 रेल सुरक्षा बल कर्मचारी मुहैया कराए गए हैं।

3. रेलगाड़ी मार्गरक्षी दलों को प्रभावित स्टेशनों/खंडों पर अत्यधिक सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

4. रेलगाड़ी में यात्रा के दौरान या प्लेटफार्म पर अनधिकृत फेरीवालों और अज्ञात व्यक्तियों से खाद्य वस्तुएं खरीदने/स्वीकार करने से यात्रियों को रोकने के लिए रेलगाड़ियों के सामान्य सवारीडिब्बों में और लाइन बंदोबस्त के दौरान जन उद्घोषण प्रणाली के माध्यम से और लाउडहेलरों द्वारा निरंतर आवश्यक घोषणाएं की जाती हैं।

5. वर्ष 2008 के दौरान, रेल सुरक्षा बल ने भारतीय दंड संहिता के 844 मामलों का पता लगाया है और 655 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस को सौंपा है। उसके अलावा, वर्ष 2008 के दौरान रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर यात्री क्षेत्रों को असामाजिक तत्वों से मुक्त रखने की

दृष्टि से रेल अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत 13.85 लाख व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा चलाया गया है।

6. अपराध रुझानों पर चर्चा करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी नीतियां बनाने हेतु राज्य पुलिस और राजकीय रेल पुलिस के साथ नियमित समन्वय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

7. सामान्यतः उपनगरीय रेलगाड़ियों के महिला डिब्बों का राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा मार्गरक्षण किया जाता है। मेट्रो उपनगरीय खंडों में, विशेषकर गैर–व्यस्त अवधि के दौरान, जब महिलाओं के खिलाफ वारदात होने की संभावना अधिक होती है, विशेष दस्ते तैनात किए जाते हैं जिसमें महिला चल टिकट परीक्षक और महिला रेल सुरक्षा बल कार्मिक शामिल होते हैं।

8. महिला डिब्बों में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ रेल सुरक्षा बल द्वारा नियमित रूप से अभियान चलाए जाते हैं और अपराधियों पर रेल अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है।

विवरण

वर्ष 2007 और 2008 के दौरान भारतीय रेल पर रेलगाड़ियों में हत्या, डकैती, लूटपाट, यात्री सामानों की चोरी और अन्य अपराधों की, जो रिपोर्ट किए गए हैं, संख्या को दिखाने वाला विवरण

राज्य	वर्ष	हत्या	डकैती	चोरी/लूट	नशीली दवा खिलाना	यात्रियों के सामान की लूटमार/चोरी	अन्य आईपीसी अपराध	कुल संज्ञेय अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	2007	2	1	7	35	307	33	385
	2008	2	–	3	16	370	28	419
असम	2007	–	11	9	29	46	17	112
	2008	1	6	5	13	60	22	107
बिहार	2007	5	17	29	14	709	134	908
	2008	7	20	20	32	699	102	880
छत्तीसगढ़	2007	–	–	1	3	132	22	158
	2008	–	–	1	6	161	16	184
दिल्ली	2007	–	–	–	3	164	110	277
	2008	–	–	1	–	178	31	210
गुजरात	2007	2	7	13	46	519	1	588
	2008	1	2	2	41	504	7	557
हरियाणा	2007	1	–	1	–	68	41	111
	2008	–	1	7	1	96	108	213
झारखंड	2007	–	18	5	7	110	1	141
	2008	3	16	13	4	84	15	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	2007	–	4	11	45	314	–	374
	2008	–	2	15	8	203	3	231
केरल	2007	–	–	4	8	100	19	131
	2008	–	–	1	1	107	27	136
मध्य प्रदेश	2007	4	1	6	53	779	61	904
	2008	1	4	6	43	811	51	916
महाराष्ट्र	2007	3	8	30	72	1381	54	1548
	2008	3	12	29	60	1605	86	1795
उड़ीसा	2007	–	3	5	19	153	13	193
	2008	1	1	4	15	133	12	166
पंजाब	2007	–	–	–	–	4	1	5
	2008	–	1	1	–	12	03	17
राजस्थान	2007	1	1	–	19	333	72	426
	2008	–	–	2	25	202	32	261
तमिलनाडु	2007	1	–	1	2	81	71	156
	2008	1	–	7	8	179	65	260
उत्तरांचल	2007	–	–	–	–	9	1	10
	2008	1	–	1	–	34	2	38
उत्तर प्रदेश	2007	12	11	10	29	587	217	856
	2008	1	11	14	18	493	161	698
पश्चिम बंगाल	2007	1	7	9	139	359	37	552
	2008	4	1	8	175	499	34	721
अन्य (गोवा, जे. एंड के., एच पी	2007	–	–	–	–	24	1	25
एवं संघ शासित क्षेत्र)	2008	–	–	–	–	2	0	2
जोड़	2007	32	89	141	523	6179	896	7860
	2008	26	77	140	466	6432	805	7946

विमानपत्तन प्रयोक्ता विकास शुल्क

***147. श्री के.एस. राव :**

श्री रमेश दूबे :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी निजी विमानपत्तन डेवलपरों को यात्रियों से विकास शुल्क वसूल करने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधि मंत्रालय ने पहले यह राय दी थी कि सफल बोली लगाने वाले के साथ आरंभ में हस्ताक्षर किए गए समझौते की शर्तों के अतिरिक्त कोई नया प्रभार लगाने की अनुमति नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को बदलने के क्या कारण हैं तथा विमान किरायों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड ने अपने अनुमानित घाटे को पूरा करने के लिए बाहर जाने वाले सभी विमान यात्रियों पर प्रयोक्ता विकास शुल्क लगाने की सरकार से अनुमति मांगी है; और

(च) यदि हां, तो यात्रियों से इस प्रभार के शुल्क की वसूली के पड़ने वाले वित्तीय प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (च) इस समय पांच हवाईअड्डों यथा, कोचीन में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीआईए), शमशाबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (आरजीआईए), देवनहल्ली में बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (बीआईएएल), मुंबई में सीएसआई एयरपोर्ट और दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट का प्रचालन निजी ऑपरेटरों/संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) द्वारा किया जा रहा है। इनमें से तीन हवाईअड्डे यथा कोचीन में सीआईए, शमशाबाद में आरजीआईए तथा देवनहल्ली में बीआईए, नए ग्रीन फील्ड हवाईअड्डे हैं। आरजीआईए तथा बीआईए के निर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन के लिए, भारत सरकार ने संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनियों यथा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (एचआईएएल) और बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (बीआईएएल) के साथ एक रियायत करार किया है।

रियायत करार के अनुच्छेद 10.2 तथा अनुसूची 6 के अनुसार, संयुक्त उद्यम कंपनियां अर्थात् बीआईएएल तथा एचआईएएल को भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजस्व अंतर, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) वसूल करने की अनुमति है, बशर्ते ऐसे प्रभार इकाओ (अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन) की नीतियों के अनुरूप हों। आरजीआईए के लिए, भारत सरकार ने इस हवाईअड्डे की उद्घाटन की तिथि से प्रस्थान करने वाले प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय यात्री से 1000/–रुपए (सभी करों समेत) की दर से, तथा दिनांक 22.08.2008 से प्रस्थान करने वाले प्रत्येक अंतर्देशीय यात्री से 375/–रुपए (सभी करों समेत) की दर से, तदर्थ आधार पर, प्रयोक्ता विकास शुल्क वसूल किया जाना मंजूर किया है। बीआईए के लिए, भारत सरकार ने इस हवाईअड्डे की उद्घाटन की तिथि से प्रस्थान करने वाले प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय यात्री से 1070/–रुपए (सभी करों समेत) की दर से, तथा दिनांक 16.01.2009 से प्रस्थान करने वाले प्रत्येक अंतर्देशीय यात्री से 260/–रुपए (सभी करों समेत) की दर से, तदर्थ आधार पर, प्रयोक्ता विकास शुल्क वसूल किए जाने की मंजूरी दी है। ये उपकर वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 89 के अंतर्गत लगाए गए हैं।

नई दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट तथा मुंबई स्थित सीएसआई एयरपोर्ट की पुनर्संरचना संयुक्त उद्यम व्यवस्था के जरिए की गई है तथा ये हवाईअड्डे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 की धारा 12ए के अंतर्गत क्रमशः मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डायल) तथा मैसर्स मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (मायल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनियों को लीज पर दिए जा चुके हैं, इस प्रयोजनार्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ–साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास करार (ओएमडीए) करके इन हवाईअड्डों का प्रचालन कार्य दिनांक 03.05.2006 से संयुक्त उद्यम कंपनियों को सौंप दिया है।

नई दिल्ली स्थित आईजीआई हवाईअड्डे के लिए डायल ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए समय से इस हवाईअड्डे का विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण करने के लिए एक मास्टरप्लान तैयार किया है। इस मास्टरप्लान का क्रियान्वयन 8975 करोड़ रुपए की वर्तमान अनुमानित लागत से किया जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए इस परियोजना को समय पर पूरा करने की सर्वोपरि महत्ता को देखते हुए सरकार ने, भारतीय विमानपत्तन् प्राधिकरण अधिनियम 1994 की धारा 22ए के अनुसार, 1827 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के अंतर को पूरा करने के लिए, नितांत रूप से तदर्थ आधार पर, दिनांक 01.03.2009 से 36 महीने की अवधि के लिए, प्रस्थान करने वाले प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय यात्री से 1300/–रुपए (सभी करों समेत) की दर से, तथा प्रस्थान करने वाले अंतर्देशीय यात्री से २००/– रुपए (सभी करों सहित) की दर से, प्रयोक्ता विकास शुल्क वसूल किए जाने की मंजूरी दी है। यह उपकर 6 महीने बाद समीक्षा किए जाने के अध्यधीन है। इस उपकर के जरिए एकत्रित धन राशि का उपयोग केवल उन वैमानिकी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ही किया जाएगा जिन्हें लीज अवधि के समाप्त होने पर डायल द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बारे में, विधि एवं न्याय मंत्रालय से उपयुक्त परामर्श किया गया है।

[हिन्दी]

माल भाड़ा वर्गीकरण

*148. **श्री रामजीलाल सुमन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल परिवहन प्रणाली के अंतर्गत माल भाड़ा वर्गीकरण हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे ने लागू दरों के निर्धारण हेतु विभिन्न वस्तुओं के वर्गीकरण में हाल ही में और परिवर्तन किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में किस प्रकार पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) माल परिवहन प्रणाली के अंतर्गत फ्रेट वर्गीकरण के लिए निर्धारित मानक/मानदंड हैं–सेवा लागत तथा सेवा मूल्य, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह शामिल है कि रेलवे की प्रतिस्पर्धा तथा मांग की लोच को ध्यान में रखते हुए संबंधित यातायात कितना वहन कर सकता है।

(ख) और (ग) माल दर सूची में यथानिर्दिष्ट विभिन्न पण्यों के कोटीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बहरहाल, पिछले छह महीनों में सीमेंट, कोयला, घरेलू उपयोग के लिए लौह–अयस्क, खाद्यान्न, आटा और दाल तथा रासायनिक खाद के वर्गीकरण में परिवर्तन किया गया है।

(घ) चूंकि फ्रेट वर्गीकरण के परिवर्तन में वित्तीय जटिलताएं हैं, अतः निर्णय संबंधी प्रक्रिया के दौरान इन प्रस्तावों का खुलासा नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में निर्णय रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति मिलने के बाद लिए जाते हैं।

[अनुवाद]

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण

*149. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में राज्य आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों में आयुक्तों को राज्य–वार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों की सहायता के लिए कुल कितनी शिकायतों को निपटाया गया है;

(घ) प्राप्त शिकायतें सामान्यतः किस प्रकार की हैं; और

(ङ) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का प्रभावी सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) और (ख) 16 राज्यों द्वारा पूर्ण कालिक राज्य आयुक्त नियुक्त किए गए हैं जबकि 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्थायी रूप से अन्य पदधारक अधिकारियों को आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया है। राज्य/संघ राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 65 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त (विकलांगजन) की वार्षिक रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान सभाओं में प्रस्तुत की जाती हैं। इन आयुक्तों के कार्य की निगरानी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है।

(ङ) विकलांग व्यक्तियों के कारगर शक्तिकरण की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) तीन विधायनों का अधिनियमन अर्थात्

(क) भारतीय पुनर्वास परिषद, 1992

(ख) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995।

(ग) स्व–परायणता, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999।

(ii) राष्ट्रीय विकलांगजन नीति को फरवरी, 2006 में अपनाया गया।

(iii) निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं का कार्यान्वयन :–

(क) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना – जिसके अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को बच्चों तथा विकलांगजन को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता दी जाती है।

(ख) सहायक सामग्री/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांगजन सहायता योजना (एडिप) – जिसके अंतर्गत

अनुसंधान और विकास, बाधा–रहित वातावरण का सृजन करने के लिए विभिन्न अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित अनेक परियोजनाओं को समर्थन दिया जाता है।

(ग) विकलांगजन कार्यान्वयन योजना अधिनियम – जिसके अंतर्गत अनुसंधान और विकास, बाधा रहित पर्यावरण के सृजन आदि के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित अनेक परियोजनाओं को सहायता दी जाती है।

(घ) निजी क्षेत्र में विकलांगजन को रोजगार प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना (1.4.2008 से आरंभ) – जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान में नियोजित 25,000 रुपए तक मासिक मजदूरी वाले प्रत्येक विकलांगजन के लिए पहले तीन वर्षों हेतु नियोक्ता के ईपीएफ और ईएसआई अंशदान का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु विकलांगजन को रियायती दरों पर ऋण का प्रावधान।

(च) श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण।

विवरण

उन राज्यों की सूची जिन्होंने राज्य आयुक्त (विकलांगजन) नियुक्त किए हैं।

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. छत्तीसगढ़
5. गुजरात
6. हरियाणा
7. झारखंड
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र
12. मेघालय
13. पंजाब
14. राजस्थान
15. तमिलनाडु
16. पश्चिम बंगाल

उन राज्यों की सूची जिन्होंने स्थायी रूप से अन्य पदधारक अधिकारियों को राज्य आयुक्त (विकलांगजन) के रूप में नियुक्त किया है।

राज्य

1. अरुणाचल प्रदेश
2. गोवा
3. हिमाचल प्रदेश
4. जम्मू–कश्मीर
5. मणिपुर
6. मिजोरम
7. नागालैंड
8. उड़ीसा
9. सिक्किम
10. त्रिपुरा
11. उत्तराखंड
12. उत्तर प्रदेश

संघ राज्य क्षेत्र

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. चंडीगढ़
3. दादरा और नगर हवेली
4. दमन और दीव
5. दिल्ली
6. लक्षद्वीप
7. पुडुचेरी

पारिस्थितिकीय पर्यटन का विकास

*150. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पारिस्थितिकीय पर्यटन के विकास के लिए प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को केन्द्रीय वित्तीय सहायता की कितनी धनराशि जारी की गयी;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए यह धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी तथा इन परियोजनाओं पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गयी; और

(ग) देश में पारिस्थितिकीय पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पारिस्थितिकीय पर्यटन सहित पर्यटन परियोजनाओं के विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय की गंतव्यों और परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत, पारिस्थितिकीय पर्यटन सहित, पर्यटन के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों में पारिस्थितिकीय पर्यटन के विकास हेतु स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों और समय-समय पर स्थल दौरों के माध्यम से प्रगति को मानिटर करता है। अनुवर्ती किश्त, पूर्व की किश्त के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर ही अवमुक्त की जाती है।

पर्यटन मंत्रालय, पारिस्थितिकीय पर्यटन सहित देश के सभी पर्यटन उत्पादों का "इनक्रेडिबल इंडिया" अभियान के अंतर्गत कालेट्रल्स/प्रिंट/इलेक्ट्रानिक और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से संवर्धन करता है। सूचना का www.incredibleindia.org और देश और विदेश में भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जाता है।

विवरण

पारिस्थितिकीय पर्यटन के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में अब तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

राज्य	क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1.	वारंगल जिले में एक इको पर्यटन के रूप में लखनावरन झील का विकास	2006.07	468.63	337.90
अरुणाचल प्रदेश	2.	लुम्ला के डोलमा पार्क का विकास	2008.09	170.00	136.00
	3.	पूर्वी कांमेग जिले के सेइजोसा में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य के पास पर्यटक अवसंरचना का विकास	2007.08	336.51	269.21
	4.	कोकराझाड़ में इको-पर्यटन विकास	2005.06	460.00	368.00
	5.	मानस-गुवाहाटी-काजीरंगा का परिपथ विकास	2005.06	781.00	624.80
असम	6.	हाफलांक में इको-टूरिज्म का विकास	2007.08	63.47	50.77
हरियाणा	7.	कालेसर में इको-टूरिज्म का विकास	2007.08	319.00	255.20
	8.	मोरनी-पिंजौर हिल्स और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में इको टूरिज्म का विकास	2007.08	329.00	263.20
हिमाचल प्रदेश	9.	हिमाचल प्रदेश में इको-टूरिज्म का विकास	2007.08	368.22	294.57
	10.	पर्यटन विकास और पर्यावरण परिरक्षण योजना	2007.08	25.91	5.19

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	11.	वाइल्डनेस टूरिज्म सर्किट का विकास	2006.07	226.88	204.20
	12.	मेसर्स जंगल लाजिज एंड रिजार्टस द्वारा इको पर्यटन के लिए आईटी अवसंरचना	2005.06	53.29	26.64
केरल	13.	त्रिसूर जिले के पुन्नाथुर कोट्टा में एलीफेंटा पार्क का विकास	2005.06	349.50	279.80
	14.	रानीपुरम का एक इको-पर्यटन गंतव्य के रूप में विकास	2006.07	357.01	285.60
	15.	मालापुपुरा, कोजीकोड, कन्नूर और कासरागोड जिलों में मालाबार मैनग्रूव इको-पर्यटन परिपथ	2008.09	349.36	279.49
मणिपुर	16.	इम्फाल का इको-पर्यटन पार्क का विकास	2006.07	345.29	172.64
मध्य प्रदेश	17.	पन्ना का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास	2006.07	421.66	337.00
नागालैंड	18.	मोन का इको-एडवेंचर एंड कल्चर डेस्टिनेशन के रूप में गंतव्य विकास	2008.09	452.76	362.20
उड़ीसा	19.	भीतरकनिका में इको-पर्यटन का विकास	2006.07	383.22	191.61
	20.	मोरभंज जिले में सिमलीपाल का विकास	2006.07	297.12	237.70
सिक्किम	21.	चेमची में साहसिक एवं इको-पर्यटन के लिए भारतीय हिमालयी केन्द्र का निर्माण	2007.08	389.54	311.63
उत्तराखंड	22.	ग्राम सारी के देवरिया ताल में ग्रामीण पर्यटन (इको पर्यटन) का विकास	2005.06	45.14	36.00
	23.	कोरबेट नेशनल पार्क का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास	2007.08	602.00	481.60
उत्तर प्रदेश	24.	दुधवा राष्ट्रीय पार्क में गंतव्य विकास	2005.06	312.60	250.08
	25.	बहराइच जिले में कटेरनियाघाट पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य का विकास	2005.06	105.00	84.00
पश्चिम बंगाल	26.	पश्चिम मेदनीपुर जिले में झाड़ग्राम में और उसके आस-पास इको पर्यटन परिपथ का विकास	2007.08	666.55	533.24

[हिन्दी]

रेल परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब

***151. डा. चिन्ता मोहन :**

श्री अब्दुल्लाकुट्टी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई चालू रेल परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब हो रहा है जिसके कारण उनकी लागत में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा क्या है तथा उनके पूरा होने में विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ग) उक्त परियोजनाओं पर अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लागत में किसी और वृद्धि को रोकने के लिए रेलवे द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (ग) रेलवे के पास नई लाइनों, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेल विद्युतीकरण और महानगर परिवहन परियोजनाओं के अंतर्गत चालू योजनाओं का अत्यधिक थ्रो फारवर्ड है और उपलब्ध संसाधन सीमित हैं, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को पूरा होने में लंबा समय लगता है, परियोजनाओं के लिए लक्ष्य सामान्यतः संसाधनों की उपलब्धता और प्रगति के आधार पर वार्षिक रूप से निश्चित किए जाते हैं और कई परियोजनाएं चरणों में पूरी हो पाती हैं। जिन परियोजनाओं के लक्ष्य निश्चित किए गए थे और जिनका कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया होता लेकिन विलंबित हो गई, ऐसी परियोजनाओं के बिलंब के कारण और संशोधित लक्ष्य के ब्यौरे के साथ संलग्न विवरण के रूप में जोन-वार में दिए गए हैं। देरी के मुख्य कारण धन की कमी, भूमि अधिग्रहण और वन विभाग से अनुमति में देरी, ठेकों की विफलता, कानून एवं व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति और प्रगति को प्रभावित करने वाले बाजार से जुड़े अन्य कारक हैं। चालू परियोजनाओं में विभिन्न कारणों जैसे निर्माण एवं प्रौद्योगिकी के मानक, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, मुद्रास्फीति आदि के कारण लागत वृद्धि होती है। धन की वर्तमान उपलब्धता को देखते हुए और अत्यधिक थ्रो फारवर्ड के कारण कई लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन पर टिके रहना संभव नहीं है।

(घ) चालू परियोजनाओं के शीघ्रता से कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) आंतरिक सृजन, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन, राज्य सरकारों और लाभार्थियों द्वारा सहभागिता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन से धन की व्यवस्था के कारण विगत कुछ वर्षों में परियोजनाओं के लिए धन की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार आया है।

(ii) निविदा प्रबंधन में कुशलता लाने के लिए निविदा शर्तों को आशोधित किया गया है।

(iii) शक्तियों का प्रत्यायोजन करके फील्ड यूनिटों का सशक्तिकरण किया गया है।

(iv) राज्य सरकार के साथ सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय स्तर तक पर्यावरणीय संबंधित मुद्दों पर भी बातचीत की गई है।

(v) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करें और लंबित मुद्दों को हल करें।

विवरण

क्रम संख्या	रेलवे	बजट में शामिल किए जाने का वर्ष	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी. में.)	लागत 08–09	वास्तविक व्यय मार्च 08	पूर्व/संशोधित निश्चित किए गए लक्ष्य	टिप्पणियां एवं देरी के कारण
					करोड़ रु. में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नई लाइनें								
1.	मरे	2000–01	पुनतांबा–शिर्डी	17.8	79.77	55.48	2007–08/ 2008–09	भूमि अधिग्रहण न होने के कारण देरी। ठेकेदारों की विफलताओं और राज्य सरकार द्वारा रायल्टी प्रभारों में वृद्धि के कारण भी देरी हुई। कार्य समाप्त हो गया है।
2.	पूतरे	1996–97	हरिदासपुर–पाराद्वीप	82	735.1	98.28	2008–09/ 2011–12	जहां पर्याप्त मुआवजा न मिलने के कारण भूमि को अधिग्रहीत किया गया है वहां भूमि अधिग्रहण और स्थानीय प्रतिरोध के कारण देरी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	पूमरे	1997–98	आरा–सासाराम	98	241.6	182.72	2007–08/ 2008–09	सासाराम–पीरो का कार्य समाप्त। संविदाओं, भूमि अधिग्रहण और प्रतिकूल कानून एवं व्यवस्था के कारण देरी।
4.	पूमरे	1998–99	कोडरमा–रांची	202	1099.2	363.37	2008–09/ 2011–12	भूमि अधिग्रहण और वन संबंधी अनुमति में देरी। एमसीसी गतिविधियों के कारण विपरीत कानून व्यवस्था। ठेकेदारों की विफलता।
5.	पूमरे	2001–02	कोडरमा–तिलैया	65	418.17	33.03	2008–09/ 2011–12	भूमि अधिग्रहण और वन संबंधी अनुमति में देरी जो अभी भी प्रतीक्षित है।
6.	पूमरे	1997–98	मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी	64.5	232.15	134.89	2006–07/ 2010–11	भूमि अधिग्रहण में देरी। अत्यधिक बाढ़, ठेकेदारों, और बाढ़ के कारण कार्य के स्वरूप में परिवर्तन के कारण देरी। धन का अभाव।
7.	पूरे	1998–99	देवघर–दुमका	72.25	340.54	195.11	2008–09/ 2009–10	वन संबंधी अनुमति के कारण और राज्य सरकार द्वारा बिजली के तारों को हटाने में देरी के कारण देरी।
8.	उमरे	1997–98	गुना–इटावा	344	540	393.59	2008–09/ 2010–11	गुना–भिंड पर कार्ग समाप्त हो गया है और यातायात चालू हो गया। जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण जिसके लिए उच्चतम न्यायालय में संशोधन याचिका दायर की गयी के कारण भिंड–इटावा में देरी। इस्पात के मूल्यों में असामान्य वृद्धि के कारण निविदाओं को निरस्त किया गया।
9.	पूसीरे	1996–97	कुमारघाट–अगरतला	109	879.99	813.02	2006–07/ 2008–09	सुरंग संबंधी कार्यों की धीमी प्रगति। लाइन को पहले ही पूरा किया जा चुका है।
10.	दमरे	2006–07	जग्गयापेट–मल्लाचेरुव	19.1	65.96	6.16	2007–08/ 2009–10	लाभार्थियों के सुझावानुसार संरेखण में परिवर्तन में देरी और भूमि अधिग्रहण में देरी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	दपरे	1995–96	हरपन्नहल्ली होकर कोट्टूर–हरिहर	65	206.81	82.83	2008–09/ 2009–10	भूमि अधिग्रहण और निविदाओं को निरस्त करने के कारण देरी
आमान परिवर्तन								
1.	मरे	1993–94	मिराज–लातूर	374	706.77	433.58	2008–09/ 2009–10	लातूर–खुर्दुवाडी–पंढारपुर पर कार्य समाप्त और यातायात चालू हो गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, धन की कमी और ठेकेदारों की विफलताओं के कारण देरी।
2.	पूतरे	1997–98	नौपाडा–गुनुपुर	90	112.02	116.51	2008–09/ 2009–10	2008–09 के दौरान 45 किमी. कार्य समाप्त किया जायेगा, उग्रवादी गतिविधियों के कारण कार्य की धीमी प्रगति/संसाधनों की तंगी
3.	पूमरे	1997–98	जयनगर–दरभंगा–नरकटियागंज	268	393.55	241	2008–09/ 2009–10	जयनगर–दरभंगा–सीतामढ़ी पर यातायात चालू हो गया। निविदाओं को अंतिम रूप देने, कार्य की धीमी प्रगति और बाढ़ के कारण देरी। धन की कमी।
4.	पूमरे	1996–97	मानसी–सहरसा–एवं सहरसा–दौराम मधेपुरा–पूर्णिया	142	257.01	146.6	2008–09/ 2009–10	मानसी–सहरसा पर यातायात चालू हो गया है। बाढ़ के कारण प्रभावित।
5.	पूर्वोत्तर	2003–04	आंड़िहार–जौनपुर	50.6	102.13	24.19	2008–09/ 2009–10	भारी और लंबी अवधि तक वर्षा के कारण कार्य बुरी तरह प्रभावित। ठेकेदारों का धीमा कार्य।
6.	पूसीरे	1997–98	न्यू जलपाईगुड़ी–सिलिगुड़ी–न्यु बोंगाई गांव–शाखा लाइनें	419.48	960.48	855.24	2008–09/ 2009–10	न्यू जलपाईगुड़ी–न्यू बोंगाई गांव और अलीपुरद्वार–बामनहाट पर यातायात चालू हो गया। केवल फकीरग्राम–ढुबरी शेष है। विपरीत कानून एवं व्यवस्था की स्थितियों के कारण धीमी प्रगति के कारण देरी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	पूसीरे	1996–97	लम्डिंग–सिल्चर–जीरीबाम और बदरपुर–कुमारघाट	367	1676	1180	मार्च 09/ मार्च 2012	उग्रवादी गतिविधियों और फिरौती की धमकियों के कारण परियोजना की प्रगति बुरी तरह प्रभावित हुई। सुरंगों और पुलियों संबंधी कार्य अत्यधिक संख्या में है जहां संसाधन वाले ठेकेदार सीमित है।
8.	उपरे	2005–06	अजमेर–फुलेरा–रिंगस–रेवाड़ी	294.97	718.27	413.54	2008–09/ 2009/10	ठेकेदारों द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण देरी।
9.	उपरे	1991–92	भिलड़ी–समदरी (वीरमगाम–जोधपुर)	223	479	207.05	मार्च 08/ दिसम्बर 09	निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी और धीमी प्रगति के कारण देरी। कतिपय भागों मे भूमि अधिग्रहण में देरी हुई जहां प्रगति शून्य है।
10.	उपरे	1997–98	श्रीगंगानगर–सरूपसर	116	168.8	7.21	2008–09/ 2009–10	धीमी प्रगति और स्लीपरों की कमी।
11.	दमरे	1997–98	धर्मावरम–पाकला	227	294.99	165.52	2008–09/ 2009–10	पाकला–मदनपल्ली (82 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया। कार्य की धीमी प्रगति और पीएससी स्लीपरों की उपलब्धता में देरी के कारण विलम्ब।
12.	दरे	1998–99	तंजावुर–विल्लुपुरम	192	356.88	369.39	2007–08/ जून, 09	तंजावुर–मयलादुतरै–सरकाजी का कार्य समाप्त। नवंबर–दिसंबर, 2008 के दौरान भारी वर्षा के कारण और काफी अधिक पुलों के शामिल होने के कारण कार्य में रुकावट
13.	दरे	2000–01	विल्लुपुरम–काटपादी	161	276.94	196	2008–09/ 2009–10	काटपाड़ी–वेल्लोर (10 किमी.) पर कार्य समाप्त। ठेकेदारों द्वारा धीमा प्रदर्शन।
14.	दपरे	1992–93	शिमोगा–तलगुप्पा (बंगलौर–हुबली–बीरूर–शिमोगा)	630	679.41	469.96	2008–09/ 2009–10	धीमी प्रगति और स्लीपरों की कमी।
15.	परे	1994–95	राजकोट–वेरावल, वेरावल से सोमनाथ तक नई लाईन सहित वंसजलिया से जेतलसर तक	281	377.79	297.4	2008–09/ 2009–10	राजकोट–वेरावल–सोमनाथ पर कार्य पूरा हो गया और यातायात चालू हो गया। वंसजलिया–जेतलसर पर स्लीपरों के प्रबंध में देरी के कारण निम्न प्राथमिकता।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दोहरीकरण								
1.	पूतरे	1999–2000	रजतगढ़–बरंग	29.32	240	125.39	2008–09/ 2009–10	ठेकेदारों के निम्न प्रदर्शन और पुनर्वासन और भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं के कारण देरी।
2.	पूतरे	2003–04	खुर्दा–बरंग तीसरी लाइन	32	207	67.97	2008–09/ 2009–10	ठेकेदारों के निम्न पुनर्वासन और भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं के कारण देरी।
3.	पूतरे	2002–03	संबलपुर–रेंगाली	22.7	81.31	70.07	2007–08/ 2008–09	भूमि संबंधी और पुल संबंधी निविदाओं को रद्द किया गया। स्थानीय जनता में प्रतिरोध।
4.	पूमरे	2005–06	बेगूसराय–खगड़िया	40.23	105.57	27.73	2008–09/ 2009–10	ठेकेदारों की विफलताओं के कारण देरी
5.	पूमरे	2005–06	कुरसेला–सेमपुर	27.78	55.2	27.42	2007–08/ 2009–10	बाढ़ के कारण धीमी प्रगति के कारण देरी
6.	पूमरे	2005–06	थानाबिहपुर–कुरसेला	34.2	45	32.88	2007–08/ 2008–09	बाढ़ के कारण धीमी प्रगति के कारण देरी
7.	पूरे	2000–01	विद्युतीकरण सहित बारासात–हसनाबाद का दोहरीकरण चरण–1 (बारासात–सौंदलिया)	12.12	23.65	9.77	2008–09/ 2008–09	भूमि अधिग्रहण जिसे अभी होना है, के कारण देरी। ठेके की विफलताओं और असामान्य भारी वर्षा के कारण देरी।
8.	पूरे	2003–04	बरहरवा–तीनपहाड़	16.49	41.13	21.44	2007–08/ 2008–09	बहरवा–बाखुदी (7.72 किमी.) पर कार्य समाप्त। पेड़ों की कटाई, भूमि मालिकों के साथ भूमि विवाद, केबलों और खंभों में अंतरण में देरी और ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति के कारण देरी।
9.	पूरे	2000–01	बरूईपुर–लक्ष्मीकांतपुर चरण–। (बरूईपुर–दक्षिणी बारासात)	17	31.82	29.06	2007–08/ 2008–09	बरूईपुर–धनपहाड़ी (7 किमी.) पर कार्य समाप्त हो गया है। केटेनरी और कान्टेक्ट वॉयर की अनुपलब्धता के कारण देरी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	पूरे	2000–01	हबरा–चांदपाड़ा	22.25	40.88	35.77	2008–09/ 2009–10	हबरा–मछलंदपुर (9.2) पर यातायात चालू हो गया है। असामान्य भारी वर्षा और सीमेंट एवं इस्पात के दामों में वृद्धि के कारण परियोजना में देरी।
11.	पूरे	2000–01	तारकेश्वर–शेराफुल्ली चरण–I (शेराफुल्ली नलीकुल)	17.76	48.79	66.41	2007–08/ 2009–10	शेराफुल–सिंगुर (11.5 किमी.) पर यातायात चालू हो गया है। सिंगुर में भूमि अधिग्रहण से संबंधित जनआंदोलन और भारी वर्षा के कारण देरी।
12.	उमरे	2005–06	भीमसेन–जुही	13.82	22.3	25.32	2007–08/ 2008–09	अक्तूबर, 2008 में कार्य समाप्त। धीमी प्रगति के कारण देरी।
13.	उमरे	2005–06	पलवल–भूतेश्वर तीसरी लाइन	81	330	56.86	2008–09/ 2009–10	धीमी प्रगति के कारण देरी।
14.	पूर्वोत्तर	2005–06	बभनान–मंकापुर कहीं–कहीं दोहरीकरण	30.15	71.46	98.72	2007–08/ 2008–09	पेड़ों के काटने में देरी और बड़े पुल संबंधी कार्य के पूरा होने तक कारण कार्य प्रभावित हुआ।
15.	पूर्वोत्तर	2005–06	एकमा–जीरादेई कहीं–कहीं दोहरीकरण	43.6	89.83	83.88	2007–08/ 2008–09	एकमा–पचरूखी–सीवान पर यातायात चालू हो गया है। सीवान–जीरादेई के शेष खंड पर कार्य अग्रिम चरण में है। क्षेत्र में असामान्य वर्षा के कारण ब्लैंकेटिंग में देरी हुई।
16.	पूर्वोत्तर	2006–07	घाघराघाट–चौकाघाट	5.63	91.56	6.15	2007–08/ 2009–10	गर्डरों के मुख्य कार्य की निविदा के कारण कार्य में देरी हुई जिसे पुनः आमंत्रित किया जा रहा है।
17.	पूर्वोत्तर	2006–07	गोरखपुर–बेतालपुर	37.93	89.18	38.97	2007–08/ 2009–10	गोरखपुर–कुशंबी (10 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा पेड़ काटने में देरी और भारी वर्षा के कारण देरी हुई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	पूर्वोत्तर	1997–98	गोरखपुर–सहजनवां	17.3	88.62	58.08	2007–08/ 2009–10	गोरखपुर–डोमिन (6 किमी.) पर यातायात चालू हो गया है। गोरखपुर–दोमीनगढ़ को रोकने/चालू करने के कारण देरी। गर्डरों को डालने में अत्यधिक समय लग रहा है। इस्पात के मूल्य में असामान्य वृद्धि और मानक इस्पात की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रभावित हुआ।
19.	उरे	2000–01	अमरोहा–कंकाठेर	31	90.4	72.8	2007–08/ 2008–09	धीमी प्रगति के कारण देरी।
20.	उरे	1997–98	जालंधर–पठानकोट–जम्मूतवी	203	707.04	610.02	2007–08/ 09–10	143 किमी. पर यातायात चालू हो गया। ठेकेदारों की विफलता और माननीय जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के कारण देरी। इसे खाली करा लिया गया है और निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।
21.	उरे	1998–99	नई दिल्ली–तिलक ब्रिज पांचवीं और छठी लाइन	2.65	53.14	37.07	2004–05/ 2009–10	चालू रेल लाइनों और सड़क यातायात के कारण की गई अपेक्षित सावधानियों के कारण धीमी प्रगति
22.	उरे	2003–04	साहिबाबाद–आनंद विहार–तीसरी एवं चौथी लाइन	4	49.57	10	2007–08/ 2008–09	ठेके को देर से सौंपने और धीमी प्रगति के कारण देरी
23.	उपरे	2003–06	जयपुर–दोसा	61.28	148.38	12.69	2008–09/ 2009–10	स्लीपरों की आपूर्ति में देरी
24.	उपरे	2004–05	जयपुर–फुलेरा	54.75	94.91	72.71	2007–08/ 2008–09	अक्तूबर, 08 में कार्य पूरा हो गया और यातायात चालू हो गया है। विलम्ब इस कारण हुआ कि फुलेरा में मी.ला. शेड के पृथक्कीकरण को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे इस पूरे कार्य को स्थगित करना चाहती थी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	दपूमरे	1997–98	बिलासपुर–उरकुरा	105	273	177.08	2008–09/ 2009–10	एडीबी के निर्देशानुसार निविदा को अंतिम रूप देने में देरी और संसाधनों की कमी के कारण देरी। कार्य में व्यस्त विद्युतीकृत मार्ग में प्रमुख वार्ड कार्य शामिल है जिससे समय लग रहा है।
26.	दपूरे	2000–01	टिकियापाड़ा–संतरागाछी चौथी लाइन	5.6	47	16.4	2006–07/ 2009–10	ठेकेदारों की विफलताओं और संवेदनशील, धार्मिक इमारतों सहित बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को हटाने के कारण देरी हुई।
27.	दपूरे	1999–2000	अट्टीपट्टू–कोरूक्कुपेट्टी	18	71	65.43	2006–07/ 2009–10	दलदली भूमि होने के कारण कार्य को अअमासं की सिफारिशों के अनुसार कार्य होने के कारण देरी
28.	दरे	2003–04	चेप्पड–कायनकुलम	7.76	37.48	18.18	2007–08/ 2008–09	केरल राजस्व विभाग द्वारा भूमि खनन कार्यों को बार–बार रोकने, भूमि अधिग्रहण और निविदाओं का उत्साहजनक उत्तर न मिलने के कारण कार्य बार–बार प्रभावित हुआ।
29.	दरे	2001–02	एर्णाकुलम–मुलंतुरूत्ती	17.37	85.24	61.46	2006–07/ 2008–09	कार्य समाप्त होने वाला है। भूमि के सौंपने और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पाइप लाइन को हटाने के कारण देरी।
30.	दरे	2003–04	मवेलीकारा–चेंगन्नुर	12.3	80.25	38.86	2007–08/ 2008–09	भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण परियोजना में देरी। राज्य राजस्व विभाग द्वारा भूमि खनन कार्यों को बार–बार रोकने के कारण कार्य प्रभावित हुआ। भारी वर्षा के कारण प्रगति प्रभावित हुई।
31.	दरे	1998–99	तिरूवल्लुर–अरक्कोणम तीसरी लाइन	41.89	124	117.8	2007–08/ 2008–09	भूमि अधिग्रहण में देरी, लम्बी अवधि तक एवं भारी वर्षा, ओपीसी सीमेंट और पुर्नबलित इस्पात के बढ़े हुए असामान्य दाम एवं अनुपलब्धता और प्रतिकूल कानून व्यवस्था के कारण प्रगति प्रभावित हुई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	दरे	2003–04	मवेलीकारा–कायनकुलम	7.89	37.22	19.87	2006–07/ 2008–09	भूमि अधिग्रहण के कारण देरी और कुछ भाग को हाल ही में सौंपा गया है।
महानगर परिवहन परियोजना								
1.	मध्य रे	1996–97	बेलापुर–सीवुड–उरन–विद्युतीकृत दोहरी लाइन	27	495.44	103.88	2001–02/ निर्धारित नहीं	यह महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय की एक संयुक्त परियोजना है जिसका निष्पादन राज्य सरकार की ओर से सिडको द्वारा किया जा रहा है। कार्य की धीमी प्रगति का एक कारण राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में निधि मुहैया न कराना है, राज्य सरकार इसके संरेखण में बदलाव के विषय पर विचार कर रही है, बहरहाल, इस कार्य को राज्य सरकार द्वारा इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक रोक दिया गया है।
2.	पूरे	1999–00	टोलीगंज से गरिया तक के लिए एमआरटीएस के डिजाइन और निर्माण कार्य का विस्तार	8.5	1032.76	750.52	2008–09/ 09–10	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्यों की धीमी प्रगति का कारण है।
रेलवे विद्युतीकरण								
1.	उरे	1992–93	अंबाला–मुरादाबाद (274 किमी)	274	256.37	256.63	मार्च 08/ जून 09	सहारनपुर–मुरादाबाद खंड के कार्य को प्रारंभ में परिचालनिक कारणों से रोक दिया गया था और नवंबर 1998 में इन पर से रोक हटा दी गई। तत्पश्चात इनका निष्पादन फिर से शुरू किया गया। अंबाला–सहारनपुर–अगवानपुर (259 मार्ग किमी.) के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। अगवनपुर–मुरादाबाद (15 मार्ग किमी.) के विद्युतीकरण के कार्य को मुरादाबाद यार्ड की संरचना में परिवर्तन के पश्चात मार्च, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	दमरे	1991–92	रेणिगुंटा–गुंतकल (308 किमी.)	308	182.55	57.02	मार्च, 09/ मार्च 10	इस कार्य को प्रारंभ में परिचालनिक कारणों से रोक दिया गया था और फिर नवंबर, 98 में इसको फिर से शुरू किया गया। रेणिगुंटा–नंदलूर खंड पर कार्य पूरा हो गया है और नंदलूर–गुंतकल खंड (222 मार्ग किमी.) के कार्य का रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है। नंदलूर–गुंतकल खंड (132 मार्ग कि.मी. के आंशिक दोहरीकरण सहित) के कार्य को मार्च 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	दपूरे/ पूतरे	1996–97	खड़गपुर/ नीमपूरा– भुवनेश्वर, तलचर–कटक– पारादीप सहित	540	406.51	406.24	मार्च, 08/ दिसंबर, 08 (पूरा हो गया है)	खड़गपुर–भुवनेश्वर मुख्य लाइन एवं तलचर–रजतगढ़–बारंग का कार्य नवम्बर, 2005 में पूरा हो गया है, कटक–पारादीप के विद्युतीकरण के कार्य को सिगनल प्रणाली के आशोधन और खंड के दोहरीकरण के कारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। कटक–पारादीप का 2007–08 में विद्युतीकरण किया गया और जुलाई, 2008 में रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही स्वीकृत मूल कार्य को शत–प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। इसके बाद, जाखपुरा–दैतारी (34 मार्ग कि.मी.) को मूल परियोजना में महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया। जाखपुरा–तोमका (24 मार्ग किमी.) के कार्य को जुलाई, 2008 में 7.45 मीटर ऊंचे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								शिरोपरि उपस्कर सहित जो विश्व में कहीं भी स्थापित सबसे अधिक ऊंचाई वाला शिरोपरि उपस्कर है, शुरू किया गया। यह विद्युतीकृत खंडों पर विद्युत रेल इंजनों के साथ डबल स्टोर कंटेनरों के परिचालन में सहायक होगा। दुमका-दैतारी को अगस्त, 2008 में आरंभ किया गया है, अतः इसे दिसम्बर, 08 से पहले पूरा कर लिया गया।
4.	दरे	2000-01	एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम	320	255.54	191.75	मुख्य लाइन दिसंबर, 06 में पूरी हो गई है। अन्य टारगेट त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी-सितम्बर, 09 त्रिचूर-गुरुवायूर-मार्च, 09	इस कार्य को मूलतः एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम खंड हेतु स्वीकृत किया गया था और इसे दिसम्बर, 2006 में पूरा कर लिया गया था। त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी और त्रिचूर-गुरुवायूर के विद्युतीकरण सहित अन्य कार्यों को महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में फरवरी, 2007 में स्वीकृति दी गई और इसके सितम्बर, 2009 तक पूरा होने की संभावना है। 320 मार्ग कि.मी. का मूल स्वीकृत कार्य पूरा हो गया है। 109 मार्ग कि.मी. के कार्य को महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया और इसका कार्य प्रगति पर है। त्रिचूर-गुरूवायूर का 25 किलो वाट से विद्युतीकरण कर दिया गया है।
5.	दपरे	2004-05	बेंगलोर-चेन्नासन्द्रा लूप-बरास्ता यशवंतपुर और येलहंका-बैयाप्पनहल्ली लूप बरास्ता हीब्बल	46	28.3	26.23	मार्च 08/ जून 09	बेंगलोर लूप हेतु सर्वोपरि उपस्कर लगाने का ठेका दिनांक 9.3.2006 को मै. ईसीई को दिया गया था: मैसर्स ईसीई द्वारा कार्य की धीमी प्रगति से निष्पादन के कारण इस ठेके को रद्द कर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								दिया गया था और शेष कार्य के भाग को रेलवे द्वारा किया जा रहा है और शेष कार्य हेतु जोखिम एवं लागत निविदा प्रारंभ की गई है। खंड-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:- (i) चेन्नासन्द्रा-येलहंका : खंड को शुरू कर दिया गया है। (ii) बांसावाड़ी-यशवंतपुर: खंड को शुरू कर दिया गया है। (iii) बेंगलोर-यशवंतपुर, यशवंतपुर-येलहंका, यशवंतपुर-चिक्नापुर : रे.वि.के. सं. द्वारा पुनः निविदा निकाली गई है, निविदाएं 14.01.09 को खोली गई। निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
6.	दमरे	2005-06	करेपल्ली-भद्राचलम-मनुगुरू	88	57.54	40.43	मार्च 08/ फरवरी 09	खंड का विद्युतीकरण कर दिया गया है।
7.	पूर्व रे	2005-06	अंदाल-पंडेश्वर	20	41.16	23.45	मार्च 08/ मार्च 09	विद्युत संबंधी कार्य हो गए हैं और खंड का 2.2 किलोवाट द्वारा विद्युतीकरण 29.08.08 को किया गया। पूर्व रेलवे को अभ्यर्पित सिगनल संबंधी कार्य प्रगति पर है। संशोधित लक्ष्य मार्च 2009 ।

टिप्पणी : उपरोक्त सूची में परियोजनाओं शामिल नहीं है जिनके लिए आंशिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इन परियोजनाओं का पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर समेकित सुरक्षा योजना

***152. श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे चुनिन्दा रेलवे स्टेशनों के लिए एक समेकित सुरक्षा योजना तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ङ) संवदेनशील स्टेशनों पर अचूक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए रेलवे द्वारा किये गये अन्य उपाय क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय ने चार महानगरों अर्थात चेन्नै, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के रेलवे स्टेशनों

पर (बूट मॉडल के अंतर्गत) और भारतीय रेल के 140 अन्य भेद्य/संवेदनशील स्टेशनों पर (सीधी खरीद मॉडल के अंतर्गत) एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली की संस्थापना को अनुमोदित किया है। इस प्रणाली में निम्नलिखित चार प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं –

1. इंटरनेट प्रोटोकोल आधारित सीसीटीवी प्रणाली
2. पहुंच नियंत्रण
3. व्यक्ति और सामान जांच प्रणाली
4. विस्फोटक जांच एवं निपटान प्रणाली

इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय रेल के महाप्रबंधकों को उपस्कर के दिशानिर्देश एवं तकनीकी विशिष्टियां जारी कर दी गई हैं।

अभी तक, 2009–10 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए 11 क्षेत्रीय रेलों से 84 रेलवे स्टेशनों पर इस प्रणाली के संस्थापन हेतु 391 करोड़ रुपये (लगभग) की अनुमानित लागत वाले प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो संबंधित महाप्रबंधकों द्वारा अनुमोदित हैं।

(घ) सीधी खरीद मॉडल के अंतर्गत एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित स्टेशनों का चयन किया गया है :–

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	रेलवे स्टेशन का नाम
1	2	3
1.	मध्य	पुणे, नागपुर, नासिक रोड, भुसावल, मनमाड़, अकोला, ज़लगांव, चालीसगांव, बडनेरा, मुर्तिजापुर, मिरज
2.	पूर्व	मालदा, टाउन, आसनसोल, बर्धमान, बारासात, सोनारपुर, दुर्गापुर
3.	पूर्व मध्य	पटना, धनबाद, मुगलसराय, राजेन्द्र नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, गया, बकराखाना, डाल्टनगंज, दरभंगा, दानापुर, नरकटियागंज
4.	पूर्व तट	भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, पुरी, कटक
5.	उत्तर	जम्मू तवी, लुधियाना, अम्बाला कैंट, उधमपुर, जालंधर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, सहारनपुर, हरिद्वार, अमृतसर, श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग, पटियाला, भटिंडा, कालका, चंडीगढ़, अयोध्या, मुरादाबाद, बरेली, चक्कीबैंक, बृजबेहड़ा, पानिजगाम, अवंतीपुरा, काकापोर, पम्पौर, राजवंशार
6.	पूर्वोत्तर	लखनऊ जं., छपरा, गोरखपुर
7.	उत्तर मध्य	इलाहाबाद, कानपुर सेंट्रल, मथुरा, आगरा कैंट, झांसी, अलीगढ़, खुर्जा, आगरा किला, ग्वालियर
8.	पूर्वोत्तर सीमा	गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, दीमापुर, लमडिंग, सिलीगुड़ी, डिब्रूगढ़, न्यू तिनसुकिया, कोकराझार, मरियानी, सिमलगुड़ी, जोरहाट टाउन, फरकटिंग, डिफू, मायबोंग, किशनगंज, कटिहार
9.	उत्तर पश्चिम	जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
10.	दक्षिण	कोयम्बतूर, त्रिवेन्द्रम, एर्णाकुलम, मदुरै, तिरुचिरापल्लि, कोजिकोडे (कालीकट), मंगलौर
11.	दक्षिण पूर्व	खड़गपुर, टाटानगर, रांची, मिदनापुर, राउरकेला, चक्रधरपुर, झारसुगुडा, आद्रा, पुरुलिया, मूरी, बोकारो
12.	दक्षिण पूर्व मध्य	रायपुर, बिलासपुर, गोंदिया
13.	दक्षिण मध्य	सिकंदराबाद, हैदराबाद, तिरूपति, विजयवाड़ा, काजीपेट
14.	दक्षिण पश्चिम	बेंगलूरु सिटी, मैसूर, यशवंतपुर, धर्मावरम
15.	पश्चिम	साबरमती, द्वारका, वड़ोदरा, गोधरा, सूरत, उज्जैन, अहमदाबाद
16.	पश्चिम मध्य	भोपाल, इटारसी, जबलपुर, बीना, कोटा

निर्माण, परिचालन, स्वामित्व, हस्तांतरण (बूट) मॉडल के अंतर्गत एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित स्टेशनों का चयन किया गया है :

क्र.सं.	शहर	रेलवे	रेलवे स्टेशन का नाम
1.	दिल्ली	उत्तर रेलवे	नई दिल्ली, दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली शाहदरा और दिल्ली के सभी उपनगरीय स्टेशन
2.	मुम्बई	पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे	मुंबई के मुख्य स्टेशनों सहित मध्य और पश्चिम रेलवे के मुंबई के सभी उपनगरीय स्टेशन
3.	कोलकाता	पूर्व रेलवे	मेट्रो रेलवे स्टेशन, दमदम, सियालदाह, हावड़ा, और कोलकाता के उपनगरीय स्टेशन
4.	चेन्नै	दक्षिण रेलवे	चेन्नै सेंट्रल, चेन्नै एग्मार और चेन्नै के उपनगरीय स्टेशन

(ङ) मानदंड समिति की सिफारिशों पर, रेल सुरक्षा बल (रेसुब) को सुदृढ़ बनाने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपस्कर की खरीद हेतु 60.76 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं। बल की सचलता में सुधार करने के लिए, रेसुब हेतु वाहनों की खरीद के लिए 14.26 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। एके-47 राइफलों, इनसास 5.56 राइफलों, पिस्टल ऑटो 9 मिमी ए1 आदि जैसे आधुनिक स्वचालित हथियारों से बल को सुसज्जित किया जा रहा है। इन उपायों से भेद्य रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा में सुधार होगा।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा निवेश में विसंगति

***153. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा उनके लिए गैर-सामरिक महत्व के क्षेत्रों में विविधीकरण करने और निजी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकारी धन की भारी राशि खर्च किए जाने पर प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा निवेश में किस प्रकार की विसंगतियां पायी गयी हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वार्षिक योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के दौरान, योजना आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह महसूस किया था कि ओवीएल और ओआईएल को छोड़कर जिनपर अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं के संबंध में व्यापकतः ध्यान केन्द्रित रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य सभी तेल कंपनियां अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, दोनों निवेश मांग रही हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय प्राथमिकताओं के अनुसार, दीर्घावधिक कार्पोरेट लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भी, अपनी निवेश योजनाएं तैयार करती हैं। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं लेती हैं और नवरत्न/लघुरत्न की प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत अपने निदेशक-मंडल द्वारा निवेश निर्णय लिए जाते हैं, तथापि सरकार उनकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नियमित आधार पर निगरानी रखती है।

पर्यटन को बढ़ावा

***154. श्री नवीन जिन्दल :** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों में भारत की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान शुरू किए गए प्रोत्साहन कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ किन-किन देशों का चयन किया गया है;

(ग) इन कार्यकलापों में किन नई बातों पर बल दिया जा रहा है; और

(घ) इस संबंध में पर्यटन अवसंरचना के विस्तार हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकर ने विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से, भारत की पर्यटन संभाव्यता और इसके विभिन्न पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए विदेश स्थित सभी महत्वपूर्ण एवं संभाव्य पर्यटक सृजक मार्केटों में संवर्धनात्मक कार्यकलापों की एक श्रृंखला चलाई है। इन संवर्धनात्मक कार्यकलापों में विज्ञापन, यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, सेमिनार आयोजित करना, इंडिया ईवनिंग एवं रोड शोज, भारतीय भोजन एवं सांस्कृतिक उत्सवों को आयोजित करना एवं समर्थन करना, विवरणिकाओं का प्रकाशन, संयुक्त विज्ञापन

और विवरणिका समर्थन ऑफर करना एवं मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश का दौरा करने हेतु मीडिया कार्मिकों, टूअर ऑपरेटरों, और मत निर्माताओं को आमंत्रित करना, शामिल हैं। संस्कृति, हैरिटेज, साहसिक, वन्यजीव, वेलनेस आदि सहित, देश के पर्यटक आकर्षणों को उजागर करने के लिए प्रिंट, ऑनलाइन, इलेक्ट्रानिक एवं बाह्य मीडिया में मीडिया अभियानों की शुरूआत की गई है।

इनके अतिरिक्त, अप्रैल से दिसम्बर 2009 की अवधि के दौरान, भारत के लिए यात्रा के प्रोत्साहन हेतु, एयरलाइन्स, होटलों, टूअर ऑपरेटरों, राज्य सरकारों सहित, सभी स्टेकहोल्डरों के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा "भारत भ्रमण 2009" योजना की घोषणा की गई है। योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए स्रोत मार्केटों में संवर्धनात्मक एवं मार्केटिंग कार्यकलाप पहले ही चलाए गए हैं।

(घ) पर्यटन अवसंरचना के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन मंत्रालय के पर्यटन के विकास और संवर्धन एवं पर्यटन गंतव्यों और परिपथों में पर्यटक अवसंरचना के उन्नयन हेतु निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर, पारस्परिक प्राथमिकता तथा धनराशि की उपलब्धता की शर्त पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है :–

(i) गंतव्यों और परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास

(ii) वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता

(iii) कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी

(iv) मेले, उत्सव और कार्यक्रम

(v) ग्रामीण पर्यटन–अवसंरचना और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण

लघु और मध्यम स्पंज आयरन इकाइयों में घाटा

***155. श्री एल. राजगोपाल :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान देश में स्पंज आयरन की कीमतों में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में लघु और मध्यम स्पंज आयरन इकाइयां भारी घाटे में चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन इकाइयों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) स्पंज लोहे की माह–वार खुदरा बाजार कीमतें संलग्न विवरण में दी गई हैं। फरवरी, 2009 में स्पंज लोहे की कीमत फरवरी, 2008 की कीमत से 10.81 प्रतिशत कम है।

(ग) और (घ) वैश्विक–आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप स्पंज लोहा सैक्टर सहित घरेलू इस्पात उद्योग में मंदी आई है। स्पंज आयरन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसआईएमए) के अनुसार अक्तूबर, 2008 से स्पंज लोहे की मांग में कमी आने के कारण स्पंज लोहा इकाइयों को परेशानी हो रही है।

(ङ) वैश्विक वित्तीय मंदी से पैदा हुई स्थिति पर काबू पाने के लिए स्पंज लोहा सैक्टर सहित इस्पात उद्योग की मदद करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(i) इस्पात मदों पर निर्यात शुल्क दिनांक 31.10.2008 से समाप्त कर दिया गया है।

(ii) इस्पात मदों पर डीईपीबी दिनांक 14.11.2008 से बहाल कर दी गई है।

(iii) लोहा और गैर–मिश्र इस्पात मदों पर दिनांक 18.11.2008 से 5 प्रतिशत आयात शुल्क पुनः लगा दिया गया है।

(iv) हॉट–रोल्ड क्वॉयल दिनांक 21.11.2008 से आयात की प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(v) दिनांक 7.12.2008 से इस्पात मदों पर उत्पाद शुल्क (सैनवैट) 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

(vi) टीएमटी बार्स तथा स्ट्रक्चरल्स पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) दिनांक 2.1.2009 से पुनः लागू की गई है।

(vii) दिनांक 24.2.2009 को इस्पात मदों पर उत्पाद शुल्क (सैनवैट) में और कमी करके 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	माह	कीमत (रुपए/टन)
1	2	3
1.	जनवरी, 2008	18500
2.	फरवरी, 2008	18900
3.	मार्च, 2008	26300
4.	अप्रैल, 2008	25900

1	2	3
5.	मई, 2008	24000
6.	जून, 2008	28247
7.	जुलाई, 2008	28247
8.	अगस्त, 2008	31471
9.	सितम्बर, 2008	25500
10.	अक्टूबर, 2008	24400
11.	नवम्बर, 2008	15700
12.	दिसंबर, 2008	16700
13.	जनवरी, 2009	17107
14.	फरवरी, 2009	16500

(मुम्बई बाजार में खुदरा कीमतें)

एच.एम.टी. लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार पैकेज

***156. श्री निखिल कुमार :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की अधिकांश इकाइयां घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घाटे में चल रही है इकाइयों के लिए कोई व्यापक पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) एचएमटी समूह की पांच कंपनियां हानि उठा रही है और एक कंपनी, एचएमटी इंटरनेशनल लि. लाभ अर्जित कर रही है। हानि उठा रही कंपनियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

एचएमटी समूह की कपंनियों के संबंध में वर्ष 2007–08 में निष्पादन/हानि के ब्यौरे

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	कंपनी/सहायक कंपनी	उत्पादन	बिक्री	करपूर्व लाभ
1.	एचएमटी लिमिटेड	177.72	168.38	–45.97
2.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड*	233.69	232.67	–39.93
3.	एचएमटी वाचेज लिमिटेड	18.99	17.61	–146.80
4.	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड	2.00	1.67	–49.02
5.	एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड	13.55	13.09	–18.44

*प्रागा टूल्स लिमिटेड सहित

(ग) और (घ) सरकार द्वारा एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड और प्रागा टूल्स लिमिटेड (जिसे अब एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है) के संबंध में पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित कर दिया गया है। अभी पुनरुद्धार पैकेज कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर पर है। एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड के संबंध में लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिशों के अनुसार संभावित अधिग्रहण के लिए इसे जम्मू और कश्मीर सरकार को प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

वृद्धाश्रम

***157. श्री रामदास आठवले :**

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वृद्धाश्रमों के निर्माण/रखरखाव हेतु निर्धारित मानदण्ड/दिशानिर्देश क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में राज्य–वार कितने वृद्धाश्रम खोले गये हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक वृद्धाश्रम में रहने वाले व्यक्तियों की स्थान–वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन आश्रमों की स्थापना हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को कितनी धनराशि जारी की गयी;

(ङ) क्या इन आश्रमों को खोलने के लिए कोई नये प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार):

(क) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों के रख-रखाव हेतु वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, उपयुक्त गैर-सरकारी संगठनों को ग्राह्य आवर्ती लागत के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

11वीं योजना में, विपन्न वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान है। योजना के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) से (घ) उन वृद्धाश्रमों, जिनको वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित योजना के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों (2005-06, 2006-07 और 2007-08) के दौरान पहली बार सहायता प्रदान की गई थी, का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ङ) और (च) वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित योजना के अंतर्गत नए प्रस्तावों पर, राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाता है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित योजना (1.4.2008 से यथा संशोधित) के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान अनुशंसित वृद्धाश्रमों के लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

जिला

क्रम सं.	राज्य/जिला, जहां वृद्धाश्रमों के लिए विगत तीन वर्षों में पहली बार सहायता प्रदान की गई	अनुदान ग्राही गैर-सरकारी संगठन का नाम	(राशि लाख रुपए में) निम्न वर्षों के दौरान जारी सहायता			लाभार्थियों की संख्या जिन के लिए अनुदान स्वीकार किया गया
			2005-06	2006-07	2007-08	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
1.	पश्चिम गोदावरी	श्री सच्चिदानन्द वैंकटेश्वरा एवीडी, वरुद्धा, पश्चिम गोदावरी			2.13	25
2.	अदिलाबाद	सोशल एक्शन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सोसायटी, अदिलाबाद			1.11	25
असम						
3.	दारंग	धुला क्षेत्रीय शारीरिक विकलांग विकास संघ, जिला दारंग	0.00	1.30	2.85	25
4.	दारंग	नार्थ हीरापाड़ा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, दारंग जिला, असम	0.65		5.47	25
5.	गुवाहाटी	महिला मंडली, जिला गुवाहाटी	0.00	1.65	2.76	25
6.	गोलाघाट	प्रगति सामाजिक विकास संगठन	0.00	0.87	2.71	25
7.	करीमगंज	करीमगंज साफ्था बर्ना कल्याण संगठन, करीमगंज			1.11	25

1	2	3	4	5	6	7
बिहार						
8.	कैमूर	अठारहगांव कुशवाहा कल्याण परिषद, जिला कैमूर, बिहार	0.00		2.76	25
हरियाणा						
9.	भिवानी	अखिल भारतीय नवयुवक कला संगम, भिवानी, हरियाणा		1.34		25
10.	फरीदाबाद	विकलांगजन कल्याण संघ, फरीदाबाद हरियाणा	1.66		1.34	25
हिमाचल प्रदेश						
11.	लाहौल स्पीति	टैबो एंसीएन्ट मोनास्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलासफी, लाहौल स्पीति	2.03			25
12.		कंचन दुग्गल स्मारक वृद्धाश्रम विकलांगजन सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश		1.80		25
13.	मंडी	सुकेत वरिष्ठ नागरिक गृह (अंतर्राष्ट्रीय) ट्रस्ट, मंडी, हिमाचल प्रदेश	2,03			25
कर्नाटक						
14.	बेल्लारी	पूर्णिमा महिला मंडली	0.00	0.88		25
15.	शिमोगा	श्री कालीकंबा एसोसिएशन, चित्रदुर्ग, शिमोगा जिला		1.34	4.1	25
पंजाब						
16.	गुरदासपुर	ईशा, विकलांगजन कल्याण सोसाइटी, गुरदासपुर, पंजाब	1.74		3.42	25
17.	अमृतसर	अखिल भारतीय सिलाई–कढ़ाई केन्द्र सोसायटी, गुरदासपुर, पंजाब	1.11			25
18.	फरीदकोट	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, फरीदकोट			1.79	25
तमिलनाडु						
19.	वेल्लौर	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी	0.00	1.29		25
20.	नीलगिरि	सारस ट्रस्ट, ऊटी, नीलगिरि, तमिलनाडु	0.87	2.76	2.25	25

1	2	3	4	5	6	7
21.	रामनगर	ग्रामीण एवं शहरी महिला पुनर्जागरण कार्य सोसाइटी (एसआरयूडब्ल्यूआरए), रामनगर जिला			1.34	25
22.	चेन्नै	फातिमा ट्रस्ट, चेन्नै			1.11	25
महाराष्ट्र						
23.	बांद्रा	ओम हरि प्रमुदेश्य शिक्षण संस्थान	0.00	1.00		25
24.	धूले	श्री महिला बाल कल्याण एवं अपंग विकास मंडल, धूले	0.00	1.80	2.65	25
25.	देवपुर	लोक भगनी सेवा मंडल, देवपुर, महाराष्ट्र	1.97			25
26.	जलगांव	श्री कृष्णा महिला बाल कल्याण एवं पुनर्वासन विकास मंडल	2.03		2.6	25.
27.	नांदेड़	ग्रामीण जन सेवा शिक्षण संस्थान, नांदेड़			1.72	25
28.	अकोला	श्री छत्रपति शिवाजी एजूकेशन एंड अवेकनिंग वेलफेयर सोसायटी, अकोला			1.11	25
29.	भंडारा	कुसुमताई बहु–उद्देशीय विद्या प्रसारक मंडल, जंब, भंडारा			0.84	25
उड़ीसा						
30.	भद्रक	आचार्य इंटीग्रल एजूकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी	0.00	1.10		25
31.	भद्रक	प्रयास	0.00	1.34		25
32.	रायगाडा	शक्ति संगठन, जिला रायगाडा, उड़ीसा	1.34		6.11	25
33.	सुन्दरगढ़	स्वैच्छिक कार्य संघ, पुरी, उड़ीसा	0.88			25
34.	बालासोर	श्री मदन मोहन जेव प्रिती आश्रम, बालासोर, उड़ीसा	0.87			25
35.	जाजपुर	लक्ष्मीनरायण हरिजन एवं आदिवासी पिछड़ा वर्ग विकास सोसाइटी, जाजपुर, उड़ीसा (लक्ष्मीनरायण सेवा प्रतिष्ठान)	3.92		1.4	25
उत्तर प्रदेश						
36.	बिजनौर	प्रताप ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	0.00	0.88	2.66	25
37.	जे. पी. नगर	नवादा ग्रामोद्योग विकास समिति	0.00	0.88	2.41	25

1	2	3	4	5	6	7
38.	सोनभद्र	द्वाबा कल्याण समिति, ग्राम टेल्ला, पोस्ट टेल्ला, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	0.00	1.34	2.76	25
39.	सोनभद्र	परख, थारबिलार, पिंडी, करछना, इलाहाबाद, ग्राम एवं पोस्ट सालखन, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश	0.00	1.34		25
40.	लखनऊ	मानव एवं सेवा संस्थान, लखनऊ			0.82	25
पश्चिम बंगाल						
41.	कोलकाता	स्काटलेन पावर्टी इरिडीकेशन सेंटर, कोलकाता			0.79	25

विवरण-II

क्रम. सं.	राज्य	दिनांक 1.4.2008 से प्रभावी, संशोधित, वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित योजना के अनुसार, राज्य सरकारों से प्राप्त, वृद्धजनों के लंबित प्रस्तावों की संख्या
1.	असम	10
2.	मध्य प्रदेश	10
3.	महाराष्ट्र	06
4.	नागालैंड	06
5.	उड़ीसा	06
6.	राजस्थान	24
7.	तमिलनाडु	04
8.	उत्तराखंड	04
9.	पश्चिम बंगाल	01
	कुल	71

[अनुवाद]

ब्रांड वाले ईंधनों को बढ़ावा

***158. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर :**

श्री विजय कृष्ण :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियां केवल ब्रांड वाले ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापनों पर भारी खर्च कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यही कंपनियां तेल की बिक्री में भारी घाटा होने का दावा कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या देश के कतिपय हिस्सों में पेट्रोल पंपों द्वारा सामान्य पेट्रोल का भंडार न रखने तथा ग्राहकों को ब्रांड वाले ईंधन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) दोषी डीलरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र में तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) जन संचार माध्यमों में विज्ञापनों के जरिए जागरूकता उत्पन्न करने और ब्रांड वाले ईंधनों का संवर्धन करने के लिए खर्च करती रही हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005–06, 2006–07 और 2007–08 के दौरान, ओएमसीज द्वारा ब्रांड वाले ईंधनों का संवर्धन करने के लिए विज्ञापनों पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्रमशः 55.09 करोड़ रुपये, 82.77 करोड़ रुपये और 90.12 करोड़ रुपये था।

(ग) ओएमसीज ने अप्रैल से दिसंबर, 2008 अवधि के दौरान, 11,094 करोड़ रुपये की संयुक्त हानि घोषित की थी और उनकी वित्तीय

स्थिति लगातार कठिन बनी हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान चारों संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बढ़िया मिट्टी तेल और घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की बिक्री पर अल्प वसूलियों के 103,908 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(घ) ब्रांड वाला ईंधन कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन पर्याप्त रूप से कम करता है, इंजन का निष्पादन बढ़ाता है ओर ईंधन की बचत भी करता है। ब्रांड वाला ईंधन इंजन के इनटेक वाल्व पर होने वाले जमाव को पर्याप्त रूप से कम करता है जिससे रखरखाव का अपेक्षाकृत खर्च कम आता है और चलाने की बेहतर योग्यता और बेहतर पिक अप होता है और ब्रांड वाले ईंधन की बिक्री के लिए विज्ञापन देना, कारोबार बढ़ाने के लिए, कारोबार का सामान्य कार्यकलाप होता है।

(ङ) से (छ) ओएमसीज ने सामान्य पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं रोकी है और ईंधन का अधिक महंगा बढ़िया ब्रांड खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को मजबूर नहीं किया है। ओएमसीज ने यह भी रिपोर्ट दी है कि वे देश भर के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर हर समय साधारण और ब्रांड वाले किस्मों के पेट्रोल और डीजल, दोनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। ओएमसीज खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों को उनके मांग–पत्रों के अनुसार, साधारण और बढ़िया ब्रांड के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कर रही हैं। बढ़िया ईंधन की खरीद, साधारण पेट्रोल और डीजल तथा बढ़िया ईंधनों के बीच उपभोक्ता की पसंद के अनुसार होती है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मेगा पाइपलाइन परियोजना

*159. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने उत्तरी क्षेत्र में विपणन कार्य को बढ़ाने हेतु गुजरात के मुंद्रा से दिल्ली को जोड़ने वाली मेगा पाइपलाइन परियोजना शुरू करने की योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना के पूरा होने पर इस क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता में किस प्रकार सुधार आयेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ग) गुजरात में मुंद्रा को दिल्ली के पास बहादुरगढ़ से जोड़ने वाली उत्पाद पाइपलाइन परियोजना पहले ही चालू कर दी गई है और यह मई, 2007 से प्रचालन में है। मुंद्रा दिल्ली पाइपलाइन 1054 कि.मी. लंबी, 18"/16" व्यास की पाइपलाइन है जिस पर पालनपुर, अजमेर, जयपुर, रिवाड़ी और अंत में दिल्ली के पास अंतिम केन्द्र बहादुरगढ़ में टैपआफ स्थल हैं। इस पाइपलाइन को सामूहिक संवाहक (कामन कैरियर) की धारणा के तहत अन्य संभावी प्रयोक्ताओं के लिए 1.16 एमएमटीपीए की क्षमता सहित चरण–1 में 5.0 एमएमटीपीए ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना की अनुमोदित अंतिम लागत 1757 करोड़ रुपये है।

(घ) यह पाइपलाइन गुजरात (अंशतः) राजस्थान, हरियाणा राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इस क्षेत्र में रिफाइनरी बंद होने जैसी आकस्मिकताओं के मामले होने पर भी इन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति इस पाइपलाइन के जरिए सुनिश्चित की जाती है।

एयर इंडिया के लिए संशोधित उद्धार पैकेज

*160. **श्री वृज किशोर त्रिपाठी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के लिए एक संशोधित उद्धार पैकेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन परिस्थितियों में इस प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1231 करोड़ रुपये की इक्विटी इंडक्शन संबंधी प्रस्ताव तथा 2750 करोड़ रुपये का साधारण ऋण (सॉफ्ट लोन) मुहैया कराये जाने संबंधी प्रस्ताव भेजा है।

(ग) भारतीय एयरलाइन उद्योग समेत विश्व भर में एयरलाइन उद्योग अपने इतिहास के सबसे संकटपूर्ण समय से गुजर रहा है। जिन कारकों से इस उद्योग की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है वे इस प्रकार हैं :–

(i) ईंधन की कीमतों में अप्रैल, 2008 से सितम्बर, 2008 के दौरान बेतहाशा वृद्धि;

(ii) वैश्विक मंदी के कारण यातायात में गिरावट;

(iii) कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से आय तथा लाभप्रदता में गिरावट;

(iv) रुपया की तुलना में डॉलर की मूल्य वृद्धि;

(v) सभी बैंकों में तरलता (नकदी) की कमी की वजह से ऋण की लागतों में अत्यधिक वृद्धि;

(vi) नैसिल का विमानों की खरीद का सम्पूर्ण कार्यक्रम लगभग 44,000 करोड़ रुपए का है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एक बेहतर ऋण–इक्विटी अनुपात सुनिश्चित करके पूंजीगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी का इक्विटी आधार पर्याप्त है।

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश में आमान परिवर्तन

805. श्री एम. अंजनकुमार यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आमान परिवर्तन हेतु कोई प्रस्ताव/अनुरोध भेजा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर रेलवे ने अब तक क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में मीटर लाइन/छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोई कार्य स्वीकृति हेतु शेष नहीं है।

[अनुवाद]

मयिलादुतुरई-विल्लुपुरम के बीच आमान परिवर्तन का कार्य

806. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलियादुतुरई–विल्लुपुरम के बीच आमान परिवर्तन का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा इस परियोजना के शीघ्र निष्पादन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) प्रारंभ में इस परियोजना को फरवरी, 2008 में पूरा करने का लक्ष्य था। बहरहाल, इस परियोजना में विलंब हो गया है और अब जुलाई, 2009 में पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) विलंब के कारण निम्नानुसार है :

(i) अक्टूबर से दिसम्बर के दौरान सामान्य मानसून ऋतु की तुलना में जुलाई, 2007 से जनवरी, 2008 तक असामान्य वर्षा।

(ii) असामान्य मूल्य वृद्धि तथा ओ पी सी सीमेंट की अनुपलब्धता।

(iii) असामान्य मूल्य वृद्धि तथा पुनर्बलित इस्पात की कम उपलब्धता।

(iv) केबलों और पुलर्बलित रॉड की चोरी के साथ–साथ खंड में कानून एवं व्यवस्था संबंधी गंभीर समस्या।

(v) गांव से होकर भारी मशीनों को ले जाने पर गांव के लोगों द्वारा बार–बार प्रतिरोध।

(ग) मयिलादुतुरई से सिराकजी के बीच इस खंड को रेल विकास निगम लि. द्वारा पहले ही चालू कर दिया गया है। शेष कार्य अंतिम चरण में है तथा इस परियोजना को जुलाई, 2009 तक पूरा किए जाने की संभावना है। ठेकेदार पर सी पी एम/चेन्नै द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है तथा इस परियोजना की नियमित रूप से उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे कोई कमी न हो।

विज्ञान संग्रहालय

807. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ नए विज्ञान संग्रहालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर अनुमानित कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) ये विज्ञान संग्रहालय कब तक खोल दिए जाएंगे?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) विभिन्न राज्यों में विज्ञान संग्रहालयों/केन्द्रों की स्थापना संस्कृति मंत्रालय की योजना स्कीम के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के जरिए की जाती है। आगामी विज्ञान संग्रहालयों/केन्द्रों का स्थान, राज्य, अनुमानित व्यय तथा पूरा होने की संभावित तिथि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आगामी विज्ञान संग्रहालयों/केन्द्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्र.सं.	आगामी विज्ञान संग्रहालयों/ केन्द्रों के नाम	स्थान	राज्य	अनुमानित व्यय		कुल (करोड़ रु. में)	पूरा होने की संभावित तिथि
				भारत सरकार द्वारा वहन किया गया व्यय	राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, सोलापुर	सोलापुर	महाराष्ट्र	1.30	1.30	2.60	मार्च, 2009
2.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, रांची	रांची	झारखंड	3.25	3.25	6.50	नवम्बर, 2009
3.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, रायपुर	रायपुर	छत्तीसगढ़	3.25	3.25	6.50	नवम्बर, 2009
4.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, धारवाड़	धारवाड़	कर्नाटक	4.25	4.25	8.50	मार्च, 2011
5.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	4.25	4.25	8.50	जून, 2011
6.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, पिलिकुआ, मंगलौर	पिलिकुआ मंगलोर	कर्नाटक	4.25	4.25	8.50	अक्तूबर, 2011
7.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, जयपुर	जयपुर	राजस्थान	4.25	4.25	8.50	अक्तूबर, 2011
8.	विज्ञान केन्द्र, पी सी एम सी, पुणे	पुणे	महाराष्ट्र	4.25	4.25	8.50	दिसम्बर, 2011
9.	उप–क्षेत्रीय विज्ञान, केन्द्र, जोरहाट	जोरहाट	असम	1.30	1.30	2.60	अप्रैल,2011

चीनी की ढुलाई

808. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य रेलवे के पुणे–मीराज खंड पर कराड रेलवे स्टेशन से रेलवे द्वारा कितनी मात्रा में चीनी की ढुलाई की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस मार्ग से चीनी की ढुलाई से कितना राजस्व अर्जित हुआ;

(ग) क्या रेलवे को बारिश के मौसम में चीनी को लादने/उतारने हेतु इस स्टेशन पर बेहतर अवसंरचना सुविधा प्रदान करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कराड रेलवे स्टेशन से ढोई गई चीनी का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	रेक	मालडिब्बा (8 पहिया)	टन
2005–06	18	634	39313
2006–07	56	2092	129879
2007–08	103	4109	258611
2008–09 (जनवरी 2009 तक)	51	2073	131110

(ख) उक्त अवधि के दौरान कराड से चीनी के परिवहन के लिए इकट्ठा हुआ मालभाड़ा निम्नानुसार है :

वर्ष	मालभाड़ा (लाख रुपए में)
2005–06	458.87 रुपए
2006–07	1192.86 रुपए
2007–08	1546.46 रुपए
2008–09 (जनवरी 2009 तक)	1543.40 रुपए

(ग) जी हां।

(घ) कराड स्टेशन के माल शेड प्लेटफॉर्म पर 60 मीटर का आच्छादित सायबान उपलब्ध है। माल शेड पर 160 मीटर के आच्छादित सायबान तथा लाइन नं. 4 पर आच्छादित सायबान के साथ 310 मीटर के माल यातायात प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

संग्रहालयों का निर्माण

809. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत नए संग्रहालयों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य–वार कितनी राशि आबंटित की गई;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में संरक्षित स्मारकों तथा जूनागढ़ जिले में नए संग्रहालय के लिए केन्द्र सरकार को कोई कार्ययोजना प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय "क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना, संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण" के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित करता है, जिसके अंतर्गत नए संग्रहालयों की स्थापना तथा मौजूदा संग्रहालयों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) स्कीम के तहत योजना आबंटन इस प्रकार है :

(लाख रुपए में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2005–06	460.53	460.01
2006–07	1200.00	1197.02
2007–08	700.00	700.00

चालू वर्ष के लिए स्कीम के तहत आबंटन 1275.00 लाख रु. है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

लघु भेषज एककों को वित्तीय पैकेज

810. **श्री उदय सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा संकलित अनुमानों के अनुसार लघु तथा मध्यम भेषज उद्यमों को अनुसूची–एम में उन्नयन हेतु प्रत्येक को 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो लघु भेषज एककों को उपलब्ध अनुदानों तथा प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में भेषज क्षेत्र को एक प्रमुख निर्यातोन्मुख एकक के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) नाईपर ने एसएमईज को अनुसूची 'एम' में उन्नयन के लिए 10 करोड़ रु. की आवश्यकता के अनुमान की गणना नहीं की है। तथापि, विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, लघु एवं मध्यम फार्मा उद्यमों को अनुसूची 'एम' में उन्नयन के लिए सामान्यतया 20 लाख रु. में 2.00 करोड़ रु. की आवश्यकता होती है जो कि इकाई की पूंजी लागत एवं आकार पर

निर्भर करता है। औषध निर्माण विभाग, औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भी है।

(ग) भारत सरकार औषध क्षेत्र में निर्यात की लगातार निगरानी कर रही है और यथासंभव सभी उपाय कर रही है तथा औषध निर्यात संवर्द्धन परिषद के माध्यम से सहयोग प्रदान कर रही है।

मध्य प्रदेश में तेल रिजर्व

811. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा मध्य प्रदेश में कतिपय स्थानों की पहचान की गई है जहां तेल तथा प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) वर्तमान में, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के पास मध्य प्रदेश राज्य में दो पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस नामतः दामोह जाबेरा–कटनी (विंध्य बेसिन में) तथा रामपुर–पंचमढ़ी–अन्होनी (सतपुड़ा बेसिन में) हैं। उपलब्ध भू–भौतिकी तथा भू–वैज्ञानिक (सी एंड जी) आंकड़ों के आधार पर, ओएनजीसी ने मध्य प्रदेश राज्य में तेल और गैस के लिए अन्वेषण क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए वेधन के उद्देश्य से दो अन्वेषी स्थलों नामतः दामोह जिले में जाबेरा–2 (लक्षित गहराई : 5200 मीटर) तथा होशंगाबाद जिले में झिरना–1 (लक्षित गहराई : 4550 मीटर) की पहचान की है। वर्तमान में, इन दोनों स्थलों पर वेधन कार्य चल रहे हैं।

झारसुगुडा में हवाईअड्डा

812. श्री तथागत सत्पथी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सारणी उड़ान परिचालन के लिए उड़ीसा में झारसुगुडा हवाईअड्डे को विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इस हवाईअड्डे पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) मैसर्स राईट द्वारा प्रस्तुत साध्यता अध्ययन की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आरंभ में एटीआर प्रकार के विमानों से प्रचालन सेवाओं के लिए झारसुगुडा हवाईअड्डे के विकास की योजना है। इन विकास कार्यों का प्रारंभ, अन्य बातों के साथ–साथ, इस कार्य के लिए अपेक्षित 815 एकड़ की अतिरिक्त भूमि को मास्टर प्लान के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ हस्ताक्षर किये जाने वाले समझौता ज्ञापन के अधीन उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क मुहैया कराने जाने के अध्यधीन है जबकि 13 सितम्बर, 2007 को राज्य सरकार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा समझौता ज्ञापन का प्रारूप भेजा गया जिसके अनुसार इस हवाईअड्डे से अनुसूचित उड़ानों को प्रचालित करने के लिए किसी भी एयरलाइन प्रचालक की पक्की वचनबद्धता अवश्य हो।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 2008–09 के संशोधित अनुमान में 1.82 करोड़ रुपए तथा 2009–10 के बजट अनुमान में 2.19 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, फंड संबंधी और प्रावधान कार्य प्रारंभ किये जाने के अधीन है।

इनटैक को वित्तीय सहायता

813. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर न्याय (इनटैक) ने चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इनटैक की रजत जयंती समारोह के अवसर पर कोई डाक टिकट जारी किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति विरासत न्यास (इन्टैक) ने विरासत प्रलेखन, जागरूकता सृजन तथा परिरक्षण संवर्धन से संबंधित विविध व्यापक कार्यकलाप करने के लिए 50 लाख रु. की सहायता अनुदान का अनुरोध किया है। इन्टैक ने रजत जयन्ती समारोह हेतु 10.00 लाख रु. की राशि का भी अनुरोध किया है। इन्टैक को 2007–08 में प्रदत्त सहायता अनुदान के संबंध में रिपोर्ट–सह–उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि सहायता अनुदान हेतु निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार उक्त अनुरोधों पर कार्रवाई शुरू की जा सके।

(ग) और (घ) इन्टैक से प्राप्त सूचना के अनुसार रजत जयन्ती समारोह के दौरान निम्नलिखित डाक टिकटें जारी की गईं :

i) जैसलमेर किला, जैसलमेर, राजस्थान

ii) सेन्ट एन्नस चर्च, गोवा

iii) किला मुबारक, पटियाला, पंजाब

iv) मांग्यू मठ, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर

[हिन्दी]

सौर-ऊर्जा उपस्कर

814. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे में सौर ऊर्जा उपस्करों का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जबलपुर के अंतर्गत इन उपस्करों के अधिष्ठापन का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां, रेलें, चौकीदार वाले समपार के विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग, प्रशासनिक भवनों के लिए स्टैंड बाई आपूर्ति, रेलवे रनिंग रूमों, विश्रामालय, प्रशिक्षण संस्थानों, कैंटीनों तथा अस्पतालों में पानी गर्म करने के प्रयोजन से सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावना का पता लगा रही है।

(ग) पश्चिम मध्य रेलवे में सौर ऊर्जा प्रयोग करने वाले उपकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:

(i)	सौर वाटर हीटर	–	42 अदद
(ii)	सौर डिस्टिल्ड वाटर संयंत्र	–	03 अदद
(iii)	सौर लाइटिंग प्रणाली से समपार फाटकों का विद्युतीकरण	–	128 अदद
(iv)	सौर लाइटिंग प्रणाली से स्टेशन का विद्युतीकरण	–	04 अदद

[अनुवाद]

नौपाडा-गुन्नुपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

815. श्री गिरिधर गमांग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान नौपाडा से गुन्नूपुर रेल लाइन के आमान परिवर्तन हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या नौपाडा से गुन्नूपुर के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस परियोजना पर कितना व्यय हुआ है; और

(घ) गुन्नूपुर रेलवे स्टेशन को थेरूवाली रेलवे स्टेशन से बड़ी लाइन से जोड़ने हेतु रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08 और चालू वर्ष के दौरान नौपाडा–गुन्नूपुर आमान परिवर्तन परियोजना पर हुआ खर्च क्रमशः 7.42 करोड़ रुपए, 26.04 करोड़ रुपए, 51.22 करोड़ रुपए और 12.09 करोड़ रुपए (अनंतिम) है। वर्ष 2008–09 के दौरान परियोजना हेतु मुहैया कराया गया बजट परिव्यय संशोधित अनुमानों के अनुसार 37.54 करोड़ रुपए है।

(ख) जी हां।

(ग) मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, बेलेस्टिंग और ट्रैक–लिंकिंग प्रगति पर है। कार्य की अद्यतन वास्तविक प्रगति 80.83% है। अभी तक इस परियोजना पर हुआ कुछ खर्च लगभग 125.24 करोड़ रुपए (अनंतिम) है।

(घ) नौपाडा–गुन्नूपुर लाइन के थेरूवल्ली तक विस्तार हेतु किए गए व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार, प्रस्तावित विस्तार अव्यावहार्य पाया गया है।

पब्लिक लाइब्रेरी

816. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली सहित पूरे देश में कुल कितनी लाइब्रेरियां चलायी जा रही हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसी लाइब्रेरियों पर कितना वार्षिक व्यय हुआ है;

(ग) क्या सरकार दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की चांदनी चौक शाखा सहित इनका आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) दिल्ली सहित पूरे देश में सरकार द्वारा निम्नलिखित पुस्तकालय चलाए जा रहे हैं :

अधीनस्थ पुस्तकालय :

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता

2. केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता

स्वायत्त पुस्तकालय :

3. राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता

4. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली

5. खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना

6. रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर

राज्य पुस्तकालय (राज्य तथा केन्द्रीय सरकार का 50:50 हिस्सा)

7. स्टेट सेन्ट्रल लाइब्रेरी, मुम्बई

8. कोन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, चेन्नई

9. टी एम एस एस एम लाइब्रेरी, तंजावुर, तमिलनाडु

प्रशासनिक पुस्तकालय (संस्कृति मंत्रालय)

10. केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार, नई दिल्ली

(ख) उपर्युक्त पुस्तकालयों पर दिनांक 1.4.2008 से 15.2. 2009 तक कुल वार्षिक व्यय इस प्रकार है :

योजनागत	योजनेत्तर
33.48 करोड़ रु.	29.12 करोड़ रु.

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने निम्नलिखित नई सेवाएं प्रदान करके दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और चांदनी चौक, सरोजिनी नगर तथा पटेल नगर स्थित इसकी शाखाओं के आधुनिकीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है :

1. पाठकों के प्रयोग के लिए 10 टर्मिनलों के साथ निःशुल्क पब्लिक इन्टरनेट सुलभता।

2. सदस्यों को निःशुल्क कम्प्यूटरीकृत सी डी/डी वी डी उधार देना।

3. बाल अनुभाग में पुस्तकों, खेलों, खिलौनों, कम्प्यूटरों आदि का नया संकलन।

4. ऑनलाईन सूचीपत्र।

5. आधुनिक सुविधाओं सहित पुस्तकालय भवन की मरम्मत तथा पुनरुद्धार।

6. पुस्तकालय सदस्यों का कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण।

चिरिया लौह अयस्क खानें

817. **श्री हितेन बर्मन :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिरिया लौह अयस्क खानों के लीजहोल्ड पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के दावे पर झारखंड सरकार के साथ विवाद है कि जिसकी वजह से 'सेल' का विस्तार प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त विवाद को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) चिरिया माइंस में 6 पट्टों में से 3 पट्टे नामतः अजीताबुरू, सुकरी–लाटूर और टाटीबुरू विवादाधीन है। अन्य 3 पट्टों नामतः बुधाबुरू (एमसीलेलन), धाबिल और अंकुआ की अवधि बढ़ाई गई मान ली गई है। लौह अयस्कों पट्टों के नवीकरण में विलंब से चिरिया में एक यंत्रीकृत खान का विकास प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा सेल के मौजूदा विस्तार कार्य के पूरा हो जाने के बाद सेल संयंत्रों, खासतौर से बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) और इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी) की लौह अयस्क की बढ़ी हुई जरूरत को चिरिया निक्षेपों तक पहुंचे बगैर पूरा करना मुश्किल होगा।

(ग) इस्पात मंत्रालय और सेल, दोनों पिछले 3 वर्षों में झारखंड सरकार के साथ इस विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अनेक बैठकें की गई हैं जिनमें इस्पात मंत्रालय, झारखंड सरकार और सेल के अधिकारी उपस्थित रहे हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री इस मुद्दे पर झारखंड के मुख्य मंत्री जी के साथ दिनांक 24.9.2008 तथा 23.10.2008 को बातचीत कर चुके हैं और झारखंड सरकार से लिखित अनुरोध भी किए गए हैं। तथापि, इस मुद्दे का अभी तक समाधान नहीं हुआ है।

गांधी रिसर्च सेन्टर एंड म्यूजियम

818. **श्री अनवर हुसैन :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने गुवाहाटी स्थित गांधी रिसर्च सेन्टर एंड म्यूजियम को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस केन्द्र को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार उन पर्यटन संबंधी परियोजना के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत उनके साथ परामर्श और परस्पर बातचीत से अभिनिर्धारित किए जाते हैं :–

1. परिपथों/गंतव्यों की उत्पाद/अवसंरचना विकास
2. वृह्त राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता
3. सूचना प्रौद्योगिकी
4. मेले/उत्सव और कार्यक्रम

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त, सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदन किया जाता है और संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां जारी की जाती है। गांधी मंडप के विकास हेतु घटक सहित गुवाहाटी के विकास के लिए एक प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तथापि, परियोजना प्रस्ताव दिशा–निर्देशों के अनुसार नहीं था और इसलिए स्वीकृति नहीं दी गई।

चालू वित्तीय वर्ष में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए असम सरकार हेतु 2107.61 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है।

ट्रांसजेण्डर जनसंख्या

819. श्री के. सुब्बारायण : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'ट्रांसजेण्डर' के रूप में प्रचलित समाज के एक वर्ग द्वारा सामना किए जा रहे सामाजिक अलगावपन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी शारीरिक स्थिति के परिणामस्वरूप उनकी शिक्षा, नौकरियों आदि के संबंध में उत्पन्न जटिलताओं के ब्यौरे की जांच कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके सामने आ रही समस्याओं से निपटने हेतु क्या तंत्र विकसित किया जाना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) उनकी जैविक स्थिति से पैदा होने वाली जटिलताओं के ब्यौरे की जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशों में पेट्रो-रसायन संयंत्रों की स्थापना

820. श्री गणेश सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में पेट्रो–रसायन संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों का पुनर्वास

821. श्री हेमंत खंडेलवाल : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों/युवाओं, जिनकी यह स्थिति जन्मजात नहीं है, के पुनर्वास हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिले में निःशक्त बच्चों हेतु स्कूल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो विशेषकर बैतूल (म.प्र.) के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग युवाओं और बच्चों, जो जन्म से विकलांग नहीं हैं, सहित विकलांगजन को विभिन्न प्रकार की पुनर्वास सेवाएं देने के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत समर्थित कार्यकलापों में विशेष विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम आदि शामिल है। राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र की सरकारों की सिफारिशों के आधार पर विशेष विद्यालयों को समर्थन दिया जाता है।

वर्तमान में, बैतूल (म.प्र.) में किसी विशेष स्कूल को सहायता नहीं दी जा रही है।

[अनुवाद]

केजी बेसिन में गैस की खोज

822. श्री बाडिगा रामकृष्णा :

श्री रमेश दूबे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केजी बेसिन के डी–6 ब्लाक से उत्पादन कब तक प्रारंभ होने की संभावना है;

(ख) केजी बेसिन के डी–6 ब्लाक से प्रतिदिन कितनी मात्रा में गैस का दोहन किए जाने की संभावना है;

(ग) उन एजेंसियों/पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें केजी बेसिन के इस ब्लाक से गैस बेचने और आपूर्ति किए जाने की संभावना है;

(घ) विभिन्न पार्टियों को किन दरों पर गैस बेचे जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकारी और निजी क्षेत्र हेतु भिन्न–भिन्न कीमत निर्धारित करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) ब्लाक केजी – डीडब्ल्यूएन–98/3 में केजी–डी6, डी1 और डी3 गैस क्षेत्र के विकास की अद्यतन समीक्षा के अनुसार, प्रचालक मार्च, 2009 में उत्पादन के लिए प्रारंभिक शुरूआत और चालू किये जाने की तथा अप्रैल, 2009 से ग्राहकों को आपूर्ति शुरू करने की परिकल्पना करता है।

(ख) गैस का प्रारंभिक उत्पादन 10–15 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) की सीमा में होगा, जिसके जुलाई, 2009 तक 40 एमएमएससीएमडी होने और 2010 तक 80 एमएमएससीएमडी के स्तर को पार करने की संभावना है।

(ग) यह निर्णय लिया गया है कि केजी–डी6 क्षेत्र से उत्पादित प्रथम 40 एमएमएससीएमडी में से मौजूदा गैस आधारित यूरिया संयंत्रों को इसकी आपूर्ति की जाएगी ताकि मौजूदा गैस आधारित एलपीजी संयंत्रों का पूर्ण क्षमता उपयोग 3 एमएमएससीएमडी तक, बेकार पड़े/कम उपयुक्त विद्युत संयंत्रों और वर्ष 2008–09 के दौरान चालू होने के लिए संभावित तथा मौजूदा तरलीकृत ईंधन संयंत्रों जो प्राकृतिक गैस में तबदील हो सकते हैं, के लिए 18 एमएमएससीएमडी तक और घरेलू और परिवहन क्षेत्रों के लिए नगर गैस वितरण परियोजना के लिए 5 एमएमएससीएमडी तक आपूर्ति की जाएगी। अभी तक संविदाकार और गैस उठाने वालों के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(घ) और (ङ) गैस की बिक्री सरकार द्वारा अनुमोदित सूत्र के आधार पर एक समान मूल्य पर की जाएगी, जिसमें राज्य या केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयूज) सहित सभी पक्षकारों के लिए अधिकतम सीमा 4.2 अमरीकी डालर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) होगी।

अल्ट्रा मेगा इस्पात संयंत्रों की स्थापना

823. डा. राजेश मिश्रा : क्या **इस्पात** मंत्री 23.10.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 903 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर–मंत्रालयीय समूह ने देश में अल्ट्रा मेगा इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे संयंत्र स्थापित करने हेतु अंतिम निर्णय लेने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनेक राज्य सरकारें इन संयंत्रों की स्थापना हेतु सहमत हो गयी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार देश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए क्षमता के संबंध में कोई सीमा नहीं है। वस्तुतः प्रस्तावित कुछ इस्पात इकाइयों जैसे पोस्को इंडिया लिमिटेड, आर्सेलर मित्तल लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ने 10–12 मिलियन टन वार्षिक की रेंज में क्षमता का प्रस्ताव किया है। तथापि, माननीय श्री रामचंद्रैया, संसद सदस्य, राज्य सभा और श्री धरमपाल सबरवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा द्वारा अपने पत्रों में उठाए गए कतिपय मुद्दों पर अभी भी विचार किया जा रहा है और अंतर मंत्रालय समूह की अगली बैठक में इन पर विचार–विमर्श किया जा सकता है।

(ग) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार इस्पात उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और कतिपय स्थान–स्थिति से संबंधित प्रतिबंधों की शर्त पर इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटा दिया गया है।

अतः औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उद्यमी प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर देश में कहीं भी ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) जैसी सरकारी क्षेत्र की इकाइयां अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमताओं का पहले ही विस्तार कर रही हैं। सेल अपनी अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन क्षमता को मौजूदा 12.84 मिलियन टन वार्षिक (एमटीपीए) से बढ़ाकर 24.84 एमटीपीए और आरआईएनएल अपनी क्षमता को 2.9 एमटीपीए से बढ़ाकर 6.3 एमटीपीए कर रहा है।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में कुल 275.698 मिलियन टन क्षमता के लिए इस्पात इकाइयों की स्थापना हेतु पहले ही 222 समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किए गए हैं।

विभिन्न राज्यों में स्थापित की जा रही कुछ बड़ी क्षमता वाली इस्पात इकाइयां निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	कंपनी	परियोजना/राज्य	मौजूदा क्षमता	प्रस्तावित क्षमता
1.	टाटा स्टील लि.	जमशेदपुर, झारखंड	5.0	10.0
		कलिंग नगर, उड़ीसा		6.0
		बस्तर, छत्तीसगढ़		5.5
		सराय केला, झारखंड		12.0
2.	एस्सार स्टील लिमिटेड	हजीरा, गुजरात	4.6	8.5
		पारादीप, उड़ीसा		6.0
		दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़		3.0
		चायबासा, झारखंड		6.0
3.	जेएसडब्लयू स्टील लिमिटेड	विजयनगर, कर्नाटक	3.8	10.0
		सल्बोनी, पश्चिम बंगाल		10.0
		निमिडीह, झारखंड		10.0
4.	जिंदल स्टील एंड पॉवर लि.	रायगढ़, छत्तीसगढ़	3.0	6.0
		अंगुल, उड़ीसा		12.5
		पत्रातु, झारखंड		6.0
5.	इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	डोल्वी, महाराष्ट्र	3.0	5.0
		झारखंड		2.8
6.	पोस्को इंडिया प्रा. लि.	जगतसिंहपुर, उड़ीसा		12.00
7.	आर्सलर मित्तल इंडिया लि.	क्योंझर, उड़ीसा		12.00
		झारखंड		12.00

चार्टर्ड ट्रेन

824. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री पंकज चौधरी :
श्री गणेश सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम ने चार्टर्ड ट्रेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सुविधाएं किन रेल मार्गों पर उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसी सेवाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) यह सुविधा पर्यटकों के अनुरोध पर उनकी अपेक्षित श्रेणी, यात्रा की तारीख और भारतीय रेल नेटवर्क पर उपलब्ध मार्गों के अनुसार प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

विमान दुर्घटनाएं

825. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य यात्रियों के अलावा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ले जा रहा यात्री विमान नई दिल्ली विमानपत्तन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा उतरने की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् एक अन्य विमान से टकराते–टकराते बचा था जैसा कि 19 जनवरी, 2009 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में हुई विमान दुर्घटनाओं/घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन दुर्घटनाओं में आज तक कुल कितनी धनराशि की हानि हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाएं/घटनाएं रोकने हेतु आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) दिनांक 18.1.2009 को जेट एयरवेज की उड़ान सं.–913 को कंट्रोलर द्वारा 'राउंड टू गो' के लिए कहा गया क्योंकि उससे पहले रनवे पर उतरे चायना एयर के विमान सीईएस–563 के कारण रनवे खाली नहीं था। उस समय जेट एयर 819 टच डाउन से 6 मील दूर था जब चायना एयर का विमान उतरा। दोनों विमानों के बीच में पर्याप्त दूरी थी। चायना एयर के विमान को रनवे खाली करने में काफी समय लगा, इसलिए विमान यातायात नियंत्रक ने जेट एयर के विमान को आखिरकार गो अराउंड/मिस्ड एप्रोच के लिए कहा क्योंकि रनवे खाली नहीं था।

(ग) पिछले तीन वर्षों यथा 2006, 2007, 2008 के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक देश में हवाई दुर्घटनाओं/गंभीर घटनाओं की संख्या क्रमशः 21, 14, 11 तथा 04 है।

(घ) ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

(ङ) नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन अपेक्षायें जारी की हैं जिनके अनुसार जनवरी, 2003 से विमानों पर एयरबौर्न कोलीजन एवायडेंस सिस्टम (एसीएएस) के संस्थापन को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पायलटों को अपने आसपास सभी विमानों की पोजिशन पिक्चर, उनकी संदर्भ ऊंचाई तथा अपने विमान से उसकी दूरी का पता लगाना आसान हो गया है। यह सिस्टम पायलट को उस स्थिति में भी निवारक कार्रवाई करने में सहायक है, जब कोई विमान उसके बहुत समीप आ जाता है, इसकी सहायता से टकराव की स्थिति को रोका जा सकता है। देश में प्रमुख हवाईअड्डों पर अब मोनो–पल्स सेकेण्डरी सर्विलेंस राडार संस्थापित किये गये हैं जिनसे विमान यातायात नियंत्रकों को ऊंचाई संबंधी सूचना उपलब्ध हो जाती है, जिससे उन्नत विमान यातायात प्रबंधन एवं निगरानी करने में सहायता मिली है। न्यूनतम सुरक्षित ऊंचाई चेतावनी (एमएसएडब्ल्यू) प्रणाली भी उपलब्ध है। इस प्रणाली में विमान यातायात टकराव चेतावनी सुविधा को शामिल करके विमान यातायात प्रबंधन सेवा का भी आधुनिकरण किया जा रहा है गैर–आरवीएसएम विमानों को आरवीएसएम वायुक्षेत्र (29,000 फुट के ऊपर) में उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया गया है। वायु क्षेत्र में यातायात जाम को कम करने के लिए वायु क्षेत्र के लचीले (फ्लेक्सिबल) प्रयोग की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, सभी विमान निकटता संबंधी घटनाओं की रिपोर्ट के संबंध में की गई जांचों के आधार पर निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी किए गये हैं:–

(i) विमान यातायात नियंत्रक अधिकारी (एटीसीओ) तथा पायलटों की प्रवीणता संबंधी जांच नियमित रूप से की जाती है।

(ii) यातायात को एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरित करने संबंधी विशिष्ट समन्वय प्रक्रियायें, जिनकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

(iii) जब कभी आवश्यकता हो, विमान यातायात नियंत्रक अधिकारियों (एटीसीओ) को निवारक उपाय संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

(iv) जब कभी आवश्यकता हो, जांचों के आधार पर मानक प्रचालन प्रक्रिया/समन्वय प्रक्रिया में आशोधन/परिवर्तन किये जाते हैं या उन्हें स्थापित किया जाता है।

भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी बड़ी रेल लाइन

826. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी बड़ी (ब्रॉड गेज) रेल लाइन परियोजना के अंतिम स्थान सर्वेक्षण के लिए आदेश जारी कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिया जाएगा तथा इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू हो जाएगा; और

(ग) रेलवे द्वारा इस बड़ी रेल लाइन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी नई लाइन के कार्य के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पहले ही शुरू कर दिया गया है और पहले 20 किमी. की लंबाई के लिए पूरा किया जा चुका है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के सितंबर, 2009 तक पूरा होने का लक्ष्य है भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात प्रक्रियाधीन हैं।

(ग) मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार, भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी नई लाइन परियोजना एक "राष्ट्रीय परियोजना" के रूप में घोषित किए जाने हेतु अर्हक नहीं हैं।

घरेलू मार्गों पर विदेशी विमान कंपनियां

827. श्रीमती करुणा शुक्ला :

श्री कीरेन रिजीजू :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू मार्गों पर विदेशी विमान कंपनियों को सेवा प्रदान करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विदेशी विमान कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस संबंध में अब तक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) इससे सरकार को कितना लाभ होने की संभावना है तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू विमान कंपनियों को कितनी हानि होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल डिब्बे कारखाने

828. श्री संतोष गंगवार :

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

श्री पन्नियन रवीन्द्रन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश, गुजरात और केरल सहित कतिपय राज्यों में नये रेल डिब्बे कारखानों, की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों का क्रियान्वयन करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) 1685 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राय बरेली, उत्तर प्रदेश में एक नया रेल डिब्बा कारखाना स्थापित किया जा रहा है। कारखाने के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।

संसद में 2008-2009 का बजट प्रस्तुत करने के दौरान, माननीय रेल मंत्री जी ने केरल में एक नया रेल डिब्बा कारखाना स्थापित करने की घोषणा की थी। इस संदर्भ में, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रेल मंत्रालय में विचाराधीन है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद योजना आयोग तथा आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति से आवश्यक अनुमोदन लिया जाएगा।

गुजरात में रेल डिब्बा कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

माजूली द्वीप का विकास

829. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम के माजूली द्वीप को एक दाय एवं पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 2003 के बाद से कोई धनराशि संस्वीकृत नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और पर्यटकों को और अधिक संख्या में आकृष्ट करने हेतु इस द्वीप का और अधिक विकास करने के लिए असम सरकार को कोई विशेष पैकेज प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार उन पर्यटन संबंधी परियोजना के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत उनके साथ परामर्श और परस्पर बातचीत से अभिनिर्धारित किए जाते हैं :–

1. परिपथों/गंतव्यों की उत्पाद/अवसंरचना विकास
2. वृह्त राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता
3. सूचना प्रौद्योगिकी
4. मेले/उत्सव और कार्यक्रम

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2002–03 में असम सरकार के लिए माजूली में दाय एवं पारिस्थितिकी रिजार्ट के विकास हेतु 382.25 लाख रुपए की एक परियोजना स्वीकृत की है।

चालू वित्तीय वर्ष में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए असम सरकार हेतु 2107.61 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है।

गरीब रथ एक्सप्रेस

830. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को गरीब रथ एक्सप्रेस को विशाखापत्तनम से चलाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसका संचालन इस समय अनाकापल्ली से किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 2739/2740 विशाखापत्तनम–सिकंदराबाद गरीब रथ एक्सप्रेस अक्तूबर, 2008 से चलाई गई है जिसे अनाकापल्ली में ठहराव दिया गया है।

[हिन्दी]

तत्काल टिकट प्रणाली की समीक्षा

831. श्री वी. के. तुम्मुर :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्काल टिकट प्रणाली के अंतर्गत यात्रियों को टिकट को रद्द करने और इसके परिणामस्वरूप धनराशि वापस पाने का विकल्प नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार यात्रियों के वित्तीय हित की रक्षा करने के लिए तत्काल टिकट प्रणाली की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) पुष्टिशुदा तत्काल टिकट को रद्द करवाने पर तत्काल प्रभार को छोड़कर, कुल प्रभारित किराये का 25% किराया वापस किया जाता है, जो गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले टिकट रद्द करवाने पर दिया जाता है। उसके बाद, पुष्टिशुदा तत्काल टिकटों को रद्द करवाने पर कोई किराया वापस नहीं किया जाता है। बहरहाल, तत्काल योजना के अंतर्गत बुक किए गए टिकटों पर निम्नलिखित परिस्थितियों में किराये तथा तत्काल प्रभार की पूर्ण वापसी की जाती है:

(i) यदि यात्री की यात्रा का प्रारंभिक प्वाइंट तथा गाड़ी में चढ़ने का प्वाइंट अलग–अलग हो, उस स्थिति में यदि गाड़ी यात्रा के प्रारंभिक प्वाइंट पर न कि यात्री के गाड़ी में चढ़ने के प्वाइंट पर 3 घंटे से अधिक विलंब से चल रही हो;

(ii) यदि गाड़ी का मार्ग बदल गया हो तथा यात्री की उस मार्ग पर यात्रा करने की इच्छा न हो;

(iii) यदि गाड़ी का मार्ग बदल दिया गया हो तथा गाड़ी में चढ़ने का स्टेशन अथवा गंतव्य स्टेशन अथवा दोनों स्टेशन बदले गए मार्ग पर न हो;

(iv) यदि वह डिब्बा नहीं लगाया गया हो जिसमें तत्काल स्थान निर्धारित किया गया हो तथा यात्री को उसी श्रेणी में स्थान मुहैया नहीं किया गया हो;

(v) यदि पार्टी को निम्नतर श्रेणी में स्थान दिया गया हो तथा वह यात्रा करने की इच्छुक न हो। यदि पार्टी निम्नतर श्रेणी में यात्रा करती है, तो यात्री को किराये का अंतर तथा तत्काल प्रभार का अंतर, यदि कोई हो, वापस किया जाएगा;

प्रतीक्षा सूची/आंशिक रूप से पुष्टिशुदा तत्काल टिकटों के मामले में, सामान्य टिकटों के रिफंड नियम लागू होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान

832. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत राजस्थान स्थित सादुलपुर, चुरू और रतनगढ़ स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सादुलपुर, चुरू और रतनगढ़ रेलवे स्टेशनों पर मानदंडों के अनुसार पहले ही सभी न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यात्री यातायात/उपार्जन में वृद्धि के अनुरूप यात्री सुविधाओं में आगे वृद्धि करना एक सतत् प्रक्रिया है और वार्षिक निर्माण कार्यक्रम के जरिए इनकी व्यवस्था की जाती है जो धनराशि की उपलब्धता और अन्य सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

सड़क ऊपरि पुल

833. श्री एस. अजय कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने सड़क उपरि पुलों (आर ओ.बी.) को मंजूरी दी गई है;

(ख) दक्षिण रेलवे के अंतर्गत कितने सड़क ऊपरि पुलों पर कार्य चल रहा है;

(ग) क्या दक्षिण रेलवे के त्रिशूर के अलहानि में बन रहे सड़क ऊपरि पुल का कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना के कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क)

वर्ष		स्वीकृत कार्य
2006–07	–	104
2007–08	–	98
2008–09	–	139

(ख) वर्तमान में दक्षिण रेलवे में 26 ऊपरी पुलों का वास्तविक निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ग) जी नहीं। त्रिशूर में अठानि पर ऊपरी सड़क पुल के रेलवे के हिस्से के कार्य की प्रगति 80% और पहुंच मार्गों पर यह प्रगति 74% है। कार्य को 31.03.09 तक पूरा किए जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मनकापुर से बस्ती रेल खंड का दोहरीकरण

834. श्री मोहन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास उत्तर–पूर्व रेलवे के अंतर्गत मनकापुर–बस्ती–गोरखपुर–देवरिया रेल खण्ड के दोहरीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है;

(ग) इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु पूरी निधियां जारी कर दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इसी खंड के अंतर्गत बाराबंकी से वाया गोरखपुर छपरा तक जाने वाली उक्त रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य भी किये जाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) मनकापुर–देवरिया के बीच दोहरीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उनके पूरा होने की लक्ष्य तिथि निम्नानुसार है:

क्रम सं.	खंड	पूरा करने की निर्धारित तारीख
1.	मनकापुर–बभनान	31.3.2009
2.	बभनान–डोमिनगढ़	2009–10
3.	डोमिनगढ़–गोरखपुर कैंट	पूरा कर दिया गया
4.	गोरखपुर कैंट–कुसम्ही	31.3.2009
5.	कुसही–सिवान	2009–10

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब इस्पात और सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि, पेड़ों को काटने सहित वन संबंधी क्लीयरेंस में विलंब, निविदाओं को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने तथा 2008–09 के दौरान भारी तथा अधिक मानसून के कारण हुई।

(घ) और (ङ) परियोजना के लिए धनराशि की आवश्यकता के अनुसार वर्ष दर वर्ष आबंटित की जाती है।

(च) और (छ) जी हां। गोरखपुर के रास्ते बाराबंकी से छपरा के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा मार्च, 2012 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

ओएनजीसी द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

835. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) का विचार देश के विभिन्न भागों में पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों की स्थापना करने पर कितना खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इस प्रकार की प्रत्येक इकाई द्वारा कितने ऊर्जा उत्पादन की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 307 करोड़ रु. की लागत से गुजरात के भुज में 50 मेगा वॉट (मे.वा) की विंड फार्म विद्युत परियोजना को पहले ही स्थापित कर दिया है। ओएनजीसी और विंड फार्म स्थापना की व्यवहार्यता की जांच कर रही है, और उसके लिए अध्ययन किए जा रहे हैं।

केरल में सड़क ऊपरि पुल

836. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में निर्माणाधीन/स्वीकृत सड़क ऊपरि पुलों की संख्या कितनी है जहां रेलवे से धनराशि प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है/शुरू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं में तेजी लाने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) केरल राज्य में आने वाली लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत सड़क ऊपरि पुलों के सभी कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। बहरहाल, निविदाओं को अंतिम रुप न दिए जाने/प्राक्कलनों की अनुपलब्धता/राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण न किए जाने के कारण 32 स्थानों पर कार्य रुका हुआ है। चार अन्य मामलों में राज्य सरकार द्वारा सामान्य आरेखण प्रबंधों को स्वीकृत किया जाना है और 9 कार्यों में राज्य सरकार से संरेखण विवरणों की प्रतीक्षा है। रेलवे की तरफ से धन की कमी के कारण कोई कार्य नहीं रुका है।

पेटाह में सिग्नल प्रणाली

837. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के तिरुवनंतपुरम मंडल के अंतर्गत पेटाह स्टेशन पर इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है; और

(ग) इस प्रणाली के प्रचालनात्मक लाभ क्या हैं तथा इसकी स्थापना पर कितनी लागत आती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव दक्षिण रेलवे के पास विचाराधीन है और इसे स्वीकृत किया जाना बाकी है।

(ग) इस प्रणाली का प्रावधान होने से लाइन क्षमता बढ़ जाती है और खंड पर अधिक गाड़ियां चल सकती हैं। प्रस्तावित प्रणाली की अनुमानित लागत 99.64 लाख रुपए है।

गुजरात में वेधन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

838. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में चांद खेड़ा, वडोदरा तथा जामनगर में वेधन प्रौद्योगिकी संस्थान की शाखाओं एवं मेहसाणा, सूरत तथा जामनगर में तेल एवं गैस उत्पादन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैस का आयात

839. श्री सुरेश कलमाडी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतर से और अधिक गैस का आयात करने तथा भारतीय फर्मों द्वारा एक गैस आधारित पेट्रो रसायन संयंत्र की स्थापना करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न स्रोतों से गैस की कुल कितनी मात्रा के लिए दीर्घावधिक आयात हेतु अनुबंध किया गया है तथा इन स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) ने जुलाई, 1999 में रास गैस, कतर के साथ 25 वर्ष की अवधि के लिए 7.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात करने के लिए संविदा पर हस्ताक्षर किए। उक्त संविदा के अनुसार 5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति 2004 में आरंभ हुई और शेष 2.5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति 2009 की अंतिम तिमाही में शुरू होने के लिए तय है।

दाहेज में बढ़ाई हुई क्षमता के लिए एलएनजी के आयात के लिए और योजित कोच्चि टर्मिनल के लिए पीएलएल पर रास गैस कतर सहित विभिन्न आपूर्तिकर्ताओ/उत्पादकों के साथ विचार-विमर्श जारी है।

भारतीय कंपनियां कतर में एक गैस आधारित पेट्रो रसायन परिसर स्थापित करने की इच्छुक हैं। गेल और रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने कतर पेट्रोलियम के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श कर लिया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त नेशनल ईरानियन गैस एक्सपोर्ट कंपनी (एनआईजीईसी) और गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के परिसंघ के बीच 5 एमएमटीपीए एलएनजी के लिए तेहरान में 13 जून, 2005 को एक क्रय-विक्रय करार (एसपीए) पर हस्ताक्षर किए गए। संविदा अवधि 25 वर्ष की थी जो 2009 की अंतिम तिमाही से शुरू होनी है। साथ ही साथ उक्त पक्षकारों ने 13 जून, 2005 को एलएनजी एसपीए के लिए एक पार्श्व-पत्र पर भी हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा एनआईजीईसी को अपनी मूल कंपनी नेशनल ईरानियन आयल कंपनी (एनआईओसी) का अनुमोदन एसपीए के प्रभावी होने हेतु प्राप्त करना था। एनआईजीईसी ने अभी तक एनआईओसी के बोर्ड के अनुमोदन की सूचना नहीं दी है। इस मामले को ईरानी प्राधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है।

रत्नागिरी गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) के लिए एलएनजी का स्रोतीकरण करने के लिए गेल विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं/उत्पादकों के साथ विचार-विमर्श करती रही है।

[हिन्दी]

नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी

840. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई है; और

(ख) अभी तक कितनी अनुदान राशि का उपयोग किया गया है तथा उन शीर्षों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत व्यय किया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अंबिका सोनी) : (क) वर्ष 2008-09 के लिए नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एन एम एम एल) के लिए योजनेत्तर के तहत 5,70,31,698/- रु. तथा योजना के तहत 2,79,99,718/- रु. मंजूर किए गए हैं।

(ख) एन एम एम एल द्वारा जनवरी, 2009 तक योजनेत्तर के तहत 621.28 लाख रु. तथा योजना के तहत 308.64 लाख रु. का उपयोग किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय,

तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली

जनवरी, 2009 तक योजना व्यय

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	रुपए
1	2	3
1.	फेलोशिप देना	5854268.00
2.	अनुसंधान का संवर्धन	545840.00

1	2	3
3.	पुस्तकालय का विकास	742018.00
4.	कम्प्यूटरों की खरीद	1829061.00
5.	पुस्तकें	5091602.00
6.	मौखिक इतिहास विकास	289869.00
7.	पांडुलिपि प्रभाग	1035402.00
8.	संग्रहालय विकास	3756478.00
9.	सेमिनार तथा व्याख्यान	825904.00
10.	प्रकाशन	9600.00
11.	सी.आर. परियोजना	323359.00
12.	रिप्रोग्राफी सेवाएं	482063.00
13.	नेहरू तारामंडल	2600000.00
14.	ए. सी. संयंत्र को बदलना	6500000.00
15.	फर्नीचर तथा उपस्कर	164771.00
16.	कम्प्यूटरीकरण	623648.00
17.	प्रदर्शनी तथा संग्रहालय प्रदर्शन	190438.00
	कुल	30864321.00
वर्ष 2007–08 का अव्ययित शेष		282.00
जनवरी, 2009 तक प्राप्त अनुदान		27999718.00
	कुल	28000000.00
जनवरी, 2009 तक व्यय		30864321.00
शेष		(–) 2864321.00

नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय,
तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली

जनवरी, 2009 तक योजनेत्तर व्यय

क्रम सं.	शीर्ष	राशि
1	2	3
1.	वेतन तथा भत्ते	33590376.00
2.	समयोपरि भत्ता	104707.00
3.	शिक्षण शुल्क	21720.00
4.	ऋण तथा अग्रिम	408500.00
5.	सी जी एच एस/चिकित्सा सुविधाएं	667202.00
6.	कर्मचारी को यात्रा भत्ता आकस्मिकता	45224.00
7.	कर्मचारी को एल टी सी	10223.00
8.	गैर–सरकारी व्यक्तियों को यात्रा भत्ता	299271.00
9.	कर्मचारी को पेंशन	55582.00
10.	सेवानिवृत्ति लाभ/डी सी आर जी	6418223.00
11.	पुस्तकों की जिल्दसाजी	7265148.00
12.	विविध व्यय	34663.00
13.	फर्नीचर की मरम्मत	392170.00
14.	रिप्रोग्राफी उपस्कर की मरम्मत	13358.00
15.	वर्दियां	208979.00
16.	स्टाफ कार	109005.00
17.	मनोरंजन	515870.00
18.	उपभोज्य सामान	59221.00
19.	टेलीफोन व्यय	121834.00
20.	डाक खाता	545744.00
21.	अनियत मजदूर वाहन भत्ता	94247.00
22.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	69088.00
23.	सेमिनार तथा व्याख्यान	320508.55
24.	बिक्री काउन्टर के लिए पुस्तक/चाबी के छल्ले/पर्स आदि	144138.00
25.	विद्युत तथा जल प्रभार	48060.00
26.	लेखा परीक्षा शुल्क	8501510.00
27.	जवाहर ज्योति	36568.00
28.	भवन का रखरखाव	1800.00
29.	वातानुकूलन	58716.00

1	2	3
30.	निजी सुरक्षा व्यवस्था	811390.00
31.	निजी सफाई व्यवस्था	811390.00
32.	विज्ञापन तथा प्रसार	622401.00
33.	फर्नीचर तथा उपस्कर	59700.00
34.	मानदेय	10000.00
	कुल	62128682.55
वर्ष 2007–08 का अव्ययित शेष		4768302.00
जनवरी 2009 तक प्राप्त अनुदान		57031698.00
कुल अनुदान		61800000.00
घटा व्यय		62128682.55
शेष		(–) 328682.55

[अनुवाद]

मुम्बई विमानपत्तन पर विमान घटना

841. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

श्री नन्द कुमार साय :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मुम्बई स्थित छत्रपति शिवाजी विमानपत्तन पर एक सजग पायलट द्वारा बड़ी विमान दुर्घटना को टाला गया जब एक हेलीकॉप्टर उस समय धावनपट्टी पर उतरा जब विमान उड़ान भरने वाला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में निजी जांच का आदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) दिनांक 09.02.2009 को भारतीय मानक समय (आईएसटी) 0917 पर मुम्बई से दिल्ली के लिए इंडियन एयरलाइंस की एयरबस 321 की प्रस्थान करने वाली उड़ान आईसी–866 की टेकऑफ को इसलिए रोककर, तथा उसे वाया रैपिड एक्जिट टैक्सी वे हटाकर, रनवे को खाली कराया गया क्योंकि भारतीय वायुसेना का प्रताप श्रेणी का एक हेलीकॉप्टर रनवे पर उतरा था। इस दुर्घटना को होते–होते रोक लिया गया।

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जांच दल, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल हैं, इस घटना की जांच कर रहा है। आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट पर निर्भर करती है।

(ङ) नागर विमान महानिदेशालय ने नागर विमानन अपेक्षायें जारी की हैं जिनके अनुसार फरवरी, 2003 से विमानों पर एयरबॉर्न कोलीजज एवायडेंस सिस्टम (एसीएएस) के संस्थापन को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पायलटों को अपने आसपास सभी विमानों की पोजिशन पिक्चर, उनकी संदर्भ ऊंचाई तथा अपने विमान से उसकी दूरी का पता लगाना आसान हो गया है। यह सिस्टम पायलट को उस स्थिति में निवारक कार्रवाई करने में मार्गदर्शन करती है, जब कभी कोई विमान उसके बहुत समीप आ जाता है, इसकी सहायता से टकराव की स्थिति को रोका जा सकता है। देश में प्रमुख हवाईअड्डों पर अब मोनो–पल्स सेकेण्डरी सर्विलेंस राडार संस्थापित किये गये हैं जिनसे विमान यातायात नियंत्रकों को ऊंचाई संबंधी सूचना उपलब्ध हो जाती है, जिससे उन्नत विमान यातायात प्रबंधन एवं निगरानी करने में सहायता मिलती है। न्यूनतम सुरक्षित ऊंचाई चेतावनी (एमएसएडब्ल्यू) प्रणाली भी उपलब्ध है। प्रणाली में विमान यातायात टकराव चेतावनी (एयर ट्रैफिक कांफ्लिक्ट वार्निंग) सुविधा को शामिल करने के लिए हवाई यातायात सेवा का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। गैर–आरवीएसएम विमानों को रिड्यूसेड वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा (आरवीएसएम) वायुक्षेत्र (29,000 फुट से ऊपर) में उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया गया है। वायुक्षेत्र में यातायात जाम को कम करने के लिए वायुक्षेत्र के लचीले (फ्लेक्सिबल) प्रयोग की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, विमान निकटता (प्रोक्सिमिटी) संबंधी सभी घटनाओं की रिपोर्ट के संबंध में की गई जांच के आधार पर निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी किये गये हैं :–

(i) विमान यातायात नियंत्रक अधिकारी (एटीसीओ) तथा पायलटों की प्रवीणता संबंधी जांच नियमित रूप से की जाती है।

(ii) यातायात को एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरित करने संबंधी विशिष्ट समन्वय प्रक्रियायें, जिनकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

(iii) जब कभी आवश्यकता हो, विमान यातायात नियंत्रक अधिकारियों (एटीसीओ) को निवारक उपाय संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है।

(iv) जब कभी आवश्यकता हो, जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार मानक प्रचालन प्रक्रिया/समन्वय प्रक्रिया में आशोधन/परिवर्तन किये जाते हैं या उन्हें स्थापित किया जाता है।

चंडीतला रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर

842. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में खाना जंक्शन के निकट चंडीतला में कोई टिकट काउंटर नहीं है जहां कि स्थानीय रेलगाड़ी के लिए ठहराव का प्रावधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थान पर टिकट काउंटर खोलने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) केवल परिचालनिक आधार पर खाना लिंक केबिन (खाना जंक्शन और गल्सी के बीच) पर दो जोड़ी गाड़ियां रुकती हैं लेकिन यह टिकटों की बिक्री हेतु एक स्टेशन नहीं है। खाना लिंक केबिन के नजदीक चंडीताला में एक हाल्ट को शुरू करने के लिए मांग की जांच की गई है लेकिन प्रथम दृष्टयता इसे परिचालनिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया।

नांदेड़ रेल मंडल में आमान परिवर्तन

843. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांदेड़ रेल मंडल में आमान परिवर्तन से संबंधित कार्यों के निष्पादन में कतिपय अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति

844. श्री अब्दुल्लाकुट्टी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सांस्कृतिक संस्थाओं यथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए. एस. आई.), राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा केंद्रीय ग्रंथालयों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए खोज–सह–चयन समितियों का गठन करने का है जो कि वर्षों से बिना प्रमुखों के कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सांस्कृतिक संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए क्या चयन प्रक्रिया तैयार की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार, कुछेक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संगठनों के प्रमुखों के पदों पर पदोन्नति/नियुक्ति के लिए पात्र उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने से इस समय इन पदों पर "प्रभारी" या अतिरिक्त प्रभार के आधार पर अधिकारी आसीन है। ये संगठन हैं :

1. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (प्रभारी व्यवस्था)
2. राष्ट्रीय संग्रहालय (अतिरिक्त प्रभार)
3. राष्ट्रीय पुस्तकालय (प्रभारी व्यवस्था)
4. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (प्रभारी व्यवस्था)

इसके अलावा, इस समय महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पद पर भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के आई ए एस अधिकारी आसीन हैं।

(ख) भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श और इसके बाद यथा अपेक्षित मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ए सी सी) का अनुमोदन शामिल है। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, भर्ती नियमावली का अंतिम रूप से तैयार मसौदा, इन नियमों को अधिसूचित किए जाने से पहले विधि मंत्रालय को पुनरीक्षण/सहमति के लिए भेजा जा रहा है।

संशोधित भर्ती नियमों के मसौदा को अपना अनुमोदन देने में सरकार ने "संविदागत नियुक्ति" तथा साथ ही प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर "खोज–सह–चयन समिति" के माध्यम से प्रख्यात व्यावसायियों के चयन का अनुमोदन किया है।

[हिन्दी]

प्रिंटिंग प्रेसों को बंद किया जाना

845. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उन प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करने का निर्णय लिया है जो रेलवे को मुद्रित टिकटों की आपूर्ति करती थीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे द्वारा बंद की गई प्रिंटिंग प्रेसों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इससे बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए रेलवे द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। रेलवे, कंप्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली के संस्थापित होने तक सभी कार्ड टिकट प्रिंटिंग प्रेसों को चालू रखेगी।

यदि कार्ड टिकटों की मांग कम/घट जाती है तो छोटी प्रिंटिंग प्रेसों को बड़े छापाखानों में समाहित कर दिया जाएगा। कंम्प्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली के संस्थापित होने के बाद भी प्रमुख टिकट छपवानें चालू रहेंगे।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोटा जंक्शन में रेलगाड़ियों का ठहराव

846. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन्र वर्षों के दौरान रेल बजटों में कितनी ऐसी रेलगाड़ियों की घोषणा की गई है जिनका ठहराव कोटा जंक्शन में दिया गया है तथा ऐसी कितनी रेलगाड़ियों को चलाया गया है; और

(ख) इस मार्ग पर शेष रेलगाड़ियों को कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन बजटों में कोटा के रास्ते 5 जोड़ी नई गाड़ियां चलाने की घोषणा की गई है। इनमें से 4 जोड़ी गाड़ियां चला दी गई हैं और उन्हें कोटा में ठहराव भी दिया गया है। पांचवीं गाड़ी अभी चलायी जानी है।

(ख) शेष गाड़ी अर्थात् 5667/5668 गांधीधाम-कामाख्या एक्सप्रेस (साप्ताहिक) 28.02.2009 से चलाये जाने का प्रस्ताव है। इस गाड़ी को भी कोटा स्टेशन पर ठहराव देने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

मसाला (स्पाइस) पर्यटन

847. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों की सरकारों को राज्य में मसाला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वर्षों में मसाला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों तथा परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की अपनी योजना के अंतर्गत मसाला पर्यटन सहित अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि ऐसे ग्रामीण स्थलों में कौशल उन्नय सहित सामुदायिक भागीदारी तथा क्षमता निर्माण को मंत्रालय की सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण योजना और भारत सरकार – संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) अंतर्जात पर्यटन परियोजना के माध्यम से सहायता दी जा रही है। निधियों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

ग्रामीण पर्यटन के एक भाग के रूप में मसाला पर्यटन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

पर्यटन मंत्रालय "अतुल्य भारत अभियान" के अंतर्गत कोलेट्रल्स/प्रिंट/इलेक्ट्रानिक एवं इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मसाला पर्यटन सहित सभी पर्यटन उत्पादों का संवर्धन एवं प्रचार करता है। सूचना का प्रसार देश तथा विदेश में भारत पर्यटन कार्यालयों एवं वेबसाइट के माध्यम से भी किया जाता है।

विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य	क्र.सं.	परियोजना का नाम	अवसंरचना विकास			क्षमता निर्माण		
			स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
केरल	1.	गांव कलाडी, जिला एर्णाकुलम	2006-07	47.20	37.76	2005-06	20.00	16.00
	2.	गांव अन्नाकाड़ा, जिला इडूक्की	2006-07	50.00	40.00	2005-06	20.00	16.00
तमिलनाडु	3.	गांव कुरंगिनी जिला थेनी	2006-07	50.00	40.00	2005-06	20.00	16.00
	4.	थाडियान-कुड्डीसाई, जिला डिंडीगुल	2006-07	50.00	40.00	2005-06	20.00	16.00

सरकारी तेल कंपनियों द्वारा दिया गया लाभांश

848. श्री के.एस. राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी तेल कंपनियों द्वारा कितनी धनराशि का लाभांश दिया गया;

(ख) इस वर्ष इन कंपनियों द्वारा लाभांश नहीं देने के लिए पेश आ रही कठिनाइयों एवं इसके लिए बताए गए कारणों का ब्यौरा क्या है तथा इसका सरकार के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) अपना लाभ एवं नकदी बनाए रखने के लिए सरकारी तेल कंपनियों द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार व्यय बंटवारा तंत्र बनाने तथा विकास के लिए योजनागत पूंजी व्यय सुनिश्चित करने एवं ब्याज नुकसान को कम करने के लिए दिशानिर्देशों पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) वर्ष 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा सरकार को भुगतान किए गए लाभांश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अर्थात आई ओ सी एल, बी पी सी एल तथा एच पी सी एल ने पिछले वर्ष की तुलना में 2008–09 के दौरान कम लाभांश का भुगतान किया है क्योंकि उन्होंने अप्रैल से दिसम्बर, 2008 की अवधि के दौरान घाटा होने की सूचना दी है। तथापि, दूसरी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में अपेक्षाकृत अधिक लाभांश का भुगतान किया है।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की ओ एम सीज ने उनकी ऋण सीमाओं में वृद्धि करने का अनुरोध किया है, तेल बांडों के समय पर और कारगर रूप से परिसमापन की व्यवस्था करने के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष विपणन प्रचालनों तथा 2008–09 के लिए उनकी ब्याज देयताओं की क्षतिपूर्ति करने की मांग की है।

ओ एम सीज की कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए, सरकार ने हाल ही में वर्ष 2008–09 के लिए एक संशोधित भार भागीदारी व्यवस्था अनुमोदित की है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम तेल कंपनियां 32,000 करोड़ रुपए का अंशदान करेंगी और शेष अल्प वसूलियों की क्षतिपूर्ति तेल बांडों को जारी करके की जाएगी।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान सरकार को भुगतान किए गए लाभांश की राशि		
	2006–07	2007–08	2008–09
ई आई एल	43.15	50.76	58.38
एच पी सी एल	155.78	207.69	51.92
आई ओ सी एल	1772.45	1245.50	526.94
ओ आई एल	556.50	420.00	630.00
गेल	484.94	290.96	58.92
ओ एन जी सी	4968.65	4915.79	5074.37
बी पी सी एल	168.81	198.60	79.44
बामर लारी इन्वेस्टमेंट लि.	0.00	6.35	1.99
योग	8150.28	7335.65	7004.96

प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का निर्यात

849. श्री एल. राजगोपाल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्यान्न एवं कृषि संगठन ने भारत में कृषि औद्योगिक पार्कों के बारे में रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारत मुख्य रूप से पश्चिम एशिया, पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका में परम्परागत बाजारों पर निर्भर है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत के प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के निर्यात को विश्व के अन्य भागों में बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) जी नहीं। हालांकि उक्त विषय पर वेबसाइट http://www.fao.org/Ag/ags/publications/docs/AGST Working Documents/J777 14e.pdf पर उपलब्ध श्री के. लक्ष्मी नारायण रॉव द्वारा लिखित एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग वर्किंग डॉक्यूमेंट है। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त दस्तावेज खाद्य तथा कृषि संगठन (संयुक्त

राष्ट्र) की प्रकाशित रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है तथा इस सूचना उत्पाद में सामग्री की प्रस्तुती और डेजिग्नेशन एम्पलायड संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन के किसी मत, जो भी हो, की अभिव्यक्ति नहीं करते।

उक्त आलेख में उल्लेख किया गया है कि प्रचुर और विविध उत्पादन आधार तथा अनेक ताजे और प्रसंस्कृत खाद्यों हेतु पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय मांग के बावजूद निर्यात निष्पादन सीमांत है। इस संबंध में अनेक मसले हैं लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख ये हैं – कई बार कृषक समुदाय की पहचान एक बड़े क्षेत्रफल में फैले कम संख्यक उत्पादकों के रूप में की जाती है। इसके अलावा, तैयार वस्तुओं और माल को अधिक दूरी पर स्थित बाजारों तक पहुंचाना होता है। परम्परागत रूप से राइस मिल, चीनी मिल और तेल मिल समेत कुछ प्रसंस्करण उद्योग ही उत्पादन क्षेत्रों में स्थित हो सकते हैं। इस पेपर में पश्चिमी एशिया, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सीमित संख्या में स्थित परम्परागत बाजारों जो एथनिक आबादी को आपूर्ति करते हैं, पर अधिक निर्भरता का भी उल्लेख किया गया है जिसकी वजह से इन निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार–चढ़ाव का सामना करना पड़ता है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनाए गए विजन डॉक्यूमेंट का लक्ष्य अन्यों के साथ–साथ वर्ष 2015 तक विश्व खाद्य बाजार में भारत का हिस्सा 1.5% से बढ़ाकर 3% करना है। इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण संबंधी बुनियादी सुविधाओं में रणनीतिक पहल की है जिसका लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला के अंतरालों को भरना, शीतश्रृंखला संबंधी बुनियादी ढांचा विकास, मूल्यवर्धन संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और बूचड़खानों का आधुनिकीकरण करना है ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का समग्र विकास हो तथा अपव्यय में कमी हो सके। खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने मेगा खाद्य पार्क संबंधी एक स्कीम अनुमोदित की है जिसमें मेगा खाद्य पार्क में सहायक बुनियादी सुविधाओं और सुस्थापित सप्लाई श्रृंखला समेत अधुनातम प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल करते हुए सुपरिभाषित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण अंचल की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक मंच पर लाने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना है ताकि अधिकतम मूल्यवर्धन, न्यूनतम अपव्यय और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित हो सके। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य मूल स्तर पर प्रसंस्करण और अपेक्षित फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज द्वारा समर्थित एक समेकित मूल्यश्रृंखला की स्थापना को सुकर बनाना है।

11वीं योजना के दौरान अन्य रणनीतिक पहल में नियंत्रित वातावरण/संशोधित वातावरण शीतागारों, मूल्यवर्धित केंद्रों, पैकेजिंग केन्द्रों तथा प्रदीपन सुविधाओं समेत समेकित शीतश्रृंखला और परिरक्षण बुनियादी ढांचा संबंधी स्कीम शामिल है। इस स्कीम के लाभ मूल्यवर्धन/प्रसंस्करण/बागवानी–परिरक्षण, डेरी, समुद्री और मांस क्षेत्र की समेकित परियोजनाओं को भी उपलब्ध होंगे।

चलती रेलगाड़ियों में इंटरनेट सुविधा

850. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चलती रेलगाड़ियों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त सुविधा हेतु किन–किन रेलगाड़ियों का चयन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

बहरहाल, निम्नलिखित गाड़ियों में इंटरनेट के प्रावधान के लिए परीक्षण जारी है :–

(i) मुंबई–अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस।

(ii) चेन्नै–मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस।

इन परीक्षणों के परिणामों के आधार पर इस संबंध में आगे निर्णय लिया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जन औषधि जेनरिक औषधि बिक्री केन्द्र

851. श्री उदय सिंह :
श्री रमेश दूबे :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना ब्रांड वाली उन औषधियों के नाम क्या हैं जिन्हें उन औषधि जेनरिक औषधि बिक्री केन्द्रों पर बेचने की योजना बनाई गई है;

(ख) आवश्यक 374 औषधियों की सूची में सूचीबद्ध ब्रांडेड तथा जेनरिक औषधियों में तुलनात्मक रूप से मूल्य एवं उपचार लागत में कितना अन्तर है;

(ग) ब्रांडेड एवं बिना ब्रांड वाली औषधियों की कीमतें कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा खोले गए जेनरिक बिक्री केन्द्र लोगों को पर्याप्त आपूर्ति करने में असफल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार औषधियों का अधिकतम खुदरा मूल्य तय करते समय उद्योग के 10 प्रतिशत प्रोत्साहन लाभ के दावे की तुलना

में देश में ब्रांडेड औषधियों पर 22 प्रतिशत प्रोत्साहन खर्च करने की अनुमति देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक) : (क) से (ङ) उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्वक अनब्रांडेड जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने जन औषधि जेनरिक ड्रग स्टोर्स खोलकर जेनरिक ड्रग अभियान शुरू किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, फार्मा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयूज) ने जन औषधि जेनरिक ड्रग स्टोर्स (जेएजीडीएस) में बिक्री के लिए 448 दवाओं की एक सूची तैयार की है। इसके अतिरिक्त, जेएजीडीएस राज्य सरकारों के सुझाव पर जनेरिक दवाएं बेचेंगी।

"जन औषधि" पहल से जेनरिक दवाओं की बिक्री के लिए समर्पित स्टोर्स, जो कि महंगी ब्रांडेड दवाओं के बराबर गुणवत्ता एवं प्रभाव वाली सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध करा रहे हैं, के माध्यम से उचित मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। कुछ तुलनात्मक मूल्य निम्नानुसार हैं;

(मूल्य रुपयों में)

(फरवरी 2009)

साल्ट का नाम		पैक	जन औषधि	बाजार
टैब. सिप्रोफलोक्ससिन	500 एमजी	10	21.50	97.00
टैब. डिक्लोफेनेक	100 एमजी	10	3.35	36.70
टैब. सिट्रिजिन	10 एमजी	10	2.75	20.00
टैब. निमुसुलाइड	100 एमजी	10	2.70	25.00
कैप. सेफालेक्सिन	500 एमजी	10	31.50	116.95

हाल में स्थापित फार्मा सीपीएसयूज ब्यूरो अनब्रांडेड जेनरिक दवाओं एवं जेनरिक दवा अभियान के संवर्द्धन में शामिल है।

(च) और (छ) अनुसूचीबद्ध दवाओं के मामले में, घरेलू निर्मित अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के लिए अधिकतम 100% और आयातित फार्मूलेशनों के लिए अवतरित मूल्य का अधिकतम 50% के अधिकतम अनुमत विनिर्माण उपरांत व्यय की अनुमति औषध (मूल्य नियंत्रण आदेश), 1995 के अधीन है। गैर अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों यानी औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 में शामिल नहीं की गई दवाओं. के मूल्य विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर स्वयं विनिर्माताओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं;

अतुल्य भारत अभियान

852. श्री मणी कुमार सुब्बा :

श्री सुरेश अंगड़ि :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने 'अतुल्य भारत' अभियान के अनुपालन में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस अभियान पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) कर्नाटक में उन स्थानों की संख्या एवं नाम क्या हैं जिन्हें 'अतुल्य भारत' अभियान में शामिल किया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन मंत्रालय घरेलू के साथ–साथ अतंर्राष्ट्रीय बाजारों में विषयगत एवं जेनेरिक संवर्धनात्मक अभियानों के माध्यम से देश के पर्यटक आकर्षणों का संवर्धन एवं प्रचार करता है। मंत्रालय, पर्यटन साहित्य एवं प्रासंगिक साहित्य की तैयारी, घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों में भागीदारी जैसी विविध प्रचार क्रियाकलापों का भी आयोजन करता है और अपने घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालयों और अपनी वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्रदान करता है। मंत्रालय आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश की यात्रा के लिए मीडिया कर्मियों, यात्रा प्रचालकों एवं राय निर्माताओं को आमंत्रित करता है और विदेशी संवर्धन के लिए यात्रा प्रचालकों को सहायता भी देता है।

(ख) विदेशी एवं घरेलू विपणन एवं संवर्धन पर होने वाले बजट अनुमान/व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

वर्ष	विदेशी संवर्धन, प्रचार एवं एमडीए	घरेलू, संवर्धन, प्रचार एवं आतिथ्य
2008–09 (बजट अनुमान)	220 करोड़ रुपए	72.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के विज्ञापन एवं प्रचार सहित)
2007–2008 (किया गया व्यय)	170.89* करोड रुपए	64.11* करोड़ रुपए
2006–07 (किया गया व्यय)	173.35 करोड़ रुपए	60.17 करोड़ रुपए
2005–06 (किया गया व्यय)	165.93 करोड़ रुपए	56.07 करोड़ रुपए

* अनंतिम

(ग) अतुल्य भारत अभियान के माध्यम से मंत्रालय कर्नाटक के पर्यटक स्थलों एवं आकर्षणों सहित सम्पूर्ण भारत का संवर्धन करता है।

[हिन्दी]

रेल पुलों के नीचे प्रकाश व्यवस्था

853. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल पुलों के नीचे पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम मध्य रेल जोन, जबलपुर के अंतर्गत ऐसे पुलों की प्रकाश व्यवस्थाओं की स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं, बहरहाल, मामला–दर–मामला आधार पर सुरक्षा कारणों से कुछ पुलों पर प्रकाश की व्यवस्था मुहैया करायी गयी है।

(ख) दो पुलों को छोड़कर अन्य रेल पुलों पर प्रकाश की व्यवस्था मुहैया नहीं की गयी है। पश्चिम मध्य रेलवे में मदन महल स्टेशन और भुसावल छोर पर इटारसी यार्ड पर दो निचले रेल पुलों (आर यू बी) पर पर्याप्त प्रकाश की फिटिंग मुहैया करा दी गयी है।

[अनुवाद]

बागडोगरा विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

854. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागडोगरा विमानपत्तन के आधुनिकीकरण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार बागडोगरा विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बागडोगरा हवाईअड्डे के एप्रन का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार संबंधी कार्य शुरू कर दिया है। यह कार्य मार्च, 2009 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा की संस्कृति को बढ़ावा

855. श्री गिरिधर गमांग : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से उड़ीसा की संस्कृति के संरक्षण, परिरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उड़ीसा की समाप्त एवं विलुप्त होती जा रही जनजातीय और लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए कौन–कौन सी योजनाएं, कार्यक्रम शुरू किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भेषज कच्चे माल तथा टीकों का आयात

856. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेषज कच्चे माल तथा टीकों के आयात के लिए किन–किन मानदण्डों को पूरा किया जाने की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या सरकार अपनी विनियामक आवश्यकताओं या समान अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का वास्तविक सत्यापन किए बिना कुछ देशों से सस्ते भेषज कच्चे माल तथा टीकों के आयात की अनुमति दे रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रणाली में सक्रिय भेषज–धारकों तथा टीकों के पंजीकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) आयातित औषधीय कच्ची सामग्री एवं टीकों की गुणवत्ता, औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम एवं उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों, जो कि भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संशासित है, के अधीन विदेशी विनिर्माताओं एवं उनके द्वारा विनिर्मित दवाओं के पंजीकरण एवं लाइसेंस की प्रणाली के माध्यम से विनियमित की जाती है।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन औषध महानियंत्रक (भारत) का कार्यालय, निर्यात करने वाले देश के

राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी ड्रग मास्टर फाइल, प्लांट मास्टर फाइल, अनुसूची डी (I) एवं डी (II) जानकारी, विनियामक दस्तावेज जैसे विनिर्माण लाइसेंस, डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणपत्र एवं निःशुल्क बिक्री प्रमाणपत्र की जांच और औषध को अधिसूचित प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है।

(घ) पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों एवं जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को औषध महा नियंत्रक (भारत) (डीजीसीआई) के कार्यालय की वेबसाइट www.cdsco.nic.in पर नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी की दवाओं के संबंध में टर्नएराउन्ड समय प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी की दवाओं के संबंध में डीसीजीआई कार्यालय के अधिकारी आवेदकों से प्रतिदिन मिलते हैं।

जन सुरक्षा हेतु निजी विमान कंपनियों की सेवाएं

857. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी विमान कंपनियों के लिए आतंकी हमलों, साम्प्रदायिक दंगों या जन सुरक्षा से संबंधित अन्य किसी घटना के दौरान अपने अतिरिक्त विमानों को सुरक्षा एजेंसियों के प्रयोग हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन मंत्रालय ने निजी विमान कंपनियों को लोक सेवा हेतु अपने विमान सरकार को उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) जी, हां। नागर विमानन मंत्रालय ने जन सुरक्षा के हित में दिनांक 22 फरवरी, 2009 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें किसी प्रचालक के लिए जन सेवाओं के लिए अपने विमान केंद्र सरकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार का कोई अधिकारी जो नागर विमानन मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव से कम स्तर का न हो, वह इस प्राधिकार का प्रयोग कर सकेगा। गृह मंत्रालय ने भी दिनांक 23 जनवरी, 2009 को एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अथवा इस मामले में उनके द्वारा प्राधिकृत सुरक्षा गार्ड का कोई अन्य सदस्य जो महानिरीक्षक के स्तर से कम का न हो, इस प्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।

[हिन्दी]

शिविर स्थलों का विकास

858. श्री रामदास आठवले : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर सस्ते घरेलू पर्यटकों के लिए शिविर स्थलों के विकास हेतु कोई केन्द्रीय योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की वित्तपोषण पद्धति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में उक्त योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को आबंटित/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) इको, साहसिक और तीर्थ पर्यटन के संवर्धन एवं सुगमीकरण और आवास के संवर्धन के उद्देश्य से शिविर स्थलों की स्थापना हेतु, 15 जुलाई, 2008 को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिशा–निर्देश तैयार किए हैं और परिचालित किए हैं। शिविर स्थलों के विकास को गंतव्यों और परिपथों का उत्पाद/अवसंरचना विकास की विद्यमान योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है।

(ग) दिशा–निर्देशों के जारी होने के पश्चात् शिविर स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(i) हरियाणा – 349.70 लाख रुपए

(ii) हिमाचल प्रदेश – 90.00 लाख रुपए

[अनुवाद]

भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम

859. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल खान–पान और पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) ने हाल ही में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्टॉलों के आबंटन हेतु निविदाएं जारी की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों को पहले से ही आबंटित स्टॉलों की निविदाओं को रद्द करने के लिए कोई कदम उठा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

आरक्षित श्रेणियों के लोगों द्वारा कठिनाइयों का सामना करना

860. श्री हेमंत खंडेलवाल : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपने क्षेत्रों से बाहर रहने वाले अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लोगों को जाति प्रमाणपत्र बनवाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा समाज के इन वंचित वर्गों के लोगों की सुविधा के लिए संबंधित संगत नियमों को सरल बनाने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) एक राज्य से दूसरे राज्यों में प्रवासित अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को रोजगार, शिक्षा आदि के उद्देश्यार्थ अपने मूल राज्य से जाति-प्रमाण पत्र प्राप्त करने में पेश आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को क्रमशः पत्र सं. बीसी 16014/1/82-एसी एंड बीसीडी-1, दिनांक 18.11.1982 और 120/11/94-बीसीसी (सी), दिनांक 8 अप्रैल, 1994 के तहत स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का निर्धारित प्राधिकरण पिता/माता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकरण द्वारा उसके माता/पिता को जारी वास्तविक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अन्य राज्य से प्रवासित व्यक्ति को अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाणपत्र केवल उस स्थिति को छोड़कर जारी कर सकता है जब निर्धारित प्राधिकरण को यह लगे कि प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य से विस्तृत जांच की आवश्यकता है। प्रमाणपत्र इस बात पर ध्यान दिए बगैर जारी कर दिया जाएगा कि उक्त जाति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, जहां उस व्यक्ति ने प्रवास किया है, अनुसूचित है अथवा नहीं।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण हेतु योजनाएं

861. श्री पी.सी. थामस : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फलों और सब्जियों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केरल सहित देश के विभिन्न भागों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और फूड पार्कों के लिए सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) देश में शीतश्रृंखला और बैकवर्ड लिंकेज की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए समेकित शीतश्रृंखला बुनियादी ढांचे के लिए सार्वजनिक/निजी संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास 11वीं योजना के दौरान एक योजना स्कीम है। इस स्कीम में सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत के 50% की दर पर पूर्वोत्तर के राज्यों और दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर पर सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने का उल्लेख है जिसकी अधिकतम सीमा 10.00 करोड़ रुपए है। इस पहल का उद्देश्य सप्लाई श्रृंखला में मौजूद अंतर को पाटना, शीतश्रृंखला संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, नैसर्गिक उपज समेत बागवानी, समुद्री, डेरी, पॉल्ट्री आदि की छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और प्रसंस्करण जैसी बुनियादी सुविधाओं से मूल्यवर्धन करना है।

देश में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास तथा संवर्धन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है अथवा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। इसके अतिरिक्त, समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों को बढ़ी हुई दरों पर यानी 50% की दर पर सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा वर्तमान

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के मामले में 4.00 करोड़ रुपये है और इसके उन्नयन के मामले में 1.00 करोड़ रुपये है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पुरानी योजना स्कीम के तहत केरल में 4 खाद्य पार्कों समेत विभिन्न राज्यों में सहायता अनुदान हेतु 56 खाद्य पार्कों को अनुमोदित किया गया है। इसका विवरण संलग्न है।

यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य संवर्धनात्मक और क्षमता निर्माण उपायों के अलावा बूचड़खानों के आधुनिकीकरण, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, मानव संसाधन विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट/आईएसओ 22000 जैसी गुणवत्ता प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता देने के वास्ते कई अन्य योजना स्कीमें भी चला रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर विचार करते हुए विशिष्ट खाद्य वस्तुओं पर कर में कमी, उत्पाद शुल्क को समाप्त करने/कमी करने, उत्पाद शुल्क में कमी जैसे अनेक उपाय किए हैं।

विवरण

पुरानी स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित खाद्य पार्कों के ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का स्थान	कार्यान्वयन एजेंसी	खा.प्र.उ.मं. द्वारा अनुमोदित अनुदान (लाख रु. में)	जारी किया गया अनुदान (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	कुप्पम, चित्तूर, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश औद्योगिक बुनियादी सुविधा निगम लिमिटेड	400.00	200.00
2.	असम	छायागांव, जिला कामरूप	असम लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी	350.00	175.00
3.	बिहार	हाजीपुर, जिला वैशाली, बिहार	उत्तर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मार्फत उद्योग विभाग, बिहार सरकार	400.00	–
4.	छत्तीसगढ़	गांव टेढेसराय, जिला राजनंदगांव	छत्तीसगढ़, राज्य औद्योगिक विकास निगम, रायपुर	400.00	200.00
5.	हरियाणा	साहा, अम्बाला	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	293.00	293.00
6.	हरियाणा	राई, सोनीपत, हरियाणा	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	400.00	200.00
7.	जम्मू कश्मीर	खुन्मों, श्रीनगर	जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	400.00	300.00
8.	जम्मू कश्मीर	सोपोर, बारामूला	जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड श्रीनगर	400.00	200.00

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू कश्मीर	जम्मू	जम्मू कृषि औद्योगिक खाद्य पार्क	346.00	273.00
10.	कर्नाटक	मलूर जिला, कोलार	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड/फूड कर्नाटक लिमिटेड	400.00	300.00
11.	कर्नाटक	बागलकोट	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड/फूड कर्नाटक लिमिटेड	400.00	200.00
12.	कर्नाटक	जेवरगी	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड/फूड कर्नाटक लिमिटेड	400.00	–
13.	कर्नाटक	हिरीयूर	मैसर्स अक्षय फूड पार्क लिमिटेड	400.00	100.00
14.	केरल	जिला मल्लापुरम, केरल	केरल औद्योगिक बुनियादी विकास निगम	400.00	400.00
15.	केरल	अरूर, आलपुजा, केरल	समुद्री उत्पाद बुनियादी विकास निगम प्रा. लिमिटेड/सी फूड पार्क लिमिटेड	299.00	265.00
16.	केरल	मुषवन्नर, एर्नाकुलम	केरल औद्योगिक बुनियादी विकास निगम, त्रिवेन्द्रम	200.00	200.00
17.	केरल	अडूर	केरल औद्योगिक बुनियादी विकास निगम, त्रिवेन्द्रम	388.00	194.00
18.	मध्य प्रदेश	जग्गाखेड़ी मंदसौर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड, इंदौर	381.83	381.83
19.	मध्य प्रदेश	निमरानी, जिला खरगौन, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड, इंदौर	400.00	300.00
20.	मध्य प्रदेश	पिपरिया, भभई, जिला होशंगाबाद	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड, भोपाल	400.00	328.76
21.	मध्य प्रदेश	बोरगांव, जिला छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड, जबलपुर	400.00	400.00
22.	मध्य प्रदेश	मालनपरु, जिला घिरौंगी जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (ग्वालियर) लिमिटेड, ग्वालियर	400.00	300.00

1	2	3	4	5	6
23.	मध्य प्रदेश	ममेरी, जिला मांडला	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड, जबलपुर	400.00	200.00
24.	महाराष्ट्र	बूटिबोरी, नागपुर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई	400.00	300.00
25.	महाराष्ट्र	विंचूर, जिला नासिक	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, मुंबई	400.00	300.00
26.	महाराष्ट्र	मौजा, गुम्थला, भण्डारा रोड, नागपुर	मैसर्स हल्दीराम कृषि उद्योग प्रा. लिमिटेड, नागपुर	400.00	400.00
27.	महाराष्ट्र	गांव सांगली, जिला सतारा	मैसर्स एग्री फूड इन्फोर्मेटिक्स इंडिया लिमिटेड, पुणे	400.00	400.00
28.	महाराष्ट्र	पालुस, जिला सांगली	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	400.00	124.00
29.	महाराष्ट्र	कापसी ताल्लुका, काम्बटी जिला	मैसर्स माउनिया औद्योगिक सहकारी बसाहट मर्यादित	387.00	387.00
30.	महाराष्ट्र	एमआईडीसी औद्योगिक एरिया, शेन्द्रा, औरंगाबाद	मैसर्स लक्ष्मी निर्मल प्रतिष्ठान	400.00	100.00
31.	मणिपुर	लम्फेलपट, इम्फाल, मणिपुर	मणिपुर खाद्य उद्योग निगम लिमिटेड, मणिपुर	400.00	200.00
32.	मणिपुर	उखरूल जिला, मणिपुर	रिशिंग केशिंग फाउण्डेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज	400.00	200.00
33.	मिजोरम	छिंगछिप, मिजोरम	मिजोरम फूड एंड एलाइड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन	382.00	382.00
34.	नागालैण्ड	बामनपुकरी, दीमापुर	प्रोगेसिव रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	387.12	96.78
35.	उड़ीसा	खुर्दा	उड़ीसा औद्योगिक बुनियादी विकास निगम	400.00	200.00
36.	पंजाब	सरहिंद, जिला फतेहगढ़ साहिब	पंजाब कृषि निर्यात निगम	400.00	200.00
37.	राजस्थान	रणपुर, जिला कोटा	राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	283.70	141.85
38.	राजस्थान	बोरनाडा, जिला जोधपुर	राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	387.77	193.88

1	2	3	4	5	6
39.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	227.89	100.00
40.	राजस्थान	अलवर	राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	351.98	87.995
41.	तमिलनाडु	विरूद्धनगर, जिला, मदुरै, तमिलनाडु	वी.पी.एस. आय्यमपेरूमाल नाडार एंड संस, मदुरै	400.00	400.00
42.	तमिलनाडु	जिला डिण्डीगुल	निलकोट्टाई फूड पार्क लिमिटेड	325.00	81.25
43.	त्रिपुरा	बोधगंज नगर, पश्चिम त्रिपुरा	त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, अगरतला	400.00	300.00
44.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	वाइस इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड	395.00	271.00
45.	उत्तर प्रदेश	खरक्यूं, वाराणसी	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास, निगम	400.00	200.00
46.	उत्तर प्रदेश	सहजनवा, गोरखपुर	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	323.11	80.77
47.	उत्तर प्रदेश	गांव कुशालीपुर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	मैसर्स कुशाल इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली	400.00	400.00
48.	उत्तर प्रदेश	कुर्सीरोड, बाराबंकी	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	400.00	400.00
49.	पश्चिम बंगाल	छगरिया, 24 परगना (दक्षिण)	राज्य मछुआरा सहकारी लिमिटेड, कोलकाता	400.00	400.00
50.	पश्चिम बंगाल	धनकुनि, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	मॉड्यूलर कसंल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड	400.00	75.00
51.	पश्चिम बंगाल	हल्दिया, जिला मिदनापुर	हल्दिया विकास प्राधिकरण, हल्दिया	400.00	200.00
52.	पश्चिम बंगाल	सुल्तानपुर, 24 परगना दक्षिण	राज्य मछुआरा सहकारी लिमिटेड, कोलकाता	200.28	200.28
53.	पश्चिम बंगाल	मालदा	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा बागवानी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	387.00	387.00
54.	पश्चिम बंगाल	शंकरपुर, जिला, पूर्बा, मेदिनीपुर	मात्स्यिकी, मछली पालन, जलचर संसाधन और मात्स्यिकी बंदरगाह विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	178.92	178.92

1	2	3	4	5	6
55.	पश्चिम बंगाल	संखेरल, हावड़ा	पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम	400.00	400.00
56.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	मैसर्स पताका इंडस्ट्रीज लिमिटेड़	379.88	–

रेलगाड़ियों में सफाई

862. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री पंकज चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि रेलगाड़ी में गंदगी के कारण यात्रियों द्वारा किए गए हंगामें के चलते अमृतसर–नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में विलंब हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) रेलवे ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। दिनांक 24.01.2009 को अमृतसर–नयी दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस की रवानगी में डिब्बों की सफाई के कारण विलंब की घटना हुई है।

(ख) गाड़ी संख्या 2029 नयी दिल्ली–अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस का अमृतसर पहुंचने का समय 13.25 बजे निर्धारित है। यही गाड़ी सफाई के पश्चात् गाड़ी संख्या 2030 अमृतसर–नयी दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस के रूप में 17.00 बजे अमृतसर से चलती है।

बहरहाल, 24.01.2009 को यह गाड़ी अमृतसर विलंब से आयी थी। डिब्बों की समय पर सफाई न किए जाने से यात्रियों के गुस्से के कारण गाड़ी प्रस्थान में विलंब हुआ।

(ग) और (घ) जांच की गयी है और संबंधित पदाधिकारियों पर डिब्बों की समय पर सफाई करने के संबंध में अतिरिक्त प्रयास न करने के लिए कार्रवाई की गयी है।

(ङ) ऐसी स्थितियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए, रेलवे ने पेशेवर एजेंसियों के जरिए डिब्बों की मशीनों द्वारा सफाई कराने के कार्य को बाहरी व्यक्तियों से कराने हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी है।

[हिन्दी]

अंबाला-मंगल पैसेंजर ट्रेन

863. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को अंबाला–नांगल पैसेंजर ट्रेन का विस्तार हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के चूरूडू रेलवे स्टेशन तक करने के संबंध में जन प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एविएशन टरबाईन फ्यूल का मूल्य

864. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एविएशन टरबाईन फ्यूल के मूल्यों में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अगस्त, 2008 और जनवरी, 2009 में उपर्युक्त उत्पाद का पृथक–पृथक बिक्री मूल्य कितना था; और

(घ) उपर्युक्त उत्पाद के मूल्य में कमी किए जाने के पीछे क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) जी हां। विमानन टरबाईन ईंधन (एटीएफ) एक नियंत्रणमुक्त उत्पाद है और इसके मूल्य का निर्धारण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में उतार चढ़ाव और वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है। घरेलू एयरलाइनों के लिए एटीएफ का मूल्य अब 16 नवम्बर, 2008 से ओ एम सीज द्वारा पाक्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है। हाल ही में पिछले दिनों अलग–अलग समय पर दिल्ली में ए टी एफ के बिक्री मूल्य (बिक्री कर को छोड़कर) निम्न प्रकार रहे थे/हैं–

	रुपए प्रति कि.ली.
1 अगस्त, 2008 को	59,190.22
1 जनवरी, 2009 से	25,381.01
16 जनवरी, 2009 से	26,246.93
1 फरवरी, 2009 से	25,240.30
16 फरवरी, 2009 से	24,298.61

[अनुवाद]

जिला निःशक्तता पुनर्वास केन्द्र

865. श्री अर्जुन सेठी :

डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में निःशक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत जिला निःशक्तता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे कुल कितने केन्द्रों की स्थापना की गई है और ये किन–किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ग) इन केन्द्रों के कार्यनिष्पादन की निगरानी और समीक्षा के लिए क्या तंत्र है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक 173 जिला विकलांगजन पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। राज्य और संघ राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जिला समाहर्ता की अध्यक्षता वाला जिला प्रबंधन दल, संबंधित जिला विकलांगजन पुनर्वास केन्द्र के कार्यकलापों की निगरानी और समन्वय करता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	जिला विकलांगजन पुनर्वास केन्द्रों की संख्या	संबंधित जिले का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	विशाखापटनम, अनंतपुर और करीमनगर
2.	कर्नाटक	7	बेल्लारी, बेलगांम, मंगलौर, टुमकुर, गुलबर्गा, मनडेया और बीदर
3.	केरल	3	कोझिकोड, त्रिशूर और तिरूवंनतपुरम
4.	तमिलनाडु	7	वेल्लोर, तुथुकोडी, मदुरै, सलेम, विरुधनगर, कन्याकुमारी और पेरामबलूर
5.	जम्मू–कश्मीर	4	उधमपुर, लेह, अनंतनाग और डोडा
6.	हिमाचल प्रदेश	3	शिमला, धर्मशाला और किन्नौर
7.	पंजाब	7	पटियाला, संगरूर, फिरोजपुर, भटिंडा, होशियारपुर, मोगा और नवांशहर
8.	हरियाणा	5	रोहतक, कुरूक्षेत्र, सोनीपत, हिसार और फरीदाबाद
9.	उत्तरांचल	5	टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोडा, बागेश्वर और नैनीताल
10.	उत्तर प्रदेश	13	गोरखपुर, मऊ, गोंडा, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, बलिया, झासी, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, अम्बेडकर नगर और रायबरेली
11.	राजस्थान	9	अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, झुझनू, बीकानेर, जैसलमेर, टोंक, जालौर और पाली
12.	गुजरात	9	सूरत, जामनगर, अहमदाबाद, वड़ोदरा, राजकोट, भावनगर, सुरेन्द्रनगर, नादियाड और जूनागढ़

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	7	कोहलापुर, बुलदाना, वर्धा, लातूर, औरंगाबाद, सिंधदुर्ग और माहिम
14.	मध्य प्रदेश	22	बालाघाट, रीवा, सागर, इंदौर, झबुआ, ग्वालियर, राजगढ़, उज्जैन, सतना, खारगांव, खंडवा, अगर, अलोट (रतलाम), जावद, देवास, मंदसौर, दामोह, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, गुना, विदिशा और सिहौर
15.	छत्तीसगढ़	6	रायचूर, रायगढ़, दुर्ग, राजनंदगांव, बस्तर और जशपुर
16.	बिहार	14	दरभंगा, गया, मुज्जफरपुर, छपरा, किशनगंज, नवादा, जहानाबाद, समस्तीपुर, बेगुसराय, पश्चिमी चम्पारन, केमूर, मधुबनी और भोजपुर
17.	झारखंड	5	रांची, हजारीबाग, दुमका, जमशेदपुर और धनबाद
18.	उड़ीसा	8	कालाहांडी, सम्बलपुर, मयूरभंज, कोरापुट, फुलबनी, गंजम, नबरंगपुर और केनझोर
19.	पश्चिम बंगाल	5	जलपाइगुडी, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दीनापुर, 24 परगना नार्थ और बीरभूम
20.	असम	8	तेजपुर, डिब्रूगढ़, सिल्चर, करीमगंज, धुबरी, नौगांव, जोरहाट और बारपेटा
21	मेघालय	3	शिलांग, ईस्ट गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स
22.	अरुणाचल प्रदेश	3	ईटानगर, तवांग और ईस्ट केमांग
23.	मणिपुर	3	इंफाल, थाउबल और चूडाचांदपुर
24.	नागालैंड	1	दीमापुर
25.	मिजोरम	3	आइजोल, लुंगलेई और कोलाशिब
26.	त्रिपुरा	3	अगरतला, धालई और उत्तरी त्रिपुरा
27.	सिक्किम	1	गंगटोक
28.	गोवा	1	पणजी
29.	पुडुचेरी	2	पुडुचेरी और कराइकल
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	पोर्ट ब्लेयर
31.	दादरा और नगर हवेली	1	सिलवासा
32.	दमन और दीव	1	दीव
	कुल	173	

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण

866. श्री संतोष गंगवार : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए कोई दीर्घकालिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर

रहा है; (i) मेगा खाद्य पार्क, शीत श्रृंखला, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण तथा मूल्यवर्धित केंद्र जैसे प्रमुख घटकों समेत बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम। शीत श्रृंखला के लिए इस स्कीम में सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत के 50% और पूर्वोत्तर के राज्यों तथा दुर्गम क्षेत्रों में 75% और अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता, सहायता अनुदान के रूप में देने का उल्लेख है। मंत्रालय ने पूरे देश में 50 बूचड़खानों के आधुनिकीकरण संबंधी व्यापक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत के 50% और दुर्गम क्षेत्रों में 75% और प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 15.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी; (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये है सहायता–अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है, (iii) मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत 15 करोड़ रुपये की लागत से 56 कॉलेजों को खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य विज्ञान संबंधी पाठयक्रम शुरू करने के लिए सहायता दी गई है; (iv) अनुसंधान एवं विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत, मुख्य उद्देश्य नोडल खाद्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और खाद्य क्षेत्र में स्थित उद्योगों को, आईएसओ 9000, एचएसीसीपी आदि जैसे गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए सहायता देना है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण करना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, गुणता मानकों पर सूचना उपलब्ध कराना आदि हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2008–09 को खाद्य सुरक्षा एवं गुणता वर्ष के रूप में मना रहा है और मंत्रालय की योजना विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए खाद्य सुरक्षा एवं गुणता की जानकारी सामान्य लोगों के बीच तेजी से पहुंचाने की है। (v) स्ट्रीट फूड के गुणता उन्नयन संबंधी स्कीम के दो घटक अर्थात सुरक्षित खाद्य नगर और फूड स्ट्रीट 9 शहरों में अर्थात कोच्चि, लुधियाना, आगरा रांची, नागपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर और पणजी में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। फूड स्ट्रीट घटक दो शहरों अर्थात, वाराणसी और तिरूपति में कार्यान्वित किया जा रहा है। सुरक्षित खाद्य नगर पूरे देश के 50 चुनिंदा शहरों में कार्यान्वित किए जाने हैं जिसका उद्देश्य 178.00 करोड़ रुपये की लागत से खाद्य संचलन, तैयार करने, भण्डारण और परोसने के बारे में स्ट्रीट फूड वेंडरों के ज्ञान, दृष्टिकोण और कार्य प्रणालियों के आधार पर उनकी विभिन्न क्षमताओं के निर्माण के लिए पहल करना है।

ग्यारहवीं योजना में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, एचएसीसीपी, आईएसओ, 9000, जीएचपी और जीएमपी प्रक्रियाओं जैसी गुणवत्ता प्रणालियों का कार्यान्वयन, अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास और अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी स्कीमों के जरिए निजी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में उच्चतर स्तरों की सहायता जारी रखने का भी प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि

867. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्रीमती निवेदिता माने :

श्री मधु गौड यास्खी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भेषज कंपनियां सिप्रोफ्लौक्सिन, डाइक्लोफेनिक, सिट्राजिन, पैरासीटामोल, न्यूमीस्यूलाइड और सिफलेक्सिन जैसी कुछ दवाइयों को बहुत अधिक कीमत पर बेच रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं औ ऐसी कंपनियों के क्या नाम हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या दांडिक कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) सिप्रोफ्लोक्सासीन के मामले में, जो कि अनुसूचित बल्क औषध है, उक्त बल्क औषध के मूल्य की अधिसूचना से संबंधित मामला फिलहाल माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों से प्रभावित है और मामला न्याय निर्णयाधीन है।

इसके अतिरिक्त, एनपीपीए की जानकारी में यह आया है कि विवरण के रूप में संलग्न सूची के अनुसार कुछ औषध कंपनियां सिप्रोफ्लोक्सासीन वाले अनुसूचित फार्मूलेशन को एनपीपीए द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य से भी अधिक मूल्य पर बेच रही हैं। अलग अलग मामलों में न्यायालय के निदेशों के अध्यधीन, एनपीपीए ने अतिप्रभारित राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई की है।

दवाओं के मामले में, डाइक्लोफेनेक, सेट्राजीन, पैरासीटामोल,

निमुसिलाइड और सेफालिक्सीन जो गैर अनुसूचित दवाएं हैं उनके लिए विनिर्माता एनपीपीए का अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्वयं मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। मूल्य निगरानी क्रियाकलाप के भाग के रूप में, एनपीपीए नियमित रूप से ओआरजी–आईएमएस की मासिक रिपोर्ट के आधार पर गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की गतिविधियों की नियमित जांच करता है। जहां कही भी एक वर्ष में 10% से अधिक की मूल्य वृद्धि पाई जाती है, वहां एनपीपीए द्वारा मार्गनिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में विनिर्माताओं से स्वैच्छिक रूप से मूल्यों में कमी लाने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर, यदि न्यायोचित होता है, तो डीपीसीओ 1995 के पैरा 10(ख) के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की जाती है।

मैसर्स डा. रेड्डीज द्वारा विनिर्मित सेट्रीजन वाले रिलेंट और मैसर्स नोवार्टिस द्वारा विनिर्मित डिक्लोफेनेक वाली वोवेरन के मामलों, जिसके लिए डीपीसीओ, 95 के पैरा 10(ख) के अन्तर्गत मूल्य निर्धारित किए गए हैं, को छोड़कर पूर्वोक्त मार्गनिर्देशों से अलग दरों पर उपर्युक्त दवाओं की बिक्री के संबंध में एनपीपीए की जानकारी में कोई विशेष मामला नहीं आया है।

विवरण

क्रम संख्या	कंपनियों के नाम
1	2
1.	बायोलोजिकल इवेनस लिमिटेड
2.	केडिला फार्मा लि.
3	सिप्ला लि
4.	डायज मेडिकल स्टोर लि.
5.	डा. रेड्डीज लैब लि.
6.	एफडीसी लि.
7	निकोलस पिरामल इंडिया लि.
8.	सोल फार्मा लि.
9	सन फार्मा लि.
10.	वाकेहार्ड्टज लि.
11.	अकुम उग फार्मा लि.
12.	हेल्थ बायोटेक प्रा. लि.
13.	इंड केमिक हेल्थ लि.
14.	मैसर्स बिलसोन फार्मा
15.	मैसर्स कैडिला हेल्थकेयर लि.
16.	मैसर्स इमक्यूर फार्मा लि.
17.	पिल्को फार्मा प्रा. लि.
18.	टोर्ग्यू फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
19.	टूलास फार्मा वर्क्स
20.	रेनबैक्सी लैब. लि.
21.	श्री कृष्णा केशव लैब
22.	सिप्रा रिमेडिज प्रा. लि.
23.	पेनेसिया बायोटेक लि.
24.	वेल हेल्थ फार्मा
25.	फ्रंकिलन लैब प्रा. लि.
26.	एलेम्बिक
27.	ग्लाइनोर फार्मा
28.	केनट्रैक लैब प्रा. लि.
29.	इल्डर केयर लि.
30.	स्पेक्ट्रा लैब
31.	पर्थ पैरेन्टल
32.	पाइफर फार्मा
33.	इंड केमिक हेल्थ प्रा. लि.
34.	ओकासा फार्मा प्रा. लि.
35.	सिस्टोकेम लैब लि.
36.	ऑरेंज बायोटेक
37.	इडकुश ड्रग एंड फार्मा
38.	टैम ब्रान फार्मास्यूटिकल

[हिन्दी]

रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण

868. श्री वी. के. तुम्मर :

श्री काशीराम राणा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण का गठन किस तारीख से किया गया था;

(ख) इसके गठन के बाद से उक्त प्राधिकरण द्वारा अब तक कितने भूमि क्षेत्र का अर्जन किया जा चुका है;

(ग) अब तक कितने भूमि क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग किया जा चुका है;

(घ) तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जोनवार कितना राजस्व अर्जित किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आर एल डी ए) का गठन 4.1.2007 को किया गया था और 19.01.2007 को इस प्राधिकरण ने कार्य करना आरंभ किया।

(ख) से (ङ) रेल भूमि विकास प्राधिकरण किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं करता। रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वाणिज्यिक विकास के लिए रेलवे भूमि रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंपी जाती है।

अभी तक रेलवे भूमि के वाणिज्यिक विकास के लिए भारतीय रेल के लगभग 1480 हैक्टेयर माप के 127 स्थल रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंपे गए हैं। अभी तक तीन स्थल वाणिज्यिक विकास के लिए सौंपे गए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है लेकिन विकास संबंधी करार को अभी लागू नहीं किया गया है।

(i) उत्तर रेलवे : सराय रोहिल्ला (क्षेत्र 15.5 हैक्टेयर)

(ii) उत्तर मध्य रेलवे : ग्वालियर (क्षेत्र 1.36 हैक्टेयर)

(iii) पूर्व तट रेलवे : विजाग (क्षेत्र 0.15 हैक्टेयर)

प्रीमियर शुल्क के रूप में उक्त स्थलों के लिए कुल 1065.51 करोड़ रु. वसूल किए जाने अपेक्षित हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन विकास

869. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान पर्यटन के विकास हेतु 522 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक सहित प्रत्येक राज्य को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना के विकास हेतु धनराशि का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन मंत्रालय ने बजट अनुमान 2008-09 में गंतव्यों तथा परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के लिए 522.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

(ख) पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008-09 (31 जनवरी 2009 तक) में निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पर्यटन परियोजनाओं हेतु स्वीकृत निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं :-

1. गंतव्यों तथा परिपथों का उत्पाद/अवसंरचना विकास

2. भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता

3. कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी

4. मेले, उत्सव एवं कार्यक्रम

5. ग्रामीण पर्यटन - अवसंरचना एवं सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण

(ग) परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों एवं स्थल दौरों के माध्यम से इनकी प्रगति को मॉनिटर करता है।

परियोजना स्वीकृत होने पर निधि की पहली किश्त जारी की जाती है। पिछली किश्त की उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर ही बाद की किश्त जारी की जाती है।

विवरण

वर्ष 2008-09 (31 जनवरी 2009 तक) के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7	9980.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	3147.74
3.	असम	4	2107.61

1	2	3	4
4.	बिहार	7	1578.38
5.	चंडीगढ़	4	568.11
6.	दादरा और नगर हवेली	3	24.88
7.	दमन और दीव	1	12.50
8.	दिल्ली	1	15.00
9.	गोवा	1	5.00
10.	गुजरात	7	2133.66
11.	हरियाणा	7	2485.49
12.	हिमाचल प्रदेश	9	2977.66
13.	जम्मू–कश्मीर	22	4346.53
14.	केरल	9	3207.68
15.	कर्नाटक	4	4273.21
16.	महाराष्ट्र	3	4110.05
17.	मणिपुर	8	2497.59
18.	मेघालय	6	1238.54
19.	मिजोरम	4	318.38
20.	मध्य प्रदेश	9	2687.41
21.	नागालैण्ड	9	2544.66
22.	उड़ीसा	5	3748.42
23.	पुडुचेरी	3	25.00
24.	पंजाब	2	1745.10
25.	राजस्थान	6	2179.19
26.	सिक्किम	18	6685.85
27.	तमिलनाडु	15	3246.14
28.	त्रिपुरा	6	360.94
29.	उत्तर प्रदेश	3	2416.15
30.	उत्तराखण्ड	2	2891.36
31.	पश्चिम बंगाल	7	2851.73
	कुल	205	76410.54

पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियां

870. **श्री अनवर हुसैन :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की बहुत–सी छोटी जनजातियों की संस्कृति तथा भाषाएं खतरे में हैं; और

(ख) यदि हां, तो खतरे में पड़ी इनकी संस्कृति तथा भाषाओं के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) यद्यपि पूर्वोत्तर क्षेत्र में संकटापन्न भाषायी जनजातीय समुदायों की संख्या का सर्वेक्षण नहीं किया गया है, सरकार के विभिन्न मंत्रालय तथा अभिकरण क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत तथा संकटापन्न भाषाओं की रक्षा तथा सर्वेक्षण का प्रयास कर रहे हैं।

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम प्रचलित करता है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को योजना निवेश उपलब्ध कराने हेतु, अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन करने, डाटा के संकलन, प्रशिक्षण, सेमिनार तथा कार्यशालाओं का आयोजन करने, प्रचलित कानूनों के प्रलेखन, जनजातीय कला वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए जनजातीय संग्रहालय की स्थापना तथा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टी आर आई) को सहायता अनुदान जारी किए जाते हैं।

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने पूर्वोत्तर की भाषाओं पर कई प्रकाशन निकाले हैं तथा पूर्वोत्तर भाषा विकास की शुरूआत की है, जिसमें 80 से ऊपर बोली समुदायों से अनुसंधानकर्त्ताओं ने कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, जिसमें भाषा संकट एवं भाषा विकास के मुद्दे पर जागरूकता का सजृन शामिल है तथा 25–30 अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रतिवर्ष सक्रिय रूप से सहायता दी जा रही है।

4. साहित्य अकादमी ने उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग में पूर्वोत्तर जनजातीय मौखिक भाषा केन्द्र की शुरूआत की है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषाओं पर कार्यक्रमों तथा पूर्वोत्तर की विभिन्न भाषाओं के जनजातीय मौखिक साहित्य के संकलन, संपादन तथा अनुवाद का आयोजन करता आ रहा है।

5. पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एन.ई.जेड.सी.सी.), दीमापुर "गुरू–शिष्य परंपरा स्कीम" प्रचालित कर रहा है, जो इस क्षेत्र की कई लोक कलाओं के सुदृढ़ीकरण तथा पुनरूद्धार में लाभकारी रहा है। इसके अलावा, "समाप्त हो रहे तथा लुप्त हो रहे कला रूपों के प्रलेखन" की

स्कीम के तहत एन.ई.जेड.सी.सी. ने पूर्वोत्तर में विभिन्न प्रलेखन परियोजनाओं की शुरूआत की है। एन.ई.जेड.सी.सी. द्वारा कार्यान्वित "रंगमंच नवीकरण स्कीम" कई लोक नाटकों के पुनर्जीवन तथा जनजातीय समुदायों के बीच इसको लोकप्रिय बनाने में सहायक रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने भी "ऑक्टेव" नामक आठ पूर्वोत्तर राज्यों के एक वार्षिक उत्सव की शुरूआत की है, जिसका क्षेत्र की छोटी जनजातीय समुदायों सहित पूर्वोत्तर की संस्कृति तथा कलारूपों के संवर्धन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

उर्वरक इकाइयां

871. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय सरकारी/निजी क्षेत्र में राज्य–वार कितनी उर्वरक इकाइयां चल रही हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : देश में चल रही उर्वरक (यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों) की इकाइयों की राज्यवार/क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में चल रही प्रमुख उर्वरक इकाइयों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या

क्रम सं.	राज्यों के नाम	चालू इकाइयों और क्षेत्र की संख्या			इकाइयों का नाम
		सार्वजनिक	सहकारी समिति	निजी	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश			4	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड काकीनाडा–I (यूरिया)
					नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड काकीनाडा–II (यूरिया)
					कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड काकीनाडा (डीएपी, मिश्रित उर्वरक)
					कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड–विजाग (मिश्रित उर्वरक)
2	असम	2			ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड नामरूप–III यूरिया
					ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड नामरूप–III यूरिया
3.	गोवा			1	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड गोवा (यूरिया, डीएपी, मिश्रित उर्वरक)
4.	गुजरात		3	5	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भरुच (यूरिया, मिश्रित उर्वरक)
					गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वड़ोदरा (यूरिया, डीएपी, मिश्रित उर्वरक)
					गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड सिक्का–I (डीएपी, मिश्रित उर्वरक)
					गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड सिक्का–II (डीएपी, मिश्रित उर्वरक)

1	2	3	4	5	6
					हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड दाहेज (डीएपी)
					इंडियन फामर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड–कांडला (डीएपी और मिश्रित उर्वरक)
					इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड–कलोल (यूरिया)
					कृषक भारती को–ऑपरेटिव लिमिटेड–हजीरा (यूरिया)
5.	हरियाणा	1			नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, पानीपत (यूरिया)
6.	कर्नाटक			1	मैंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मैंगलौर (यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरक)
7.	केरल	2			फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एंड ट्रावनकोर लिमिटेड, उद्योग मंडल (मिश्रित उर्वरक)
					फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एंड ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन (मिश्रित उर्वरक)
8.	मध्य प्रदेश	2			नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर–I (यूरिया)
					नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर–II (यूरिया)
9.	महाराष्ट्र	3		1	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ट्राम्बे (मिश्रित उर्वरक)
					राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ट्राम्बे–IV (मिश्रित उर्वरक)
					राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, थाल (यूरिया)
					दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. तलोजा (मिश्रित उर्वरक)
10.	उड़ीसा		1	1	इंडियन फार्मर्स को–ऑपरेटिव लि., पारादीप (डीएपी और मिश्रित उर्वरक)
					पारादीप फास्फेट लि., पारादीप (डीएपी और मिश्रित उर्वरक)
11.	पंजाब	2			नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नांगल–II (यूरिया)
					नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भटिंडा (यूरिया)
12.	राजस्थान			3	चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, गाडेपान–I (यूरिया)
					श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, गाडेपन–II (यूरिया)

1	2	3	4	5	6
13.	तमिलनाडु	1		1	मद्रास फर्टिलाइजर लि. चेन्नई (यूरिया)
					कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एन्नौर (मिश्रित उर्वरक)
14.	उत्तर प्रदेश		5	2	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लि., फूलपुर–I (यूरिया)
					इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लि., फूलपुर–II (यूरिया)
					इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लि., आंवला–I (यूरिया)
					इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लि., आंवला–II (यूरिया)
					इंडो–गल्फ फर्टिलाइजर, जगदीशपुर (यूरिया)
					टाटा केमिकल्स लि., बबराला (यूरिया)
					कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लि., शाहजहांपुर (यूरिया)
15.	पश्चिम बंगाल			1	टाटा केमिकल्स लि., बबराला (डीएपी और मिश्रित उर्वरक)
	योग	13	9	20	

[हिन्दी]

एलपीजी की कम आपूर्ति

872. श्री राम सिंह कस्वां :

डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान तथा झारखण्ड में एलपीजी डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से एलपीजी की आपूर्ति न करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिसके कारण उपभोक्ताओं को अतिरिक्त खर्च कर गोदामों से स्वयं सिलेंडर लाने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में दोषी एलपीजी वितरकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उक्त वितरक एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी में भी लिप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि झारखंड और राजस्थान राज्यों सहित देश में, कुल मिलाकर, एल पी जी की समग्र रूप से कोई कमी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटरों को एल पी जी की आपूर्तियां, ओ एम सीज द्वारा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार, स्वदेशी उत्पादन और आयातों के जरिए की जा रही है।

2005–06, 2006–07, 2007–08 और अप्रैल से दिसम्बर, 2008 के दौरान, झारखंड और राजस्थान राज्यों में ओ एम सीज ने एल पी जी की कालाबाजारी/घर में सुपुर्दगी न करने और उनकी एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों पर ग्राहकों को नकद दो और ले जाओ छूट नहीं देने के क्रमशः 20 और 87 मामले पकड़े हैं। सभी चूककर्ता डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई थी।

[अनुवाद]

नए घरेलू डबल एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन अनुपलभ्य बनाना

873. श्री पन्नियन रविन्द्रन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए घरेलू डबल सिलेंडर एलपीजी कनेक्शनों को अनुपलभ्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुपलभ्य बनाने के क्या कारण हैं;

(ग) कनेक्शनों की प्रतीक्षा–सूची को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) ये कंपनियां अनुपलभ्यता को पूरी तरह कब तक समाप्त कर पाएंगी; और

(ङ) दूसरे सिलेंडरों हेतु प्रतीक्षा–सूची में शामिल उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने नए एल पी जी कनेक्शन देना बंद नही किया है। नए एल पी जी कनेक्शन यथासंभव शीघ्र और किसी भी हालत में 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में वास्तविक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नए एल पी जी कनेक्शन उपलब्ध हैं और 01.01.2009 की स्थिति के अनुसार देश में 1050 लाख एल पी जी उपभोक्ता हैं।

ओ एम सीज ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने अप्रैल–दिसम्बर, 2008 की अवधि के दौरान देश में 36.80 लाख नए एल पी जी कनेक्शन एवं 7.50 लाख दोहरे सिलेंडर वाले कनेक्शन (डी बी सी) जारी किए हैं।

तथापि, इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने देश के कुछ राज्यों में नए एल पी जी कनेक्शन जारी किए जाने के लिए 1,31,471 की और डी बी सी के लिए 13,89,319 की प्रतीक्षा सूची की रिपोर्ट दी है। नए कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा–सूची मार्च, 2009 के अंत तक और डी बी सी के लिए 2009–10 में समाप्त हो जाने की आशा है। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने नए कनेक्शन एवं डी बी सी, दोनों के लिए शून्य प्रतीक्षा सूची की रिपोर्ट दी है।

झूठे अपहरण हेतु दंड

874. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किन्जरपु येरननायडु :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री नन्द कुमार साय :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान का अपहरण नाटक कर यात्रियों को अभिघात पहुंचाने वालों तथा असुविधा पैदा करने वालों को दंडित करने के लिए क्या कोई विशेष उपबंध है;

(ख) क्या हाल में इंडिगो के एक विमान ने संदिग्ध अपहरणकर्ताओं के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर आपात लैंडिंग की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्तियों पर 'सिविल विमान सुरक्षा विधि–विरुद्ध कार्य–दमन अधिनियम, 1982' की धारा 3(1) के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है, इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया है "जो कोई विधि विरुद्धतया और साशय ऐसी जानकारी, जिनके बारे में वह यह जानता है कि वह मिथ्या है, संसूचित करता है जिससे उड़ानरत वायुयान की सुरक्षा संकटापन्न हो जाती है, वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।"

(ख) से (च) जी, हां। दिनांक 01.02.2009 को इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई334 में बैठे जितेन्दर मोहाला नामक एक यात्री ने केबिन अटेंडेंट को कहा कि उसके पास एक गन तथा कुछ इंफेक्टिड नीडल्स हैं। उसने यह भी कहा है कि वह कंधार विमान अपहरण में भी शामिल था और शीघ्र ही अपने सहयोगियों के साथ इस विमान का भी अपहरण कर लेगा। उसने उस प्वाइंट को दिखाने के लिए केबिन अटेंडेंट की गर्दन की ओर अपने हाथ बढ़ाए और कहा कि इसे दबाकर वह किसी व्यक्ति को बेहोश कर सकता है। इस मामले की सूचना, कॉकपिट में बैठे क्रू सदस्यों को दी गई तथा आपातकालीन स्थिति में इस विमान को दिल्ली हवाईअड्डे पर उतारा गया। घरेलू हवाईअड्डा, दिल्ली के पुलिस स्टेशन में इस घटना की एफआईआर दर्ज की गई थी। दिनांक 02.02.2009 को जितेन्दर मोहाला को हिरासत में ले लिया गया था। इस मामले की जांच अभी चल रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान संपर्क

875. श्री सुरेश कलमाडी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है कि वह घरेलू विमान कंपनियों को अति दुर्गम क्षेत्र में और अधिक संपर्क प्रदान करने का निदेश दे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए/से यात्रा करने के लिए, पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एलाइंस एयर ने दिनांक 2.1.2003 से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित प्रचालन सेवाएं आरंभ की हैं।

किसी क्षेत्र के भीतर विमान संपर्क को प्रोत्साहित करने, टीयर II तथा टीयर III शहरों तथा विशिष्ट क्षेत्रों के बीच विमान यात्रा सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से अनुसूचित क्षेत्रीय विमान परिवहन सेवा के लिए नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन अपेक्षाएं जारी की हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित उड़ान सूचना क्षेत्रों (एफआईआर) की चार क्षेत्रों यथा उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी/पूर्वोत्तर के रूप में पहचान की गई है।

सरकार ने पूर्वोत्तर/उत्तरी क्षेत्र के लिए मैसर्स जेट एयरवेज को अनुसूचित विमान परिवहन (क्षेत्रीय) सेवाएं प्रचालित करने के लिए आरंभिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किया है।

सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों (आरडीजी) के अनुपालन के मद्देनजर, एयरलाइनें यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, सभी अनुसूचित प्रचालकों के लिए श्रेणी-I के मार्गों पर उनके द्वारा लगाई गई क्षमता की कम से कम 10% क्षमता श्रेणी II में लगानी अपेक्षित है और इसी प्रकार श्रेणी II के मार्गों पर लगाई जाने वाली अपेक्षित क्षमता की कम से कम 10% क्षमता अनन्य विशिष्ट रूप से पूर्वोत्तर-क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में प्रचालित सेवाओं अथवा तत्संबंधी सेगमेंटों पर लगानी होगी। प्रचालक द्वारा श्रेणी I के मार्गों पर लगाई गई क्षमता की कम से कम 50% क्षमता श्रेणी III में लगाई जानी अपेक्षित है।

टीएमटी पर आयात शुल्क

876. श्री विजय कृष्ण : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र हेतु प्रयोग होने वाली वस्तुओं के घरेलू विनिर्माताओं को राहत प्रदान करने हेतु थर्मो मैकेनिकली ट्रीटिड (टीएमटी) पर आयात से शुल्क की छूट वापस ले ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वैश्विक मंदी के मद्देनजर इस्पात उद्योग को बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष इस्पात की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई थी। कीमतों में बढ़ोतरी रोकने और घरेलू बाजार में इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विभिन्न राजस्व तथा अन्य उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात के आयात पर शुल्क समाप्त करना और टीएमटी बार्स तथा रॉड्स, जिनका निर्माण क्षेत्र में काफी उपयोग किया जाता है, के आयात पर सीवीईडी को समाप्त करना शामिल है। तथापि, वैश्विक आर्थिक संकट के चलते इस्पात क्षेत्र में मंदी को ध्यान में रखते हुए बाजार स्थिति में बदलाव आया है और घट रही इस्पात मांग और आयात की बढ़ रही मात्रा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले किए गए कुछ उपायों को समाप्त कर दिया है और दिनांक 18.11.2008 से लोहे तथा गैर-मिश्र इस्पात मदों पर 5 प्रतिशत आयात शुल्क तथा दिनांक 2.1.2009 से टीएमटी बार्स तथा स्ट्रक्चरल्स के आयात पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) पुनः लगा दी है।

(ग) सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस्पात उद्योग के साथ निरंतर बातचीत कर रही है। मौजूदा मंदी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय पहले ही किए जा चुके हैं :-

(i) सभी इस्पात मदों (मैल्टिंग स्क्रैप को छोड़कर) पर निर्यात शुल्क दिनांक 31.10.2008 से समाप्त कर दिया गया है।

(ii) इस्पात मदों पर डीईपीबी दिनांक 14.11.2008 से बहाल कर दी गई है।

(iii) लोहा और गैर-मिश्र इस्पात मदों पर दिनांक 18.11.2008 से 5 प्रतिशत आयात शुल्क पुनः लगा दिया गया है।

(iv) हॉट-रोल्ड क्वॉयल दिनांक 21.11.2008 से आयात की प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल किया गया है।

(v) दिनांक 7.12.2008 से इस्पात मदों पर सैनवैट 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

(vi) टीएमटी बार्स तथा स्ट्रक्चरल्स पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) दिनांक 2.1.2009 से पुनः लागू की गई है।

हैरिटेज ऑन व्हील्स

877. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हैरिटेज ऑन व्हील्स आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैरिटेज ऑन व्हील्स रेलगाड़ी को बंद करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसकी सेवाएं बहाल करने तथा परिचालन की दृष्टि से इसे अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। हैरिटेज ऑन व्हील्स का परिचालन फरवरी, 2006 में शुरू कर दिया गया था।

(ख) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से रेलवे द्वारा परिचालित यह मीटर आमान लक्जरी पर्यटन गाड़ी राजस्थान में जयपुर से बीकानेर और शेखावती के क्षेत्रों में 3 दिन/2 रात का पैकेज टूर प्रस्तावित करती है।

(ग) हैरिटेज ऑन व्हील्स का परिचालन जनवरी, 2009 से बंद कर दिया गया है।

(घ) इस सर्किट पर आमान परिवर्तन कार्य के दृष्टिगत।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

एनएमडीसी स्वामित्व वाली खानों से लौह अयस्क का निर्यात

878. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) की स्वामित्व वाली खानों से 90 प्रतिशत लौह अयस्क का निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस्पात कामगार लौह अयस्क विशेषकर हेमाटाइट किस्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और घरेलू रक्षित खपत के लिए मूल्यवान कच्चे माल का संरक्षण करने की मांग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगाने के संबंध में समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से मांग की गई है। लौह अयस्क के निर्यात के मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि देश के लौह अयस्क से संसाधनों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है फिर भी ऐसा लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगाकर अथवा इसे सीमित करके नहीं किया जा सकता है। अपितु उपयुक्त राजस्व उपाय करके ऐसा किया जा सकता है। इस समय चूरे को छोड़कर लौह अयस्क की सभी किस्मों पर 5 प्रतिशत यथामूल्य निर्यात शुल्क लगा हुआ है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर अग्निशमन प्रणाली

879. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर अग्निशमन व्यवस्था की गयी है;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सभी रेलवे स्टेशनों पर इस प्रकार के उपस्कर लगाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेलवे ने पश्चिम-मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत जबलपुर में आर आर आई भवन में हाल ही में आग लगने की घटना की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेल के सभी स्टेशनों पर अग्निशमन की व्यवस्था है। उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) प्रत्येक स्टेशन पर ड्राई केमिकल पाऊडर किस्म के दो अदद अग्निशामक की व्यवस्था की गयी है।

(ii) सभी स्टेशनों पर सूखी रेत तथा पानी से भरी हुई बाल्टी उपलब्ध करायी गयी है।

(iii) स्टेशनों पर विभिन्न किस्म के अग्निशामकों को परिचालित करने के लिए संरक्षा पोस्टर लगाए गए हैं।

(iv) बड़े-बड़े स्टेशनों पर रूट रिले इंटरलॉकिंग संस्थापनों में धुएं का पता लगाने वाले यंत्र लगाए गए हैं।

(v) स्टेशनों पर तैनात रेलकर्मी जैसे स्टेशन मास्टर को अग्नि शामकों के परिचालन के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया गया है।

(vi) अग्निशमन के संबंध में आवधिक ड्रिल आयोजित की जाती है।

(vii) रेलवे स्टेशनों पर नजदीक के अग्निशामकों के टेलीफोन नं. उपलब्ध रखे जाते हैं।

(viii) गाड़ियों के साथ-साथ स्टेशन परिसरों में ज्वलनशील/खतरनाक पदार्थों को ले जाने से रोकने के लिए बार-बार अभियान चलाये जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी हां। जबलपुर में रूट रिले इंटरलॉकिंग भवन में हाल ही की आग की घटना की जांच कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गयी थी।

जांच के निष्कर्ष एवं उन पर की गयी कार्रवाई निम्नानुसार है:-

(i) जिम्मेवारी-बिजली उपस्करों के काम न करने के परिणामस्वरूप।

(ii) जांच समिति द्वारा भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रणाली में विभिन्न प्रकार के सुधारों का सुझाव दिया है।

(iii) जबलपुर में धुएं का पता लगाने वाले आर आर आई पुनः संस्थापित किए गए हैं तथा विश्वसनीय बैकअप बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है ताकि इनकी विश्वसनीयता में सुधार हो सके तथा आग का अंदेशा होने पर तुरंत चेतावनी दी जा सके।

[अनुवाद]

उर्वरकों की कीमतों में कमी

880. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में उर्वरकों की कीमतें घटाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनियों द्वारा डीजल/पेट्रोल की अनुचित दरें

881. श्री अब्दुल्लाकुट्टी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनियों द्वारा डीजल/पेट्रोल की अनुचित दरों का मामला तेल क्षेत्र के विनियामक प्राधिकरण को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में तेल क्षेत्र के विनियामक प्राधिकरण द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी एन जी आर बी) ने सूचित किया है कि पी एन जी आर बी अधिनियम, 2006 की धारा 11(क) के साथ पठित धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम मैसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन और अन्य के मामले में दिनांक 12 फरवरी, 2008 की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। बोर्ड ने इस मामले में विचार करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार की पुष्टि करते हुए 12 दिसम्बर, 2008 को एक अन्तरिम आदेश जारी किया था। तथापि, राष्ट्रीय स्वामित्व वाली तेल कंपनियों ने इस आदेश के विरुद्ध पी एन जी आर बी अधिनियम, 2006 की धारा 33 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 111 के अंतर्गत विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की है। यह मामला विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।

[हिन्दी]

पंचायत स्तर पर नशा मुक्ति केन्द्र

882. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्राम पंचायत स्तर पर केन्द्र प्रायोजित नशामुक्ति केन्द्र योजना कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो हाल के वर्षों के दौरान खोले जाने वाले उक्त केन्द्रों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई निधि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) अक्तूबर 2008 से प्रभावी मद्यपान एवं मादक (दवा) पदार्थ दुरुपयोग निवारण हेतु संशोधित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं भी व्यसनियों के लिए इस योजना में निर्धारित समेकित पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना और अन्य नशामुक्ति कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं।

(ख) राज्य अथवा स्थानवार लक्ष्य पहले से निर्धारित नहीं किए गए हैं। राज्य सरकारों से उपयुक्त रूप से संस्तुत पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त होने पर संस्वीकृत प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) राज्यों के लिए सैद्धांतिक आबंटन वित्त वर्ष के आरंभ में किया जाता है। ब्यौरा विवरण के रूप में उपलब्ध है।

विवरण

वित्त वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत मद्यपान एवं मादक (दवा) पदार्थ दुरुपयोग निवारण योजना के लिए सैद्धांतिक आबंटन का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2008-09 के लिए सैद्धांतिक आबंटन (लाख रुपए)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	211
2.	अरुणाचल प्रदेश	15
3.	असम	218
4.	बिहार	228
5.	छत्तीसगढ़	62
6.	गोवा	7
7.	गुजरात	152
8.	हरियाणा	63
9.	हिमाचल प्रदेश	18
10.	जम्मू और कश्मीर	30
11.	झारखंड	81
12.	कर्नाटक	158
13.	केरल	95
14.	मध्य प्रदेश	181
15.	महाराष्ट्र	290
16.	मणिपुर	125
17.	मेघालय	30
18.	मिजोरम	75
19.	नागालैंड	30
20.	उड़ीसा	110
21.	पंजाब	73
22.	राजस्थान	169
23.	सिक्किम	7
24.	तमिलनाडु	186
25.	त्रिपुरा	40
26.	उत्तराखंड	26
27.	उत्तर प्रदेश	497
28.	प. बंगाल	240
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7
30.	चण्डीगढ़	7
31.	दादरा और नागर हवेली	7

1	2	3
32.	दमन और दीव	41
33.	दिल्ली	7
34.	लक्षद्वीप	7
35.	पुडुचेरी	7
	कुल	3500

रेंके आयोग

883. श्री हंसराज गं. अहीर :

श्री अशोक अर्गल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महापंजीयक के देश में घुमंतू और विमुक्त जनजातियों की वास्तविक जनसंख्या का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घुमंतू जनजातियों के लिए न्यायमूर्ति रेंके आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने घुमंतू जनजातियों के लिए उक्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) श्री बाल कृष्ण रेंके की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय अनधिसूचित, खानाबदोश और अर्धखानाबदोश जनजाति आयोग ने 02.07.2008 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

फैक्ट का कार्यकरण

884. श्री पी.सी. थामस :

श्री नरहरि महतो :

श्री हितेन बर्मन :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) अपने कार्य को विविधतापूर्ण बनाने की प्रक्रिया में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कंपनी का पुनरुत्थान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) फैक्ट ने यह संकेत दिया है कि उसने अन्य पीएसयू के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से अपने प्रचालनों का विस्तार करने और विविधीकरण करने तथा कंपनी की भूमि और अन्य संसाधनों का उपयोग करने के लिए योजनाएं बना रखी हैं। विविधीकरण का प्रमुख उद्देश्य, कंपनी के मौजूदा संसाधनों, विशेष रूप से भूमि संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना और निरंतर आधार पर राजस्व कमाने के लिए उपलब्ध जिप्सम अपशिष्ट के बड़े स्टाक का उपयोग करना और कंपनी की समग्र लाभप्रदता में वृद्धि करना है। कंपनी द्वारा प्रस्तावित प्रमुख विविधीकरण परियोजनाएं इस प्रकार हैं :-

1. फैक्ट ने फॉस्फो-जिप्सम का उपयोग करके मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए फैक्ट-आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्टस लि. के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है।

2. सेंट्रल वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन (सीडब्लूसी) और कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) के साथ कंटेनर माल-भाड़ा स्टेशन स्थापित करना, जिसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

3. उद्योग मण्डल में फ्री-ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करना।

4. एफईडीओ, जो फैक्ट का इंजीनियरी प्रभाग है, का अविलय करके इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाना, जिसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

5. एफईडब्ल्यू, जो फैक्ट की फैब्रिकेशन विंग है, का अविलय करके कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम करना, जिसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने मार्च, 2008 में फैक्ट को 200 करोड़ रुपए की एक मुश्त अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी थी ताकि कंपनी अपने प्रचालन बनाए रख सके। कंपनी को किसी प्रसिद्ध परामर्शदाता से अध्ययन कराने की सलाह भी दी थी, जो उसे लागत कम

करने के उपायों सहित प्रचालन दक्षता बढ़ाने के उपायों का सुझाव दे सके। परामर्शदाता की सिफारिशों पर फैक्ट के निदेशक मण्डल द्वारा जांच की जा रही है।

रेल लाइनों का दोहरीकरण/विद्युतीकरण

885. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में रेल लाइनों के दोहरीकरण/विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेल लाइनों के दोहरीकरण/विद्युतीकरण की चल रही परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ग) इसमें विलंब के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वर्ष 2005-06 से 2007-08 की अवधि के दौरान 59 दोहरीकरण और 12 रेल विद्युतीकरण कार्य रेलवे बजट में शामिल किए गए हैं। इनमें से निम्नलिखित निर्माण कार्य पूर्णतया/अंशतः पश्चिम बंगाल राज्य में आते हैं।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना शीर्ष	लंबाई (कि.मी. में)
1.	चिनपई-सैंतिया	दोहरीकरण	30
2.	मालदा एवं ओल्ड मालदा	दोहरीकरण	0.38
3.	आद्रा-जमचांदी पहाड़	दोहरीकरण	6
4.	गोकुलपुर-मिदनापुर नयापुल	दोहरीकरण	2
5.	अंडाल-पांडावेश्वर (पूरा कर लिया गया)	रेल विद्युतीकरण	20

(ख) 1.4.2008 तक कुल मिलाकर 120 दोहरीकरण परियोजनाएं प्रगति पर हैं और लगभग 12,000 करोड़ रुपये का कार्य बकाया है। 19 रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं का 3450 करोड़ रु. का कार्य बकाया है। सभी परियोजनाएं धनराशि की उपलब्धता के अनुसार प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) विलंब का मुख्य कारण धनराशि की तंगी, भूमि अधिग्रहण मे विलंब, ठेकेदारों की विफलता, कानून एवं व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति और कुछ परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित करने वाले बाजार की अन्य शक्तियां रहीं हैं।

(घ) पिछले कुछ वर्षों में परियोजनाओं के लिए आंतरिक संसाधनों के सृजन, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि, राज्य सरकारों और लाभार्थियों द्वारा भागीदारी और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के जरिए रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन से धनराशि की उपलब्धता बढ़ी है। ठेके की शर्तों में आशोधन, फील्ड इकाइयों का सशक्तिकरण और राज्य सरकारों के साथ सुरक्षा तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाता है। इन उपायों से आशा की जाती है कि दोहरीकरण संबंधी सभी चालू कार्य अगले 3-4 वर्षों में पूरे कर लिये जायेंगे।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम

886. श्री एल. राजगोपाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एम.फिल. और पी.एचडी. के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु पात्रता के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों की आय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या एम.फिल. और पी.एचडी. कार्यक्रम में अपना पंजीकरण कराने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर डिग्री में न्यूनतम 60 प्रतिशत का मानदंड अपेक्षित है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार एम.फिल. और पी.एचडी. करने के लिए प्रतिशत मानदंड में संशोधन कर उसे 60 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करने और परिवार की आय सीमा भी पांच लाख रुपए तक बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) इस योजना के अंतर्गत कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना

887. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) का विचार कुछ राज्यों में विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईओसी का विचार अन्य राष्ट्रों के सहयोग से तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों में इन विद्युत संयंत्रों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने टाटा पावर कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में उड़ीसा के नारज मार्थापुर में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) आई ओ सी और ईरान के पेट्रोपार्स ने ईरान में एक एकीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। आई ओ सी और पेट्रोपार्स के परिसंघ ने दिनांक 28 फरवरी, 2005 को राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 9 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी पी ए) एल एन जी का उत्पादन करने हेतु सारे गैस उत्पादन के द्रवीकरण के लिए अपस्ट्रीम सुविधाओं एवं डाउनस्ट्रीम सुविधाओं का विकास शामिल है।

आई ओ सी के पास एन्नोर में 2.5 एम एम टी पी ए की प्रारंभिक क्षमता, जिसे 5.0 एम एम टी पी ए तक बढ़ाया जा सकता है, के साथ एक एल एन जी आयात टर्मिनल विकसित करने की भी योजना है। परियोजना की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई है। एल एन जी के लिए दीर्घकालीन गठजोड़ बनाने के बाद निवेश निर्णय लिया जाएगा। आई ओ सी ने पेट्रोनेट एल एन जी के साथ संयुक्त रूप से गैस के स्रोतीकरण एवं परियोजना के संयुक्त विकास के लिए समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

यूनेस्को को योगदान

888. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौन–से देश यूनेस्को को योगदान देते हैं तथा इसके लिए यूनेस्को द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को को योगदान देती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 में अब तक यूनेस्को को दिए गए योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार के योगदान से किस हद तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान यूनेस्को द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पायलटों तथा केबिन क्रू को प्रशिक्षण

889. श्री किन्जरपु येरननायडु :

श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विमान अपहरण के खतरे के दृष्टिगत आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सभी एयरलाइन के केबिन क्रू तथा पायलटों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पायलटों तथा केबिन क्रू को प्रशिक्षण देने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान देश में अब तक विभिन्न एयरलाइनों द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षणाभ्यास और ब्रीफिंग कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए केबिन क्रू तथा पायलटों को पहले ही 6 दिन का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। केबिन क्रू के लिए यह प्रशिक्षण स्वाभाविक रूप से अनिवार्य है तथा इस प्रशिक्षण को पूरा करने के पश्चात ही नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उनको परमिट दिया जाता है।

(ङ) वर्ष 2007–08 तथा वर्ष 2008–09 के दौरान विभिन्न एयरलाइनों द्वारा आयोजित चालू प्रशिक्षणाभ्यास तथा ब्रीफिंग कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

एयरलाइन का नाम	2007–08	2008–09
जेट एयरवेज	1528	875
किंगफिशर एयरलाइन	540	582
एअर इंडिया	258	245
गो एयरलाइंस	72	36
एयर डेक्कन	581	174
इन्टर ग्लोब एविएशन लि.	426	368

ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रेल फैक्ट्री

890. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल :

श्री नन्द कुमार साय :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का देश में ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रेल फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किस स्थान की पहचान की गयी है;

(ग) इस पर व्यय होने वाली संभावित राशि क्या है;

(घ) उक्त फैक्ट्री में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है; और

(ङ) इस फैक्ट्री को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) मधेपुरा, बिहार।

(ग) 1293.57 करोड़ रु.।

(घ) फिलहाल इसका उल्लेख करना व्यावहारिक नहीं है।

(ङ) 2012–13 तक स्थापित होने की आशा है।

क्षेत्रीय रेल संग्रहालय

891. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यो में क्षेत्रीय रेल संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन स्थानों की पहचान की गयी है तथा इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) नए रेल संग्रहालय को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय राज्यवार आधार पर स्थापित नहीं किए जाते हैं। क्षेत्रीय रेल संग्रहालयों को क्षेत्रवार स्थापित किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक नया क्षेत्रीय रेल संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) रेल बजट 2008–09 में प्रथम चरण में 11.63 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर लोनावाला में क्षेत्रीय रेल संग्रहालय स्वीकृत किया गया है।

(ग) ऐसी स्थिति में निश्चित समय–सीमा नहीं बतायी जा सकती।

[हिन्दी]

ग्लोबल वार्मिंग

892. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न रेलवे जोनों के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जबलपुर में इस प्रकार के कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। गैसीय उत्सर्जनों और कणों को मापने के लिए मास उत्सर्जन मापदंड प्रणाली को अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, जो ऐसी परियोजनाओं के मूल्यांकन और मूल्यनिरूपण के लिए नोडल एजेंसी है, में डीजल इंजन परीक्षण बैंड पर स्थापित किया जा चुका है।

(ख) से (घ) 'भारतीय रेलवे पर डीजल रेल इंजन में निर्वातक उत्सर्जनों की कमी हेतु परामर्श' कार्य स्वीकृत किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है। इसके साथ–साथ, डीजल रेल इंजनों पर विभिन्न प्रौद्योगिकीय सुधार किए जा रहे हैं जो न

केवल रेल इंजनों की निष्पादन क्षमता में सुधार करते हैं बल्कि ईंधन जलने की मात्रा में भी कमी करते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है।

[अनुवाद]

बोकारो इस्पात संयंत्र में दुर्घटना

893. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान बोकरो इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में आग लगने की कोई दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे जान–माल की क्य: हानि हुई;

(ग) क्या इस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष निर्वाह भत्ता

894. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के पालन–पोषण के सामने आने वाली समस्याओं के मद्देनजर इन बच्चों के माता–पिता को विशेष निर्वाह भत्ता दिए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार का भत्ता प्रदान करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास, जो इस मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, को समय–समय पर ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, प्रयास यह है कि विकलांग व्यक्तियों को सीधे सेवाएं एवं आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाए।

[अनुवाद]

रेल समपारों का निर्माण

895. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से रेल समपारों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार, विशेषकर कर्नाटक सहित, कुल कितने स्थलों का रेल समपारों के निर्माण के लिए चयन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेलवे को समपारों के निर्माण के संबंध में राज्यों तथा स्थानीय निकायों से समय–समय पर कुछ अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। बहरहाल, इन पर विशिष्ट मामला दर मामले के आधार पर विचार किया जाता है। राज्य–वार रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं। हाल ही में, वर्ष के दौरान कर्नाटक से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव (i) सिकंदराबाद–वाडी खंड पर चित्तपुर यार्ड पर (ii) गदग–बीजापुर खंड पर 25/12–13 एवं 34/6–7 कि.मी. पर के लिए है। इनमें से, चित्तपुर पर समपार का कार्य पूरा हो गया है और रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति मिलने के बाद इसे शुरू किया जायेगा। दूसरा समपार विचाराधीन है।

मौजूदा नीति के अनुसार, नए समपारों का निर्माण नई लाइन को बिछाने के दौरान राज्य सरकार के परामर्श अथवा लाइन को यातायात के लिए खोले जाने के 10 वर्ष के अंदर किया जाता है। तत्पश्चात्, इस प्रकार का समपार निक्षेप शर्तों के आधार पर तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थान के आधार पर मुहैया कराया जा सकता है, यदि ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित हो और ये पक्ष ऐसे समपार के विनिर्माण की प्रारंभिक लागत और परिचालनिक प्रभारों एवं आवर्ती अनुरक्षण की एकमुश्त पूंजीगत लागत को वहन करने के लिए सहमत हों। इसके अलावा, रेलवे की नीतिनुसार, मौजूदा लाइनों पर बिना चौकीदार वाले नए समपारों की अनुमति नहीं है।

यात्री निवास

896. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थितिनुसार, स्थिति–वार एवं राज्य–वार विशेषकर पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री निवासों की संख्या क्या है;

(ख) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में यात्री–निवास का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यात्री–निवास के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना को पुनः चालू कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) 8वीं एवं 9वीं योजनाओं के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत यात्री निवास के राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) यात्री निवास के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने की पर्यटन मंत्रालय की योजना 10वीं योजना के बाद से समाप्त कर दी गई है।

विवरण

8वीं और 9वीं योजनाओं के दौरान यात्री निवास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परियोजनाओं की संख्या	स्थान
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	(i) कर्मतांग
2.	आंध्र प्रदेश	7	(i) अराक्कू वैली (ii) विशाखापतनम (iii) तिरूपति (iv) योदागिरिगुट्टा (v) होरसैली हिल्स (vi) तिरूमाला–तिरूपति (vii) नागार्जुन सागर
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	(i) बामेंग (ii) रोइंग (दिबांग) वैली
4.	असम	3	(i) बारपेटा (ii) भुबन हिल्स सिल्चर (iii) बाटाद्रावा
5.	हिमाचल प्रदेश	4	(i) देवत्रिद्ध (ii) ज्वालामुखी (iii) भरमौर (iv) धर्मशाला
6.	जम्मू एवं कश्मीर	3	(i) वैष्णोदेवी (ii) बाबा ऋषि (iii) पटनीटॉप
7.	कर्नाटक	10	(i) धारवार (ii) गुलबर्गा (iii) बीजापुर (iv) मारावन्थे (v) उदिपी (vi) हम्पी (vii) हसन (viii) येल्लाम्मनागुडा (ix) श्रावणबेलागोला (x) तालाकड, मैसूर
8.	केरल	6	(i) पीरमेडु (ii) कालीकट (iii) मालायत्तुर (iv) अलेप्पी (v) कोनडोट्टी (vi) कुमिली
9.	मध्य प्रदेश	1	(i) होशंगाबाद
10.	महाराष्ट्र	1	(i) जोथिबा, कोल्हापुर
11.	मणिपुर	1	(i) इम्फाल
12.	उड़ीसा	4	(i) पुरी (ii) चांदीपुर (iii) सतपुड़ा (चिल्का झील) (iv) कोणार्क
13.	पंजाब	1	(i) फतेहगढ़ साहिब
14.	तमिलनाडु	3	(i) रामेश्वरम (ii) समय्यापुरम (iii) तिरूवननमलाई
15.	उत्तराखंड	2	(i) गौचर (ii) गुप्तकाशी (रूद्रप्रयाग)
16.	पश्चिम बंगाल	1	(i) न्यू जलपाईगुड़ी

[हिन्दी]

सांस्कृतिक विरासत केन्द्र

897. श्री रामदास आठवले : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सांस्कृतिक विरासत केन्द्र तथा विरासत के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान की गई है;

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

सरकारी-निजी भागीदारी परियोजना

898. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री नन्द कुमार साय :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देश भर में निजी कंपनियों के सहयोग से परियोजनाओं को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार निजी कंपनियों के सहयोग से निर्माण हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने रेल मंत्रालय के इस कदम का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या प्रस्तावित परियोजनाओं को सरकारी–निजी भागीदारी परियोजना स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाना है; और

(च) यदि नहीं, तो प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। कुछ क्षेत्र जैसे चिन्हित महत्वपूर्ण स्टेशनों का विकास, रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से पत्तनों/उद्योगों हेतु रेल संपर्क और खानपान/पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार आदि क्षेत्रों की अनेक गतिविधियों की निजी कंपनियों की भागीदारी द्वारा संभावित निष्पादन हेतु पहचान की गयी है।

इन परियोजनाओं को आवश्यकता के आधार पर शुरू किया जाता है न कि राज्य क्षेत्राधिकार के आधार पर। बहरहाल, रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से निष्पादित की जा रही कुछ चालू संपर्कता परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	राज्य
1.	हरिदासपुर–पारादीप नई लाइन (82 कि.मी.)	1000	उड़ीसा
2.	उबलवारीपल्ली–कृष्णापट्नम नई लाइन (112 कि.मी.)	1000	आंध्र प्रदेश
3.	भरूच–दाहेज आमान परिवर्तन (62.36 कि.मी.)	285	गुजरात
4.	आंगुल–सुकिंदा नई लाइन (987 कि.मी.)	1052	उड़ीसा

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) परियोजनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी अथवा संयुक्त उद्यम के अंतर्गत शामिल हैं।

महाराष्ट्र में नए इंजन संयंत्र की स्थापना

899. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल मोटर्स ने महाराष्ट्र में एक नए इंजन संयंत्र के निर्माण के लिए समझौते को औपचारिक रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना में कितना निवेश किया जाएगा;

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा आज तक इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(घ) परियोजना में भारतीय हिस्सा कितना होगा; और

(ङ) भारत में इस सुविधा के निर्माण के लिए जनरल मोटर्स को क्या–क्या प्रोत्साहन एवं रियायतें प्रदान की गई हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता संघ (एसआईएएम) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनरल मोटर्स इंडिया ने 200 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के निवेश से एक इंजन संयंत्र स्थापित करने के लिए 28.08.2008 को महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह निवेश तालेगांव में कार विनिर्माण संयंत्र में किए गए 300 मिलियन से अधिक अमरीकी डालर के अतिरिक्त है। कार विनिर्माण और इंजन संयंत्रों के लिए अभी कुल निवेश 500 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है।

(ग) नए इंजन संयंत्र का विनिर्माण काफी तेजी से हो रहा है और अगले वर्ष के अंत तक नए संयंत्र के चालू होने की संभावना है। तालेगांव स्थित कार संयंत्र का उद्घाटन 02.09.2008 को किया गया और अभी वहां से मिनी स्पार्क कार का विनिर्माण हो रहा है।

(घ) जनरल मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयंत्र की स्थापना की जा रही है जो भारत में पंजीकृत और संयुक्त राज्य अमरीका की जनरल मोटर्स कार्पोरेशन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है।

ओएनजीसी का कार्य-निष्पादन

900. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2008-09 की तीसरी तिमाही के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनज़ीसी) के निवल लाभ में 43% की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चौथी तिमाही के लिए अनुमानित लाभ कितना है तथा क्या ओएनजीसी के लाभ और कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) द्वारा वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही के दौरान अर्जित 4367 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2008-09 की दूसरी तिमाही के दौरान अर्जित 4808 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही (क्यू 3) (अक्तूबर-दिसम्बर, 2008) के दौरान अर्जित कर पश्चात (पी ए टी) निवल लाभ 2475 करोड़ रुपए था। वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही में निम्नतर कर पश्चात लाभ का कारण अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में तीव्र गिरावट, प्रचालन व्यय (ओ पी ई एक्स) में वृद्धि तथा शुष्क कूपों की लागत और ओ एन जी सी के सर्वेक्षण आदि में वृद्धि हो सकता है।

(ग) से (ङ) ओ एन जी सी का लाभ कच्चे तेल के और मूल्य वर्धित पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर निर्भर रहता है। चूंकि कच्चे तेल और मूल्य वर्धित पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही के लिए ओ एन जी सी के लाभ को प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है। तथापि, ओ एन जी सी ने ओ पी ई एक्स तथा शुष्क कूपों और सर्वेक्षण आदि की लागत घटाने के लिए कदम उठाये हैं।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या

901. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के सबंध में कोई आधिकारिक आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के वास्तविक आंकड़े न होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्गों की विकास परियोजनाओं हेतु धनराशि आबंटित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का सैद्धांतिक आबंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

पुराने रेल डिब्बों की मरम्मत

902. श्री रामदास आठवले :

श्री राकेश सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने रेल डिब्बों की मरम्मत और उनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) सवारी डिब्बों का अनुरक्षण एवं रख–रखाव एक सतत् आवश्यकता है और इसे ओपन लाइन में निर्धारित अनुरक्षण अनुसूची के साथ–साथ क्षेत्रीय रेलों में कारखानों में आवधिक मरम्मतों के दौरान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सवारी डिब्बों की स्थिति कायम रखने के लिए उनका मध्यावधि पुनर्स्थापन भी किया जाता है।

[अनुवाद]

मुम्बई हाई पुनर्विकास योजना

903. श्री सुग्रीव सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने मुंबई हाई पुनर्विकास योजना के द्वितीय चरण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुनर्विकास योजना कब तक पूरी होने की संभावना है; और

(घ) परियोजना से प्राप्त होने वाले उत्पादों का मात्रा सहित ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ एन जी सी) बोर्ड ने 7133 करोड़ रुपए की लागत पर मुंबई हाई नार्थ पुनर्विकास परियोजना के द्वितीय चरण का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) इस परियोजना में 6 नये प्लेटफार्म, 10 विद्यमान कूप प्लेटफार्मों के टाप साइड मोडिफिकेशन्स, डब्ल्यू आई–4 पर उत्पादन सुविधाएं, 73 नये कूप, 38 साइड ट्रैक कूप, 26 अतिरिक्त अंतःक्षेपण कूप, 21 इलैक्ट्रिकल सबमर्सिबल पम्प (ई एस पी) तथा 141 कि.मी. उप समुद्री पाइपलाइन आदि शामिल हैं।

(ग) इस परियोजना को सितम्बर, 2012 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम है।

(घ) इस परियोजना में वर्ष 2030 तक बढ़ती हुई दर से क्रमशः 17.345 एम एम टी और 2.987 बी सी एम तेल और गैस के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

तेल बॉण्ड

904. श्री सुग्रीव सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान तेल विपणन कंपनियों को जारी तेल बॉण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन तेल बॉण्डों को जारी करने के क्या कारण हैं; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के गिरते मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में क्या नीतिगत परिवर्तन, यदि कोई हैं, किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को विगत तीन वर्षों के दौरान जारी तेल बांडों के ब्यौरे निम्नवत् हैं –

(करोड़ रुपए)

2005–06	11,500.00
2006–07	24,121.00
2007–08	20,333.33
2008–09 (आज की तारीख तक)	65942.00*

*वर्ष 2007–08 के लिए 14,956.17 करोड़ रुपए सहित

विशेष रूप से 2004–05 से, अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि के बावजूद, संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात पेट्रोल, डीजल, पी डी एस मिट्टी तेल तथा घरेलू एल पी जी के खुदरा बिक्री मूल्य अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के अनुसार संशोधित नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ओ एम सीज को भारी अल्प वसूलियां हुई। ओ एम सीज ने 2005–06 में 40,000 करोड़ रुपए, 2006–07 में 49,387 करोड़ रुपए तथा 2007–08 में 77,123 करोड़ रुपए की अल्प वसूलियां उठानी पड़ी। वर्तमान वर्ष के लिए अनुमानित अल्प वसूलियां 1,03,908 करोड़ रुपए हैं।

सरकार ने हाल ही में 2008–09 के लिए एक संशोधित भार हिस्सेदारी व्यवस्था अनुमोदित की है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम तेल कंपनियां 32,000 करोड़ रुपए का अंशदान करेंगी और शेष अल्प वसूलियों की भरपाई तेल बांड जारी करके की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में हाल में आई कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित दो अवसरों पर संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यो में कमी (दिल्ली में) और साथ में शेष भारत में तदनुरूपी कमी की है।

– 06.12.2008 से प्रभावी–पेट्रोल में 5/–रुपए प्रति लीटर तथा डीजल में 2/–रुपए प्रति लीटर; और

– 29.01.2009 से प्रभावी–पेट्रोल में 5/–रुपए प्रति लीटर तथा डीजल में 2/–रुपए प्रति लीटर तथा घरेलू एलपीजी में 25/–रुपए प्रति सिलेंडर।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों का आबंटन

905. श्री पी. राजेन्दन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तेल कंपनियों द्वारा आबंटित/खोले गए पेट्रोल पंपों/खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों/जिलों के नाम क्या हैं जहां तेल कंपनियों द्वारा स्वयं पेट्रोल पंप चलाये जा रहे हैं;

(ग) देश में उन राज्यों/जिलों के नाम क्या हैं जहां अब तक किसी को कोई पेट्रोल पंप आबंटित नहीं किया गया है;

(घ) क्या नए बिक्री केन्द्रों को खोलने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन मानदण्डों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच पी सी) तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) द्वारा विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खोले गए खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओ) की संख्या निम्नवत् है:–

वर्ष	खोले गए खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
2005–06	3295
2006–07	2475
2007–08	2074
2008–09 (अप्रैल–दिसम्बर)	660

इन बिक्री केन्द्रों के ब्यौरे ओ एम सीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ख) ओ एम सीज द्वारा अपने स्वयं के अधिकारियों के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे स्थायी कंपनी स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या निम्नवत है:–

ओ एम सीज का नाम	कोको और ओज की संख्या
आई ओ सी	89
बी पी सी	140
एच पी सी	105

इन बिक्री केन्द्रों के ब्यौरे ओ एम सीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ग) देश भर के सभी राज्यों में ओ एम सीज द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन किया गया है।

(घ) और (ङ) ओ एम सीज द्वारा सर्वेक्षणों और व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर पहचाने गए स्थलों पर नए खुदरा बिक्री केन्द्र/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित की गई हैं। ऐसे स्थलों को खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए राज्य–वार विपणन योजनाओं में रोस्टर में रखा जाता है, जिनके पास पर्याप्त संभाव्यता है और जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाए जाते हैं।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना में कई चरण शामिल होते हैं जैसे विज्ञापनों को जारी करना, आवेदकों की छंटाई, डीलरों का साक्षात्कार/चयन, चुने गए उम्मीदवारों के प्रत्यय पत्रों का क्षेत्र सत्यापन, आशय पत्र (एल ओ आई) जारी करना, भूमि प्रापण, विभिन्न सांविधिक अनुमोदनों की प्राप्ति, निर्माण कार्य आदि।

ओ एम सीज द्वारा नए खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने में उपरोक्त मानदण्डों का पालन किया जाता है।

[अनुवाद]

आरक्षण नीति

906. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की नीति द्वारा लाभान्वित जनसंख्या के वास्तविक आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समुदाय–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आरक्षण नीति में कुछ खामियों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा किन सुधारात्मक उपायों पर विचार किया गया है;

(ङ) क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(च) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(छ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का पुनरुद्धार

907. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के लिए पुनरुद्धार पैकेज उपलब्ध कराने के लिए कोई अंतिम निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के लिए पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित कर दिया है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : श्री शरद पवार की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 10770/09]

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10771/09]

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : श्रीमती अम्बिका सोनी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10772/09]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष

2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10773/09]

(4) (एक) साऊथ सेंट्रल जोन कल्चल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10774/09]

(6) (एक) ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10775/09]

(8) (एक) वेस्ट ज़ोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट ज़ोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10776/09]

(10) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10777/09]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधाराओं (1) और (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 329(अ) जो 2 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कम्पनियों को उक्त अधिनियम की धारा 620क के अंतर्गत निधि का दर्जा प्रदान किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10778/09]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के संचित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 10779/09]

(3) (एक) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 10780/09]

(4) कार्यस्थल पर संरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10781/09]

(5) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) केन्द्रीय शिक्षु परिषद् (संशोधन) नियम, 2008 जो 30 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 895(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 2594, जो 13 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, प्रौद्योगिकी के अध्ययन विषयों को शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रयोजनार्थ नामित ट्रेडों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 10782/09]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : श्री विजय हान्डिक की ओर से मैं हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10783/09]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से मैं इंडियन रेडक्रास सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 से 2007–2008 तक और उसमें उल्लिखित 13 अन्य संगठनों के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10784/09]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री **श्रीप्रकाश जायसवाल**) : डा. शकील अहमद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की–गई–कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 10785/09]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 10786/09]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 10787/09]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 10788/09]

(7) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10789/09]

(8) जम्मू एण्ड कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोडयूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग लिमिटेड के वर्ष 1992–1993 के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10790/09]

(9) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत शहद श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2008, जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 877 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10791/09]

(10) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी जो अधिसूचना

संख्या का.आ. 2847 (अ) 8 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 1 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 10792/09]

(11) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश 2008 जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2888 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10793/09]

(12) नाशक जीव मार अधिनियम, 1968 की धारा 27 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) फेनीट्रोथियन का उपयोग आदेश, 2007, जो 3 मई 2007 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ. 706(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) लिंडेन (गामा बी.एच.सी) के आयात, विनिर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध आदेश, 2007, जो 29 अगस्त 2007 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ. 1472(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) डायजिनान के उपयोग पर प्रतिबंध आदेश, 2007, जो 8 जनवरी 2008 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना सख्या का.आ. 45(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) फेन्थियम के उपयोग पर प्रतिबंध आदेश, 2007, जो 8 जनवरी 2008 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ. 46(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) मेटोक्सूरॉन का बापसी आदेश, 2007, जो 8 जनवरी 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 47(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) डेजीमेट के उपयोग पर प्रतिबंध आदेश, 2007, जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ. 3006(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) क्लोरोफेन्विनफॉस पर प्रतिबंध आदेश, 2008, जो 31 दिसम्बर 2008 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ. 3007(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 10794/09]

(3) नाशक जीव मार अधिनियम, 1968 की धारा के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 374 (अ), जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 8 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 45(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(दो) का.आ. 375 (अ), जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 8 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 46(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(तीन) का.आ. 376 (अ), जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 8 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 47(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 10795/09]

(14) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी उर्वरक नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009, जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 401(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10796/09]

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(क) (एक) कुमारकृप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमारकृप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 10797/09]

(ख) (एक) डोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 10798/09]

(ग) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी का वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10799/09]

(3) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10800/09]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं सभा पटल पर रखता हूं:–

असम राइफल अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत असम राइफल नियम, 2008, जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 861(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 20 फरवरी, 2009 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 106(अ) (केवल अंग्रेजी संस्करण) का शुद्धिपत्र।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 10801/09]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : मैं श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (पांचवां संशोधन) आदेश, 2008 जो 22 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2247(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (छठा संशोधन) आदेश, 2008 जो 22 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2248(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना

(सातवां संशोधन) आदेश, 2008 जो 22 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2249(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10802/09]

(2) (एक) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10803/09]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) कोस्टल एक्वाकल्चर अथारिटी, चेन्नई के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोस्टल एक्वाकल्चर अथारिटी, चेन्नई के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10804/09]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 10805/09]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 10806/09]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक– महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10807/09]

(ख) (एक) नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 10808/09]

(ग) (एक) हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर–पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर–पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 10809/09]

(3) (एक) कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टेक्सप्रोसिल), मुंबई के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टेक्सप्रोसिल), मुंबई वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 10810/09]

(5) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 2008 जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 818(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10811/09]

(6) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2160(अ), जो 4 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें हथकरघा द्वारा विशिष्ट उत्पादम के लिए वस्त्र सामान की ग्यारह श्रेणियां विनिर्दिष्ट हो गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10812/09]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : मैं डा. अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल्स ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल्स ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 10813/09]

(3) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के बाद नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10814/09]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) चीनी (वर्ष 2008–2009 उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 2009 जो 21 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 41(अ)/ईएसएस/कॉम/शुगर. में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2008 जो 29 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2984(अ)/ईएसएस. कॉम/शुगरकेन. में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10815/09]

(5) चीनी उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 102(अ) जो 9 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा "ऐसी अन्य चीनी से विनिर्मित" किसी चीनी पर जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपकर उद्ग्रहणीय है, उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहित चीनी पर उपकर के उद्ग्रहण से छूट दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10816/09]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : मैं श्री आनन्द शर्मा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 10817/09]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : मैं विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत विस्फोटक नियम, 2008 जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10818/09]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : मैं श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं:–

(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10819/09]

(3) विश्व भारती के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 10820/09]

(4) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 10821/09]

(5) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 10822/09]

(6) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 10823/09]

(7) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 10824/09]

(8) नागालैण्ड विश्वविद्यालय के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 10825/09]

(9) असम विश्वविद्यालय के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 10826/09]

(10) मिजोरम विश्वविद्यालय के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वालो विवरण* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 10827/09]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 10828/09]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : मैं श्री जयराम रमेश की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) भारतीय काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद्, कोच्चि के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद्, कोच्चि के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10829/09]

*वार्षिक प्रतिवेदन 17-2-2009 को सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.02 बजे

राष्ट्रपति का संदेश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे 20 फरवरी, 2009 को माननीय राष्ट्रपति का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:–

"मुझे 12 फरवरी, 2009 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं को संबोधित अभिभाषण के लिए लोक सभा सदस्यों से धन्यवाद ज्ञापन प्राप्त हुआ है।"

अपराह्न 12.02¼ बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव महोदय : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 24 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 25 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोग का निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2008 में निम्नलिखित संशोधनों के साथ सहमत हुई।"

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "उनसठवें" शब्द के *स्थान* पर "साठवें" शब्द *प्रतिस्थापित* किया जाए।

खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3, अंक "2008" के *स्थान पर* "2009" *प्रतिस्थापित* किया जाए।

(iii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(vi) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(v) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे वित्त विधेयक, 2009 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

अपराह्न 12.02½ बजे

लोक लेखा समिति

84वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, मैं "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय (2005–2006)" के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 54वें प्रतिवेदन पर की–गई–कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति (2008–09) का 84वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

37वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा (रोपड़) : महोदय, मैं "भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

42वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं 'रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2008' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2008–09) का 42वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

140वां से 142वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) : मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008–09) के बारे में 132वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 140वां प्रतिवेदन।

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008–09) के बारे में 133वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 141वां प्रतिवेदन।

(3) कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण की केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन संबंधी 142वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल आपूर्ति विभाग से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): दिनांक 1 सितम्बर, 2008 के लोक सभा समाचार, भाग–II में अंतर्विष्ट माननीय अध्यक्ष के निर्देशों के निर्देश 73क के अनुसरण में मैं श्रीमती सूर्यकांता पाटील की ओर से ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (पेयजल आपूर्ति विभाग) (14वीं लोक सभा) के सैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित इस वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी समिति के 37वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) को 17 अप्रैल, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल आपूर्ति विभाग) की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है! समिति के प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों संबंधी कृत कार्रवाई प्रतिवेदन स्थायी समिति को दिनांक 1 सितम्बर, 2008 को भेज दिया गया था।

उक्त प्रतिवेदन में समिति ने 35 सिफारिशें की थीं जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई करने को कहा गया है। ये सिफारिशें मुख्यतः ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता संबंधी योजनाओं के मुद्दों से जुड़ी हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य में संलग्न अनुबंध में दी गई है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पठित समझा जाए।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10630/09

अपराह्न 12.07 बजे

विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2008*

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम एक बहुत छोटा सा कार्य, मद सं. 30 निपटाएंगे जो श्री प्रफुल पटेल पेश करेंगे। उन्हें कुछ विमानपत्तन खोलने हैं। मैं उन्हें यह अवसर नहीं देता यदि यह पश्चिम बंगाल में कहीं पर नहीं होता। उन्होंने इस पर सहमत होने के लिए मुझसे आग्रह किया।

हां, श्री प्रफुल पटेल। आप यह विशेष सुविधा के बारे में याद रखिएगा जब मैं बंगाल से संबंधित मामलों के बारे में आपसे कुछ अनुरोध करूंगा।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : हां, महोदय, मैं इसकी सराहना करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विमानवहन अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "उनसठवें" शब्द के स्थान पर "साठवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1 — **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3, अंक "2008" के स्थान पर "2009" प्रतिस्थापित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विमानवहन अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा दिए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:–

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "उनसठवें" शब्द के स्थान पर "साठवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1 — **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3, अंक "2008" के स्थान पर "2009" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रफुल पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.12 बजे

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में 16.11.1995 से लागू कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना की पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें:–

"छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में 16.11. 1995 से लागू कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना की पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता।"

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : महोदय, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के दृष्टिगत कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में संशोधन का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है जो कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के दायरे में नहीं आते हैं। अतः केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर पेंशन के पुनरीक्षण हेतु कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत एक योजना है, की

---

* विधेयक 30 अप्रैल, 2008 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया तथा सहमति के लिए राज्य सभा में भेजा गया। राज्य सभा ने 18 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में संशोधन के साथ विधेयक पारित किया और उसी दिन इसे लोक सभा को लौटा दिया।

[श्री ऑस्कर फर्नांडीस]

दीर्घकालिक वित्तीय संभरण सुनिश्चित करने के लिए बीमांकिक सिद्धांतों को अपनाने के बाद तैयार की गई एक लाभ परिभाषित सामाजिक बीमा योजना के रूप में कल्पना की गई है। इसे कर्मचारियों की मजदूरी के 8.33 प्रतिशत की दर पर नियोजकों से अंशदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है तथा केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की मजदूरी का 1.1/6% अंशदान करती है। पेंशनीय लाभ की धनराशि में कोई वृद्धि पेंशन निधि की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के सदस्यों को पेंशन की मात्रा की योजना के उपबंधों के अनुसार बीमांकिक रूप से गणना की जाती है। पेंशन तथा अन्य लाभों के अंशदान की दर एवं मात्रा की समीक्षा करने के लिए, इस योजना के पैरा–32 में पेंशन निधि के वार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रावधान है। प्रथम चार मूल्यांकनों से बेशी राशि का पता चला था, जिसके परिणामस्वरूप चार अतिरिक्त राहतें प्रदान की गई थीं। तथापि, अगले चार मूल्यांकनों से किसी बेशी राशि का पता नहीं चला और इसलिए अतिरिक्त राहत प्रदान कर पाना संभव नहीं हुआ।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन 58 वर्ष की आयु पर पेंशनयोग्य वेतन और सेवा अवधि तथा अधिवर्षिता से सीधे संबंधित होती है। कम वेतन और कम सेवा अवधि तथा समयपूर्व पेंशन का विकल्प कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत अत्यंत कम पेंशन राशि के मुख्य कारक हैं।

पेंशन निधि के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है और लाभों में परिवर्तन संबंधी निर्णय इस मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर लिया जाएगा।

योजना की पूर्णरूपेण समीक्षा करने के लिए नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए विशेष सचिव (श्रम और रोजगार) की अध्यक्षता में एक उप–समिति गठित की गई है।

कर्मचारी पेंशन योजना के कार्यचालन की समीक्षा करने और योजना में संशोधन/सुधार हेतु सुझावों/प्रस्तावों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) के अधीन एक स्थायी उप–समिति अर्थात् पेंशन क्रियान्वयन समिति है जिसमें, अन्य के साथ–साथ, नियोजकों और कर्मचारियों प्रत्येक के दो–दो प्रतिनिधि शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी यह आग्रह नहीं किया कि छठे वेतन आयोग की संस्तुति आ गई, केन्द्र और राज्य सरकार के जो नियमित कर्मचारी हैं, यदि उनके वेतन और पेंशन में वृद्धि हुई तो जो प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने वाले कर्मचारी हैं, इनकी पेंशन में उसी नियम के तहत वृद्धि कर दी जाए। मेरा मतलब और मंतव्य केवल इतना था कि इससे एक आधार बनता है कि यदि अन्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में किसी तरह की वृद्धि होती है तो यह लाखों कर्मचारी, जिन्हें एक दूसरी स्कीम के तहत पेंशन मिलती है, वे सरकार की कृपा दृष्टि के पात्र न बनें, यह उनके साथ अन्याय है। सन् 1995 से एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड पेंशन स्कीम केवल इसलिए चालू की गई कि जो निधि क्षेत्र में या अर्द्ध सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, वे भी किसी तरह की राहत के हकदार हो सकें। इसके लिए एक फंड का प्रावधान किया गया, जिसमें एम्प्लायर की तरफ से उनके वेतन की हिस्सेदारी का 8.33 फीसदी और सरकार की तरफ से 1.1/6 फीसदी अंशदान देने का प्रावधान किया गया और यह किया गया कि हर साल इसका मूल्यांकन करके जैसी हमारी आर्थिक स्थिति होगी, उसके अनुसार इन्हें राहत दी जाएगी। सरकार की स्वयं स्वीकारोक्ति के अनुसार चार बार राहत दी गई, लेकिन चार बार के मूल्यांकन से स्वयं की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि इन्हें राहत देने की स्थिति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से केवल आग्रह करना चाहता हूं कि आज के युग में 260, 300, 350, 400, किसी एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन देना, मैं समझता हूं कि उसके बुढ़ापे का यह सबसे बड़ा अपमान है। सरकार को इसके बारे में गंभीरता पूर्वक सोचने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार अपने अंशदान को 1.1/6 फीसदी से बढ़ा कर पांच फीसदी करे। मेरा दूसरा आग्रह यह होगा कि जो एम्प्लायर का अंशदान है, उसका बहुत बड़े पैमाने पर कलेक्शन नहीं हो पाता। आज जिस तरह की स्थिति है, उसमें एम्प्लायर के अंशदान को सुनिश्चित करने के कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए। तीसरी बात यह है कि नयी अर्थव्यवस्था आने के बाद हमने सारे ट्रेड यूनियन एक्ट्स में परिवर्तन कर दिए और अब कहीं भी किसी फैक्ट्री का क्लोजर कहीं वालंट्री रिटायरमेंट स्कीम, कहीं जबरन सेवानिवृत्ति आम बात हो गई। इस कानून के तहत जब किसी कर्मचारी की 58 वर्ष की उम्र हो जाती है तो वह पेंशन का हकदार होता है और उसने जीवनभर कितना अर्न किया है, उसके आधार पर उसकी पेंशन का निर्धारण होता है। लाखों कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें ढाई–तीन सौ रुपए पेंशन मिलती है, सरकार स्वयं अपनी तरफ से वृद्धावस्था पेंशन स्कीम चलाती है, जिसमें कम से कम चार सौ रुपए देने का प्रावधान है। आप पेंशन स्कीम चलाते हैं, जिससे ढाई सौ रुपया महीना देते हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो अविवेकपूर्ण, एक दूसरे के प्रति पक्षपातपूर्ण भेदभाव है, इसमें कम से कम तुलना लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हम मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि इन कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन की जो रकम हो, वह कम से कम एक हजार होनी चाहिए और अधिकतम पांच हजार तक होनी चाहिए। इसे

करने के लिए जो प्रोविडेंट फंड है, उसकी ब्याज दर बढ़ाने, सरकार की तरफ से अंशदान बढ़ाने और जो 58 वर्ष पर ही पेंशन देने का नियम है, यहनियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होना चाहिए, जिन्हें वालंट्री रिटायरमेंट स्कीम या फोर्सफुल रिटायरमेंट स्कीम अथवा कम्पनी के क्लोजर के आधार पर उनकी सेवाओं के मूल्यांकन का जो तरीका है, उसमें परिवर्तन कर किसी भी आधार पर उनकी सेवा तीस वर्ष की मानी जाए।

अध्यक्ष महोदय, उसके आधार पर उनकी पेंशन का निर्धारण होना चाहिए। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि इस पेंशन को भी महंगाई के साथ क्लब कर, उसी अनुपात में 'मूल्यांकन' की जगह पर 'महंगाई' शब्द जोड़कर, उनकी पेंशन में वृद्धि का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। मेरे सुझाव के अनुसार सरकार क्या कदम उठाना चाहती है, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं?

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदय, मैं उनके साथ संबद्ध होना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रामदास, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में संबद्ध नहीं हो सकते हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। मेरे पास कुछ नाम हैं।

...(व्यवधान)...

प्रो. एम. रामदास : महोदय, कृपया दो मिनट के लिए मुझे अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रामदास, यह अधिकार का मामला नहीं है।

प्रो. एम. रामदास : महोदय, मैं केवल अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया मुझे बताने दें कि इस सबंध में वस्तु स्थिति क्या है। आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह ने नोटिस दिया था। उन्हें अवसर दिया गया है, यद्यपि यह अन्तिम दिन है। मैंने इसकी अनुमति दी है क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है। प्रश्न यह है कि अधिकतम पांच व्यक्तियों को अनुमति दी जा सकती है। यही नियम है। यह मेरे विवेक पर निर्भर करता है और यह अधिकार का विषय नहीं है। मेरे पास और छः नाम हैं और मैं चार और माननीय सदस्यों का नाम लूंगा यदि वे मुझे आश्वासन दें कि वे केवल अपना प्रश्न रखेंगे। इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। यदि आप सब सहमत हैं, तब मैं यह करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य। यदि आप शान्त हैं तब तात्पर्य यह है कि आप मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं आपके प्रस्ताव से हमेशा सहमत रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया केवल अपना प्रश्न पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और काफी पहले एकबार पेंशन में हुए संशोधन को देखते हुए और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के साथ–साथ राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के वेतन में वृद्धि को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी मूल्यांकन प्रक्रिया कराने पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें समय लगेगा और क्या सरकार पेंशन की दर में, जिसका भुगतान कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अर्न्तगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किया जा रहा है, संशोधन का निर्णय लेगी ताकि वे अच्छी तरह जीवन यापन कर सकें। क्योंकि उन्हें काफी छोटी धनराशि प्राप्त हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे पेंशन, जिसका भुगतान योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, में संशोधन करने या उसे बढ़ाने पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत, कृपया केवल एक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मजदूरों के कॉज के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और पूरे जीवन संघर्ष करते रहे हैं। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मैं एक मिनट में अपनी बात कहकर प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

मैं राजस्थान का पक्षधर रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा विभिन्न कारखानों, लघु उद्योग खान मजदूर, ऊन और बीड़ी मजदूरों के हित में दिनांक 1.04.1994 से पेंशन योजना को लागू किया गया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके पास कितने पेज हैं?

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, जीवनभर कठोर परिश्रम करने वाले मजदूरों का जीवनयापन अब कठिन हो गया है। इसलिए मैं आपके

[प्रो. रासा सिंह रावत]

माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जब केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें छठा वेतन आयोग लागू कर चुकी हैं और जिसका लाभ सारे कर्मचारियों और पेंशनरों को भी मिल रहा है, फिर भविष्यनिधि संगठन के जो सदस्य 1995 की स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें इससे क्यों वंचित किया जा रहा है? इसलिए आज की परिस्थिति को देखते हुए, उनके जीवनयापन की कठोर परिस्थितियों को देखते हुए और महंगाई को देखते हुए, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भविष्यनिधि से पेंशन प्राप्त करने वालों की पेंशन बढ़ाएगी, कम से कम 1000 रुपए कर के उन्हें लाभान्वित करेगी और अपने कल्याणकारी होने का परिचय देगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया केवल एक प्रश्न पूछें।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, जिन्होंने ई पी एफ पेंशन का विकल्प दिया है उन्हें कोई वृद्धि प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि उन्हें केवल चार बार राहत प्रदान किया गया है। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि ईपीएफ निधि में संचित पेंशन की धनराशि 80,776.22 करोड़ रु. है। वर्ष 2006 तक के 14,578.58 करोड़ रु. का संवितरण हुआ। बाकी ईपीएफ निधि में है। फिर भी बीमांकक मूल्यांकन दर्शाता है कि ईपीएफ निधि में घाटा हुआ है। मेरे विचार में बीमांकक मूल्यांकन में कुछ असंगति है। ईपीएफ निधि के बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर उन्हें लाभ नहीं दिया जाता है।

आगे ईपीएफ पेंशन की रूपांतरित राशि प्राप्त करने की सुविधा दी गई थी। परंतु 100 माह के बाद भी उन्हें आरंभिक धनराशि नहीं दी गई थी। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को, जिन्होंने ईपीएफ पेंशन का विकल्प दिया है, आरंभिक धनराशि प्रदान की जाएगी? ...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : श्री गुरुदास दासगुप्त। आपने 11.07 बजे ही नोटिस दिया है।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस देर से देने के लिए आभारी हैं? ठीक है, मामले के महत्व और आपकी प्रतिबद्धता को देखते हुए केवल एक प्रश्न की अनुमति दी जाती है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं अपना प्रश्न पूछूंगा। केवल एक मिनट में मैं इसकी भूमिका बता दूं।

मैं, माननीय मंत्री जी के इस वक्तव्य का कि निधि पात्र व्यक्तियों के पेंशन में वृद्धि की अनुमति नहीं देता है, इसका जोरदार विरोध करता हूं। मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं क्योंकि बीमांकक मूल्यांकन भिन्न होता है। केवल यही बात नहीं है। वे आम आदमी की बात कर रहे थे। इसे सरकारी बजट से अतिरिक्त आबंटन द्वारा क्यों अनुपूरित नहीं किया जा सकता है? माननीय मंत्री जी, आप आम आदमी की बात कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मेरा प्रश्न है कि क्या आप योजना को अनुपूरित करने के लिए अतिरिक्त आबंटन प्राप्त करने हेतु मामले को सरकार, वित्त मंत्रालय के साथ उठाएंगे ताकि विशेषकर उन लोगों को बढ़ा हुआ पेंशन प्रदान करने के लिए निधि में बढ़ोतरी की जा सके जो केवल नाममात्र पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यह पहला प्रश्न है ...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : किसी और प्रश्न की अनुमति नहीं हैं। मुझे माफ करें। यह पर्याप्त है। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई पेंशन नहीं है और कुछ नहीं है। मुझे जिन्दा रहना है!

...*(व्यवधान)*...

श्री पी सी थामस (मुवत्तुपुजा) : मैंने भी एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्यों मैं समय के बारे में इसमें उल्लेख करता हूं। मैं आपकी अंतरात्मा को जगाना चाहता हूं। यह 11.45 बजे दिया गया था।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे 12.14 बजे दिया। आप अनावश्यक लाभ लेना चाहते हैं क्योंकि आपने एक नोटिस दिया है। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है। मैं उन्हें बहुत सम्मान देता हूं। उन्होंने कहा : "महोदय, आज उदारता दिखाइये।"

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : प्रो. एम. रामदास।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है। अगले सदन में आप यदि निर्वाचित होते हैं तो ऐसा न करें।

प्रो. एम. रामदास : महोदय, शुभकामना दीजिए कि मैं फिर से निर्वाचित हो जाऊं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

प्रो. एम. रामदास : धन्यवाद, महोदय।

इस तथ्य के आलोक में कि वर्ष 1995 में निर्धारित पेंशन की दर सरकारी क्षेत्र जैसे संगठित क्षेत्र में कामगारों की तरह आवधिक रूप से संशोधित नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप कार्यशील वर्ग की आर्थिक कठिनाई को देखते हुए क्या माननीय मंत्री महोदय तत्काल पेंशन में संशोधन का आदेश देंगे और देश में सात करोड़ उपेक्षित कामगारों की रक्षा करेंगे? मैं जानना चाहूंगा कि क्या पेंशन की दर पेंशन की मात्रा को मूल्यांकन प्रक्रिया की बजाय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति संबंधी दबावों से जोड़ा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी जब वे यहां थे, फिर भी मैंने उन्हें अनुमति दी।

श्री पी.सी. थामस : जिन कठिनाइयों का जिक्र किया गया है उनके मद्देनजर मैं कहना चाहूंगा कि तत्काल कुछ अंतरित राहत की घोषणा की जानी चाहिए क्योंकि वे वास्तव में कठिनाई में हैं। हमारे वयोवृद्ध और वरिष्ठ नागरिकों को केवल एक तुच्छ राशि मिल रही है। आपने निधि के संबंध में आंकड़ों का उल्लेख किया है। यद्यपि निधि की उपलब्धता अत्यधिक है तथापि उन्हें यह प्राप्त नहीं हो रही है। मेरा प्रश्न यह है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह किसी अंतरिम राहत के साथ-साथ पेंशन, न्यूनतम पेंशन तथा संबंधित संगठनों द्वारा पहले ही जमा कराई गई पेंशन र... में बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो और सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। पहले श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी। उनके नेता ने प्रश्न में काफी जानकारी मांगी है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना एक उत्कृष्ट योजना है जिसके अंतर्गत 3.56 करोड़ कामगार अथवा उनके उत्तरजीवी परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ई एस आई और ईपीएफओ का आय संबंधी मादंड पहले समान थे। अब ईएसआई ने इसे बढ़ाकर 10,000 रु. कर दिया है जबकि ईपीएफओ ने इसमें बढ़ोतरी नहीं की है और अभी भी पुरानी योजना चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये। प्रश्न इस प्रकार नहीं पूछा जाता है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : ट्रेड यूनियनों और स्थायी समिति द्वारा इसे 15000 रु. तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ईपीएफओ पेंशनभोक्ताओं के लिए आय संबंधी मानदंड बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री जी वैंकटस्वामी (पेद्दापल्ली) : महोदय, कांग्रेस की तरफ से एक का भी नाम नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आपने हाथ नहीं उठाया।

श्री जी वैंकटस्वामी : मैंने हाथ उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : साइलेंटली, तब आपको मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

ध्यानाकर्षण नियम अत्यंत स्पष्ट हैं। मैं नहीं जानता कि यह उचित है अथवा नहीं, लेकिन आज मैं सभी नियमों के उल्लंघनों की अनुमति दे रहा हूं। इसीलिए, आज मैंने आपको बुलाया है। अब मैं उन्हें भी बुला रहा हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान और पेंशन को आस्थगित वेतन माना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने भी यह व्याख्या की है कि इन्हें आस्थगित वेतन माना जाता है। इन्हें आस्थगित वेतन मानते हुए और चूंकि यह योजना 14 साल पहले कार्यान्वित की गई थी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कर्मचारियों को मिलने वाले ईपीएफ, (कर्मचारी भविष्य निधि), उपदान और अन्य सुविधाओं के संशोधन पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री जी वैंकटस्वामी : अध्यक्ष महोदय, पेंशन स्कीम को जिस तरह से लाया गया था कि रिटायर होने के बाद, वह भीख न मांगे। रिटायर होने के बाद वह कम से कम अपनी जिंदगी गुजार सके। इसलिए आर्गनाइज्ड और अनआर्गनाइज्ड क्लास के लिए, वर्किंग क्लास के लिए, पेंशन स्कीम लायी गयी थी। जब मैं लेबर मिनिस्टर था, तब मैंने इस स्कीम को लागू किया था। अब जब इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। आफ्टर रिटायरमेंट मजदूर अगर मर गया, तो उसकी बीवी के लिए हमने प्रोवीजन रखा था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने वर्किंग क्लास के लोगों के मरने के बाद, कितनी औरतों को, बीबियों के लिए यह इंप्लीमेंट हुआ? उनके चिल्ड्रेंस को भी हमने इसमें रखा था, वह भी प्रापरली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। महोदय, जो स्कीम हमने शुरू की थी, वह ऐज इट इज इंप्लीमेंट नहीं हो रही है और उसका हमे बड़ा दुख है।

[अनुवाद]

श्री ऑस्कर फर्नांडीस : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं श्री मोहन सिंह जिन्होंने यह चर्चा आरंभ की और अन्य सभी माननीय सदस्यों का

[श्री ऑस्कर फर्नांडीस]

इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे देश के कामगारों विशेषकर देश के कम–वेतन पाने वाले कामगारों से संबंधित है। मैं सदस्यों द्वारा व्यक्त चिन्ता का समर्थन करता हूं।

महोदय, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम योजना की समीक्षा कर रहे हैं। हमने समिति के सदस्यों से कहा है कि वे कायिक निधि को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दें। यह पहला उपाय है। चूंकि हमें लगभग 40,000 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है और इसका एक कारण है कि संराशीकरण (कम्यूटेशन) की अनुमति दी गई है।

कर्मचारियों को भविष्य निधि और उपदान मिल रहा है और जब पेंशन संराशीकरण की बात आती है तो पेंशन का अधिकांश भाग चला जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों को कम पेंशन मिलने का एक कारण यह भी है कि सेवानिवृत्ति होने पर वे पेंशन लाभ का संराशीकरण कर लेते हैं और अतः कुछ नहीं बचता। अंत में आरोप यह है कि उन्हें पेंशन के रूप में कम धनराशि मिल रही है।

अतः कामगारों और प्रबंधन की राय में मतभेद होने के बावजूद यह निर्णय लिया गया है कि संराशीकरण को रोक दिया जाए ताकि उन्हें भविष्य निधि और उपदान तो मिल ही रहा है, कम से कम उन्हें वृद्धावस्था में अधिक पेंशन प्राप्त हो सके। हमने एक उपाय यह किया है।

दूसरी बात यह कि हमने सदस्यों से कहा है कि यदि हमें पेंशन बढ़ानी है तो नियोक्ताओं के अंशदान को भी बढ़ाया जाए। यदि हमें पेंशन को बढ़ाना है तो नियोक्ता के अंशदान को भी बढ़ाया जाए। श्री मोहन सिंह ने एक बहुमूल्य सुझाव दिया है कि आप अंशदान बढ़ाइए। इस पर चर्चा जारी है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : सरकार के आबंटन की क्या स्थिति है?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस : मेरे वरिष्ठ सहयोगी जिन्होंने यह योजना आरंभ की थी, यहीं पर हैं और उन्होंने परिवार के सदस्यों को पेंशन देने के बारे में भी चर्चा की है, जो कि हो रहा है। हो सकता है कहीं–कहीं चूक हुई हो। लेकिन परिवार के सदस्यों को पेंशन मिल रही है, उनके बच्चों को पेंशन मिल रही है। कुछ मामले हो सकते हैं जिनमें चूक हुई हो, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन योजना यथारूप कार्य कर रही है।

सदस्य को कम पेंशन मिलने का एक कारण यह भी है कि सदस्य की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चों को पेंशन मिल रही है। लेकिन हमारी निधि में इतनी धनराशि नहीं है कि हम दूसरी पीढ़ी को अथवा किसी तीसरे व्यक्ति को भी पेंशन देते रहें। अतः, यह केवल पति, बल्कि कर्मचारी, तत्पश्चात् पत्नी और फिर उनके बच्चों को दी जाती है। यह काफी समय से होता आ रहा है और निधि में धनराशि की कमी है।

लेकिन वार्ता जारी है। हमने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। हम नियोक्ताओं से भी बात कर रहे हैं कि क्या वे अपना अंशदान बढ़ा सकते हैं और उस स्थिति में हम सरकार के अंशदान पर भी चर्चा कर सकते हैं और निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं मंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : आप कुछ आश्वस्त कीजिए। ...*(व्यवधान)*... आप कुछ तो बढ़ाएंगे। ...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

श्री ऑस्कर फर्नांडीस : मैं इस समय कुछ नहीं कहूंगा। इस मामले पर दो समितियां कार्य कर रही हैं और उनकी सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात ही हम कोई निर्णय ले पाएंगे। मैं माननीय सदस्यों को सभा में इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 10831/09]

[हिन्दी]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, क्या प्राइवेट मैम्बर्स रेज़ोल्यूशन में तेलंगाना राज्य वाला ईशू नहीं आएगा? ...*(व्यवधान)*...

अपराह्न 12.38 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

श्री सुभाष महरिया (सीकर) : महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाए, राजस्थान के सांसदों ने बारंबार इस आवाज़ को उठाया है। ...*(व्यवधान)*... छः करोड़ से ज्यादा लोग रोजमर्रा की जिंदी में राजस्थानी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूपीए सरकार द्वारा बार–बार आश्वस्त किया जाता रहा है कि हम राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करेंगे। यह राजस्थान के लोगों और राजस्थानी भाषा के साथ घोर अन्याय हुआ है। इसलिए राजस्थान के सब सांसदों का करबद्ध निवेदन है कि राजस्थानी भाषा को आठवीं

अनुसूची में शामिल करके राजस्थान के हितों की रक्षा की जाए और राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोगों को मौका दिया जाए। ...*(व्यवधान)*...

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, हम सब इस बात का समर्थन करते हैं। ...*(व्यवधान)*... सरकार ने सदन के अंदर आश्वासन दिया था कि हम इसे लागू करेंगे, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*...

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्लिप भेज दीजिए, मैं एसोसिएट करवा दूंगा।

...*(व्यवधान)*...

प्रो. रासा सिंह रावत : राजस्थानी छः करोड़ लोगों की भाषा है, लेकिन उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

...*(व्यवधान)*...*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि आप स्लिप भेज दीजिए, मैं एसोसिएट करवा दूंगा।

...*(व्यवधान)*...

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री डांगावास, श्री जसवंत सिंह बिश्नोई और श्री निहाल चंद जी आप स्लिप भेज दीजिए।

...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया समय नष्ट न करें।

...*(व्यवधान)*...*

उपाध्यक्ष महोदय : चौधरी लाल सिंह जी खड़े हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : आप बैठिए। मैं भी आपके साथ हूं। ...*(व्यवधान)*...

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*...*

[हिन्दी]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस इश्यू पर बोलना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*...

उपाध्यक्ष महोदय : आपके साथी ही नहीं सुनने देना चाहते, तो मैं क्या करूं?

...*(व्यवधान)*...

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में एक यूनेनीमस डिसीजन पारित हुआ है, जिसके तहत वह रिजर्वेशन देना चाहते हैं। लेकिन छः महीने हो गये हैं, गवर्नर साहब उस प्रस्ताव को लेकर बैठे हुए हैं, उसे आगे भेज नहीं रहे हैं। इसका क्या कारण है? हम क्या करें? गवर्नर साहब के बारे में ...*(व्यवधान)*...

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिना नोटिस दिये हुए बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*...

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी पार्टी के मैम्बर को बोलने का समय दिया है।

...*(व्यवधान)*...

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब छः महीने से उस प्रस्ताव को लेकर बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*... हमें यह समझ में नहीं आ रहा है। ...*(व्यवधान)*...

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आपके साथी ही बोलने नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*...

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यूनेनीमस डिसीजन हुआ है। गवर्नर साहब उसे आगे नहीं भेज रहे हैं, तो हम क्या करें? हम इस मैटर को यहां न उठायें, तो कहां उठायें? ...*(व्यवधान)*...

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस बारे में नोटिस नहीं दिया है।

...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : निःसन्देह मामला अविलंबनीय है।

[हिन्दी]

क्या आप लोगों ने नोटिस दिया है?

...*(व्यवधान)*...

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, हम सबने सुबह प्रश्न काल स्थगित करने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि आपको बाद में बोलने का मौका दिया जायेगा। ...*(व्यवधान)*.

उपाध्यक्ष महोदय : रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर बोलने के लिए मैंने सुभाष महरिया जी को बुलाया है। आपकी पार्टी के मैम्बर को बोलने के लिए बुलाया है। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)*...

श्री सुभाष महरिया : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा ने गुज्जर जाति के लिए पांच प्रतिशत का आरक्षण अनुसूचित जन-जाति में देने के लिए एक प्रस्ताव पारित करके भेजा हुआ है। उसके साथ ही 14 प्रतिशत आरक्षण सवर्ण गरीब लोगों के लिए चाहे वे राजपूत, वैश्य, ब्राहमण या अन्य समाज के हों, उनके लिए भी सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके राजस्थान की विधान सभा ने राज्यपाल महोदय के पास और यहां भी भेजा है। वह प्रस्ताव राज्यपाल साहब के यहां पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसलिए हम सब राजस्थान के सांसदों की मांग है कि अनुसूचित जन-जाति में गुज्जरों को एकसट्टा आरक्षण दिया जाये और 14 प्रतिशत आरक्षण सवर्ण जाति के गरीब लोगों को दिया जाये ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ...*(व्यवधान)*...

चौधरी लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चौधरी लाल सिंह के वक्तव्य के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

...*(व्यवधान)*...*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस इश्यू के साथ एसोसिएट करा दूंगा। आप स्लिप भेज दीजिए।

...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह बिश्नोई और श्री दुष्यंत सिंह को इस विषय से जुड़ने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, मैंने पहले भी कहा है कि आप सब अपने नाम भेज दीजिए। मैं उनके साथ आपको एसोसिएट करा दूंगा।

...*(व्यवधान)*...

चौधरी लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख के साथ सरकार से कहना चाहूंगा कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक बस जो बटोह से डोडा-भद्रवाह की तरफ जा रही थी, उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई, जिसमें 39 लोग मर गये और 15-20 लोग जख्मी हो गये। जब से मैं पार्लियामेंट में आया हूं, उसी रोड पर कम से कम यह आठवीं-नौंवी दुर्घटना है और हर दुर्घटना में 40 से ज्यादा लोग मरे हैं।

महोदय, मेरी सब्मिशन है कि वहां एनएच-1बी का जो काम लगा है, वह बिल्कुल सुस्त है, बीआरओ की तरफ से कोई काम ठीक नहीं हो रहा है और स्टैण्डर्ड ऑफ वर्किंग में कमी है। मेरी जनाब से सब्मिशन है कि वहां लोग हर बात मरते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी वहां जो लोग मरे हैं, मेहरबानी करके उन गरीब लोगों के परिवारों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, जम्मू-कश्मीर पांच-पांच लाख रुपए दें ताकि वे सर्वाइव कर सकें, अपनी जिन्दगी अच्छे से जी सकें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरेली में सैन्य छावनी बरेली शहर के अन्तर्गत आती है। वहां तकलीफ यह है कि

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सैन्य प्रशासन छावनी क्षेत्र के मार्ग अकारण, बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर देता है। इस कारण बहुत–सी समस्याएं होती हैं। शहर के अन्तर्गत होने के कारण वहां से आवागमन बहुत होता है और मुख्य मार्ग बदायूं की दिशा में जाता है, लेकिन बिना पूर्व सूचना के मार्ग बंद कर दिए जाते हैं। कभी–कभी तो सिविलियन्स को परेशान किया जाता है जिससे अत्यधिक असुविधा होती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि छावनी क्षेत्र के सैन्य अधिकारियों को कहा जाए कि इस प्रकार की असुविधा पैदा न की जाए। यदि कोई समस्या या दिक्कत है, तो उसको पहले ही अखबारों के माध्यम से बताया जाए, जिससे आवागमन का रास्ता सुगम हो सके और स्थानीय नागरिकों को कोई समस्या न हो।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है, और गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। जैसा कि इस सदन को पता है – हमने इस मामले को पूर्व में भी कई बार उठाया है कि गंगा नदी के तटों का क्षरण देश के कई हिस्सों विशेषकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नादिया, हुगली जिलों में एक बड़ी समस्या है। इससे रेलवे लाइन को क्षति पहुंच रही है और राष्ट्रीय राजमार्गों और ऊर्जा संयंत्रों को भी खतरा हो रहा है।

महोदय, हजारों लोग अनिश्चितता का जीवन जी रहे हैं और डर और चिंता में अपना जीवन गुजार रहे हैं। मैंने अपने जिले के 'बोलाघर' नामक प्रसिद्ध स्थान को स्वयं देखा था, कि लोग कैसे सारी रात डर और चिंता से गुजारते हैं कि कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि वे गंगा के किनारे रहते हैं।

अब जबकि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी मान लिया गया है और गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई है, यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह तटबंधों को मजबूत कराए, उन्हें क्षय–प्रवण क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में लगाएं और इन जिलों में प्रभावित हजारों लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम इस मुद्दे से जुड़ना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया अपना स्लिप भेज दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, जो खाद्य तेल बाजार में बिक रहे हैं, वे व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक खतरनाक हैं। सेन्टर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा खाद्य तेलों पर किए गए शोध में जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक राग, पनघट, रथ एवं गगन सर्वाधिक खतरनाक खाद्य तेल हैं। इनमें ट्रांसफैट, बनावटी चर्बी निर्धारित मानक से 5 से 12 गुना अधिक है। सीएसई की शोध के अनुसार सर्वाधिक घातक अदानी विल्मर लिमिटेड का राग ऑयल है जिसमें बनावटी चर्बी सर्वाधिक 23.31 प्रतिशत है जो डेनमार्क के निर्धारित मानक से 2 से 12 गुना अधिक है। घातक खाद्य तेलों में दूसरे स्थान पर मवाना शुगर मिल्स का पनघट तेल है, जिसमें बनावटी चर्बी की मात्रा 23.7 प्रतिशत है। इसी प्रकार रथ, गगन, जिंदल तथा डालडा आदि में भी बनावटी चर्बी की मात्रा अधिक है। आज कोई भी खाद्य तेल ब्रांड भरोसे लायक नहीं है। ऐसा लगता है कि भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय तेल कंपनियों के दबाव में है। स्वास्थ्य मंत्री जी का जो बयान अखबारों में छपा है, उससे लगता है कि वह लाचार है। उन्होंने कहा है कि यह सही है कि ये खाद्य तेल मानके अनुरूप नहीं हैं, लेकिन हम कुछ नहं कर सकते है।

मैं आपके मार्फत भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो खाद्य तेल मानक के अनुरूप नहीं हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कानून बनाया जाए जिससे लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर मनमानी करने की छूट न मिल सके।

श्री मुन्शी राम (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र जनपद बिजनौर में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो निर्माण कार्य कराए गए हैं, वे उत्तर प्रदेश सरकार के पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कराए जा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता बहुत खराब है। इसकी शिकायत मैंने वहां की अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष होने के नाते उस समिति की बैठक में भी की थी कि इसकी जांच कराई जाए। लेकिन उसकी जांच पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों द्वारा ही की जाती है, लिहाजा उस जांच का कोई फायदा नहीं है। मेरी मांग है कि इसकी जांच केन्द्रीय एजेंसी से कराई जाए। जनपद बिजनौर में नगीना–बढ़ापुर, नगीना–रायपुर–कोटकादर–कोटद्वार,. अकबराबाद–किरतपुर, मण्डावर–बालावाली आदि मार्गों की जांच प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केन्द्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरह के कार्यों की पुनरावृत्ति न हो।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेन्थन (पलानी) : महोदय, मैं बुनकरों की दुर्दशा के संबंध में एक महत्वपूर्ण और अविलंबनीय मामले को उठा रहा हूं।

महोदय, इस देश में कार्यरत सिल्क हैंडलूम वीवर्स कॉपरेटिव सोसाइटी सिल्क के कई उत्पादों का निर्माण कर रही है। कुंभकोनम, वेल्लूर, कांचीपुरम, सालेम, मदुरई, मेरे जिले के चिन्नालापट्टी में और

तमिलनाडु के अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में हैंडलूम सोसाइटी कार्यरत है। हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां जैसे थिरूबूवनम कॉपरेटिव सोसाइटी, कुंभकोनम विश्व स्तरीय साड़ी बना रही है किंतु वे अपने तैयार माल को लाभकारी तरीके से बेचने में सक्षम नहीं है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें हानि हो रही है। चूंकि उपर्युक्त सहकारी सोसाइटी को भारी क्षति हो रही है, वे अपने अधीन कार्यरत गरीब बुनकरों को लगातार काम देने में सक्षम नहीं हैं। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने इन सहकारी सोसाइटियों को सहकारी बैंकों के माध्यम से पहले ही 2,046 करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी है। अकेले तमिलनाडु के लिए यह ऋण 336 करोड़ रुपए का है। लगातार हानि होने के कारण देश भर की ये सभी सोसाइटियां अपने ऋण की वापसी अदायगी में सक्षम नहीं हैं।

इसलिए, सिल्क हैंडलूम कॉपरेटिव सोसाइटी की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सहित सभी राज्यों ने अपने संपूर्ण ऋण की माफी के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे उनका संपूर्ण ऋण अविलंब माफ करें और सिल्क उत्पादन में कार्यरत गरीब हथकरघा बुनकरों को बचाएं। इसके अतिरिक्त, इन सिल्क हैंडलूम कॉपरेटिव सोसाइटी को बचाने के लिए भारत सरकार को बिचौलिए के हस्तक्षेप के बिना इन सोसाटियों को वाजिब और मुनासिब मूल्य पर गोल्ड गिल्ट सिल्वर ग्रेड, रीयल गोल्ड ग्रेड और अन्य कच्चे माल की आपूर्ति और कतिपय कदम उठाने होंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं यहां इस सदन के समक्ष बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए खड़ा हूं। केरल राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा है।

यह आंदोलन बड़े लंबे समय से चल रहा है। इसके लिए हड़तालें हुईं, न्यायालयों का बहिष्कार किया गया और बंद भी आयोजित किये गये। यूपीए सरकार के अध्यक्ष भी इस मांग से सहमत हैं। सभी राजनीतिक दल और सभी संगठन भी इस मामले से सहमत हैं। किंतु अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। मुझे इस सदन को सूचित करना चाहिए कि केरल विधान सभा ने त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के लिए एक मत होकर दो बार संकल्प पारित किया है।

अब तक, केन्द्र सरकार ने पीठ की स्थापना के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। यदि सरकार चाहे तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के उपबंधों के तहत एक हफ्ते या एक दिन में अधिसूचना जारी कर सकती है। मामला वहीं समाप्त हो सकता है। सभी दल सहमत हैं।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि चुनाव के पहले अधिसूचना जारी करे। इस मुद्दे पर लोगों के साथ टाल–मटोल न करें क्योंकि यदि चुनाव के पहले अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी तो यह एक चुनावी मुद्दा बन सकता है और राजनीतिक दलों में मतभेद हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर एकमत से सहमति दी है। अधिसूचना जारी करने में देरी किया जाना लोगों की एकता के प्रति अन्याय है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि चुनाव अधिसूचना की घोषणा होने से पूर्व इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाए ...*(व्यवधान)*...

उपाध्यक्ष महोदय : आपका मुद्दा पहले भी आया है। अब, मैं श्री एम. शिवन्ना जी से बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : न्यायपालिका से राय मांगना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। राज्यपाल महोदय ने भी दृढ़ता से सिफारिश की है ...*(व्यवधान)*...। हम इस पर बल दे रहे हैं कि न्यायिक सहमति आवश्यक नहीं है। मुझे आशा है कि सरकार आगे आएगी और पीठ की स्थापना सुनिश्चित करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सरकार से अधिसूचना जारी करने और केरल के लोगों के साथ न्याय करने का अनुरोध करता हूं।

***श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र, चामराजनगर में विद्युत आपूर्ति में अत्यधिक कमी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा।

महोदय, चामराजनगर जिला एक पर्वतीय क्षेत्र है। यह एक पिछड़ा जिला भी है। विद्युत आपूर्ति में बार–बार कटौती के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या में अधिकांश हिस्सा जनजातीय अर्द्ध–खानाबदोश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का है जो समाज का निचला तबका है।

ये सभी लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। संप्रग सरकार ने ग्रामीण लोगों को मुफ्त तथा पर्याप्त बिजली आपूर्ति की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। परंतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 50% से अधिक गांवों को अभी तक इस योजना के दायरे में नहीं लाया गया है। मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि क्यों इस राजीव गांधी

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विद्युतीकरण योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

इसलिए, मैं संप्रग सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को निर्बाध बिजली मिले और सभी बी पी एल परिवारों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति की जाए।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं यहां से बोल सकती हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्रीमती सी.एस. सुजाता : महोदय, भारत सरकार ने इस क्षेत्र, जिसे हाल में ही गंभीर कृषि संकट का सामना करना पड़ा है, समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गठित स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर 1,840 करोड़ रुपए के कुट्टानाड पैकेज के लिए स्वीकृति दे दी है।

तथापि अब तक केन्द्र द्वारा सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यद्यपि राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समृद्धि परिषद बनाया है और राज्य के बजट में भी इसके लिए बजट आबंटन किया गया है परंतु केन्द्र सरकार ने इस विशेष उद्देश्य के लिए कोई निधि जारी नहीं की है। इससे इसका कार्यान्वयन प्रभावित होता है। स्वामीनाथन समिति ने कुट्टानाड तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों की अनोखी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपाय सुझाए हैं। कुट्टनाड देश के अन्य क्षेत्रों में बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका भू-क्षेत्र समुद्र तल से नीचे स्थित है। इसलिए पर्यावरण तथा कृषि के संरक्षण के लिए उपाय करते समय इस क्षेत्र के इस अनोखे पहलू को ध्यान में रखना चाहिए।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि समिति की सिफारिश के अनुसार प्रस्तावित परियोजनाओं को मंजूरी दी जाए और मजबूत बांध का निर्माण किया जाए तथा इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त निधि जारी की जाए।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से एक विनती करने जा रहा हूं। देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, ऐसे कई भारत माता के वीर सपूतों को विस्मरण किया जा रहा है। आज वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि पर मैंने देखा कि सभागृह में जो चित्र लगा हुआ है, उस पर माला भी नहीं पहनाई गई है। यह बहुत दुखद बात है। मैं आपके माध्यम से वीर सावरकर जी के स्मृति दिवस पर, आज उन्हें मरणोपरांत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न की उपाधि से पुरस्कृत करने की मांग करता हूं। वह एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे, जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था से ही अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ अपने आपको झौंक दिया था। स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा तथा राष्ट्र भक्ति से प्रेरित वीर सावरकर जी ने अनेक क्रांतिकारियों को क्रांति की प्रेरणा दी। असंख्य युवाओं को अंग्रेज हुकुमत के खिलाफ खड़ा किया। उन्हें इस कार्य में सम्मिलित देख कर अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर कई आरोप लगवाए।

अपराह्न 1.00 बजे

उन्हें दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई। काला पानी की सजा सुनाने पर उन्होंने निर्भय होकर कोर्ट में कहा था कि इतने वर्षों तक आपकी सरकार रहेगी, इसकी क्या गारंटी है। ऐसे निर्भय व्यक्ति जिस ने राष्ट्र को अपना पूर्ण जीवन दिया और अपने जीवन के करीब दस हजार दिन जेल में और स्थान बदलते हुए बिताए हैं, ऐसे प्रखर देशभक्त के लिए सरकार से विनती करता हूं कि उनकी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति को देखते हुए, उन्हें भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया जाए। मैं आज के संदर्भ में एक छोटी सी बात कहने जा रहा हूं। 10.7.1910 को मार्सेलीस पर फ्रांस गवर्नमेंट ने उन्हें पकड़ा था, उसी स्थान पर मुम्बई का एक संगठन, उनका एक स्मारक बनाने जा रहा है, जिस के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति चाहिए लेकिन इसके लिए सरकार विलंब कर रही है। मैं विनती करता हूं कि केन्द्र सरकार इसकी अनुमति प्रदान करे।

अपराह्न 1.01 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) ग्रामीण डाक सेवा समिति के प्रतिवेदन का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री बसुदेब आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं सभा का ध्यान तीन लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। उनके पद का नाम विभागेतर कर्मचारी से बदलकर ग्राम डाक सेवक किया गया परंतु उनके वेतन में कोई सुधार नहीं हुआ है और न ही उन्हें सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों का भुगतान किया जा रहा है। ये ग्राम सेवक हमारे देश में डाक सेवाओं का आधारस्तंभ है। वे डाक सेवाओं का 80% मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

नब्बे के दशक में न्यायमूर्ति तलवार समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने उनके वेतन में सुधार किए जाने तथा सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ दिए जाने की सिफारिश की थी। इस सभा में आश्वासन दिए

जाने के बावजूद उन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया। इसलिए इन कामगारों को कई बार हड़ताल पर जाना पड़ा।

तत्पश्चात् जब छठे वेतन आयोग का गठन किया गया, श्री नटराजन मूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। इस समिति ने कुछ नकारात्मक सिफारिशें कीं और यहां तक कि इन तीन लाख ग्राम डाक सेवकों को जो लाभ मिल रहे थे उसे भी कम कर दिया। जब इन सिफारिशों को संशोधित करने की मांग की गयी, एक अन्य समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी नकारात्मक सिफारिशें की। जब इन कामगारों द्वारा हड़ताल की गयी, तब उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि इसमें संशोधन किया जाएगा ताकि इन तीन लाख विभागेतर कर्मचारियों को लाभ मिल सके। इस समिति ने भी कोई सकारात्मक सिफारिश नहीं की।

डाक कर्मचारियों के राष्ट्रीय परिसंघ ने इन सिफारिशों में संशोधन के लिए कई संशोधनों का सुझाव दिया। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह पहले की समिति द्वारा की गयी सिफारिशों में जिन्होंने पहले मिल रहे लाभो को भी कम कर दिया गया है। संशोधन करने तथा जो विभागेतर कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारियों के समकक्ष सेवानिवृत्ति सुविधाएं, वेतन तथा भत्ते आदि की मांग कर रहे हैं को पूरा करने हेतु सकारात्मक कदम उठाएं।

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद विभागेतर कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफी बड़ा अंतर है *...(व्यवधान)...* इसलिए उनके वेतन में सुधार की अविलम्ब आवश्यकता है और डाक विभाग के अधीन इस श्रेणी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ भी दिए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं बसुदेव आचार्य जी के साथ एसोसिएट करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं बसुदेव आचार्य जी के साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : महोदय, मैं बसुदेव आचार्य जी के साथ एसोसिएट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो जो माननीय सदस्य बसुदेव आचार्य जी के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, वे यहां स्लिप दे दें।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी बात आप लोग सुनिए। जो माननीय सदस्य बसुदेव आचार्य जी के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, वे यहां स्लिप दे सकते हैं।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सर्वश्री सुनील खां, पी.सी. थामस, डा0 लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, चन्द्रमणि त्रिपाठी, पी.एस. गढ़वी, के. फ्रांसिस जॉर्ज, एडवोकेट सुरेश कुरूप, एस. अजय कुमार, एन.एन. कृष्णदास, रामकृपाल यादव, पी. राजेन्द्रन, डा. के.एस. मनोज, ब्रज किशोर त्रिपाठी, ब्रह्मानंद पंडा और श्रीमती सी.एस. सुजाता श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने-आप को सम्बद्ध करना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री जी को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए *...(व्यवधान)...* अल्पसंख्यक मामले मंत्री, श्री अंतुले सभा में उपस्थित हैं और वे इस मामले पर बताएं कि सरकार इस पर विचार करेगी *...(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया।

*...(व्यवधान)...**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)...

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया उन्हें हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य नहीं करें। *...(व्यवधान)...* मंत्री जी इस मुद्दे का उत्तर देना चाहते हैं *...(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)...

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : माननीय मंत्री ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और ऐसा प्रतीत होता है कि सदन की सर्वसम्मति भी उनके साथ है। सरकार की से मैं आश्वासन देता हूं कि इसे गंभीरता से लिया जाएगा और यथासंभव इसे जल्द कार्यान्वित किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री थामस अपना अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाएंगे। आप अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध दो में से केवल एक मुद्दा उठा सकते हैं।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, दक्षिणी क्षेत्र का केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी एस सी) के अंतर्गत विद्यालयों की संख्या अत्यधिक है। दक्षिणी क्षेत्र, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, में 2,400 विद्यालय आते हैं। इसे दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

केरल में ही 800 विद्यालय हैं और 200 आवेदन लम्बित पड़े हैं। अतः कुल मिलाकर लगभग 1000 विद्यालय हो जाते हैं। यही न्याय और बेहतर प्रशासन के हित मे होगा कि केरल में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाए।

जहां तक अन्य नए कार्यालयों का संबंध है जो भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है – इसके अन्तर्गत 550 विद्यालय हैं, पटना के अंतर्गत 550 विद्यालय यह एक अच्छी बात है और हम सब इसका समर्थन करते हैं। केरल में लगभग 800 विद्यालय हैं और 200 नए विद्यालय स्थापित होने वाले हैं। अतः उचित होगा कि एक क्षेत्रीय कार्यालय तत्काल वहां स्थापित किया जाए।

मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि सभी अन्य कार्यालय – जहां क्षेत्रीय मुख्यालय हैं – जैसे इलाहाबाद, अजमेर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, की तुलना में मैंने पाया कि दक्षिण क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या काफी कम है। अतः यह अत्यावश्यक है कि इसका तत्काल दो भागों में विभाजन हो और केरल में, वरीयता के आधार पर मेरे गृह जिले कोट्टायम में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से गड़बड़ा गई हैं और हजारों मरीजों की जिंदगी संकट में पड़ गई है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत काम करने वाले ग्रुप सी और डी, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, एम्स में और लोहिया में काम करने वाले ग्रुप सी और डी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गये हैं। परिणामस्वरूप दिनांक 23 जनवरी, 2009 से उनकी हड़ताल शुरू हुई है और हड़ताल के कारण अस्पतालों के हजारों मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। इन अस्पतालों में ओपीडी बंद पड़े हुए हैं, लैब बंद पड़े हैं, उनमें टैस्ट नहीं हो रहे हैं, रेडियोलॉजी, एक्सरे तथा रक्तचाप विभाग इत्यादि में टैस्ट नहीं हो पा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं।

इससे मरीजों की परेशानियां बढ़ रही हैं और उनके परिजनों में असंतोष व्याप्त है। प्राइवेट अस्पताल लूट मचाए हैं। अतः आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि तुरंत इन स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल समाप्त कराएं। इन्हें शुरू में मिलने वाली सुविधाओं में, भत्ते के सात सौ रुपए प्रतिमाह मिलते थे, उसे बरकरार रखते हुए इंश्योरेंस की नई स्कीम से उत्पन्न विसंगतियों को दूर किया जाये ताकि हड़ताल समाप्त हो और मरीजों की जान बच सके।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं रासा सिंह जी की बात का समर्थन करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, हजारों मरीजों की जान संकट में है। अस्पताल में कोई काम नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी यहां विराजमान हैं। दिल्ली में सारी अस्पताल की सेवाएं तीन दिन से अस्तव्यस्त हैं। सीओडी के कर्मचारी नहीं होने से कुछ भी काम नहीं हो रहा है इसलिए हड़ताल समाप्त कराई जाए। उन्हें सात सौ रुपए प्रतिमाह मिल रहे थे, उसे यथावत रखा जाए। छठे वेतन आयोग के अंतर्गत जो विसंगतियां पैदा हुई हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोबिली) : उपाध्यक्ष महोदय, बीएचपीवी लिमिटेड का अधिग्रहण 'भेल' द्वारा मई, 2008 में कर लिया गया है। यह संप्रग सरकार के समन्वित प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया। इससे पांच हजार परिवारों को लाभ हुआ है। यद्यपि अधिग्रहण के बाद लगभग दस माह का समय बीत गया है, 1 जनवरी, 1997 से कर्मचारियों का होने वाला वेतन संशोधन संबंधी मुद्दे का अब तक समाधान नहीं हो पायाा है। वहां कर्मचारियों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे अभी भी 1992 के वेतनमान के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं। बीएचपीवी बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है। अतः मैं भारी उद्योग मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे संबंधित प्राधिकारियों को बीएचपीवी विशाखापटनम् के कर्मचारियों का वेतन संशोधन तत्काल कार्यान्वित करने का निर्देश दें।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा) : महोदय, मेरा मुद्दा आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के बीच वर्गीकरण से संबंधित है। चूंकि एक वर्ग को ऐसा लगता है कि अनुसूचित जातियों के बीच सर्वाधिक पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, अतः कुछ समय तक पूरे राज्य में एक लम्बा आन्दोलन चला था। आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार इस मांग से सहमत थी और उसने इसे कार्यान्वित किया। सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया था। आंध्र प्रदेश विधान सभा ने भी केन्द्र सरकार से दिल्ली में वर्गीकरण का अनुरोध करते हुए सर्वसम्मति से एक संकल्प स्वीकृत किया था। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार के वर्गीकरण संबंधी निर्णय को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। तत्पश्चात् आंध्र प्रदेश विधान सभा ने सर्वसम्मति से संकल्प स्वीकृत किया है। संघ–सरकार ने इस मुद्दे पर उषा मेहरा आयोग गठित किया है जिसने वर्ष 2008 के आरंभ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। लोगों के बीच काफी असंतोष है क्योंकि सरकार ने अब

तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। चूंकि चौदहवीं लोकसभा का अन्तिम सत्र समाप्त होने को है, अतः मैं भारत सरकार से आरक्षण अधिनियम में अनुसूचित जातियों में तत्काल वर्गीकरण आरंभ करने और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति के बीच सर्वाधिक पिछड़े और उपेक्षितों को न्याय प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज) : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी घाटी, बराक घाटी से संबंधित एक अत्यंत भावनात्मक मुद्दा उठाना चाहता हूं। वर्ष 1961 में बराक घाटी में अभूतपूर्व अहिंसात्मक आंदोलन चला था और मांग यह थी कि असम की प्रादेशिक भाषा में बंगाली को भी एक भाषा के रूप में शामिल किया जाए। आन्दोलन के एक भाग के रूप में उस वर्ष 19 मई को रेलवे स्टेशन पर एक सत्याग्रह कार्यक्रम रखा गया था। उस तारीख को पुलिस ने 11 सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाई थी जो हमारी भाषा के लिए शहीद हो गए थे।

घाटी के 40 लाख लोग एकजुट थे और सभी राजनीतिक दलों, सभी धर्मों और जातियों के लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। अब वे उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उन्होंने मांग की कि सिल्चर रेलवे स्टेशन जहां पर वे सत्याग्रही शहीद हुए थे, उसका नाम बदलकर भाषा शहीद स्टेशन रखा जाए और अगरतला–सिल्चर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर भाषा शहीद एक्सप्रेस रखा जाए।

घाटी के लोग उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने हमारी भाषा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। मैं जानता हूं कि माननीय रेल मंत्री इस मामले पर विचार कर रहे हैं। यह रेल मंत्रालय के विचाराधीन है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि घाटी के लोगों द्वारा वांछित परिवर्तन यथाशीघ्र लाया जाए ताकि हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकें जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अभी तीन और नाम प्राप्त हुए हैं, चूंकि आज सत्र का आखिरी दिन है तो विशेष मामले के रूप में, मैं केवल इन तीन और नामों को अनुमति दूंगा, इससे अधिक को नहीं।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा हमारे राष्ट्र के समक्ष एक गंभीर चुनौती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने धान के बढ़ते प्रापण मूल्य के संबंध में सूचना दी है।

श्री एन.एन. कृष्णदास : मैं उस पर आऊंगा। हमारे देश का कृषक समुदाय खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कृषक समुदाय को धान और अन्य खाद्यान्नों की उत्पादन लागत की तुलना में लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। भारत सरकार धान 9रु. प्रति किलो की दर से खरीद रही है। हमारे राज्य में ही, केरल सरकार 12 रु. प्रति किलो की दर से धान खरीद रही है। अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि धान का प्रापण मूल्य कम से कम 15 रु. प्रति किलो तक बढ़ाया जाए। इससे राष्ट्र के कृषक समुदाय को सहायता मिलेगी। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि धान का प्रापण मूल्य 15 रु. प्रति किलो तत्काल घोषित किया जाए।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : लोक सभा में अंतरिम बजट प्रस्तुत करने के दौरान महिला सशक्तिकरण संबंधी स्थायी समिति की एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी जिसमें बताया गया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एस एच जी, विशेषकर महिलाओं को 5 प्रतिशत की दर से ऋण देने में आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था।

लेकिन आर आर बी 5 प्रतिशत से अधिक दर पर भी ऋण प्रदान कर रहे हैं। अतः आर आर बी कर्मचारी संघ जो कि अधिकांश अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, 1978 से निरंतर यह मांग कर रहा है कि विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि ऋण देने के लिए उच्चतम स्तर पर राष्ट्रीय भारतीय ग्रामीण बैंक होना चाहिए जो कि संसद के प्रति जवाबदेह है।

ए आई आर आर बी ई ए ने एन आर बी आई के गठन, प्रायोजक बैंकों से संपर्क समाप्त करने, सभी गांवों के लिए मोबाइल शाखाओं सहित प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में ग्रामीण शाखा खोलने तथा बिना किसी सीमा के पर्याप्त स्टाफ की भर्ती करने तथा उनकी पदोन्नति करने के लिए 28 फरवरी 2009 को एक व्यापक जन अभियान कार्यक्रम आरंभ किया है।

विशेषकर बिहार और उत्तर पूर्व भारत के सुदूर क्षेत्रों में जहां पर कोई बैंक नहीं है, ऋण वितरण एक समस्या है। ऐसी स्थिति में, आर आर बी ने सहकारिताओं और वाणिज्यिक बैंकों की व्यावसायिक विदग्धता के विशिष्ट सम्मिश्रण से ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि विशेषकर भारत के सभी गांवों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल करें ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सच्चे अर्थों में यही 'भारत निर्माण' होगा। अतः सरकार को प्रत्येक ब्लाक एवं गांव में आर आर बी खोलने चाहिए। मेरा सरकार से यही विनम्र अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय सभा में सभापति पैनल से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः मैं श्री बृज किशोर त्रिपाठी से अनुरोध करूंगा कि चूंकि उनका नाम भी पिछली लोक सभा में सभापति पैनल की सूची में था अतः वे आएं और सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करें।

अपराह्न 1.21 बजे

(श्री बृज किशोर त्रिपाठी *पीठासीन हुए)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, विभिन्न मसाले, विशेषकर काली मिर्च का स्थाइसेज ओलियोरिजिन उद्योग द्वारा मूल्य संवर्धन और पुनः निर्यात के लिए आयात शुल्क के बगैर आयात किए जाने की अनुमति है। महोदय इस आयातित माल के मूल्य संवर्धन और पुनः निर्यात की प्रतिधारण अवधि 90 दिन थी। वास्तव में उद्योग द्वारा प्रयुक्त 75% मसाले मूल्य संवर्धन हेतु आयातित किए जाते हैं और इसलिए इस उद्योग से किसानों को अधिक लाभ नहीं है।

हाल में, उद्योग ने पुनः निर्यात की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है और यह कहा जाता है कि ये इन उत्पादों को 360 .देन तक भी अपने पास रखते हैं जिसके परिणामस्वरूप कई कदाचार होते हैं जिनका पता मसाला बोर्ड द्वारा लगाया गया था और परिणामतः उनमें से कुछ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। साथ ही, यह आरोप भी है कि ये निर्यातक इन उत्पादों को स्थानीय बाजार में बेच रहे हैं। कभी—कभी वे इन आयातित मसालों को शुल्क का भुगतान किए बगैर बेचे रहे हैं और मूल्यों में मंदी ला रहे हैं। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इससे किसानों के हित प्रभावित होते हैं।

केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया था और कहा था कि प्रतिधारण अवधि सिफ नौ दिन की होनी चाहिए। विश्व मंदी की दलील देते हुए कृषक समुदाय और छोटे मसाला व्यापारियों द्वारा यह कहा गया है कि उद्योग द्वारा वाणिज्य मंत्रालय से पुनः निर्यात की अवधि के विस्तारण की अनुमति प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इससे मसालों के मूल्यों में और गिरावट आएगी। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि विस्तारण की अनुमति न दी जाए और मूल्य संवर्धित मसाला उत्पादों की अवधि को 90 दिन तक सीमित किया जाए। यह मेरा अनुरोध है और मैं आशा करता हूं कि सरकार मसाला किसानों की सहायता करने के लिए इस पर उपयुक्त विचार करेगी ताकि उन्हें उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिल सके।

सभापति महोदय : श्री ए वी बेल्लारमिन – उपस्थित नहीं।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : सरकार ने कोजीकोडे में एक क्षेत्रीय परामेडिकल विज्ञान संस्थान की स्थापना की घोषणा की थी और इस परियोजना के कार्यान्वयन में केरल राज्य सरकार से आवश्यक सहायता और सहयोग मांगा था। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया था और तत्काल ही इस परियोजना के लिए भूमि देने; चिकित्सा महाविद्यालय, कोजीकोड और इससे जुड़े अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में क्षेत्रीय परामेडिकल विज्ञान संस्थान, कोजीकोड के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। बहुत पहले ही इन आश्वासनों को दे दिए जाने के बावजूद इस परियोजना को अंतिम अनुमोदन अभी तक नहीं दिया गया है और इस प्रकार, इस परियोजना कार्यान्वयन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। इसलिए, मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम अनुमोदन दिया जाए और वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसका कार्यान्वयन शुरू किया जाए।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : सेना आयुध कोर निदेशालय अपने ही अधीन कार्य करने वाले विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों में भेदभाव कर रहा है। इस लाभ से वंचित वर्ग के कर्मचारियों में व्यापक असंतोष है। स्टोर कीपर वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति सहित अन्य लाभ दिये जा रहे हैं वहीं समान कार्य करने वाले लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है।

इस विसंगति को दूर करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने दिसम्बर, 1988 में ब्रिगेडियर गौतम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस कमेटी ने लिपिक वर्ग एवं स्टोर्‌कीपर वर्ग के लिए पदोन्नति करने हेतु अध्ययन करके अपनी जांच रिपोर्ट 13 मई को महानिदेशक, सेना आयुध को सौंप दी। उक्त कमेटी ने इस बात की अनुशंसा भी की थी कि स्टोरकीपर और लिपिक वर्ग को साथ मिला कर एक नया वर्ग बना दिया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं हो, तो उनकी पदोन्नति में 60 प्रतिशत लिपिक एवं 40 प्रतिशत स्टोरकीपर वर्ग से भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खेद है कि दो दशक बाद भी इस कमेटी की संस्तुति लागू नहीं की गई। कतिपय दबाव के चलते कमेटी की संस्तुति को लागू करने की मांग बढ़ रही है, लेकिन उसकी अनदेखी की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त कमेटी की अनुशंसा को लागू करके देश भर की सेना के वंचित कर्मचारियों को समायोजित करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप केवल एक मुद्दा ही उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मानिक सिंह (सीधी) : महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से निश्चित ही यूपीए सरकार की मंशा रही कि देश के प्रत्येक मजदूर, किसान तबके के लोग, जो मजदूरी पर आश्रित रहते हैं, उन्हें दो वक्त की रोटी मिले तथा उनके घर में भी चूल्हा जले। मध्य प्रदेश में, खास कर-आदिवासी क्षेत्र की बात मैं कहना चाहता हूं,

क्योंकि मैं वहां से मैं आता हूं, सतना जिले की बात है। वहां कुपोषण से 28 बच्चों की मृत्यु हो गई। छह–छह मास से उनकी मजदूरी लम्बित है। पीएस से लेकर मूल्यांकन तक के लिए सरपंचों को 35 परसेंट से 40 परसेंट तक खर्च करना पड़ता है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि निश्चित ही आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिस मकसद हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मकसद के लिए यह योजना तभी कारगर सिद्ध होगी, जब उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई कमेटी बनाएंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे नेता श्री बसुदेव आचार्य ने इस मुद्दे को उठाया है। डाक विभाग में कार्यरत लगभग तीन लाख कर्मियों को पूर्व में विभागेत्तर कर्मचारी कहा गया था। सेवा में 30 से 40 वर्ष रहने के बाद भी उन्हें पेंशन से वंचित रखा गया है। आज कृषि कामगारों को भी पेंशन मिल रही है किंतु ये सरकारी कर्मचारी पेंशन से वंचित हैं। उनकी मजदूरी बहुत कम है। यह मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाए। इनकी वेतन पुनरीक्षा का मामला लंबे समय से लंबित है। उन्होंने 3 मार्च, 2009 से हड़ताल पर जाने की सूचना दी है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इनकी दयनीय स्थिति पर विचार करे और नटराजा मूर्ति आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर उनके वेतन में संशोधन करें। यथाशीघ्र इन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में स्वीकार करें। ...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य श्री पी. राजेन्द्रन के मुद्दे से जुड़ना चाहते हैं, अपना पर्ची भेजें।

...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : श्री पी. राजेन्द्रन द्वारा उठाए गए मुद्दे से सहयोजित होने के लिए श्री के. फ्रांसिस जार्ज और श्रीमती पी. सतीदेवी को अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*...

अपराह्न 01.28 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन - *जारी*

(दो) भारत सरकार द्वारा कोचीन शिपयार्ड का निजीकरण किए जाने के कथित प्रयास के बारे में

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, कोचीन शिपयार्ड केरल में सरकारी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है। केरल में कोचीन शिपयार्ड की स्थापना के पीछे एक इतिहास है। साठ के दशक के दौरान वहां स्व. कामरेड ए. के. गोपालन के नेतृत्व में एक बड़ा आन्दोलन चला था जिसमें लगभग सभी राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था और केन्द्र सरकार पर दबाब डाला गया था कि वह केरल में इस उपक्रम की स्थापना करे। गत सरकार के दौरान कोचीन शिपयार्ड के निजीकरण का प्रस्ताव लाया गया। केरल की सभी ट्रेड यूनियनों और सभी राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और अंत में सरकार को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा।

अब, अचानक केन्द्र सरकार ने कोचीन शिपयार्ड के विनिवेश के अपने इरादे की घोषणा की है। इस सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सरकार जिसका कार्यकाल समाप्त होने को है तथा जो पहले से अधर में है, को चुनाव के समय ऐसा निर्णय लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले और लाभ में चल रहे सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम का विनिवेश न करे। यही केरल के लोगों की भावना है। मैं बार–बार सरकार से यही आग्रह करूंगा कि वह इसकी घोषणा करे कि उनका कोचीन शिपयार्ड के निजीकरण का कोई इरादा नहीं है ...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य श्री सुरेश कुरूप जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वे कृपया पर्ची भेजें। सभी लोगों को शामिल किया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : श्रीमती पी. सतीदेवी, डा. के. एस. मनोज, श्री एन. एन. कृष्णदास, श्रीमती सी. एस. सुजाता और श्री के. फ्रांसिस जार्ज को एडवोकेट श्री सुरेश कुरूप द्वारा उठाए गए मामले के साथ जुड़ने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*...

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वह इसका जवाब दें ...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : श्री किरिप चालिहा, कृपया शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया पर्ची भेजें और आपको इससे जोड़ दिया जाएगा।

...(*व्यवधान*)...

सभापति महोदय : आपने पहले ही अपनी बात रख दी है।

...(*व्यवधान*)...

सभापति महोदय : मैंने पहले ही अन्य सदस्य को कह दिया है।

...(*व्यवधान*)...

श्री एन. एन. कृष्णदास : माननीय मंत्री उत्तर दें कि क्या सरकार कोचीन शिपयार्ड के विनिवेश के निर्णय पर पुनर्विचार करेगी या इसकी समीक्षा करेगी। ...(*व्यवधान*)...

सभापति महोदय : वे जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

...(*व्यवधान*)...

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)...*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आपको इससे जुड़ने की अनुमति दी जाएगी। कृपया अपना पर्ची भेजें।

...(*व्यवधान*)...

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)...*

सभापति महोदय : मैंने पहले ही श्री किरिप चालिहा का नाम बोला है।

...(*व्यवधान*)...

सभापति महोदय : मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे हैं।

...(*व्यवधान*)...

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : अन्य माननीय मंत्री पहले से ही खड़े हैं।

...(*व्यवधान*)...

सभापति महोदय : आपने पहले ही अपनी बात कह दी है।

...(*व्यवधान*)...

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान असम में उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति में गंभीरतम अनियमितताओं में से एक आरोप की और आकर्षित करना चाहता हूं। आरोप यह है कि किसी मानदंड और नियम का अनुपालन किए बिना कुछ अधिकारी स्वयं ही नियुक्ति पत्र दे रहे हैं ...(*व्यवधान*)... यह अनुचित है। यह उचित नहीं है। मैं खड़ा हूं और कुछ बोल रहा हूं ...(*व्यवधान*)...

श्री एन. एन. कृष्णदास : माननीय मंत्री जी श्री वायालार रवि जी अब सदन में आ गए हैं। ...(*व्यवधान*)... वे हमारे मुद्दे पर कृपया उत्तर दें। ...(*व्यवधान*)...

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...(*व्यवधान*)...*

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। यदि वह उत्तर देना चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

...(*व्यवधान*)...

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। अन्य माननीय सदस्य खड़े हैं।

...(*व्यवधान*)...

प्रवासी कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैंने मीडिया में रिपोर्ट देखी है कि इसे एक कम्पनी बनाने और इसके शेयर कुछ निजी भागीदारों को बेचने या इसी प्रकार का कुछ प्रस्ताव है। यह सत्य है कि पहली यूनियन जिसकी स्थापना मैंने शिपयार्ड में की थी, के अध्यक्ष के रूप में मैं इस संस्थान से काफी जुड़ा हुआ था। जब मैंने यह रिपोर्ट देखी, वास्तव में मुझे काफी आश्चर्य हुआ

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

था। यह एक लाभ में चलने वाला संस्थान है। मुघे लगता है कि मैं सरकार या मंत्रियों की मदद से जो कुछ भी हो सकेगा करूंगा ताकि वे किसी निजी भागीदार को शामिल करने जैसी बात नहीं करें ...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*...

श्री एन. एन. कृष्णदास : संप्रग सरकार ने अपने राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम में पहले दिन ही यह घोषणा की थी कि किसी भी लाभ अर्जित करने वाली कंपनी का विनिवेश नहीं किया जाएगा ...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : वे भी इसी लहजे में उत्तर दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*...

श्री वायालार रवि : महोदय चूंकि माननीय सदस्यों ने मुद्दा उठाया है और यह केरल के माननीय सदस्यों और जनता के लिए भी निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है, इसे सरकार के साथ और संबंधित मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा और मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करूंगा कि इसमें कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा : महोदय, बेरोजगारी की समस्या मेरे राज्य असम और उत्तर पूर्व के लोगों के लिए एक प्रमुख समस्या है क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। वे हथियार तक उठा लेते हैं। वहां सभी प्रकार की समस्याएं हैं। अतएव रेलवे उन सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है जिसमें रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

महोदय, सूचना है कि समूह III और समूह IV श्रेणी के लगभग 8,000 पद उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे में अभी भी रिक्त पड़े हैं। दुर्भाग्य से आरोप लगे हैं और हाल के दिनों में समाचार पत्रों में आता रहा है कि सभी नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके कुछ नौकरियां पिछले दरवाजे से दी जा रही है। इसने युवाओं को काफी आन्दोलित कर दिया है। वास्तव में कुछ युवा संगठनों ने हमारी भी आलोचना की और कहा कि वे हमारी चुप्पी के लिए हमारी भर्त्सना कर रहे हैं। वे हमसे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे हमारे निकम्मेपन के लिए आन्दोलन करेंगे।

महोदय, इन परिस्थितियों में, क्योंकि माननीय रेल मंत्री भी यहां उपस्थित हैं, मैं मांग करता हूं कि सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच की जाए और यदि कोई गलती सामने आती है तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएं और असम में उत्तर–पूर्व सीमांत रेलवे में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां सुनिश्चित की जाएं।

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, मछुआरों की जिन्दगी अत्यंत दयनीय है। मैं मछुआरा समुदाय से आता हूं और मुझे पूरा विश्वास है या मछुआरों के कष्टों के बारे में वस्तुतः अनुभव है। मछली पकड़ना एकमात्र पेशा है जिसमें मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है। मछुआरों की प्रतिव्यक्ति आमदनी औसत भारतीय नागरिक की आय से कम है। इसका तात्पर्य यह है कि उनका जीवन औरों की तुलना में अधूरा होता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि वे कर्ज में जन्म लेते हैं, पूरे जीवन भर ऋण के जाल में फंसे रहते हैं और अपनी मृत्यु के पश्चात् अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी कर्ज छोड़कर जाते हैं। अतः मछुआरों की ऋणग्रस्तता का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए।

महोदय, केरल सरकार ने एक कानून पारित किया है और मछुआरा ऋण राहत आयोग का गठन किया है। लेकिन केरल सरकार द्वारा बार–बार अनुरोध किए जाने के बावजूद राज्य को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। अनेक मछुआरा सहकारी समितियां हैं, जहां से मछुआरे ऋण लेते हैं, जिन्हें शामिल नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि बहुसंख्यक मछुआरों को ऋण राहत से महरूम रखा गया है।

अतः मैं सरकार से मछुआरों की ऋणग्रस्तता का गहराई से अध्ययन करने और उन्हें राहत प्रदान करने हेतु मछुआरों के लिए राष्ट्रीय ऋण राहत आयोग स्थापित करने का अनुरोध करता हूं। इसी बीच केरल सरकार द्वारा गठित ऋण राहत आयोग को भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाए।

सभापति महोदय : श्री ई. दयाकर राव जी।

***श्री ई. दयाकर राव** (वारंगल) : धन्यवाद महोदय, मैं नव निर्वाचित सदस्य हूं, इसलिए कृपया मुझे बोलने का अधिक समय दें। महोदय, मैं प्रतिदिन आंध्र प्रदेश की ओर से संसद प्रवेश द्वार के निकट गांधी जी की प्रतिमा के सामने एक घंटे तक इस मुद्दे पर विरोध प्रकट कर रहा हूं। महोदय, सीपीआई, सीपीआई (एम), टी आर एस और टी डी पी पार्टियां इसके लिए गत चार वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। वर्ष 1970 में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के बीच एक समझौता हुआ था और तेलंगाना क्षेत्र में श्री राम सागर परियोजना (एस आर एस पी)

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

पूरी की गई थी। महाराष्ट्र से अधिगृहीत भूमि के लिए 6.11 करोड़ रुपया दिया गया था। उस अधिगृहीत भूमि में बबली परियोजना चल रही है और यह अन्तर्राज्यीय सहमति का उल्लंघन है। जल विवादों की जांच के लिए वर्ष 1956 में 'बछावत' अधिकरण गठित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने 'बछावत' अधिकरण द्वारा किए गए निर्देशों का उल्लंघन किया और 'बबली' परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया। हमारे नेता श्री चन्द्रबाबू नायडु ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष लाए। हमने दिल्ली में धरना और विरोध किया। हमने इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक केस भी दर्ज किया। हमारी राज्य सरकार ने भी इस संबंध में एक मामला दर्ज किया है। चूंकि आंध्र प्रदेश सरकार आवश्यक कागजात नहीं पेशकर सकी इसलिए हमें उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं मिला। इस मामले में केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप और दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर सौहार्द्रपूर्ण तरीके से मामले को निपटाने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद राज्य या केन्द्र सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 'बबली' परियोजना के अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा 11 परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि...*(व्यवधान)*...।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : सभापति महोदय, सरकार को इस मुद्दे पर उत्तर देना चाहिए। यह एक गंभीर मामला है।

***श्री ई. दयाकर राव** : गत चार वर्षों में लोक सभा में हमारे नेता येरननायडु और राज्य सभा में रवुला चन्द्र शेखर राव अक्सर इस मुद्दे को उठाते है। हाल ही में, हम इस मामले को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के ध्यान में लाए हैं। आंध्र प्रदेश के लगभग 80 एम एल ए और एम एस सी ने सी पी आई और सी पी आई (एम) के कैडर के साथ चन्द्रबाबू नायडु के नेतृत्व में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया है। इस धरने में लगभग 3000 किसानों ने भाग लिया था। तेलंगाना क्षेत्र में श्री राम सागर परियोजना, सिंचाई के लिए एकमात्र परियोजना है। केन्द्र सरकार इससे अवगत है और उन्हें जल संसाधन मंत्रालय से रिपोर्ट मिल गई है।

सभापति महोदय : कृपया मुद्दे की बात कीजिए।

***श्री ई. दयाकर राव** : 'बबली' और अन्य ग्यारह परियोजनाओं के कारण श्री राम सागर परियोजना डूब जाएगी। इस रिपोर्ट में इस अवैध परियोजना का उल्लेख है। हम अनुरोध करते हैं कि रिपोर्ट लागू की जाए। इस मामले की जांच के लिए समिति गठित की गयी थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट में भी इस परियोजना को अवैध ठहराया है। मैं प्रतिदिन एक घंटे तक गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन करता हूं और इस सदन के सभी सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपनी सहमति व्यक्त की है।

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

सभापति महोदय : आपकी क्या मांग है? कृपया बताइए।

***श्री ई. दयाकर राव** : मेरा एक अनुरोध है, श्री राम सागर परियोजना तेलंगाना की एकमात्र परियोजना है, 18 लाख एकड़ भूमि सूख जाएगी। 'बबली' एक अवैध परियोजना है और मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को तत्काल रोक दिया जाए।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया बैठ जाइए।

***श्री ई. दयाकर राव** : यह एक गैर कानूनी परियोजना है जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उन्हें केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है। बबली परियोजना के निर्माण से श्री राम सागर परियोजना जलमग्न हो जाएगी। अतः बबली परियोजना का निर्माण तत्काल रोक दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं उन्हें कैसे बाहर कर सकता हूं?

***श्री ई. दयाकर राव** : मैं प्रत्येक दिन विरोध प्रकट कर रहा हूं। केवल इस मुद्दे के कारण मैं निर्वाचित हुआ हूं।

सभापति महोदय : बहुत–बहुत धन्यवाद। कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आपने अपनी बात कह दी है।

***श्री ई. दयाकर राव** : मैंने विधानसभा सदस्य के पद से त्यागपत्र दिया और संसद सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ा। श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री के समक्ष शपथ ग्रहण करते हुए मैंने उनसे बबली परियोजना का निर्माण रोकने का अनुरोध किया था। मेरा अनुरोध है कि हमारी वैध मांगें सुनी जाएं और मानी जाए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : सभापति महोदय यह तेलंगाना का प्रमुख मुद्दा है ...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : आप अपने आपको इस मुद्दे से संबद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)***

सभापति महोदय : कृपया पर्ची भेज दें। आप लोगों का नाम संबद्ध कर दिया जाएगा।

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*...*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। यह एक अन्तर्राज्यीय मामला है।

...*(व्यवधान)*...*

श्री ए. वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल) : सभापति महोदय, यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार सोने की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाए और इसके परिणामस्वरूप बेचारे स्वर्णकारों और जौहरियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करे। यह एक आश्चर्यजनक घटना है कि किसी अन्य वस्तु की कीमतों के विपरीत सोने की कीमतें दिन में तीन बार तय की जाती है। इन पांच वर्षों के दौरान इस पीले धातु की कीमत वर्ष 2002 में 3,392 रु. प्रति अशरफी से तीन गुना बढ़कर वर्तमान में 10672 रु. हो गयी है।

महोदय, यह सत्य है कि मुद्रास्फीति, शेयर बाजार, डॉलर मूल्य, बैंक के ब्याज दर इत्यादि जैसे प्रचलित कारकों से सोने की कीमत का गहरा संबंध है। लेकिन परम्परागत तथ्य, जैसे इस बहुमूल्य वस्तु की आपूर्ति और मांग जो बाजार शक्तियों को प्रभावित करती है, वे भी इसके मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख सोना उत्पादक देशों ने अपने उत्पादन में कटौती की है जिससे प्रतिवर्ष बाजार में 400 टन की आपूर्ति कम हो गयी है। प्रतिवर्ष बाजार में 2600 टन सोना उपलब्ध कराया जाता है जबकि वैश्विक मांग 3000 टन की है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव हर जगह पड़ा है और शेयर बाजार में उतार–चढ़ाव के कारण निवेशक सोना खरीदने और इसका संचय करना ज्यादा पंसद कर रहे हैं जिससे इस पीले धातु का बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा हो गया है। इसके अतिरिक्त सोने के ऑनलाइन व्यापार से स्थिति और खराब हो गई है और मूल्य में गिरावट का कोई लक्षण प्रकट किए बिना इस धातु का मूल्य प्रति अशरफी की कीमत प्रतिदिन 100 से 250 रु. बढ़ जाती है। यह नोट करके आश्चर्य होता है कि सोने का प्रतिदिन लगभग सात लाख रु. का आनलाइन व्यापार हो रहा है। मध्यम वर्ग जो अपने रीति–रिवाजों और सामाजिक परंपराओं का निवर्हन सोने के बिना नहीं कर सकता और सुनार जो विदेशी आभूषणों के आयात के कारण पहले ही बेरोजगार हो रहे हैं, स्वय को संकट के बीच पा रहे हैं।

अतः सरकार को इस पर दृढ़ता से कार्रवाई करनी चाहिए और सोने के आनलाइन व्यापार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में मछुआ समुदाय की उपजातियां–मल्लाह, केवट, निषाद, बाथम, तियर/तियार, चाई, खैराहा, तुरहा/तुरैहा, बिन्द, धीवर/धीमर, रायकवार, कहार/कश्यप, माझी/गोडिया (पुकारू नाम) सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में मछुआ समुदाय की उपजातियों (गोड़, खरवार, मझवार एवं तुरेहा को राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है, किन्तु शेष उपजातियां वंचित रह गई हैं, जबकि इनका आपस में एक–दूसरे से वैवाहिक संबंध, खान–पान, रहन–सहन, रीति–रिवाज आदि एक जैसी ही हैं।

महोदय, मछुआ समुदाय की उपरोक्त वंचित उपजातियों की मांग पर पूर्ववर्ती उ.प्र. सरकार ने 19 फरवरी, 2004 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में निर्णय कर के, उपरोक्त वंचित उपजातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने की संस्तुति पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पत्रांक 12016/25/200–एमसीडी (आरएलसेल) यू.पी. दिनांक 8 अप्रैल, 2004 द्वारा इन जातियों के इथनोग्राफिकल बृहद सर्वे/अध्ययन रिपोर्ट व अनुसूचित जाति में सम्मिलित किए जाने का विस्तृत औचित्य आख्या की अपेक्षा किए जाने पर, प्रदेश सरकार के निर्देश पर, निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ द्वारा प्रदेश के तमाम जनपदों में मछुआ समुदाय की उपरोक्त वंचित उपजातियों का इथानोग्राफिकल सर्वे/अध्ययन कराया गया।

अपने सर्वे अध्ययन में एस.टी. एस.टी. कमीशन ने मछुआ समुदाय की इन उपरोक्त वंचित जातियों में परंपरागत रूप से अस्पृश्यता आज भी पाई है। इसकी व्याख्या करते हुए और यह दर्शाते हुए कि इनका आपसी शादी–ब्याह का प्रचलन है, रहन–सहन एक जैसा है, व्यवसाय, रीति–रिवाज... व शादी–ब्याह का आपसी संबंध है। ...*(व्यवधान)*... यह प्रदेश के करोड़ों वंचित लोगों का मामला है। आप मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है। आप एक मामला उठा सकते हैं।

श्री शंखलाल माझी : इनकी इथनोग्राफिकल रिपोर्ट में शोध संस्थान ने लिखा है कि इनकी आपसी शादी–ब्याह की जो व्यवस्था है, वह गोड, बेलदार, मझवार, खरवार, तुरेहा के समान है, जिनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है। यह दर्शाते हुए इनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का औचित्य बनता है, ऐसा लिखा था। उसके आधार पर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण अनुभाग 3 के पत्रांक 3895/26.3.2003–3 (37/90) दिनांक 31 दिसम्बर, 2004, दूसरा

पत्र 971/26.3.2006–3 (87)90 टी सी दिनांक 16 मई, 2006 और तीसरा पत्र 292 सी एम (1) 26.3.2006–3 (37)90 टी सी दिनांक 6.11.2006 और अन्त में पत्रांक 292 सी एम (1) 26.3.2006–3 (37)90 टी सी दिनांक 12 जनवरी, 2007 द्वारा एस.सी. एस.टी. शोध प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा किये गये औचित्यपूर्ण संस्तुति सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सराकर को भेजा गया। ...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : आपकी डिमांड क्या है, वह बताइये।

श्री शंखलाल माझी : मैं अन्तिम बात पर आ गया हूं कि इसकी औचित्यपूर्ण संस्तुति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिल्ली को भेजी गई। एस.सी. एस.टी. शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ऐसा संस्थान है, जो अनुसूचित जाति के लोगों को सर्वे करता है और यह निर्धारित करता है कि इन जातियों को आरक्षण दिए जाने का औचित्य बनता है या नहीं। उसने यह माना है और भारत सरकार को संस्तुति की है कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ा जाना चाहिए।

इसी संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं। हिन्दुस्तान का संविधान एक है और हिन्दुस्तान के संविधान में आरक्षण का जो मानक दिया गया है, वह यह है कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो विपन्न है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की सुविधा दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से विपन्न देश की वे जातियां है। आज पूरे हिन्दुस्तान में दलित समाज का भी कोई बस्ती शायद ऐसी नहीं होगी, जिनमें कोई पक्का मकान न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बसने वाली इन मछुआरों की एक नहीं, हजारों ऐसी बस्तियां हैं, जहां पर एक भी पक्का मकान आज भी, आजादी के 60 साल के बाद भी नहीं है। आर्थिक रूप से विपन्न होने का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। शैक्षणिक रूप से करोड़ों की संख्या में बसने वाली इन जातियों के लोगों का आज भी पूरे प्रदेश में एक भी आई.ए.एस. आई.पी.एस. अधिकारी नहीं है और सरकारी नौकरियों में 0.01 परसेंट इनकी संख्या है। शैक्षणिक रूप से विपन्न होने की इससे ज्यादा कोई बानगी नहीं हो सकती है और सामाजिक रूप से यह वह समाज है, जिसके बारे में आज नहीं, हजारों साल पहले गोस्वामी जी ने अपने मानस मे लिखा है कि लोक वेद सब भातहिं, नीचा, जासू छाईं छुई लेऊ सींचा।। अर्थात इतनी नीच अस्पृश्य जातियां हैं मछुआरे।

इसी संबंध में दिनांक नौ सितम्बर को और 16 दिसम्बर को दर्जनों सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मिलकर इस बात को रखा है और उनसे मांग की है कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में रखने की विशिष्टता, योग्यता और अर्हता ये रखते हैं, जिसे प्रदेश सरकार की रिकमेण्डेशन भी है, इसलिए हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के मछुआ समुदाय की इन वंचित उप–जातियों को जोड़ने के लिए भारत सरकार को आप निर्देशित करने की कृपा करें।

यहां तमाम उपस्थित हमारे सांसद साथियों से, आप सब का संरक्षण चाहते हुए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मछुआरा समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, मेरे पास छह और सदस्यों के नाम हैं जिन्होंने विलंब से सूचना दी है और जिन्हें माननीय उपाध्यक्ष द्वारा विशेष मामले के रूप में अनुमति प्रदान की गई है। चूंकि यह इस लोक सभा के सत्र का अंतिम दिन है, अतः मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, जैसा कि पूर्ववर्ती एनडीए सरकार ने पूरे देश के 6 राज्यों में आवश्यकता के अनुसार एम्स जैसा, एम्स के तर्ज पर हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया था, उसी के संदर्भ में बिहार में हमारे संसदीय क्षेत्र में फुलवारीशरीफ, बालमी के नजदीक एम्स हेतु जमीन उपलब्ध हो गयी। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक हॉस्पिटल निर्माण की कार्यवाही बहुत धीमी गति में है। इसकी वजह से जो टारगेट रखा गया था, वह टारगेट एचीव नहीं किया गया। यूपीए सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कई बार यह आश्वासन दिया कि हम शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करके उसका निर्माण करेंगे, जो निर्धारित समय है, उसके अनुकूल राशि आबंटित करके उसको बना देंगे। महोदय, जैसा कि आपको जानकारी है और मैं समझता हूं कि आपके राज्य में भी यही स्थिति होगी, खासतौर पर बिहार और उड़ीसा पिछड़े राज्य हैं, वहां एम्स की तर्ज पर या कोई सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल न होने की वजह से आम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गरीब तबके के लोग जो एम्स में आने योग्य नहीं हैं, दिल्ली आकर इलाज कराने के लिए, वे तो वहीं मर जाते हैं। उनके पास आने का भाड़ा नहीं है, तो वे दिल्ली कैसे आ पाएंगे? वहां की स्थिति बहुत खराब है। छोटी से छोटी बीमारी का जो सही इलाज होना चाहिए, वह चूंकि बिहार के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है, खासकर पटना जो कैपिटल टाउन है, वहां इलाज नहीं हो पाता है, आए दिन वहां दिल्ली आने के लिए या एम्स आने के लिए केस रेफर करते हैं।

महोदय, वहां के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के लोग यह आशा रख रहे हैं कि यथाशीघ्र हॉस्पिटल का निर्माण अगर हो जाता, तो बिहार और पटना की जनता, जो बीमारियों से जूझ रही है, गरीबी के कारण जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है,

उनका समुचित इलाज हो पाता। आप दिल्ली के एम्स में देखिए, वहां 60 प्रतिशत मरीज आपको बिहार के मिलेंगे। इसलिए उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री और खासतौर से प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप हस्तक्षेप करें। आपने जो राशि वहां आबंटित की है, वह बहुत कम है, जिसकी वजह से युद्ध स्तर पर कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने ही हस्तक्षेप किया है, इसके बावजूद अभी तक ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि अधिक से अधिक राशि आबंटित करके, जो निर्धारित समय है, उसके अनुसार वहां एम्स की तर्ज पर हास्पिटल का निर्माण कराया जाए, ताकि वहां की जनता को सुविधा हो और लोग दिल्ली आने से बचें। जो गरीबी की हालत में मर रहे हैं, उन्हें आप मरने से बचायें। यह मेरा निवेदन होगा, इस पर अविलंब कार्यवाही करने का काम करें।

अपराह्न 01.57 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : सभापति महोदय, मैं अपने राज्य के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए।

गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना और इसकी नहर गुजरात के लोगों की जीवन रेखा है। यह परियोजना अन्य तीन राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

हमारे देश में इस प्रकार की अनेक परियोजनाओं को 'राष्ट्रीय परियोजना' घोषित किया गया है। गुजरात सरकार और गुजरात के लोगों द्वारा भारत सरकार से इस परियोजना को 'राष्ट्रीय परियोजना' घोषित करने की मांग की गई है। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि गुजरात के लोगों द्वारा इस मुद्दे पर आन्दोलन करने के बाद भी भारत सरकार इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषणा क्यों नहीं कर रही है। यह मांग काफी लंबे समय से की जा रही है क्योंकि सरदार सरोवर बांध से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों अर्थात् कच्छ और उत्तरी गुजरात में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकती है और वहां पर भी यही मांग की जा रही है। यदि इस परियोजना को 'राष्ट्रीय परियोजना' घोषित नहीं किया जा रहा है तो भारत सरकार द्वारा कई अन्य परियोजनाओं को 'राष्ट्रीय परियोजना' क्यों घोषित किया गया है।

अतः आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरी यह मांग है कि गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना को 'राष्ट्रीय परियोजना' घोषित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : महोदय, सारा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। हम भी इससे प्रभावित हैं और इससे उबरने के लिए आज मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना हमारे देश की प्राथमिकता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यूपीए शासन की भी प्राथमिकता है।

अपराह्न 2.00 बजे

यह सारे देश की प्राथमिकता है और फाइव ईयर प्लान में भी यह हमारी प्राथमिकता है। नेशनल हाईवे डैवलपमैंट प्रोग्राम एनडीए के शासन ने शुरू किया था जिसके बहुत अच्छे परिणाम आए। जीक्यू में हम लक्ष्य प्राप्ति के करीब हैं, लेकिन जो नार्थ-साउथ, ईस्ट-वैस्ट कॉरिडोर है, मेरा इस शासन पर आरोप है कि उन्होंने इस बारे में ध्यान नहीं दिया है और जो लक्ष्य रखा गया था, आज हम नार्थ-साउथ, ईस्ट-वैस्ट प्रोग्राम में उस लक्ष्य में बहुत पीछे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शासन इस बारे में जांच करें कि क्या कारण थे जिनकी वजह से यह कार्यक्रम पिछड़ा रहा। उसकी रिपोर्ट बनाकर सारे देश के सामने रखी जाए। मेरी मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3, जो आगरा से मुम्बई जाता है, आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत पुराना और महत्वपूर्ण राजमार्ग है, उसे चार लेन में परिवर्तित करने के लिए जल्दी से जल्दी कार्य शुरू किया जाए। वह काम कब तक शुरू करेंगे, उसकी जानकारी दें जिससे मध्य प्रदेश जो पिछड़ा हुआ है, उसका सबसे ज्यादा क्षेत्र उसमें आता है, उसका आर्थिक विकास हो सके। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि शासन इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, पिछले दिनों जंतर-मंतर पर देश के भूतपूर्व सैनिकों ने, जिनमें सिपाही से लेकर जनरल तक के लोग शामिल थे, धरना और प्रदर्शन किया। वे बहुत लम्बे अरसे से समान रैंक, समान पेंशन की मांग करते रहे हैं। यह बड़ी विडंबना है कि 15-20 साल पहले सेवा निवृत्त हुए जनरल को आज जो कर्नल रिटायर होता है, उससे भी कम पैंशन मिलती है। 15 साल पहले रिटायर हुए सूबेदार मेजर को आज जो सिपाही रिटायर होता है, उससे भी कम पेंशन मिलती है। मैं समझता हूं कि देश की रक्षा सेनाओं को सम्मान देने हेतु और रक्षा सेनाओं का मान बढ़ाने हेतु हमें यह निर्णय

लेना चाहिए कि जिस रैंक से व्यक्ति रिटायर हो, वर्तमान में उन्हें उसी हिसाब से पेंशन मिले। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में तत्काल निर्णय लेकर पूर्व सैनिकों के सम्मान को सुरक्षित रखे जिससे उन्हें अपने मैडल वगैरह लौटाने जैसे काम नहीं करने पड़े और धरना-प्रदर्शन नहीं देना पड़े। मैं यह मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

कुमारी अगाथा के संगमा (तुरा) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा को बताना चाहूंगी कि सिक्किम के जनजातीय समुदाय अर्थात् लिंबु और तमांग को वर्ष 2003 के आरंभ मे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। फिर भी ये जनजातियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में भारी गलती के कारण उनके लिए अनुसूचित जनजाति सीटों को आरक्षित नहीं रखा गया।

वर्ष 2004 के आम चुनावों और राज्य विधान सभा चुनावों में भी इन दोनों जनजातियों को अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ नहीं मिला।

राज्य विधान सभा ने 23 दिसंबर 2008 को सिक्किम विधान सभा में नई जोड़ी गई अनुसूचित जनजातियों (लिम्बु और तमांग) के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में संकल्प सं. 10 पारित किया था जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 7 (आईए) में संशोधन द्वारा लिंबु और तमांग जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन इन दोनों जनजातियों को शामिल करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है ताकि इन्हें आगामी चुनावों में आरक्षण दिया जा सके।

महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि चूंकि आम चुनाव के लिए अधिक समय नहीं बचा है, अतः यह नितांत अनिवार्य है कि सरकार द्वारा लिंबु और तमांग जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु तत्काल अनिवार्य अध्यादेश लाए ताकि ये दोनों जनजातियां अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित न रहे।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्थीरन (रामनाथपुरम) : सभापति महोदय, मैं डीएमके दल की और से बोल रही हूं जिसके अध्यक्ष हमारे सम्माननीय नेता डा. कलिग्नार करूणानिधि हैं और एक वरिष्ठ नागरिक है। इस सभा में यह बताते हुए भी हमें गर्व है कि मुख्यमंत्री के रूप में गरीब लोगों के कल्याण हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन में भी वे अनेक राज्यों के आदर्श हैं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 'उचीपल्ली' में एक नौसेना हवाई अड्डा है। यहां से रामेश्वरम पहुंचने में 45 मिनट लगते हैं। हम सभी जानते हैं कि रामेश्वरम राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। देश भर से और विश्व के कई भागों से रोजाना बड़ी संख्या में लोग रामेश्वरम आते है और यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है।

एक अन्य प्रसिद्ध स्थल है किलाकेरई जहां कई करोड़पति विश्वभर में विशेषकर दुबई, सउदी अरब, हांग-कांग, ताइवान, श्रीलंका में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं। इनकी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग कपास उत्पादन, समुद्र-आधारित उत्पादों का व्यवसाय कर रहे हैं। मैं मांग करती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक घरेलू हवाई अड्डे का निर्माण किया जाए।

मेरा यूपीए सरकार, जो कि गरीबोन्मुखी और जनता की सरकार है और जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी है और डा. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, से आग्रह करती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घरेलू हवाई अड्डा बनाया जाए जो कि आज की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक है। देश के आर्थिक विकास में मेरे निर्वाचन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे आशा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यथाशीघ्र एक घरेलू हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा।

सभापति महोदय : अब सभा में नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा की जाएगी।

...*(व्यवधान)*...

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मेरा व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है ...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : योगी आदित्यनाथ

...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : मैं पहले ही नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करने के लिए कह चुका हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी है ...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : श्री येरननायडु, विशेष अनुरोध के रूप में नियम 377 के मामलों के पश्चात् मैं आपको बोलने का अवसर दे दूंगा।

अपराह्न 2.07 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एम्स के समतुल्य सुविधाएं प्रदान कर इसका उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केन्द्र होने के साथ–साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर बिहार तथा नेपाल की तराई के लिए, एक बहुत बड़े भाग के लिए शिक्षा तथा चिकित्सा का भी प्रमुख केन्द्र है। लगभग 5 करोड़ आबादी के बीच में चिकित्सा का एकमात्र साधन बीआरडी मेडिकल कालेज है। प्रतिवर्ष जापानी इन्सेफलाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया, काला ज्वर, डेंगू आदि विषाणु जनित बीमारियों के साथ–साथ तमाम अन्य संक्रामक बीमारियों से हजारों मौतें चिकित्सा के अभाव में इस क्षेत्र में होती है। अपने सीमित संसाधनों से बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाता है, जिसके कारण प्रतिवर्ष हजारों मौतें स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में इस क्षेत्र में होती हैं।

इसलिए 5 करोड़ से अधिक जनसंख्या की स्वास्थ्य सुविधा के लिए आवश्यक है कि बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जाए जिससे सही, सस्ती और विश्वसनीय चिकित्सा सुविधा इस क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो सके। कृपया उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नई इकाई को गोरखपुर में स्थापित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रघुवीर सिंह कौशल – उपस्थित नहीं

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन – उपस्थित नहीं

श्री संतोष गंगवार – उपस्थित नहीं

श्री रामस्वरूप कोली – उपस्थित नहीं

श्री किशन सिंह सांगवान – उपस्थित नहीं

श्री पी. करूणाकरन – उपस्थित नहीं

डा. सुजान चक्रवर्ती – उपस्थित नहीं

श्री पी.सी. थामस – उपस्थित नहीं

(दो) सर्वशिक्षा अभियान में कार्यरत 'प्रेरक', 'नोडल प्रेरक' और 'सहायक नोडल प्रेरक' के मानदेय बढ़ाए जाने और मानदेय की बकाया राशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम (बिजनौर) : सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा सतत् शिक्षा कार्यक्रम 15 से 35 वर्ष आयु के पुरूष एवं महिलाओं को साक्षर बनाने हेतु साक्षरता पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं जिसमें नोडल प्रेरक का 1200 रुपये, सहनोडल प्रेरकों को 700 रुपये, प्रेरकों को 700 रुपए सहप्रेरकों को 500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, जो कि नोडल प्रेरकों, सहनोडल प्रेरकों, प्रेरकों, सहप्रेरकों को उनकी मेहनत एवं आज की बढ़ती महंगाई में काफी कम है। मेरा अनुरोध है कि इस मानदेय को कम से कम चार गुना बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सर्व शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत नोडल प्रेरकों को 4800 रुपये, सहनोडल प्रेरकों को 2800 रुपये, प्रेरकों को 2800 रुपये तथा सहप्रेरकों को 2000 रुपये प्रति मानदेय दिया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश के नोडल प्रेरकों, सहनोडल प्रेरकों, सहप्रेरकों के लम्बित मानदेय का भुगतान अतिशीघ्र कराया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री एस.के. बैसीमुशियारी – उपस्थित नहीं अब सभा विदाई संबंधी उल्लेख के लिए अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*...

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, एक माननीय सदस्य का तेलंगाना संबंधी संकल्प ...*(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : तेलंगाना का बिल बहुत महत्वपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*...

...*(व्यवधान)*...

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : इन्होंने जो वादा किया था, वह पूरा नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि नई सभा इस पर पहले विचार करेगी।

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : अब कोई कार्य नहीं है।

...*(व्यवधान)*...

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री की ओर से मैं एक वक्तव्य देना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*...

श्री प्रणब मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं अपनी हार्दिक ...*(व्यवधान)*... मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मैं स्वास्थ्य लाभ कर रहे प्रधान मंत्री की ओर से एक वक्तव्य देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : यदि आप व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो मैं सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर चला जाऊंगा।

...*(व्यवधान)*...

श्री प्रणब मुखर्जी : मुझे स्वास्थ्य लाभ कर रहे प्रधानमंत्री की ओर से वक्तव्य पढ़ने दें, ...*(व्यवधान)*... इसके बाद सदस्य अपनी बात कह सकते हैं ...*(व्यवधान)*...

अपराह्न 3.01 बजे

विदाई संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री की ओर से उनका वक्तव्य पढ़ना चाहता हूं। संसदीय प्रणाली तथा प्रथा के तहत वे इसे आपको संबोधित कर रहे हैं।

सर्वप्रथम अपने चिकित्सीय उपचार के फलस्वरूप चौदहवीं लोक सभा के अन्तिम सत्र में भाग न लेने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस सत्र के प्रारंभ में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में मेरे लिए शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए मैं उनका आभारी हूं। आपके माध्यम से मेरे सभी संसद सदस्यों द्वारा शुभकामनाएं भेजे जाने के लिए भी मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।

विगत पांच वर्षों में हमने अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य किया है। विगत पांच वर्षों में संसद द्वारा बनाए गए विधानों से नागरिकों की भूमिका तथा अधिकारों को एक नया आयाम दिया गया है। संसद के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हुई है जिसमें नागरिक को सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा सरकार से जवाब तलबी का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिनों तक काम के अधिकार की गारंटी दी गई है। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वन्य निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, तथा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (सूचना का अधिकार) अधिनियम आदि ऐसे कतिपय अभूतपूर्व, परिवर्तनवादी सामाजिक और आर्थिक विधान इस संसद द्वारा अधिनियमित किए गए जो राज्य और नागरिकों के बीच के संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा।

संसद का यह काल अनेक मामलों में अनूठा रहा है। एक ओर विगत पांच वर्ष देश के लिए अच्छे रहे हैं जब देश की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे प्रगतिशील अर्थव्यवस्था रही। इसके साथ ही दूसरी ओर तेल की कीमतों में विश्वव्यापी वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई जिसे विवेक सम्मत आर्थिक नीति के द्वारा नियंत्रित किया गया। आज भी हम विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से उसी संकल्प और दृढ़ता के साथ निपट रहे हैं। इस सभा को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्यमान विश्वव्यापी आर्थिक संकट से भारत पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा। हमारी अच्छी विदेश नीति के

फलस्वरूप ही हमने अपनी परमाणु विलगन को समाप्त किया तथा अपने लिए अभूतपूर्व वैश्विक अवसर का निर्माण किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस संसद में कार्यसंचालन को लेकर आपने एक आदर्श स्थापित किया है। हमने समय–समय पर आपकी सहनशीलता तथा विवेक को परखा है। कभी–कभी ऐसा भी समय आया जब आपको संसदीय औचित्य तथा जीवनभर जिस संगठन को बनाने में आपका योगदान रहा, उसकी अपेक्षाओं के बीच में निर्णय करना पड़ा। लेकिन सभी ऐसे अवसरों पर आपने अपने विवेक से काम लिया। ऐसी घड़ी में आप ने इस उच्च पद तथा इस संस्थान की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो किया उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जब मैं यह कहता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने लोक सभा के अध्यक्ष पद को वास्तव में सुशोभित और गौरवान्वित किया है तो उसमें इस सदन के सभी सदस्यों की भावना शामिल है। आपके इस अनूठे योगदान का इतिहास साक्षी रहेगा। आपने हमारी अच्छी संसदीय परम्पराओं की रक्षा के लिए निरन्तर एक चट्टान की तरह खड़े रहे और ऐसा करके आने वालों के लिए एक मापदंड स्थापित किया है।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी, जिनके साथ यदाकदा मतभिन्नताओं के बावजूद भी राष्ट्रीय चुनौतियों के मामलों पर हमने एक साथ सकारात्मक कार्य किया है, का ऐसे समय धन्यवाद न करना अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन न करना होगा। मैं संप्रग सरकार की नेता श्रीमती सोनिया गांधी का भी आभार व्यक्त करता हूं जो इस सम्माननीय सभा में प्रस्तुत अनेक प्रगतिशील विधानों का प्रेरणा स्रोत रही हैं। मैं इस सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं का और सभा का कार्य सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय का भी धन्यवाद करता हूं।

इस सभा के प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए मैं लोक सभा के महासचिव तथा कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं। मैं सभी की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर मैं सभी माननीय सदस्यों को, जो आगामी लोक सभा का चुनाव लड़ेंगे उन्हें शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि इस संस्थान की सेवा के अपने प्रयासों को वे जारी रखेंगे। हमारे देश ने जो इस महान संसदीय लोकतांत्रिक संस्थान, जिसे हमारे देश ने बनाया है, के प्रति हमारा सामूहिक योगदान है और हम सभी को इस देश के प्रति इस विशेषाधिकार और पावन कर्त्तव्य को अत्यधिक कृतज्ञता और विनम्रता से याद रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, हम सब को बहुत खुशी होती, अगर प्रधानमंत्री स्वयं स्वस्थ होकर सदन में उपस्थित होते। मैं समझ सकता हूं कि इस प्रकार के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स की जो सलाह होगी, उसके अनुसार उन्होंने स्वयं न आकर ये संदेश भेजा है। मैं समझता हूं कि मैं पूरे सदन की भावना प्रकट कर रहा हूं। मैं सदन के नेता के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूं कि वे शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होकर अपने कार्य में लग जाएं।

आज पिछले पांच सालों के कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर नहीं है, इसलिए क्या उपलब्धि हुई, क्या उपलब्धि नहीं हुई, क्या–क्या कठिनाई आईं, उनके ऊपर कैसे हम विजय प्राप्त कर सके या नहीं कर सके, इसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, क्योंकि यह विवाद का अवसर नहीं है। मैं यह जरूर कहूंगा कि जब भारत में वर्ष 1950 में संविधान पारित करके संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया। विश्व के बहुत सारे लोग थे, उनमें कई विद्वान थे जिन्होंने आशंका प्रकट की थी कि देश लोकतंत्र के मार्ग पर नहीं चल सकता। यह कुछ समय की बात है। मुझे उन दिनों का याद है जब

[अनुवाद]

"नेहरू के बाद कौन"

[हिन्दी]

से ज्यादा चर्चा इस बात की होती थी

[अनुवाद]

"नेहरू के बाद क्या"

[हिन्दी]

जैसे मानो आज भारत में लोकतंत्र चल रहा है तो वह बाद में नहीं चलेगा लेकिन हमारे लिए यह गर्व की बात है कि देश में वे सारे लोग जो संदेह प्रकट करते थे, उनको गलत साबित किया है और लगातार देश को सशक्त, मजबूत लोकतंत्र के रूप में चलाया है। उसमें अगर कमियां हैं, क्योंकि हम उसमें भाग लेते हैं इसीलिए बहुत निकट से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और उनको सुधारने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन मैं कुल मिला कर मानता हूं कि आज दुनिया भर में भारत की जो इज्जत है, उसका प्रमुख कारण यह है, जब बाकी सारे विकासशील देश एक–एक करके इस मार्ग से हट करके, किसी ने सैनिक शासन अपनाया, किसी ने और कोई अधिनायकवादी प्रवृत्ति अपनायी, इसने लगातार एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में अपने को संचालित किया। उसमें स्वभाविक रूप से सरकारी पक्ष, विपक्ष, इस सदन के नेता, कुल

मिला कर जितने विधानमंडल हैं, उन सब ने योगदान दिया है, जिस के लिए सब की प्रशंसा करता हूं, सब का आभार प्रकट करता हूं, सब को साधुवाद देता हूं और आपको भी इस पद पर अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए बधाई देता हूं। मैं मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की, ब्यूरोक्रेसी की बड़ी आलोचना होती है लेकिन जब से मैं संसद में आया हू, सरकार का कोई अंग है जिस के ब्यूरोक्रेट्स, कर्मचारियों की हम सब लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं। संसद की जो व्यवस्था है, ऐसा कमी नहीं होता है कि मैं आज भाषण दूं, वह कल सुबह मेरे पास न आए, जरूर आ जाता है। इसकी व्यवस्था होती है। मैं सैक्रेटरी जनरल, उनके सभी सहयोगियों, साथियों को बधाई देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मानता हूं कि यह 14वीं लोक सभा के अंतिम सत्र का अंतिम दिन है। शीघ्र ही देश अपनी पंद्रहवीं लोक सभा चुनेगा। हो सकता है कि सदन के इस सत्र की समाप्ति के आने वाले दो–तीन दिनों में तारीखों की घोषणा हो जाए। स्वमाविक रूप से हम प्रायः सभी के सभी चुनाव के संघर्ष में उतरेंगे और वह अच्छा ही संघर्ष होगा। मैं विश्वास करता हूं कि उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान इस महान संस्था के सभी वर्गों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और सहयोग के प्रति अपना पूर्ण आभार प्रकट करता हूं। 14वीं लोक सभा के अंतिम सत्र के समापन अवसर पर मुझे लगता है कि गत पांच वर्षों के दौरान इस सभा की क्या–क्या उपलब्धियां रही हैं उसका जायजा लेने और उसका एक निरपेक्ष अवलोकन करने का यह उचित समय है।

अपनी बात आगे कहने से पूर्व, मैं अपना व्यक्तिगत दुःख प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह और श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी अस्वस्थता के कारण आज यहां उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री को उनकी सफल शिल्य–क्रिया पर बधाई देना चाहता हूं तथा यह विश्वास करता हूं कि वह शीघ्र ही पूरी तरह स्वस्थ होकर पूरी ऊर्जा के साथ अपना सामान्य कार्य–काज पुनः शुरू करने लगेंगे।

मैं अपनी तथा इस सभा की ओर से श्री वाजपेयी के शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए भी शुभकामना व्यक्त करता हूं। हमें प्रसन्नता है कि उनके स्वास्थ्य में अच्छी प्रगति हो रही है।

मैं अपने प्रिय और युवा मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी के शीघ्र और सम्पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूं।

14वीं लोक सभा का गठन 17 मार्च, 2004 को हुआ था तथा इसकी पहली बैठक 2 जून, 2004 को हुई कुल मिलाकर सभा की आज तक 332 बैठकें हुईं।

4 जून, 2004 को इस सम्मानीय अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित कर इस सभा ने मुझे अत्यधिक सम्मान प्रदान किया। मेरे सहयोगी श्री चरणजीत सिंह अटवाल भी 9 जून, 2004 को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए। हमारा पूर्ण प्रयास रहा है कि हम पूर्ण निष्ठा से इस सभा की कार्यवाही और चर्चाएं अपने पूर्ण सामर्थ्य और निष्पक्षता से संचालित करें तथा इस सभा की गरिमा बनाए रखें। प्रतिष्ठित समापति तालिका के सदस्यों ने जिस योग्यता और निष्पक्षता से हमारी सभा की कार्यवाही का संचालन किया है, मैं उनके प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं।

इस सम्माननीय सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में मेरा सदैव यह प्रयास रहा है कि सभा में सभी राजनीतिक विचारधारा वाले वर्गों को अवसर देकर सभी मुद्दो पर बेहतरीन चर्चाओं को प्रोत्साहन दिया जाए तथा सभा में सुचारु तथा सुव्यवस्थित कार्य संचालन सुनिश्चित किया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैंने सभा में व्यवधान और हंगामे को टालने में सदस्यों द्वारा सहयोग करने और उनका समर्थन पाने के लिए प्रतिदिन सभा की कार्यवाही शुरू होने से आधा घंटा पूर्व दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ बैठक करने जैसे कुछेक प्रक्रियागत सुधारों की शुरूआत की। चूंकि इस सभा का एक–एक मिनट और घंटा बेहद बहुमूल्य होता है, इसलिए मैंने सभा में सदुपयोग किए गए और गंवाए गए समय के प्रति प्रत्येक सदस्य को अवगत कराने की दृष्टि से सभा द्वारा किए गए कार्य के संबंध में प्रत्येक मंगलवार को एक साप्ताहिक वक्तव्य देने की परिपाटी शुरू की।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि इस सभा का अधिकांश कार्य अब समितियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। संसदीय समितियों ने गत पांच वर्षों के दौरान उल्लेखनीय कार्य किया। विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां पुनर्गठित की गयी हैं तथा इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गयी हैं और उनका क्षेत्राधिकार भी परिभाषित किया गया है। मंत्रालय और विभागों की अनुदान मांगों की जांच करने और संवीक्षा कार्य में सुधार लाए जाने के आशय से किए गए इस पुनर्गठन से हमारे संविधान में परिकल्पित कार्यपालिका के कार्यों की कारगर संसदीय संवीक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य की प्राप्ति हुई है।

वर्तमान लोक सभा के दौरान संसदीय स्थायी समितियों ने काफी कारगर तथा कुशलता से कार्य किया है तथा अनेक महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की हैं। लोक सभा की स्थायी समितियों ने 626 प्रतिवेदन प्राप्त किए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय सदस्यों ने समितियों

के समक्ष आने वाले मुद्दों और समस्याओं पर सभी अवसरों पर दलीय भावना से ऊपर उठकर विचार-विमर्श किया।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि अध्यक्ष द्वारा निर्देशों में नया निर्देश 73ए अंतर्विष्ट किया गया जिसमें स्थायी समितियों द्वारा सभा में प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् छह माह के अन्दर इनके द्वारा अपने-अपने प्रतिवेदनों में की गयी अनुशंसाओं/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सभी सम्बद्ध मंत्रियों द्वारा सभा में एक वक्तव्य देना अनिवार्य किया गया। इस संदर्भ में मंत्रियों ने स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट अनुशंसाओं/टिप्पणियों के कार्यान्वयन के संबंध में 388 वक्तव्य दिए।

कार्यपालिका के कार्यकरण की संवीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछना सदस्यों के हाथ में एक महत्वपूर्ण साधन है। चौदहवीं लोक सभा में 6,218 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे जिनमें से 963 प्रश्न का मौखिक उत्तर दिया गया। मैंने विभिन्न बड़े और छोटे दलों के सदस्यों को अवसर देने का भरसक प्रयास किया। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 60,419 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए। 14 आधे घंटे की चर्चाएं भी की गई। 5 अल्पसूचना प्रश्नों के भी उत्तर दिए गए।

चौदहवीं लोक सभा में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005; राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005; घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम, 2005; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005; अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006; असंगठित क्षेत्र कर्मकार, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008; राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन विधेयक, 2009 सहित 258 विधान अधिनियमित किए गए।

यह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बड़ी खेदजनक बात है कि अपने कार्यकाल के दौरान हम महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं करा सके, जो मेरे विचार से हमारी 50 प्रतिशत जनसंख्या के वास्तविक और प्रभावी सशक्तिकरण की दिशा में सहायक होता। अब महिला आरक्षण विधेयक को 2008 के बजट सत्र के दौरान राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह विधेयक चौदहवीं लोक सभा के विघटन के साथ व्यपगत न हो जाए। मुझे आशा है कि अगली लोक सभा के दौरान इस मुद्दे पर स्पष्ट सर्वसम्मति बनाने के लिए सभी राजनैतिक दलों में आम सहमति बनेगी।

चौदहवीं लोक सभा के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में 327 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित किए गए। महत्वपूर्ण विषयों पर गैर-सरकारी सदस्यों के 9 संकल्प प्रस्तुत किए गए।

इस लोक सभा के दौरान प्रश्न काल के पश्चात् और दिन की बैठक के अंत में अविलम्बनीय लोक महत्व के 3,444 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन भी सदस्यों ने 3,485 मामले उठाए। पीठासीन अधिकारी के रूप में मैंने सदस्यों को महत्वपूर्ण मामले उठाने के लिए अधिकाधिक अवसर देने का प्रयास किया। इस दृष्टिकोण के अंग के रूप में मैंने पूर्ववर्ती लोक सभा की तुलना में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अधीन बड़ी संख्या में मामले उठाने की अनुमति दी जिससे सदस्यों को उनके द्वारा उठाए गए मामलों के संबंध में मंत्रियों से उत्तर प्राप्त करने में सहायता मिली। वस्तुतः इस अवधि के दौरान 115 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए। विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों ने 266 वक्तव्य दिए जिनमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य भी शामिल हैं।

अत्यावश्यक मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव पेश करने के विपक्ष के अधिकार को मान्यता देते हुए मैंने नियमों के प्रावधानों के अनुरूप अनेक स्थगन प्रस्तावों की अनुमति दी और जिनकी संख्या पहले से अधिक थी।

इस संदर्भ में मैं चौदहवीं लोक सभा के दौरान लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों का स्मरण कराना चाहता हूं। सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों के अभिरक्षक के रूप में और संसद की गरिमा तथा शक्ति को बनाए रखने की दृष्टि से मुझे कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़े। धन लेकर प्रश्न पूछने के घोटाले में संलिप्तता के लिए 10 सदस्यों को सभा की सदस्यता से निष्कासित करना पड़ा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के लिए 4 अन्य सदस्यों को एक निश्चित अवधि के लिए सभा की सदस्यता से निलंबित किया गया। सदस्यों के कथित कदाचार की जांच करने के लिए मुझे अनेक समितियों के गठन के अप्रिय कर्त्तव्य का भी निर्वहन करना पड़ा। जैसाकि कथित मानव व्यापार मामले और जुलाई, 2008 में विश्वास मत पर वाद-विवाद के दौरान सभा के बीचोंबीच में करेंसी नोटों की गड्डियों के अप्रिय प्रदर्शन से प्रेरित कथित रिश्वतखोरी घोटाले में किया गया। दल-बदल निवारण अधिनियम के अंतर्गत निरर्हता के माध्यम से कुछ अन्य सदस्यों को भी सदस्यता से निष्कासित करना पड़ा। इन सभी कार्यवाहियों में इस सभा ने दोषी सदस्यों से मुक्ति पाने के लिए अनुकरणीय प्रतिबद्धता और जन प्रतिनिधियों से अपेक्षित आचार संहिता के पालन के लिए दृढ़ संकल्प दर्शाया तथा भविष्य में जब कभी ऐसे अवसर आएं तो आत्मशुद्धि की यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।

प्रक्रिया संबंधी मुद्दों के अलावा भी चौदहवीं लोक सभा के दौरान अन्य पहलें भी की गईं। विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर संसदीय मंचों का गठन एक ऐसी पहल है। अब हमारे यहां पांच संसदीय मंच हैं; जल संरक्षण और प्रबंधन; युवा; महिला और बाल; जनसंख्या और जन स्वास्थ्य; और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन के

संबंध में एक-एक संसदीय मंच हैं। इसका उद्देश्य सदस्यों को इन विषयों के विशेषज्ञों और संबंधित मंत्रालयों के मुख्य अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने का एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराना है। ये मंच विशिष्ट मुद्दों पर सदस्यों के सूचना और ज्ञान देने में उपयोगी और विशेष मुद्दों के संबंध में परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने में सहायक रहे हैं। प्रत्येक मंच के लिए सदस्य संयोजक नियुक्त किए गए और संसद के सत्रों के दौरान वे सदस्यों की रुचि के अनेक कार्यक्रम आयोजित करने में सक्रिय रहे।

चौदहवीं लोक सभा के दौरान हमारी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले समसामयिक चिंता के मुद्दों और समसामयिक समस्याओं के बारे में सदस्यों को जानकारी देने के लिए संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो में संसद सदस्यों के लिए एक व्याख्यान माला शुरू की गई। अब तक विभिन्न विषयों पर 24 व्याख्यान आयोजित किए गए हैं जिनमें भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों ने माननीय सदस्यों के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। इन व्याख्यानों में माननीय सदस्यों द्वारा ली गई गहरी रुचि और विशेषज्ञों के साथ उनका सार्थक विचार-विमर्श वास्तव में उत्साहवर्धक है।

मैंने संसद सदस्यों के लिए एक स्वायत्त वेतन आयोग का प्रस्ताव रखा जिसे सरकार ने सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया।

भारत के विशिष्ट सांसदों में से एक, प्रोफेसर हीरेन मुकर्जी की स्मृति में एक प्रतिष्ठित वार्षिक संसदीय व्याख्यान का भी आरंभ किया गया। नोबल पुरस्कार विजेता और हवार्ड यूनिवर्सिटी में लेमोंअ प्रोफेसर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने 11 अगस्त, 2008 को केन्द्रीय कक्ष में "सामाजिक न्याय की मार्गें" विषय पर उद्घाटन भाषण दिया। मुझे विश्वास है कि इन सभी कदमों का स्वागत किया गया और इनके अच्छे परिणाम निकले और मुझे आशा है कि भविष्य में भी सदस्यगण ऐसे व्याख्यान कराते रहेंगे जिनमें महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने के लिए प्रख्यात व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा।

लोक सभा ने "संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ीकरण" विषय पर प्रमुख पक्षकारों के साथ दो गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किये। पहला गोलमेज सम्मेलन 4 सितम्बर, 2008 को और दूसरा 1 नवम्बर, 2008 को आयोजित किया गया। दोनों गोलमेज सम्मेलनों में परस्पर चर्चा के अवसर मिलें और उन्हें प्रख्यात और दिग्गज संसदविदों, विधि विशेषज्ञों, पत्रकारों और समाज के नेताओं ने सम्बोधित किया। प्रख्यात भागीदारों ने हमारे संसदीय लोकतंत्र की अवस्था के संबंध में अपने सुविचारित दृष्टिकोण को एक-दूसरे से बांटा। इनमें होने वाला विचार-विमर्श बहुत उत्साहवर्धक और गंभीर विचारों की प्रेरणा देने वाला था।

संसद को जनता के नजदीक लाने के लिए मैंने लोक सभा टेलीविजन चैनल को आरंभ किया। सभा की कार्यवाहियों के सीधे प्रसारण के लिए 24 घंटे के एक विशिष्ट टी.वी. चैनल की शुरूआत से हमारी जनता अपने प्रतिनिधियों को लोक सभा कक्ष के भीतर अपने उत्तरदायित्वों का निवर्हन करते हुए देख सकेगी और इसे जनता, संसद और सरकार के बीच एक प्रभावी मंच के रूप में पाएगी। संसदीय कार्यवाही के कवरेज के अलावा कई मूल्यवान कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनमें संसद सदस्य समकालीन विषयों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने-अपने दलों के दृष्टिकोण को वाणी देते हैं। ये चैनल नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चलचित्रों और हमारी विरासत, आस्थाओं, परंपराओं, संगीत और नृत्य के संबंध में वृत्तचित्रों का प्रसारण भी करता है। हमें गर्व है कि यह कार्यकारिणी के किसी भी नियंत्रण अथवा हस्तक्षेप से मुक्त, संसद के स्वामित्व वाला और उसके द्वारा संचालित विश्व का यह एकमात्र टी.वी. चैनल है। मैंने इस टी.वी. चैनल की शुरूआत इस विचार से प्रेरित होकर की कि जनता को संसद के नजदीक लाया जाए और साथ ही दर्शक दीर्घा को प्रत्येक घर तक ले जाया जाए जिससे देश जान सके कि संसद क्या कर रही है। जनता हमारी असली शासक है इसलिए उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनके प्रतिनिधि किस प्रकार उनकी और समग्र रूप से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं।

मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए मैंने संसद सत्र के दौरान संपादकों और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बनाए रखा और उनसे सभा की कार्यवाहियों की कवरेज में सुधार के लिए आग्रह किया। मेरा विश्वास है कि इस संवाद के परिणामस्वरूप कवरेज में सुधार हुआ है यद्यपि यह अभी भी प्रचुर मात्रा में नहीं है। इन पहलुओं पर मुझे सलाह देने के लिए विशेषज्ञ पैनल का भी गठन किया गया जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ मीडिया की हस्तियां भी शामिल थीं।

संसद को जनता के नजदीक लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अत्याधुनिक संसदीय संग्रहालय की स्थापना की गयी। इस संग्रहालय का उद्घाटन हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 14 अगस्त, 2006 को किया। यह जनता के लिए खोल दिया गया है। इस संग्रहालय की कल्पना भारत में लोकतांत्रिक लोकाचार और संस्थात्मक विकास की निरन्तरता को प्रदर्शित करने वाले अत्याधुनिक, कथावाचक संग्रहालय के रूप में की गयी है। सभी पक्षों ने लोक सभा टेलीविजन और संसदीय संग्रहालय को हमारी संसदीय प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होने वाले महत्वपूर्ण कदमों के रूप में की है और उनकी सराहना की है।

मैं उन सभी नेताओं विशेषकर विपक्ष के माननीय नेता के प्रति संग्रहालय स्थापित किए जाने के दौरान दी गई सहायता और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां, विशेषकर छात्र, इस संग्रहालय को देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिन सदस्यों को अभी तक समय नहीं मिल पाया, वे अब इस संग्रहालय को देखने आएंगे।

इसके अतिरिक्त हमने संसदीय ग्रंथालय को जनसुलभ बनाकर एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि संसदीय ग्रंथालय में ज्ञान के समृद्ध भंडार को विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित संस्थाओं के अनुसंधानकर्ताओं, पत्रकारों, शैक्षिक संस्थाओं के प्रमुख/सदस्यों और अन्य लोगों के लिए भी सुलभ बना दिया जाए। हमने बालकों की ज्ञान और सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसदीय ग्रंथालय में एक बाल–कक्ष की भी स्थापना की है। यह उन्हें हमारी संसदीय संरचना और देश की प्रगति और विकास विशेष रूप से बच्चों और युवाओं से संबंधित मामलों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है।

युवा पीढ़ी में संसदीय लोकतंत्र के ज्ञान के प्रसार के लिए हमने पहली बार लोक सभा इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। यह वर्ष भर चलने वाला कार्यक्रम है जो असाधारण शैक्षिक रिकार्ड वाले पांच पोस्ट–ग्रेजुएट युवाओं को संसदीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं विशेष रूप से भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के कार्यकरण से परिचित होने का अवसर देता है।

14वीं लोक सभा के दौरान हमने केन्द्रीय कक्ष में दो यादगार अवसरों, अर्थात् हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ का और हमारी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित किए। मेरे विचार में यह कार्यक्रम बहुत सफल रहे।

इस अवसर पर मैं इंजीनियरिंग, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, एमबीए, एलएलबी, आर्किटेक्चर और आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सा–शास्त्रों सहित आयुर्विज्ञान विषयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले लोक सभा सचिवालय के समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का भी उल्लेख करूंगा।

इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छः छात्रों, उपरोक्त क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में एक छात्र को उसके संस्थान/कालेज जिसमें उसका अध्ययन के लिए चयन किया गया है, द्वारा लिए गए कुल शिक्षण शुल्क की राशि प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर मैं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के कर्मचारी श्री राजीव सारस्वत द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान का पुनः स्मरण करता हूं जो उन्होंने मुम्बई सिटी में हुए दुर्दान्त आतंकवादी हमले के अनेक स्थलों में से एक स्थल ताजमहल होटल में अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति के कंट्रोल रूम के प्रभारी का दायित्व निभाते हुए किया।

सभा की ओर से मैंने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के चैयरमेन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर को तथा शोकसंतप्त परिवार को अपनी गहरी संवेदना प्रेषित कर दी थी। इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहूंगा कि लोक सभा सचिवालय ने मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि दे दी है और मैंने सरकार से उसके परिवार को, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए, पेट्रोल पम्प आबंटित करने की भी सिफारिश की है। मुझे आशा है कि आपने इस बारे में सुना होगा।

यह कुछ ऐसी पहल हैं जिनकी शुरूआत पीठासीन अधिकारी ने इस लोक सभा के दौरान संसदीय संस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से की। मैं कृतज्ञतापूर्वक इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि मुझे इस सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने तथा नई पहल करने में सभा के सभी वर्गों, सत्ता पक्ष और विपक्ष का उदारतापूर्वक पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्राप्त हुआ।

यदि मैं चौदहवीं लोक सभा के दौरान घटित उन कतिपय अवरोधों एवं परिहार्य स्थितियों का उल्लेख न करूं जिन्हें मुझे बड़े दुःख के साथ व्यक्त करना पड़ रहा है, जिनसे जनता की नजरों में इस महान संस्था की गरिमा को ठेस पहुंची तो मैं समझूंगा कि मैंने अपनी अन्तरात्मा के साथ न्याय नहीं किया। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि राजनीति में टकराव हावी हो गया है जिसके परिणामस्वरूप नारेबाजी के माध्यम से सभा के बीचों–बीच आकर, सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने, सभा के बहिष्कार आदि की स्थिति ने इस महान सभा की प्रभावकारिता में जनता की आस्था को काफी हद तक क्षरण कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि 15वें सत्र के अंत तक इस लोक सभा का वास्तविक बैठकों में कुल 1739 घंटे 05 मिनट का समय लगा और 423 घंटे का समय बर्बाद हुआ। सभा की कार्यवाही के दौरान अव्यवस्थित परिस्थितियों के कारण हुए व्यवधान एवं स्थगनों में बर्बाद हुआ समय सभा के कुल समय का लगभग 24 प्रतिशत बैठता है, जो कि बहुत चिन्ताजनक स्थिति है।

संसदीय प्रणाली के भव्य ढांचे की शक्तियों और कृत्यों का सरकार के तीन विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में स्पष्ट विभाजन किया गया है। इस प्रकार संसद सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था है जिसके पास अपनी कार्यवाही को विनियमित करने तथा अपने

सदस्यों को अनुशासित करने की अनन्य शक्तियां हैं। संसदीय अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक के रूप में, "पूरे देश में संसद और विधान मंडलों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को रक्षित एवं संरक्षित करने का दायित्व मुझ पर आ पड़ा।" सदस्यों को याद होगा कि मार्च, 2005 में झारखंड के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय से उत्पन्न विवाद पर उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभा की कार्यसूची निर्धारित करने, सभा की व्यवस्था बनाये रखने और सभा की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग करने में पीठासीन अधिकारी को दिशा-निर्देश भी अंतर्विष्ट थे। ऐसे मामले संविधान के अंतर्गत, सभा के नियमों और परंपराओं के माध्यम से भी प्रत्येक विधान मंडल के पीठासीन अधिकारी के अनन्य श्रेत्राधिकार में आते हैं। मैंने विधान मंडल के अनन्य कार्यक्षेत्र में इसकी सर्वोच्चता बनाए रखने का भरपूर प्रयास किया और इस दिशा में मुझे अंततोगत्वा संसद में सभी दलों के नेताओं और भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की सहमति और समर्थन प्राप्त था जिसके लिए मैं उन सभी का आभारी हूं।

दूसरा ऐसा अवसर तब आया, जब धन लेकर प्रश्न पूछने के घोटाले में सभा ने निष्कासित सदस्यों ने अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं। लोक सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में मुझे सदस्यों के अनुशासन और दुराचरण से संबंधित मामलों से निपटने और यह स्पष्ट करने कि संसद के कक्षों के अंदर सदस्यों द्वारा किए गए मतदान पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इस सभा के अधिकारों का बचाव करना पड़ा। उच्चतम न्यायालय ने तदंतर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और पीठासीन अधिकारी के निर्णय को सही ठहराया जिसका सभा के सभी पक्षों और भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के आपातकालीन सम्मेलन में समर्थन किया गया।

चूंकि आज सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो रही है, मेरे भीतर विभिन्न भावनाएं उमड रही हैं-मैं अपने कार्य से पूर्ण संतुष्ट हूं, जिसे मैं आप सभी के साथ विनम्रतापूर्वक बांटना चाहता हूं, मैंने सर्वोच्च संसदीय परम्परा का निर्वहन करते हुए इस सभा की कार्यवाहियों को विनियमित करने और माननीय सदस्यों को सभा की कार्यवाही में भाग लेने तथा अपने विचार व्यक्त करने हेतु अवसर प्रदान करने में अध्यक्ष के उच्च संवैधानिक पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय मेरा यह भरसक प्रयास रहा है कि मैं अपनी पूर्ण क्षमता से सभा और माननीय सदस्यों की दलगत संबद्धता के हटकर, उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करूं तथा अपनी संसदीय प्रणाली के कार्यकरण की महत्ता को आगे बढ़ाएं।

मैं एक बार पुनः सभा के सभी वर्गों का अनेक अवसरों पर न निभाए गए वायदों और निराशा के बावजूद, इस सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन करने में मेरा समर्थन और सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं संसद की दोनों सभाओं के कार्य में समन्वय बनाने के लिए, राज्य सभा के माननीय सभापति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी के सक्रिय सहयोग, माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, सदन के माननीय नेता श्री प्रणब मुखर्जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री एल.के. आडवाणी और संसदीय कार्य मंत्रियों का इस सभा का संचालन करने में सहयोग करने के लिए तथा माननीय उपाध्यक्ष श्री चरणजीत सिंह अटवाल तथा सभापति तालिका के सदस्यों का इस सभा के पीठासीन अधिकारी के दुष्कर कार्य में मेरा हाथ बंटाने, राज्य सभा के उप-सभापति श्री के. रहमान खान का उनके सहयोग के लिए, सभी दलों और समूहों के नेताओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य का, हमारे संसदीय लोकतंत्र के संचालन में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। यदि मैं, सं.प्र.ग. और रा.ज.ग. के माननीय चेयरपर्सन का आसन के प्रति सम्मान और सहयोग के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट नहीं करता हूं, तो मैं अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर पाऊंगा।

मैं लोक सभा के महासचिव, श्री पी.डी.टी. आचारी का इस माननीय सभा के संचालन में शक्ति के सतत् स्रोत और सहयोग के लिए, उनके अधिकारियों की टीम और लोक सभा सचिवालय के सभी कर्मचारियों के साथ-साथ अध्यक्ष के कार्यालय का लोक सभा से संबंधित सभी कार्यों का अत्यंत कुशलता और विशेषज्ञता से निपटाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं वॉच एंड वार्ड कर्मचारियों, के.रि.पु.ब. दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा अभिकरणों का, संसद भवन परिसर की सतर्कतापूर्ण सुरक्षा के लिए प्रशंसा करता हूं। मैं के.लो.नि.वि. के साथ-साथ बागवानी विभाग और अन्य अनुषंगी अभिकरणों का उनके बहुमूल्य समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं।

माननीय सदस्यों, 14वीं लोक सभा, जो सभी प्रभावी प्रयोजनों के लिए आज समाप्त होने जा रही है, के साथ-साथ मैं भी अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हूं और थोड़ी देर पश्चात मैं इस कक्ष को अंतिम बार छोड़ दूंगा। इस महान संस्था से सदा के लिए अलग होने के अवसर पर मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आपका सहयोग चाहता हूं। लोक सभा के विनम्र सेवक के रूप में, मैंने इस संस्था के माध्यम से राष्ट्र की सेवा ग्यारह माह के अल्पकाल को छोड़कर लगभग 39 वर्ष की है।

मुझे भली-भांति याद है कि पांचवी लोक सभा में मुझे सीट नम्बर 512 आबंटित थी जहां से मुझे अत्यंत उत्कंठा और प्रशंसा सहित

यथासंभव अत्यंत ध्यान से उत्कृष्ट सांसदों द्वारा किए गए स्मरणीय भाषणों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस गौरवशाली सभा के सदस्य के रूप में मुझे 5वीं से 14वीं लोक सभा तक देश की जनता की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं लोक सभा में 15 वर्षों तक, अध्यक्ष के रूप में मेरे निर्वाचन तक, दल का नेता रहा। नेता के रूप में यह मेरा कर्तव्य था कि कामगार वर्ग और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित मामले इस सदन में समुचित रूप से उठाए जाएं। लोक सभा, जनता की मांगों और अपेक्षाओं को मुखर करने तथा किसानों और कामगारों तथा देश के आम लोगों से संबंधित मामलों को उठाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंच है। मैं अपने नेताओं, विशेषतौर पर, कामरेड ज्योति बसु का, उनके मार्गनिर्देशन, प्रोत्साहन और स्नेह को याद किए बिना नहीं रह सकता। मैं भारत संसदीय ग्रुप का, मुझे वर्ष 1996 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए, आभार व्यक्त करता हूं।

मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि पीठासीन अधिकारी के रूप में मैंने ईमानदारी और गंभीरता से संसदीय संस्था की उच्च परंपरा को बनाए रखा तथा अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया। मैंने भारत के संविधान की भावना की अनुरूप, जिसमें पूर्ण निष्पक्षता से कर्त्तव्य पालन और सभी सदस्यों के प्रति एक समान व्यवहार अपेक्षित है, अपने आपको किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से पूर्णतया अलग रखा।

संविधान की भावना के अनुरूप, मैंने एक सोचा–समझा निर्णय लिया कि मैं भारत के संविधान के साथ खड़ा रहूं और मैंने ऐसा नहीं करने का निर्णय लिया जिससे, मेरे विचार से, देश के सर्वोच्च विधानमंडल के अध्यक्ष पद की मेरी स्थिति से गंभीर समझौता होता। न केवल भारत के नागरिकों बल्कि भारत–वंशियों द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अध्यक्ष के रूप में संस्था की गरिमा और संविधान के मौलिक सिद्धांतों को बनाए रखने में मेरे सैद्धांतिक निर्णय पर मुझे मिले सहयोग और प्रशंसा पर मैं भाव–विह्वल हो गया। मैं संविधान में निहित अध्यक्ष की भूमिका और अपेक्षाओं से समझौता नहीं कर सका।

माननीय सदस्यों, मैं पुनः आप सभी का मुझे यह महान अवसर प्रदान किए जाने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं तथा जो कुछ अल्प समय मेरे पास है उसमें मैं इस संस्था की पूर्ण गरिमा और सफलता के लिए इस सम्मानित संस्था के कृत्यों का पूर्ण निर्वहन करने की कामना करता हूं।

आगामी चुनावों में आप सभी की सफलता के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अब राष्ट्रीय गीत, वन्दे मातरम की धुन बजायी जाए।

अपराह्न 3.41 बजे

राष्ट्रगीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजायी गयी।

अपराह्न 3.42 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों के सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री अजय चक्रवर्ती	141
2.	श्री चंद्रकांत खैरे	142
3.	श्री सुरेश अंगड़ि	143
4.	श्री नन्द कुमार साय	144
	श्री सुग्रीव सिंह	
5.	श्री हंसराज गं. अहीर	145
6.	श्री पी.सी. थामस	146
	श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	
7.	श्री के.एस. राव	147
	श्री रमेश दूबे	
8.	श्री रामजीलाल सुमन	148
9.	श्री अर्जुन सेठी	149
10.	श्री सनत कुमार मंडल	150
11.	डा. चिन्ता मोहन	151
	श्री अब्दुल्लाकुट्टी	
12.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	152
	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	
13.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	153
	श्रीमती निवेदिता माने	
14.	श्री नवीन जिन्दल	154
15.	श्री एल. राजगोपाल	155
16.	श्री निखिल कुमार	156
17.	श्री रामदास आठवले	157
	श्री तुकराम गणपतराव रेंगे पाटील	
18.	श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर	158
	श्री विजय कृष्ण	
19.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	159
20.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	160

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अब्दुलाकुट्टी, श्री	844, 881
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	857, 874, 889, 890
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	865, 872
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	845, 883, 894, 901
5.	अजय कुमार, श्री एस.	833
6.	अंगड़ि, श्री सुरेश	852, 856
7.	अर्गल, श्री अशोक	883
8.	आठवले, श्री रामदास	858, 882, 897, 902
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	809, 828, 850, 880, 896
10.	बर्मन, श्री हितेन	817, 884
11.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	840
12.	चक्रवर्ती, श्री अजय	859
13.	चिन्ता मोहन, डा.	864
14.	चौधरी, श्री पंकज	824, 862
15.	दूबे, श्री रमेश	822, 851
16.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	867
17.	गमांग, श्री गिरिधर	815, 855
18.	गंगवार, श्री संतोष	828, 866
19.	हुसैन, श्री अनवर	818, 870
20.	जिन्दल, श्री नवीन	807
21.	कलमाडी, श्री सुरेश	839, 875, 899
22.	कस्वां, श्री राम सिंह	832, 872
23.	खैरे, श्री चंद्रकांत	843, 878, 893
24.	खां, श्री सुनील	842
25.	खंडेलवाल, श्री हेमंत	821, 860
26.	खन्ना, श्री अविनाश राय	906

1	2	3
27.	खारवेनथन, श्री एस.के.	806, 847, 877, 891, 900
28.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	846, 907
29.	कृष्ण, श्री विजय	876
30.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	838
31.	महतो, श्री नरहरि	884
32.	मंडल, श्री सनत कुमार	854, 885
33.	माने, श्रीमती निवेदिता	867
34.	मिश्रा, डा. राजेश	823
35.	मुर्मू, श्री हेमलाल	825
36.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	811
37.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	835
38.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	808
39.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	831
40.	राजगोपाल, श्री एल.	849, 886
41.	राजेन्द्रन, श्री पी.	836, 905
42.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	822
43.	राणा, श्री काशीराम	868
44.	राव, श्री के.एस.	848
45.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	828, 837, 873
46.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	830
47.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	841
48.	रिजीजू, श्री कीरेन	827
49.	साय, श्री नन्द कुमार	841, 874, 890, 898
50.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	829
51.	सत्पथी, श्री तथागत	812
52.	सेठी, श्री अर्जुन	865
53	शैलेन्द्र कुमार, श्री	816
54.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	857, 874, 890, 899
55.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	827
56.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	807, 869, 887, 895
57.	सिंह, श्री गणेश	820, 824
58.	सिंह, श्री मोहन	834
59.	सिंह, श्री राकेश	814, 853, 879, 892, 902
60.	सिंह, श्री सुग्रीव	874, 989, 903, 904
61.	सिंह, श्री उदय	810, 851
62.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	813, 852
63.	सुब्बारायण, श्री के.	819
64.	सुमन, श्री रामजीलाल	864
65.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	826, 863
66.	थामस, श्री पी.सी.	861, 884
67.	तुम्मर, श्री वी.के.	831, 868
68.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	871, 888, 889
69.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	857, 874, 890, 898
70.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	805
71.	यास्खी, श्री मधु गौड	867
72.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	824, 862, 874, 889

अनुबंध - II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	145
नागर विमानन	142, 144, 147, 160
संस्कृति	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	156
अल्पसंख्यक मामले	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	143, 153, 158, 159
रेल	141, 146, 148, 151, 152
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	149, 157
इस्पात	155
पर्यटन	150, 154

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	810, 820, 851, 856, 867, 871, 880, 884
नागर विमानन	812, 825, 827, 841, 854, 857, 874, 875, 889
संस्कृति	807, 809, 813, 816, 840, 844, 855, 870, 888, 897
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	849, 861, 866
भारी उद्योग और लोक उद्यम	899, 907
अल्पसंख्यक मामले	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	811, 822, 835, 838, 839, 848, 864, 872, 873, 881, 887, 900, 903, 904, 905
रेल	805, 806, 808, 814, 815, 824, 826, द828, 830, 831, 832, 833, 834, 836, 837, 842, 843, 845, 846, 850, 853, 859, 862, 863, 868, 877, 879, 885, 890, 891, 892, 895, 898, 902
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	819, 821, 860, 865, 882, 883, 886, 894, 901, 906
इस्पात	817, 823, 876, 878, 893
पर्यटन	818, 829, 847, 852, 858, 869, 896

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस. – 48/39/10/2009 (एन.)
230

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।